**IUC ACADEMY**

**INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY**

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

**IUC अकादमी नोट्स**

संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

# संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून

## COMPLETE ACCOUNTANCY, AUDITING, INDUSTRIAL RELATIONS, 4 LABOUR CODES & EPFO

UPSC EPFO (EO/AO & APFC), ESIC, SSC CGL (AAO), Commerce PGT/UGC-NET एवं विभागीय लेखा परीक्षाओं के लिए वित्तीय लेखांकन, साझेदारी व कंपनी खाते, अनुपात विश्लेषण, अंकेक्षण, औद्योगिक संबंध, 4 नवीन श्रम संहिताएँ एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

**विषयवार परीक्षा प्रश्न भार विभाजन (%)**




**विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रुझान**

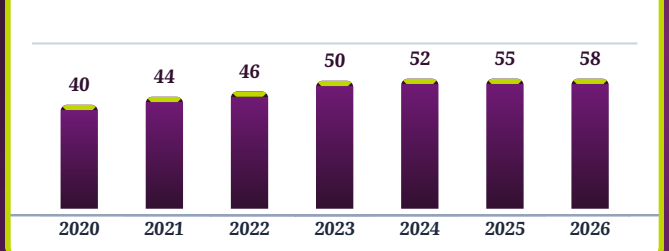


**लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)**

**UPSC EPFO (EO/AO & APFC) • ESIC DD/SSO • SSC CGL AAO • Commerce PGT & UGC-NET • CUET Commerce • Accounts LDCE**

### इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- वित्तीय लेखांकन सिद्धांत, जर्नल, लेजर, तलपट, अंतिम खाते एवं मूल्यह्रास (24%)
- साझेदारी व कंपनी खाते, अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis), रोकड़ प्रवाह (AS-3) व लागत (20%)
- अंकेक्षण (Auditing): प्रमाणन, सत्यापन, आंतरिक नियंत्रण एवं कंपनी ऑडिटर (धारा 139–148) (16%)
- औद्योगिक संबंध (IR सिद्धांत, ILO) एवं पूर्ववर्ती श्रम अधिनियम (Factories, ID, Trade Union) (18%)
- 4 नवीन श्रम संहिताएँ (2019–2020) एवं सामाजिक सुरक्षा (EPF, ESI, Gratuity, Maternity) (22%)

**संपूर्ण पाठ्यक्रम**
NCERT एवं मानक स्रोत

**तुलनात्मक सारणियाँ**
प्रवाह आरेख व चार्ट

**स्मृति सूत्र**
त्वरित रिवीजन बिंदु

**अभ्यास प्रश्न**
व्याख्या सहित हल

# आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

**प्रिय अभ्यर्थियों,**

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

**कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)**




**नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ**

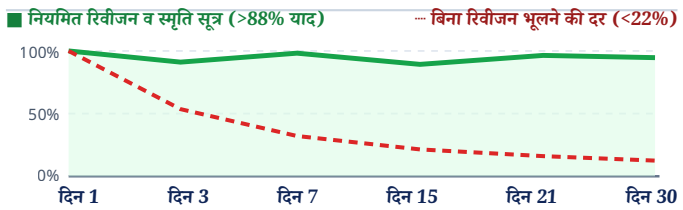


**अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)**

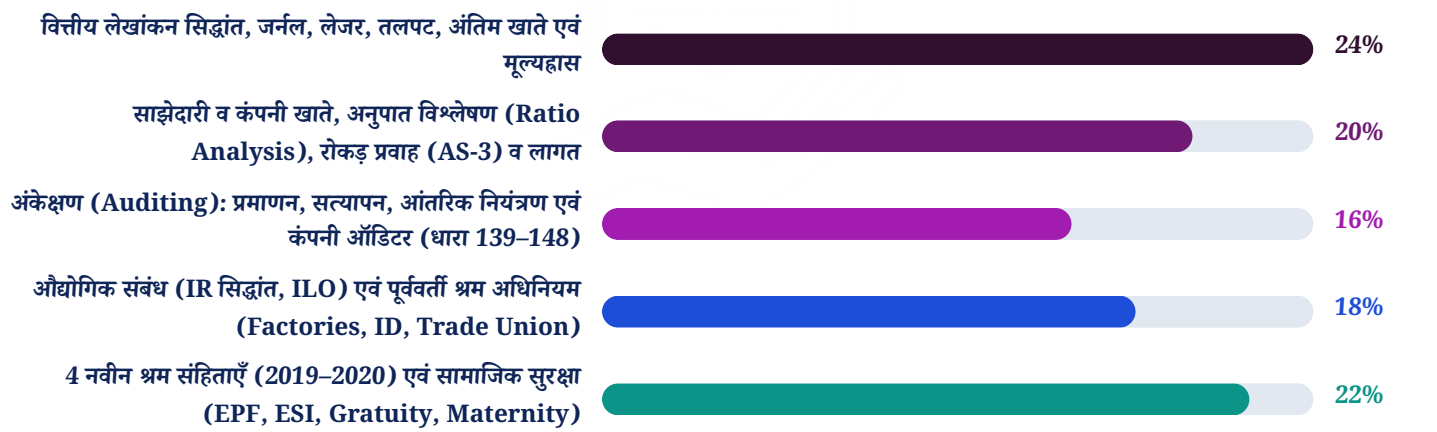


**प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)**

- **UPSC EPFO Official Syllabus** (https://upsc.gov.in/)
- **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI)** (https://www.icai.org/)
- **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (4 Labour Codes)** (https://labour.gov.in/)
- **PIB Labour & Social Security Releases** (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2192463)

# विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन


## 1. मॉड्यूल 1: लेखांकन (Accountancy) के मूल सिद्धांत एवं अवधारणाएँ

- 1.1 लेखांकन का अर्थ, विकास एवं उद्देश्य
- 1.2 खातों का वर्गीकरण एवं लेखांकन के स्वर्णिम नियम (Golden Rules of Accounting)
- 1.3 लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएँ एवं परंपराएँ (Accounting Concepts & Conventions)
- 1.4 लेखांकन मानक (Accounting Standards - AS) एवं भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS)
- 1.5 तुलनात्मक सारणी: स्वर्णिम नियम, अवधारणाएँ एवं प्रमुख लेखांकन मानक (AS बनाम Ind-AS)
- 1.6 चार्ट डेटा % विश्लेषण: प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉड्यूल 1 का प्रश्न-भार वितरण

## 2. मॉड्यूल 2: लेखांकन प्रक्रिया एवं वित्तीय विवरण

- 2.1 जर्नल (रोजनामचा), सहायक बहियाँ एवं रोकड़ बही (Cash Book)
- 2.2 खाता-बही (Ledger) एवं तलपट (Trial Balance)
- 2.3 अशुद्धियों का वर्गीकरण एवं सुधार (Rectification of Errors)
- 2.4 बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS)
- 2.5 मूल्यह्रास (Depreciation) — सीधी रेखा एवं घटती शेष विधि
- 2.6 अंतिम खाते (Final Accounts — Trading, Profit & Loss Account एवं Balance Sheet)
- 2.7 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 2 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 3. मॉड्यूल 3: साझेदारी एवं कंपनी लेखांकन तथा वित्तीय अनुपात विश्लेषण

- 3.1 साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting) एवं ख्याति (Goodwill)
- 3.2 कंपनी लेखांकन: अंशों (Shares) एवं ऋणपत्रों (Debentures) का निर्गमन व हरण
- 3.3 नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 एवं Ind-AS 7)
- 3.4 वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Financial Ratio Analysis — सभी सूत्र 1D प्रारूप में)
- 3.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 3 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 4. मॉड्यूल 4: अंकेक्षण (Auditing) एवं लागत लेखांकन

- 4.1 अंकेक्षण (Auditing) का अर्थ एवं उद्देश्य
- 4.2 अंकेक्षण के प्रकार (Types of Audit)
- 4.3 प्रमाणन (Vouching), सत्यापन (Verification) एवं मूल्यांकन (Valuation)
- 4.4 कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता एवं अंकेक्षण रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 — धारा 139 से 148)
- 4.5 लागत लेखांकन (Cost Accounting) के मूल तत्व
- 4.6 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 4 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 5. मॉड्यूल 5: भारत में औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) एवं श्रम संघ आंदोलन

- 5.1 औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) के प्रमुख सैद्धांतिक उपागम
- 5.2 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का ऐतिहासिक विकास
- 5.3 सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, तालाबंदी, छँटनी एवं ले-ऑफ (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947)
- 5.4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं इसके 10 मूल अभिसमय (Fundamental Conventions)
- 5.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 5 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 6. मॉड्यूल 6: प्रमुख पारंपरिक श्रम अधिनियम (Traditional Labour Acts)

- 6.1 कारखाना अधिनियम, 1948 (The Factories Act, 1948 — 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी)
- 6.2 मजदूरी एवं बोनस से संबंधित प्रमुख अधिनियम
- 6.3 उपादान (Gratuity), भविष्य निधि (EPF), राज्य बीमा (ESI) एवं मातृत्व लाभ अधिनियम
- 6.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख पारंपरिक श्रम अधिनियम एक दृष्टि में
- 6.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 6 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 7. मॉड्यूल 7: चार नई श्रम संहिताएँ (4 New Labour Codes)

- 7.1 पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक कार्यान्वयन (21 नवंबर 2025 से प्रभावी)
- 7.2 चारों नई श्रम संहिताओं का गहन विश्लेषण
- 7.3 तुलनात्मक सारणी: चारों श्रम संहिताओं में समाहित सभी 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानून
- 7.4 चार्ट डेटा % विश्लेषण: चारों श्रम संहिताओं में समाहित 29 कानूनों का अनुपात एवं प्रश्न-भार

## 8. मॉड्यूल 8: भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ

- 8.1 असंगठित क्षेत्र सुरक्षा एवं ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)
- 8.2 प्रमुख पेंशन एवं जन-सुरक्षा बीमा योजनाएँ
- 8.3 आयुष्मान भारत (PM-JAY) एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP — अक्टूबर 2026 संशोधन सहित)
- 8.4 तुलनात्मक सारणी: भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ
- 8.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 8 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

## 9. परीक्षा से पूर्व त्वरित पुनरावृत्ति: सभी 15 मास्टर स्मृति ट्रिक्स (15 Memory Tricks) की समेकित सूची

## 10. संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं 4 श्रम संहिताएँ (UPSC EPFO/ESIC/AAO)

- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 1: वित्तीय लेखांकन की वैचारिक रूपरेखा, लेखांकन मानक एवं स्वर्णिम नियम
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 2: रोजनामचा, सहायक बहियाँ, खाता-बही, तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 3: मूल्यह्रास लेखांकन, रहतिया मूल्यांकन (FIFO, LIFO) एवं प्रावधान-संचय
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 4: अंतिम खाते, गैर-लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन (NPO) एवं साझेदारी लेखांकन
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 5: कंपनी लेखे, अंश पूँजी, नकदी प्रवाह विवरण (AS-3) एवं अनुपात विश्लेषण
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 6: अंकेक्षण (Auditing) के सिद्धांत, प्रमाणन, सत्यापन एवं आंतरिक नियंत्रण
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 7: कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता, अधिकार एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 8: औद्योगिक संबंध के सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कल्याण एवं ILO
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 9: वेतन संहिता 2019 (Code on Wages) एवं औद्योगिक संबंध संहिता 2020
- IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 10: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (EPFO/ESIC) एवं व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (OSHWC) 2020

## 11. अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

## 12. भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)

**समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी (Inclusive Universal Careers Academy — IUC Academy ) — विशेष प्रतियोगी परीक्षा अध्ययन सामग्री**

**लक्षित परीक्षाएँ:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO) एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा — सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (CGL AAO), कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant), लेखा परीक्षक (Auditor), उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) लेखा लिपिक तथा सीयूईटी (CUET) एवं बी.कॉम (B.Com) प्रवेश परीक्षाएँ।

# *मॉड्यूल 1: लेखांकन (Accountancy) के मूल सिद्धांत एवं अवधारणाएँ*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: लेखांकन (Accountancy) के मूल सिद्धांत एवं अवधारणाएँ**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| **लेखांकन का अर्थ, विकास एवं उद्देश्य** | **खातों का वर्गीकरण एवं लेखांकन के स्वर्णिम नियम (Golden Rules of Accounting)** | **लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएँ एवं परंपराएँ (Accounting Concepts & Conventions)** | **लेखांकन मानक (Accounting Standards - AS) एवं भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS)** |

## *1.1 लेखांकन का अर्थ, विकास एवं उद्देश्य*

लेखांकन (Accounting) किसी व्यावसायिक इकाई के वित्तीय स्वभाव वाले लेन-देनों (Financial Transactions) को क्रमबद्ध रूप से अभिलेखित करने (Recording), वर्गीकृत करने (Classifying), संक्षिप्त करने (Summarizing), विश्लेषण करने तथा उनके परिणामों को उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित करने की कला और विज्ञान है। आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System) के जनक इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ **लुका पैसिओली (Luca Pacioli)** माने जाते हैं, जिन्होंने वर्ष 1494 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुम्मा डी एरिथमेटिका (*Summa de Arithmetica*) में डेबिट (नामे) और क्रेडिट (जमा) के सिद्धांतों का प्रथम बार वैज्ञानिक प्रतिपादन किया। भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI)** के **लेखांकन मानक बोर्ड (ASB)** द्वारा किया जाता है तथा कॉर्पोरेट संस्थाओं हेतु इन्हें **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

- **प्राथमिक अभिलेखन (Book-keeping):** वित्तीय व्यवहारों की पहचान कर उन्हें प्रारंभिक बहियों (जर्नल एवं सहायक बहियों) में दर्ज करना।
- **वर्गीकरण एवं सारांशीकरण (Classification & Summarization):** खाता-बही (Ledger) में खतौनी करना, तलपट (Trial Balance) बनाना और अंतिम खातों के माध्यम से लाभ-हानि व वित्तीय स्थिति ज्ञात करना।
- **वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता:** आंतरिक उपयोगकर्ता (स्वामी, संचालक मंडल, प्रबंधन, कर्मचारी) तथा बाह्य उपयोगकर्ता (निवेशक, ऋणदाता, बैंक, कर अधिकारी, उपभोक्ता एवं नियामक संस्थाएँ)।

## *1.2 खातों का वर्गीकरण एवं लेखांकन के स्वर्णिम नियम (Golden Rules of Accounting)*

पारंपरिक या ब्रिटिश उपागम के अंतर्गत खातों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है: **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)** और **अव्यक्तिगत खाते (Impersonal Accounts)**। अव्यक्तिगत खातों को पुनः **वास्तविक खाते (Real Accounts)** और **नाममात्र खाते (Nominal Accounts)** में विभाजित किया जाता है।

1. **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts):** वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था या उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित होते हैं। इसके तीन उप-प्रकार हैं:

- **प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते (Natural Personal Accounts):** हाड़-मांस के सामान्य व्यक्तियों के खाते; जैसे— राम का खाता, श्याम का खाता, स्वामी का पूँजी खाता (Capital Account) एवं आहरण खाता (Drawings Account)।
- **कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Artificial Personal Accounts):** कानून द्वारा निर्मित संस्थाएँ या निकाय जिनका भौतिक शरीर नहीं होता किंतु वे अपने नाम से व्यवसाय करती हैं; जैसे— भारतीय स्टेट बैंक खाता, टाटा लिमिटेड खाता, क्लब या सहकारी समिति का खाता।

• **प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते (Representative Personal Accounts):** जब कोई खाता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी व्यय या आय के आगे **बकाया (Outstanding)**, **पूर्वदत्त (Prepaid)**, **उपार्जित (Accrued)** या **अनुपार्जित/अग्रिम (Unearned)** शब्द जुड़ जाने पर वह नाममात्र खाता न रहकर **प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता** बन जाता है; जैसे— अदत्त वेतन खाता (Outstanding Salary A/c), पूर्वदत्त बीमा खाता (Prepaid Insurance A/c)।

2. **वास्तविक या वस्तुगत खाते (Real Accounts):** वे खाते जो व्यवसाय की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों एवं अधिकारों (देनदारों को छोड़कर) से संबंधित होते हैं:

• **मूर्त वास्तविक खाते (Tangible Real Accounts):** जिन्हें छुआ, देखा और मापा जा सकता है; जैसे— रोकड़ (Cash), भवन (Building), मशीनरी (Machinery), फर्नीचर (Furniture), रहतिया/स्टॉक (Inventory)।

• **अमूर्त वास्तविक खाते (Intangible Real Accounts):** जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु मौद्रिक मूल्य होता है; जैसे— ख्याति (Goodwill), एकस्व/पेटेंट (Patents), कॉपीराइट (Copyrights), ट्रेडमार्क (Trademarks)।

3. **नाममात्र या आय-व्यय खाते (Nominal Accounts):** वे खाते जो व्यवसाय के समस्त खर्चों, हानियों, आय और लाभों से संबंधित होते हैं। ये खाते वर्ष के अंत में व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित कर बंद कर दिए जाते हैं; जैसे— वेतन (Salary), किराया (Rent), मजदूरी (Wages), कमीशन प्राप्त (Commission Received), ब्याज, प्राप्त बट्टा (Discount Received)।

• **आधुनिक (अमेरिकी) समीकरण उपागम (Modern Equation Approach):** इस पद्धति में खातों को 5 श्रेणियों में बाँटा गया है— **संपत्ति (Assets)** और **व्यय/हानि (Expenses/Losses)** में वृद्धि होने पर **डेबिट (Dr.)** तथा कमी होने पर **क्रेडिट (Cr.)** किया जाता है; जबकि **दायित्व (Liabilities)**, **पूँजी (Capital)** और **आय/लाभ (Revenue/Gains)** में वृद्धि होने पर **क्रेडिट (Cr.)** तथा कमी होने पर **डेबिट (Dr.)** किया जाता है।

## *1.3 लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएँ एवं परंपराएँ (Accounting Concepts & Conventions)*

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) के लेखांकन मानक 1 (AS-1) के अंतर्गत तीन **मौलिक लेखांकन मान्यताएँ (Fundamental Accounting Assumptions)** निर्धारित हैं— **निरंतरता (Going Concern)**, **संगति/एकरूपता (Consistency)** और **उपार्जन (Accrual)**। यदि इनका पालन किया गया है तो वित्तीय विवरणों में अलग से उल्लेख आवश्यक नहीं होता, किंतु उल्लंघन होने पर स्पष्ट प्रकटीकरण (Disclosure) अनिवार्य है।

• **द्विपक्षीय अवधारणा (Dual Aspect Concept):** दोहरा लेखा प्रणाली का आधारस्तंभ यही अवधारणा है। प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के दो समान प्रभाव होते हैं— एक पक्ष लाभ प्राप्त करता है (Debit) और दूसरा पक्ष लाभ प्रदान करता है (Credit)। इसी से मूल लेखांकन समीकरण बनता है: **संपत्तियाँ (Assets) = दायित्व (Liabilities) + पूँजी (Capital)**।

• **रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा (Convention of Conservatism / Prudence):** इस सिद्धांत का मूल मंत्र है— "भविष्य की संभावित सभी हानियों और दायित्वों के लिए अभी से प्रावधान करें, किंतु भविष्य के किसी भी संभावित लाभ को तब तक लेखा पुस्तकों में न लिखें जब तक वह वास्तव में वसूल न हो जाए।" इसी अवधारणा के कारण अंतिम रहतिया (Closing Stock) का मूल्यांकन **लागत मूल्य (Cost Price) या बाजार मूल्य/शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (Net Realisable Value - NRV), दोनों में जो कम हो**, पर किया जाता है तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (Provision for Doubtful Debts) बनाया जाता है।

• **सुचालू व्यवसाय या निरंतरता की अवधारणा (Going Concern Concept):** यह मानकर लेखांकन किया जाता है कि व्यवसाय अनंत काल तक निरंतर चलता रहेगा और निकट भविष्य में बंद करने का कोई इरादा नहीं है। इसी कारण स्थायी संपत्तियों को चिट्ठे में उनके वसूली मूल्य पर नहीं बल्कि **ऐतिहासिक लागत (Historical Cost) में से संचित मूल्यह्रास घटाकर** दिखाया जाता है।

• **उपार्जन अवधारणा (Accrual Concept):** आय को उस समय दर्ज किया जाता है जब वह अर्जित (Earned) हो जाती है और व्यय को उस समय दर्ज किया जाता है जब वह देय (Incurred) हो जाता है, चाहे वास्तविक नकद प्राप्ति या भुगतान किसी भी तिथि को हुआ हो।

• **पृथक व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा (Separate Business Entity Concept):** लेखांकन की दृष्टि से व्यवसाय और उसका स्वामी दो पृथक अस्तित्व हैं। स्वामी द्वारा लगाई गई राशि व्यवसाय के लिए **आंतरिक दायित्व (Internal Liability)** है और आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है।

• **मुद्रा मापन अवधारणा (Money Measurement Concept):** लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं तथ्यों और घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कर्मचारियों की ईमानदारी, प्रबंधकीय दक्षता या औद्योगिक विवाद का लेखा पुस्तकों में स्थान नहीं मिलता।

• **ऐतिहासिक लागत अवधारणा (Historical Cost Concept):** स्थायी संपत्तियों को उनके वास्तविक क्रय मूल्य (स्थापना व्यय सहित) पर ही पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, बाजार के उतार-चढ़ाव को अनदेखा किया जाता है।

• **मिलान अवधारणा (Matching Concept):** किसी लेखांकन अवधि का सही लाभ ज्ञात करने के लिए उसी अवधि के आगमों (Revenues) से उसी अवधि के संबंधित व्ययों (Expenses) का मिलान किया जाना चाहिए।

• **सारता की परंपरा (Convention of Materiality):** केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का ही विस्तृत प्रकटीकरण किया जाना चाहिए जो निवेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकें; नगण्य वस्तुओं (जैसे कैलकुलेटर, डस्टबिन, स्टेशनरी) को संपत्ति न मानकर सीधे व्यय लिखा जा सकता है।

## *1.4 लेखांकन मानक (Accounting Standards - AS) एवं भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS)*

भारत में लेखांकन प्रथाओं में एकरूपता लाने हेतु **ICAI के लेखांकन मानक बोर्ड (ASB)** की स्थापना **21 अप्रैल 1977** को हुई। पारंपरिक लेखांकन मानक (AS) के अतिरिक्त वैश्विक मानकों (IFRS) के साथ अभिसरण (Convergence) हेतु **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133** के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की अनुशंसा पर **भारतीय लेखांकन मानक (Ind-AS)** लागू किए हैं।

## *1.5 तुलनात्मक सारणी: स्वर्णिम नियम, अवधारणाएँ एवं प्रमुख लेखांकन मानक (AS बनाम Ind-AS)*

| क्रम | खाता / मानक / अवधारणा का नाम | स्वर्णिम नियम / मुख्य प्रावधान | परीक्षा उपयोगी उदाहरण एवं अनुप्रयोग | आधिकारिक संदर्भ स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **व्यक्तिगत खाता (Personal A/c)** | पाने वाले को डेबिट करें (Debit the Receiver), देने वाले को क्रेडिट करें (Credit the Giver) | राम, बैंक, पूँजी खाता, आहरण, अदत्त किराया, पूर्वदत्त बीमा (प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता) | ICAI लेखांकन प्रणाली |
| 2 | **वास्तविक खाता (Real A/c)** | जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करें (Debit what comes in), जो जाए उसे क्रेडिट करें (Credit what goes out) | रोकड़, भवन, प्लांट व मशीनरी, फर्नीचर, ख्याति (Goodwill), पेटेंट, कॉपीराइट | ICAI लेखांकन प्रणाली |
| 3 | **नाममात्र खाता (Nominal A/c)** | सभी व्ययों एवं हानियों को डेबिट करें (Debit all expenses & losses), सभी आय व लाभों को क्रेडिट करें (Credit all incomes & gains) | वेतन, मजदूरी, किराया, विज्ञापन, चोरी से हानि, प्राप्त कमीशन, प्राप्त लाभांश | ICAI लेखांकन प्रणाली |
| 4 | **AS-1 बनाम Ind-AS 1** | लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण / वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण | मौलिक मान्यताएँ: निरंतरता, संगति एवं उपार्जन (Going Concern, Consistency, Accrual) | ICAI मानक संकलन |
| 5 | **AS-2 बनाम Ind-AS 2** | रहतिया/स्कंध का मूल्यांकन (Valuation of Inventories) | लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (NRV) में जो कम हो; LIFO पद्धति प्रतिबंधित है (FIFO व भारित औसत मान्य) | ICAI Ind-AS पोर्टल |
| 6 | **AS-3 बनाम Ind-AS 7** | रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) | परिचालन (Operating), निवेश (Investing) एवं वित्तीयन (Financing) क्रियाओं में नकद वर्गीकरण | ICAI मानक नियम |
| 7 | **AS-10 बनाम Ind-AS 16** | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment) | स्थायी संपत्तियों का प्रारंभिक मापन लागत पर तथा पश्चातवर्ती मापन लागत या पुनर्मूल्यांकन मॉडल पर | ICAI Ind-AS Vol-I |
| 8 | **AS-26 बनाम Ind-AS 38** | अमूर्त संपत्तियाँ (Intangible Assets) | स्व-अर्जित ख्याति (Self-generated Goodwill) को लेखा पुस्तकों में कभी दर्ज नहीं किया जाता, केवल क्रय की गई ख्याति दर्ज होती है | ICAI शैक्षिक सामग्री |
| 9 | **Ind-AS 115 एवं Ind-AS 116** | ग्राहकों से अनुबंधों से आगम (Ind-AS 115) तथा पट्टे/Leases (Ind-AS 116) | 5-चरणीय आगम पहचान मॉडल तथा पट्टेदार हेतु एकल लेखा मॉडल (Right-of-Use Asset) | ICAI Ind-AS सारांश |

## *1.6 चार्ट डेटा % विश्लेषण: प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉड्यूल 1 का प्रश्न-भार वितरण*

विगत वर्षों के UPSC EPFO (EO/AO एवं APFC), SSC CGL AAO तथा राज्य लेखा परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में लेखांकन के मूल सिद्धांतों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रतिशत वितरण:

• **खातों के प्रकार एवं स्वर्णिम नियम (Personal, Real, Nominal & Representative Accounts):** 32%

- **लेखांकन अवधारणाएँ एवं परंपराएँ (Prudence, Going Concern, Accrual, Entity, Matching):** 35%
- **लेखांकन मानक (AS 1 से 29) एवं Ind-AS मिलान:** 21%
- **लेखांकन समीकरण एवं पूँजीगत बनाम आयगत मदें:** 12%

### *1.7 मॉड्यूल 1 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 1 & 2)*

**★ स्मृति ट्रिक 1 (प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता पहचानने का अचूक सूत्र — "OPAU = Personal"):**
यदि किसी भी नाममात्र खाते (वेतन, किराया, कमीशन, ब्याज) के आगे या पीछे **O**utstanding (अदत्त), **P**repaid (पूर्वदत्त), **A**ccrued (उपार्जित) या **U**nearned/Advance (अनुपार्जित/अग्रिम) में से कोई भी एक शब्द जुड़ जाए, तो वह तुरंत नाममात्र खाता छोड़ कर **प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता (Representative Personal Account)** बन जाता है!

**★ स्मृति ट्रिक 2 (मौलिक लेखांकन मान्यताएँ — "GCA = बिना बताए लागू"):**
AS-1 की केवल 3 मौलिक मान्यताएँ हैं: **G**oing Concern (निरंतरता), **C**onsistency (संगति), **A**ccrual (उपार्जन) — इसे **"GCA (Government Chartered Accountant)"** से याद रखें; रूढ़िवादिता (Conservatism) मौलिक मान्यता **नहीं** बल्कि एक लेखांकन परंपरा है!

## *मॉड्यूल 2: लेखांकन प्रक्रिया एवं वित्तीय विवरण*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: लेखांकन प्रक्रिया एवं वित्तीय विवरण**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| **जर्नल (रोजनामचा), सहायक बहियाँ एवं रोकड़ बही (Cash Book)** | **खाता-बही (Ledger) एवं तलपट (Trial Balance)** | **अशुद्धियों का वर्गीकरण एवं सुधार (Rectification of Errors)** | **बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS)** |

### *2.1 जर्नल (रोजनामचा), सहायक बहियाँ एवं रोकड़ बही (Cash Book)*

1. **जर्नल (Journal / Book of Original Entry):** जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है, जिसमें लेन-देनों को तिथि-क्रम (Chronological Order) में सबसे पहले दर्ज किया जाता है। जर्नल में लेन-देन दर्ज करने की प्रक्रिया को **जर्नलाइजिंग (Journalising)** और संक्षिप्त विवरण को **नरेशन (Narration)** कहते हैं।

2. **सहायक बहियाँ (Subsidiary Books):** बड़े व्यवसायों में जर्नल का उप-विभाजन 8 पुस्तकों में किया जाता है— (i) रोकड़ बही (Cash Book), (ii) क्रय बही (Purchase Book — केवल उधार माल के क्रय हेतु), (iii) विक्रय बही (Sales Book — केवल उधार माल के विक्रय हेतु), (iv) क्रय वापसी बही (Purchase Return / Return Outward Book), (v) विक्रय वापसी बही (Sales Return / Return Inward Book), (vi) प्राप्य बिल बही (Bills Receivable Book), (vii) देय बिल बही (Bills Payable Book) तथा (viii) मुख्य जर्नल (Journal Proper — स्थायी संपत्ति का उधार क्रय, प्रारंभिक प्रविष्टि, समायोजन व भूल सुधार प्रविष्टियों हेतु)।

3. **रोकड़ बही (Cash Book):** यह एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जो **सहायक बही (Subsidiary Book) और प्रधान बही (Principal Book / Ledger)** दोनों की भूमिका निभाती है। रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ का शेष सदैव **डेबिट (Dr.)** होता है क्योंकि जितनी नकदी उपलब्ध है उससे अधिक खर्च नहीं की जा सकती, जबकि बैंक स्तंभ का शेष डेबिट (अनुकूल शेष) या क्रेडिट (अधिर्ष/Overdraft) दोनों हो सकता है।

- **विपरीत प्रविष्टि (Contra Entry):** ऐसे लेन-देन जिनका प्रभाव रोकड़ और बैंक दोनों खातों पर एक साथ पड़ता है (जैसे— बैंक में नकद जमा करना `Bank A/c Dr. To Cash A/c` या कार्यालय उपयोग हेतु बैंक से नकद निकालना `Cash A/c Dr. To Bank A/c`), उन्हें त्रि-स्तंभीय रोकड़ बही के दोनों पक्षों में लिखा जाता है और खाता-बही पृष्ठ संख्या (L.F.) स्तंभ में **'C'** अंकित किया जाता है।

• **खुदरा रोकड़ बही (Petty Cash Book):** छोटे-छोटे दैनिक खर्चों के लिए **अग्रदाय प्रणाली (Imprest System)** पर बनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक अवधि के प्रारंभ में खुदरा रोकड़िया को एक निश्चित राशि (Float) दी जाती है और अवधि के अंत में उसके द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

## *2.2 खाता-बही (Ledger) एवं तलपट (Trial Balance)*

• **खाता-बही (Ledger / Book of Final Entry):** इसे समस्त खातों का राजा (King of all Books) या प्रधान बही कहा जाता है। जर्नल या सहायक बहियों से संबंधित खातों में प्रविष्टियाँ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को **खतौनी (Posting)** कहते हैं।

• **तलपट (Trial Balance):** खाता-बही के समस्त खातों के डेबिट और क्रेडिट शेषों की अंकगणितीय शुद्धता (Arithmetical Accuracy) की जाँच करने के लिए एक निश्चित तिथि को बनाया गया विवरण-पत्र है। यह कोई खाता नहीं है और न ही यह अंतिम खातों का भाग है, बल्कि खाता-बही और अंतिम खातों के बीच की योजक कड़ी है।

## *2.3 अशुद्धियों का वर्गीकरण एवं सुधार (Rectification of Errors)*

अशुद्धियों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बाँटा जाता है:

1. **वे अशुद्धियाँ जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करतीं (Two-sided Errors):**

• **भूल चूक की अशुद्धि (Error of Omission):** जब कोई लेन-देन प्रारंभिक बही (जर्नल/सहायक बही) में लिखने से पूरी तरह छूट जाए।

• **सिद्धांत की अशुद्धि (Error of Principle):** जब लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो, अर्थात पूँजीगत मद को आयगत या आयगत मद को पूँजीगत मान लिया जाए; जैसे— नई मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी को मशीनरी खाते के बजाय मजदूरी खाते में डेबिट कर देना।

• **हिसाब की अशुद्धि (Error of Commission):** प्रारंभिक बही में गलत राशि लिखना या गलत व्यक्तिगत खाते में सही पक्ष में खतौनी कर देना (जैसे राम के बजाय श्याम के खाते को डेबिट करना)।

• **क्षतिपूरक अशुद्धियाँ (Compensating Errors):** जब एक खाते में हुई गलती किसी दूसरे खाते में विपरीत पक्ष में हुई समान राशि की गलती से स्वतः ढक जाए।

2. **वे अशुद्धियाँ जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती हैं (One-sided Errors):** गलत योग लगाना (Casting Error), एक पक्ष में खतौनी छूटना, शेष निकालने में गलती। यदि तलपट नहीं मिलता है तो अंतर की राशि को अस्थायी रूप से **उचंत खाता (Suspense Account)** में डाल दिया जाता है।

## *2.4 बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS)*

व्यापारी द्वारा रखी जाने वाली रोकड़ बही के बैंक स्तंभ के शेष और बैंक द्वारा जारी पासबुक के शेष में किसी विशेष तिथि को होने वाले अंतर के कारणों का मिलान करने हेतु **गैर-लेखांकन विवरण** के रूप में ग्राहक (व्यापारी) द्वारा बनाया जाता है।

| क्रम | अंतर का कारण (Transaction Reason) | रोकड़ बही का अनुकूल शेष (Dr.) आधार होने पर | पासबुक का अनुकूल शेष (Cr.) आधार होने पर | रोकड़ बही का अधिविकर्ष (Cr. Overdraft) आधार होने पर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए (Cheques issued but not presented) | जोड़ें ( + ) | घटाएँ ( - ) | घटाएँ ( - ) |
| 2 | चेक बैंक में जमा किए किंतु अभी संग्रहित नहीं हुए (Cheques deposited but not cleared) | घटाएँ ( - ) | जोड़ें ( + ) | जोड़ें ( + ) |
| 3 | बैंक द्वारा सीधे वसूल किया गया ब्याज/लाभांश या ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा | जोड़ें ( + ) | घटाएँ ( - ) | घटाएँ ( - ) |
| 4 | बैंक शुल्क (Bank Charges), अधिविकर्ष पर ब्याज या स्थायी आदेश से बैंक द्वारा सीधे भुगतान | घटाएँ ( - ) | जोड़ें ( + ) | जोड़ें ( + ) |
| 5 | भुनाया गया बिल या जमा चेक अनादरित (Dishonoured) हो गया | घटाएँ ( - ) | जोड़ें ( + ) | जोड़ें ( + ) |

## 2.5 मूल्यह्रास (Depreciation) — सीधी रेखा एवं घटती शेष विधि

ICAI के लेखांकन मानक AS-10 (संशोधित) एवं Ind-AS 16 के अनुसार, स्थायी मूर्त संपत्तियों के निरंतर उपयोग, समय व्यतीत होने या अप्रचलन (Obsolescence) के कारण उनके पुस्तक मूल्य में होने वाली क्रमिक और स्थायी कमी को **मूल्यह्रास (Depreciation)** कहते हैं। (प्राकृतिक संसाधनों जैसे खानों/तेल कुओं में कमी को **रिक्तिकरण/Depletion** तथा अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति/पेटेंट के अपलेखन को **अमोर्टाइजेशन/Amortisation** कहते हैं।)

1. **सीधी रेखा विधि / स्थायी किस्त विधि (Straight Line Method - SLM / Original Cost Method):**

• प्रत्येक वर्ष संपत्ति की मूल लागत पर एक समान राशि से मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसमें संपत्ति का मूल्य शून्य हो सकता है।

• एकरेखीय सूत्र: **वार्षिक मूल्यह्रास = (संपत्ति की मूल लागत - अवशिष्ट मूल्य Scrap Value) / अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)**

2. **घटती शेष विधि / क्रमागत ह्रास विधि (Written Down Value Method - WDV / Diminishing Balance Method):**

• प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति के घटे हुए पुस्तक मूल्य (Opening WDV) पर निश्चित प्रतिशत से मूल्यह्रास लगाया जाता है। इस विधि में संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता और भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत यही विधि मान्य है।

• एकरेखीय सूत्र: **मूल्यह्रास की दर (R) = [1 - (अवशिष्ट मूल्य / मूल लागत)^(1/n)] × 100**

## 2.6 अंतिम खाते (Final Accounts — Trading, Profit & Loss Account एवं Balance Sheet)

अंतिम खातों में तीन विवरण शामिल होते हैं:

• **व्यापारिक खाता (Trading Account):** माल के क्रय-विक्रय एवं प्रत्यक्ष व्ययों (Direct Expenses — जैसे मजदूरी, आवक भाड़ा/Carriage Inward, चुंगी, कारखाना ईंधन व बिजली, गोदी व्यय) की सहायता से **सकल लाभ (Gross Profit)** या **सकल हानि (Gross Loss)** ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है।

• महत्वपूर्ण सूत्र: **बेचे गए माल की लागत (COGS) = प्रारंभिक रहतिया (Opening Stock) + शुद्ध क्रय (Net Purchases) + प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses) - अंतिम रहतिया (Closing Stock)**

• **सकल लाभ (Gross Profit) = शुद्ध विक्रय (Net Sales) - बेचे गए माल की लागत (COGS)**

• **लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Account):** सकल लाभ में अप्रत्यक्ष आय (Indirect Incomes) जोड़कर तथा समस्त कार्यालय, प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण तथा वित्तीय व्यय (Indirect Expenses — जैसे वेतन, जावक भाड़ा/Carriage Outward, विज्ञापन, बीमा, ऑडिट फीस, मूल्यह्रास, डूबत ऋण) घटाकर **शुद्ध लाभ (Net Profit)** ज्ञात किया जाता है।

• **आर्थिक चिट्ठा / स्थिति विवरण (Balance Sheet):** यह कोई खाता नहीं है (इसमें Dr./Cr. या To/By नहीं लिखा जाता), बल्कि एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का स्थिति विवरण है। इसे **तरलता क्रम (Order of Liquidity)** या **स्थायित्व क्रम (Order of Permanence)** में सजाया जाता है।

• **समायोजन प्रविष्टियों का स्वर्णिम नियम:** तलपट के **अंदर** दी गई प्रत्येक मद अंतिम खातों में **केवल एक बार** आती है, जबकि तलपट के **बाहर (समायोजन में)** दी गई प्रत्येक मद द्विपक्षीय अवधारणा के कारण **दो स्थानों** पर (एक बार व्यापारिक/लाभ-हानि खाते में और दूसरी बार चिट्ठे में) दिखाई जाती है।

## 2.7 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 2 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

• **अशुद्धियों का वर्गीकरण एवं सुधार (विशेषकर सिद्धांत बनाम हिसाब की अशुद्धियाँ):** 28%

• **अंतिम खाते, COGS गणना एवं समायोजन प्रविष्टियाँ:** 27%

• **बैंक समाधान विवरण (BRS संख्यात्मक एवं वैचारिक प्रश्न):** 20%

• **मूल्यह्रास (SLM बनाम WDV गणना) एवं रोकड़ बही/सहायक बहियाँ:** 25%

### 2.8 मॉड्यूल 2 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 3 & 4)

**★ स्मृति ट्रिक 3 (अशुद्धियों से तलपट प्रभावित होगा या नहीं — "PCO का तलपट हमेशा मिलता है"):**
**P**rinciple (सिद्धांत की अशुद्धि), **C**ompensating (क्षतिपूरक अशुद्धि) और Complete **O**mission (पूर्ण भूल-चूक की अशुद्धि) — इन तीनों (**PCO**) के होने पर भी तलपट (Trial Balance) का दोनों पक्षों का योग 100% बराबर मिल जाता है!

**★ स्मृति ट्रिक 4 (भाड़ा/Carriage का खाता पहचानना — "In = Trading, Out = P&L"):**
क्रय पर भाड़ा या **Carriage Inward** माल को कारखाने के **अंदर (In)** लाने का प्रत्यक्ष खर्च है, इसलिए **Trading Account** में जाएगा; जबकि विक्रय पर भाड़ा या **Carriage Outward** तैयार माल को ग्राहक के पास **बाहर (Out)** भेजने का खर्च है, इसलिए **Profit & Loss Account** में जाएगा!

## मॉड्यूल 3: साझेदारी एवं कंपनी लेखांकन तथा वित्तीय अनुपात विश्लेषण

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: साझेदारी एवं कंपनी लेखांकन तथा वित्तीय अनुपात विश्लेषण**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting) एवं ख्याति (Goodwill) | कंपनी लेखांकन: अंशों (Shares) एवं ऋणपत्रों (Debentures) का निर्गमन व हरण | नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 एवं Ind-AS 7) | वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Financial Ratio Analysis — सभी सूत्र 1D प्रारूप में) |

### 3.1 साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting) एवं ख्याति (Goodwill)

भारत में साझेदारी संस्थाओं का नियमन **भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932** (1 अक्टूबर 1932 से प्रभावी, धारा 69 को छोड़कर जो 1 अक्टूबर 1933 से लागू हुई) द्वारा होता है। **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 464** (पठित कंपनी विविध नियम, 2014 का नियम 10) के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या **2** और अधिकतम संख्या **50** (केंद्र सरकार को अधिकतम 100 तक निर्धारित करने का अधिकार) होती है।

- **भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विलेख (Partnership Deed) के अभाव में लागू होने वाले 5 कठोर वैधानिक नियम (धारा 13):**

1. **लाभ-हानि का विभाजन:** पूँजी के अनुपात में नहीं, बल्कि सभी साझेदारों के बीच **बराबर-बराबर (Equal Ratio — 1:1)** होगा।
2. **पूँजी पर ब्याज (Interest on Capital):** किसी भी साझेदार को पूँजी पर कोई ब्याज **नहीं** दिया जाएगा।
3. **आहरण पर ब्याज (Interest on Drawings):** किसी भी साझेदार से आहरण पर कोई ब्याज **नहीं** वसूला जाएगा।
4. **वेतन या कमीशन:** किसी भी साझेदार को व्यवसाय संचालन हेतु कोई वेतन या पारिश्रमिक **नहीं** मिलेगा।
5. **साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण (Loan/Advance) पर ब्याज:** यदि किसी साझेदार ने पूँजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण दिया है, तो उसे **6% वार्षिक (6% per annum)** की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि (यह लाभ पर प्रभार/Charge against Profit है)।

- **ख्याति (Goodwill) के मूल्यांकन की विधियाँ:**
- **औसत लाभ विधि:** `ख्याति = औसत लाभ × क्रय के वर्षों की संख्या (Number of Years' Purchase)`
- **अधिलाभ विधि (Super Profit Method):** `सामान्य लाभ = विनियोजित पूँजी × (सामान्य प्रत्याय दर / 100)` ; `अधिलाभ (Super Profit) = वास्तविक औसत लाभ - सामान्य लाभ` ; `ख्याति = अधिलाभ × क्रय के वर्षों की संख्या`
- **पूँजीकरण विधि (Capitalisation Method):** `अधिलाभ का पूँजीकरण = (अधिलाभ × 100) / सामान्य प्रत्याय दर (NRR)`
- **त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात (Sacrificing & Gaining Ratio):**
- नए साझेदार के प्रवेश पर: `त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio) = पुराना अनुपात (Old Ratio) - नया अनुपात (New Ratio)`

• साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर:

**लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio) = नया अनुपात (New Ratio) - पुराना अनुपात (Old Ratio)**

• **गार्नर बनाम मरे नियम (Garner vs. Murray Rule, 1904):** फर्म के विघटन पर किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूँजी की कमी (Deficiency) को शोधनक्षम (Solvent) साझेदार अपने **अंतिम पूँजी अनुपात** में वहन करते हैं तथा वसूली की हानि (Realisation Loss) नकद में लाते हैं।

## *3.2 कंपनी लेखांकन: अंशों (Shares) एवं ऋणपत्रों (Debentures) का निर्गमन व हरण*

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंश पूँजी एवं ऋणपत्रों के प्रमुख प्रावधान:

• **पूँजी का क्रम:** अधिकृत/पंजीकृत पूँजी (Authorised Capital) → निर्गमित पूँजी (Issued Capital) → प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital) → याचित पूँजी (Called-up Capital) → चुकता पूँजी (Paid-up Capital)। **आरक्षित पूँजी (Reserve Capital — धारा 65)** अयाचित पूँजी का वह भाग है जिसे कंपनी केवल समापन (Winding up) के समय ही माँगने का विशेष प्रस्ताव पारित करती है, जबकि **पूँजी संचय (Capital Reserve)** पूँजीगत लाभों से बनाया जाता है।

• **प्रीमियम एवं बट्टे पर निर्गमन:**

• **धारा 52 (Securities Premium Account):** प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग केवल **5 विशिष्ट उद्देश्यों** के लिए किया जा सकता है— (1) पूर्णदत्त बोनस अंश जारी करने में, (2) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों (Preliminary Expenses) को अपलिखित करने में, (3) अंशों/ऋणपत्रों के निर्गमन पर हुए व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करने में, (4) पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने में, तथा (5) अपने ही अंशों की वापस खरीद (Buy-back of Shares — धारा 68) में।

• **धारा 53 (बट्टे पर निर्गमन का निषेध):** कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे (Discount) पर नहीं कर सकती, सिवाय **धारा 54 के तहत स्वेट इक्विटी अंशों (Sweat Equity Shares)** के।

• **अदत्त याचना और अग्रिम याचना पर ब्याज (Table F):** बकाया माँग (Calls-in-Arrears) पर अधिकतम **10% वार्षिक** ब्याज लिया जाता है तथा अग्रिम माँग (Calls-in-Advance) पर अधिकतम **12% वार्षिक** ब्याज दिया जाता है।

• **अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन (Forfeiture & Re-issue of Shares):**

• हरण की प्रविष्टि: **Share Capital A/c Dr. (याचित राशि से), Securities Premium A/c Dr. (केवल तभी जब प्रीमियम प्राप्त न हुआ हो) To Share Forfeiture A/c (प्राप्त मूल राशि से) To Calls-in-Arrears A/c (अप्राप्त राशि से)**।

• हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम बट्टा उस अंश पर पहले से जब्त की गई राशि (Forfeited Amount) से अधिक नहीं हो सकता। पुनर्निर्गमन के पश्चात हरण खाते का बचा हुआ शेष **पूँजी संचय खाते (Capital Reserve Account)** में हस्तांतरित किया जाता है।

• **ऋणपत्र (Debentures — धारा 71):** यह कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र है। ऋणपत्रों पर ब्याज लाभ पर प्रभार (Charge against Profit) होता है।

## *3.3 नकद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 एवं Ind-AS 7)*

ICAI के AS-3 (संशोधित) एवं Ind-AS 7 के अंतर्गत नकद और नकद समतुल्यों (Cash & Cash Equivalents — अल्पावधि निवेश जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह या कम हो) के अंतर्वाह व बहिर्वाह को 3 क्रियाओं में बाँटा जाता है:

1. **परिचालन क्रियाएँ (Operating Activities):** व्यवसाय की मुख्य आय उत्पादक क्रियाएँ (माल के विक्रय से प्राप्ति, देनदारों से वसूली, लेनदारों को भुगतान, वेतन, मजदूरी और आयकर का भुगतान)।

2. **निवेश क्रियाएँ (Investing Activities):** दीर्घकालीन स्थायी संपत्तियों (भूमि, भवन, मशीनरी) और गैर-चालू निवेशों का क्रय-विक्रय तथा प्राप्त ब्याज (Interest Received) एवं प्राप्त लाभांश (Dividend Received) (गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए)।

3. **वित्तीयन क्रियाएँ (Financing Activities):** अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्ति, दीर्घकालीन ऋणों का ग्रहण व भुगतान, अंशों की पुनर्खरीद तथा **भुगतान किया गया ब्याज (Interest Paid)** एवं **भुगतान किया गया लाभांश (Dividend Paid)**।

## 3.4 वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Financial Ratio Analysis — सभी सूत्र 1D प्रारूप में)

वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु अनुपातों को 4 मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है:

| अनुपात श्रेणी | अनुपात का नाम | एकरेखीय गणितीय सूत्र (1D Formula) | आदर्श मानक एवं परीक्षा व्याख्या | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| **1. तरलता अनुपात (Liquidity Ratios)** | चालू अनुपात (Current Ratio) | **Current Ratio = चालू संपत्तियाँ (Current Assets) / चालू दायित्व (Current Liabilities)** | **आदर्श मानक = 2 : 1**; अल्पकालीन शोधन क्षमता का मापक ( **Working Capital = CA - CL** ) | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **1. तरलता अनुपात** | त्वरित / अम्ल परख अनुपात (Quick / Acid Test / Liquid Ratio) | **Quick Ratio = तरल संपत्तियाँ (Liquid Assets) / चालू दायित्व (Current Liabilities)** | **आदर्श मानक = 1 : 1**; जहाँ **Liquid Assets = Current Assets - (अंतिम रहतिया Inventory + पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expenses)** | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **2. शोधन क्षमता अनुपात (Solvency Ratios)** | ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio) | **Debt-Equity Ratio = दीर्घकालीन ऋण (Long-term Debts) / अंशधारियों का कोष (Shareholders' Funds)** | **आदर्श मानक = 2 : 1**; दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा का मापक | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **2. शोधन क्षमता अनुपात** | कुल संपत्ति से ऋण अनुपात एवं स्वामित्व अनुपात (Proprietary Ratio) | **Proprietary Ratio = अंशधारियों का कोष (Shareholders' Funds) / कुल संपत्तियाँ (Total Assets)** | उच्च अनुपात लेनदारों के लिए अधिक सुरक्षा दर्शाता है | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **2. शोधन क्षमता अनुपात** | ब्याज आवरण अनुपात (Interest Coverage Ratio) | **ICR = ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (EBIT) / दीर्घकालीन ऋणों पर स्थायी ब्याज (Fixed Interest Charges)** | यह दर्शाता है कि कंपनी का परिचालन लाभ ब्याज से कितने गुना है (6 से 7 गुना उत्तम) | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **3. क्रियाशीलता / आवर्त अनुपात (Activity / Turnover)** | स्कंध/रहतिया आवर्त अनुपात (Inventory / Stock Turnover Ratio) | **Inventory Turnover Ratio = बेचे गए माल की लागत (COGS) / औसत रहतिया (Average Inventory)** | जहाँ **औसत रहतिया = (प्रारंभिक रहतिया + अंतिम रहतिया) / 2** (उत्तर 'गुना/Times' में) | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **3. क्रियाशीलता अनुपात** | व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात (Trade Receivables Turnover) | **Debtors Turnover Ratio = शुद्ध उधार विक्रय (Net Credit Sales) / औसत व्यापारिक प्राप्य (Average Debtors + Average B/R)** | **औसत वसूली अवधि = 365 (या 12 माह) / देनदार आवर्त अनुपात** | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **3. क्रियाशीलता अनुपात** | व्यापारिक देय आवर्त अनुपात (Trade Payables Turnover) | **Creditors Turnover Ratio = शुद्ध उधार क्रय (Net Credit Purchases) / औसत व्यापारिक देय (Average Creditors + Average B/P)** | लेनदारों को भुगतान की गति दर्शाता है | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **4. लाभदायकता अनुपात (Profitability Ratios)** | सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ अनुपात | **GP Ratio = (सकल लाभ / शुद्ध विक्रय) × 100** ; **NP Ratio = (शुद्ध लाभ / शुद्ध विक्रय) × 100** | परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात का योग सदैव **100%** होता है: **Operating Ratio + Operating Profit Ratio = 100%** | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |
| **4. लाभदायकता अनुपात** | विनियोजित पूँजी पर प्रत्याय (Return on Investment - ROI / ROCE) | **ROI = [ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (EBIT) / विनियोजित पूँजी (Capital Employed)] × 100** | जहाँ **विनियोजित पूँजी = अंशधारियों का कोष + दीर्घकालीन ऋण = कुल संपत्तियाँ - चालू दायित्व** | ICAI वित्तीय रिपोर्टिंग |

## 3.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 3 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

- **वित्तीय अनुपात विश्लेषण (विशेषकर Current, Quick, Inventory Turnover एवं ROI संख्यात्मक प्रश्न):** **38%**

- अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन एवं पूँजी संचय हस्तांतरण: 26%
- साझेदारी विलेख के अभाव के नियम, नया लाभ विभाजन अनुपात व ख्याति मूल्यांकन: 22%
- रोकड़ प्रवाह विवरण (AS-3 गतिविधि वर्गीकरण): 14%

### *3.6 मॉड्यूल 3 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 5 & 6)*

**★ स्मृति ट्रिक 5 (नकद प्रवाह विवरण में ब्याज और लाभांश का भ्रम दूर करने की ट्रिक — "पाया तो निवेश, दिया तो फाइनेंस"):**

★ एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के लिए: यदि ब्याज या लाभांश **प्राप्त हुआ (Received)** है तो वह हमारे किए गए निवेश का फल है → **Investing Activity (निवेश क्रिया)**; और यदि ब्याज या लाभांश **चुकाया गया (Paid)** है तो वह लिए गए कोष/पूँजी की लागत है → **Financing Activity (वित्तीयन क्रिया)**!

**★ स्मृति ट्रिक 6 (बकाया व अग्रिम माँग पर Table F ब्याज दर — "बकाया 10, अग्रिम 12"):**
अंशों की बकाया माँग (Calls-in-Arrears) पहले आती है तो कम दर (**10% वार्षिक**), और अग्रिम माँग (Calls-in-Advance) में अंशधारी ने समय से पहले पैसा दिया है तो कंपनी उसे इनाम में अधिक ब्याज (**12% वार्षिक**) देती है!

## *मॉड्यूल 4: अंकेक्षण (Auditing) एवं लागत लेखांकन*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: अंकेक्षण (Auditing) एवं लागत लेखांकन**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| **अंकेक्षण (Auditing) का अर्थ एवं उद्देश्य** | **अंकेक्षण के प्रकार (Types of Audit)** | **प्रमाणन (Vouching), सत्यापन (Verification) एवं मूल्यांकन (Valuation)** | **कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता एवं अंकेक्षण रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 — धारा 139 से 148)** |

### *4.1 अंकेक्षण (Auditing) का अर्थ एवं उद्देश्य*

अंकेक्षण (Auditing) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द **"Audire"** से हुई है, जिसका अर्थ है **"सुनना" (To Hear)**। "जहाँ लेखाकर्म (*Accountancy*) समाप्त होता है, वहाँ से अंकेक्षण (*Auditing*) प्रारंभ होता है।" अंकेक्षण किसी संस्था के वित्तीय विवरणों एवं लेखा पुस्तकों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह राय (Opinion) प्रकट करना है कि वित्तीय विवरण संस्था की सही एवं उचित वित्तीय स्थिति (True and Fair View) प्रस्तुत करते हैं या नहीं।

- **प्राथमिक उद्देश्य (Primary Objective — SA 200):** वित्तीय विवरणों की सत्यता और औचित्य (True and Fair View) पर स्वतंत्र राय व्यक्त करना।
- **द्वितीयक उद्देश्य (Secondary / Incidental Objectives):** (1) अशुद्धियों का पता लगाना और रोकथाम (Detection & Prevention of Errors), तथा (2) कपट/धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम (Detection & Prevention of Frauds — जिसमें रोकड़ का गबन, माल का गबन और हिसाब-किताब में हेराफेरी/Window Dressing शामिल है)।
- **अंकेक्षक की स्थिति (किंग्सटन कॉटन मिल्स केस, 1896 — न्यायाधीश लॉपेज):** "एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते (*Watchdog*) के समान है, न कि शिकारी कुत्ते (*Bloodhound*) के समान।"

## 4.2 अंकेक्षण के प्रकार (Types of Audit)

1. **वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit):** जो किसी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य होता है; जैसे— **कंपनी अधिनियम, 2013** के अधीन पंजीकृत सभी कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949), बीमा कंपनियों (बीमा अधिनियम, 1938) एवं सहकारी समितियों का अंकेक्षण।

2. **आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit — धारा 138):** प्रबंधन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की जाँच हेतु कराया जाने वाला अंकेक्षण। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के तहत आंतरिक अंकेक्षक एक सनदी लेखाकार (CA), लागत लेखाकार (CMA) या बोर्ड द्वारा तय कोई अन्य पेशेवर (कंपनी का कर्मचारी भी) हो सकता है।

3. **सतत अंकेक्षण (Continuous Audit):** जिसमें अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर नियमित या अनियमित अंतराल पर जाकर लेखों की जाँच करता रहता है। यह बड़े बैंकों और विशाल व्यापारिक गृहों के लिए उपयोगी है जहाँ वर्ष समाप्त होते ही तुरंत अंतिम खाते चाहिए।

4. **वार्षिक / सामयिक / चिट्ठा अंकेक्षण (Periodical / Final / Balance Sheet Audit):** वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात अंतिम खाते तैयार हो जाने पर एक ही बार में किया जाने वाला अंकेक्षण।

5. **सरकारी अंकेक्षण / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG Audit):** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148 से 151** तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (**CAG**) द्वारा संघ और राज्यों की संचित निधि से होने वाले समस्त व्ययों का अंकेक्षण किया जाता है। **CAG के अंकेक्षण मानकों** के अनुसार सरकारी अंकेक्षण में तीन मुख्य जाँचें शामिल हैं— **अनुपालन अंकेक्षण (Compliance Audit), निष्पादन/औचित्य अंकेक्षण (Performance / Propriety Audit — मितव्ययिता, दक्षता व प्रभावशीलता की जाँच)** तथा **वित्तीय प्रमाणन अंकेक्षण (Financial Attest Audit)**।

6. **लागत अंकेक्षण (Cost Audit — धारा 148):** केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट उत्पादन या सेवा क्षेत्रों की कंपनियों के लागत लेखों का अंकेक्षण, जो केवल प्रैक्टिस करने वाले **लागत लेखाकार (Cost Accountant - CMA)** द्वारा किया जाता है।

## 4.3 प्रमाणन (Vouching), सत्यापन (Verification) एवं मूल्यांकन (Valuation)

• **प्रमाणन (Vouching):** "प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है (*Vouching is the essence / backbone of Auditing — Ronald A. Irish*)।" प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज प्रविष्टियों की सत्यता, अधिकारिता और प्रामाणिकता की जाँच मूल दस्तावेजी साक्ष्यों अर्थात **प्रमाणकों (Vouchers — रसीद, बीजक, कैश मेमो, मजदूरी शीट)** की सहायता से करने की प्रक्रिया को प्रमाणन कहते हैं।

• **सत्यापन (Verification):** आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet) में दिखाई गई संपत्तियों और दायित्वों के **भौतिक अस्तित्व (Physical Existence), स्वामित्व (Ownership), कब्जे (Possession), प्रभार-मुक्ति (Free from Charge/Mortgage)** और **सही मूल्यांकन** की पुष्टि करना सत्यापन कहलाता है।

• **मूल्यांकन (Valuation):** संपत्तियों के मौद्रिक मूल्य की लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार शुद्धता परखना। **प्रमाणन में प्रारंभिक पुस्तकों की जाँच होती है, जबकि सत्यापन और मूल्यांकन आर्थिक चिट्ठे की मदों से संबंधित हैं।**

## 4.4 कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता एवं अंकेक्षण रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 — धारा 139 से 148)

| धारा (Section) | प्रावधान का विषय | गैर-सरकारी कंपनी (Non-Government Company) | सरकारी कंपनी (Government Company — 51% या अधिक सरकारी हिस्सेदारी) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| **धारा 139(1) एवं 139(5)** | प्रथम अंकेक्षक (First Auditor) की नियुक्ति | कंपनी के पंजीकरण के **30 दिनों** के भीतर संचालक मंडल (Board) द्वारा; विफल रहने पर **90 दिनों** में सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य सभा (EGM) में | पंजीकरण के **60 दिनों** के भीतर **भारत के CAG** द्वारा; विफल रहने पर अगले **30 दिनों** में संचालक मंडल द्वारा; विफल रहने पर **60 दिनों** में सदस्यों द्वारा EGM में | **MCA कंपनी अधिनियम 2013** |
| **धारा 139(1) एवं 139(5)** | पश्चातवर्ती अंकेक्षक (Subsequent Auditor) की नियुक्ति एवं कार्यकाल | प्रथम वार्षिक साधारण सभा (AGM) से छठी AGM तक (**5 वर्ष** के लिए) सदस्यों द्वारा नियुक्ति | प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से **180 दिनों** के भीतर **भारत के CAG** द्वारा नियुक्ति | **MCA कंपनी अधिनियम 2013** |

| धारा (Section) | प्रावधान का विषय | गैर-सरकारी कंपनी (Non-Government Company) | सरकारी कंपनी (Government Company — 51% या अधिक सरकारी हिस्सेदारी) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| **धारा 139(2)** | अंकेक्षक का चक्रीकरण (Rotation of Auditor) | व्यक्तिगत अंकेक्षक के लिए अधिकतम **1 कार्यकाल (5 वर्ष)** और अंकेक्षक फर्म के लिए अधिकतम **2 क्रमागत कार्यकाल (10 वर्ष)**; इसके बाद **5 वर्ष** की कूलिंग अवधि | लागू प्रावधानों के अनुसार CAG द्वारा नियुक्त | MCA कंपनी अधिनियम 2013 |
| **धारा 139(8)** | आकस्मिक रिक्ति (Casual Vacancy) | संचालक मंडल द्वारा **30 दिनों** में (किंतु यदि रिक्ति त्यागपत्र/Resignation से हुई है, तो साधारण सभा में **3 माह** के भीतर सदस्यों का अनुमोदन भी अनिवार्य) | CAG द्वारा **30 दिनों** में; विफल रहने पर संचालक मंडल द्वारा अगले **30 दिनों** में | MCA कंपनी अधिनियम 2013 |
| **धारा 140** | कार्यकाल से पूर्व हटाना एवं त्यागपत्र | हटाने हेतु **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति** + विशेष प्रस्ताव (Special Resolution); त्यागपत्र देने पर **30 दिनों** में फॉर्म **ADT-3** फाइल करना अनिवार्य | समान वैधानिक संरक्षण | MCA कंपनी अधिनियम 2013 |
| **धारा 143** | अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार (Types of Audit Report) | **1. स्वच्छ/अमर्यादित रिपोर्ट (Unqualified / Clean Report):** जब खाते पूर्णतः सही हों; **2. मर्यादित रिपोर्ट (Qualified Report):** कुछ अपवादों ("Subject to") के साथ सही; **3. प्रतिकूल/नकारात्मक रिपोर्ट (Adverse / Negative Report):** जब खाते भ्रामक हों; **4. राय देने से इनकार (Disclaimer of Opinion):** जब पर्याप्त साक्ष्य न मिलें | CAG को अतिरिक्त पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) का अधिकार (धारा 143(6)) | ICAI मानक |

## *4.5 लागत लेखांकन (Cost Accounting) के मूल तत्व*

लागत के मुख्यतः तीन मूल तत्व होते हैं— **सामग्री (Material)**, **श्रम (Labour)** और **व्यय (Expenses)**। प्रत्येक तत्व को प्रत्यक्ष (Direct) और अप्रत्यक्ष (Indirect) में बाँटा जाता है।

**• लागत पत्रक (Cost Sheet) का एकरेखीय पदानुक्रम:**

1. **मूल लागत (Prime Cost) = प्रत्यक्ष सामग्री (Direct Material) + प्रत्यक्ष श्रम (Direct Labour) + प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses)**
2. **कारखाना लागत (Factory / Works Cost) = मूल लागत (Prime Cost) + कारखाना उपरिव्यय (Factory Overheads)**
3. **उत्पादन की लागत (Cost of Production) = कारखाना लागत (Works Cost) + कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय (Office & Administration Overheads)**
4. **कुल लागत या बिक्री की लागत (Total Cost / Cost of Sales) = उत्पादन की लागत + विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय (Selling & Distribution Overheads)**

**• सीमांत लागत एवं सम-विच्छेद बिंदु (Marginal Costing & Break-Even Point - BEP):**

• **अंशदान (Contribution) = विक्रय (Sales) - परिवर्तनशील लागत (Variable Cost) = स्थायी लागत (Fixed Cost) + लाभ (Profit)**

• **लाभ-मात्रा अनुपात (P/V Ratio) = (अंशदान / विक्रय) × 100**

• **सम-विच्छेद बिंदु (BEP इकाइयों में) = कुल स्थायी लागत (Fixed Cost) / प्रति इकाई अंशदान (Contribution per unit)**

• **सम-विच्छेद बिंदु (BEP रुपयों में) = कुल स्थायी लागत (Fixed Cost) / लाभ-मात्रा अनुपात (P/V Ratio)**

• **सुरक्षा उपांत (Margin of Safety) = वास्तविक विक्रय (Actual Sales) - सम-विच्छेद विक्रय (BEP Sales) = लाभ (Profit) / P/V Ratio**

### 4.6 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 4 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

- कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र एवं CAG ऑडिट प्रावधान (धारा 139–148): 34%
- प्रमाणन (Vouching), सत्यापन (Verification), आंतरिक जाँच एवं आंतरिक नियंत्रण: 26%
- अंकेक्षण के प्रकार एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के 4 प्रकार (Clean, Qualified, Adverse, Disclaimer): 20%
- लागत लेखांकन (Prime Cost, Works Cost, BEP एवं P/V Ratio सूत्र): 20%

### 4.7 मॉड्यूल 4 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 7 & 8)

★ स्मृति ट्रिक 7 (अंकेक्षक के MCA फॉर्म्स — "1 में नियुक्ति, 2 में निष्कासन, 3 में त्यागपत्र, 4 में धोखाधड़ी"):
- **ADT-1:** अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना (Appointment Notice to ROC - 15 दिन में)
- **ADT-2:** अंकेक्षक को समय से पहले हटाने हेतु केंद्र सरकार को आवेदन (Removal before expiry)
- **ADT-3:** अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र की सूचना (Resignation - 30 दिन में)
- **ADT-4:** अंकेक्षक द्वारा केंद्र सरकार को कपट/धोखाधड़ी की रिपोर्ट (Fraud Reporting u/s 143(12))!

★ स्मृति ट्रिक 8 (सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक का समय-चक्र — "60 - 30 - 60 = CAG-Board-Members"):
सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति में समय सीमा का क्रम है **60 दिन (CAG) → 30 दिन (Board of Directors) → 60 दिन (Members in EGM)**; जबकि गैर-सरकारी कंपनी में **30 दिन (Board) → 90 दिन (Members)** है!

## मॉड्यूल 5: भारत में औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) एवं श्रम संघ आंदोलन

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: भारत में औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) एवं श्रम संघ आंदोलन

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) के प्रमुख सैद्धांतिक उपागम | भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का ऐतिहासिक विकास | सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, तालाबंदी, छँटनी एवं ले-ऑफ (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) | अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं इसके 10 मूल अभिसमय (Fundamental Conventions) |

### 5.1 औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) के प्रमुख सैद्धांतिक उपागम

औद्योगिक संबंध में नियोजक (Employer), श्रमिक (Workmen) और राज्य/सरकार (State) के मध्य के बहुआयामी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परीक्षाओं में इसके प्रमुख उपागम बार-बार पूछे जाते हैं:

1. **यूनिटरी उपागम (Unitary Approach — एलन फॉक्स / Alan Fox, 1966):** यह मानता है कि उद्योग एक एकीकृत परिवार या टीम के समान है, जिसका एक ही स्रोत (प्रबंधन) और एक ही साझा लक्ष्य है। इसमें औद्योगिक संघर्ष को असामान्य, अस्थायी और संचार की विफलता या उपद्रवियों का परिणाम माना जाता है तथा ट्रेड यूनियनों को अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

2. **बहुलवादी उपागम (Pluralist Approach — एलन फॉक्स, केर, फ्लैंडर्स):** यह मानता है कि संगठन विभिन्न हित-समूहों (प्रबंधन और श्रमिक) का गठबंधन है जिनके हित स्वाभाविक रूप से भिन्न हो सकते हैं। संघर्ष अपरिहार्य किंतु प्रबंधनीय है और ट्रेड यूनियनें श्रमिकों के वैध प्रतिनिधि के रूप में **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining)** के माध्यम से संतुलन स्थापित करती हैं।

3. **मार्क्सवादी / रेडिकल उपागम (Marxist / Radical Approach — कार्ल मार्क्स, रिचर्ड हाइमन):** औद्योगिक संघर्ष को पूँजीवादी समाज के व्यापक वर्ग-संघर्ष (पूंजीपति बनाम सर्वहारा वर्ग) का ही प्रतिबिंब मानता है। जब तक उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व रहेगा, संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता।

4. **प्रणाली उपागम (Systems Approach — जॉन टी. डनलप / John T. Dunlop, 1958):** अपनी पुस्तक *Industrial Relations Systems* में डनलप ने सूत्र दिया: **R = f(A, T, M, P, I)**, जहाँ **A = Actors** (श्रमिक व उनके संघ, प्रबंधक और सरकारी एजेंसियाँ), **T = Technological Context** (तकनीकी संदर्भ), **M = Market/Budgetary Constraints** (बाजार बाधाएँ), **P = Locus of Power** (शक्ति वितरण), और **I = Ideology** (साझा विचारधारा जो प्रणाली को बाँधे रखती है) मिलकर नियमों (Rules - R) का निर्माण करते हैं।

5. **वी. वी. गिरि उपागम (V.V. Giri Approach):** भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं श्रम मंत्री वी. वी. गिरि ने अनिवार्य न्यायनिर्णयन (Compulsory Adjudication) और श्रम न्यायालयों का विरोध किया तथा **ऐच्छिक सामूहिक सौदेबाजी (Voluntary Collective Bargaining) और द्विपक्षीय वार्ता** को औद्योगिक शांति का सर्वोत्तम मार्ग बताया।

6. **गाँधीवादी या ट्रस्टीशिप उपागम (Gandhian / Trusteeship Approach):** सत्य, अहिंसा और **न्यासधारिता (Trusteeship)** पर आधारित, जिसमें पूँजीपति स्वयं को समाज की संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी समझें और विवादों का समाधान स्वैच्छिक पंचनिर्णय (Voluntary Arbitration) से हो (जैसे 1918 में महात्मा गाँधी और अनसूया साराभाई द्वारा स्थापित **अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन - TLA / मजूर महाजन संघ**)।

## *5.2 भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का ऐतिहासिक विकास*

• **1875:** सोराबजी शापूरजी बंगाली (Sorabjee Shapoorjee Bengalee) ने श्रमिकों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित कर प्रथम कारखाना कानून की नींव रखी।

• **1881 एवं 1890 (एन. एम. लोखंडे — भारतीय श्रम आंदोलन के जनक):** नारायण मेघाजी लोखंडे ने भारत के पहले मजदूर समाचार पत्र **'दीनबंधु' (Deenbandhu)** का प्रकाशन किया और **1884** में बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन (Bombay Millhands Association — भारत का प्रथम श्रमिक संगठन) की स्थापना की।

• **1918 (मद्रास लेबर यूनियन): बी. पी. वाडिया (B.P. Wadia)** द्वारा स्थापित मद्रास लेबर यूनियन को आधुनिक अर्थों में भारत की **प्रथम संगठित ट्रेड यूनियन** माना जाता है।

• **31 अक्टूबर 1920 (AITUC की स्थापना):** अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (All India Trade Union Congress - AITUC) की स्थापना मुंबई में हुई, जिसके **प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय** और **प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल** थे।

• **व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (The Trade Unions Act, 1926):** पंजीकरण हेतु न्यूनतम 7 **सदस्यों** के हस्ताक्षर से आवेदन किया जा सकता है, किंतु वर्ष 2001 के संशोधन के पश्चात पंजीकरण के लिए प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों का **न्यूनतम 10% या 100 श्रमिक (दोनों में जो कम हो)** सदस्य होना अनिवार्य है (जिसमें न्यूनतम 7 से कम न हों)।

| केंद्रीय श्रम संघ का नाम | स्थापना वर्ष | मुख्य संस्थापक / प्रथम नेतृत्व | राजनीतिक / वैचारिक संबद्धता | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| **AITUC** (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) | **1920** (31 अक्टूबर) | लाला लाजपत राय (अध्यक्ष), एन. एम. जोशी, जोसेफ बैपटिस्टा, दीवान चमन लाल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | श्रम मंत्रालय अभिलेख |
| **INTUC** (भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) | **1947** (3 मई) | सरदार वल्लभभाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा, सुरेश चंद्र बनर्जी (प्रथम अध्यक्ष) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | श्रम मंत्रालय पोर्टल |
| **HMS** (हिंद मजदूर सभा) | **1948** (24 दिसंबर) | अशोक मेहता, टी. एस. रामानुजम, जी. जी. मेहता | समाजवादी विचारधारा | श्रम मंत्रालय पोर्टल |
| **BMS** (भारतीय मजदूर संघ) | **1955** (23 जुलाई) | दत्तोपंत ठेंगड़ी (Dattopant Thengadi — भोपाल में स्थापना) | राष्ट्रवादी विचारधारा (सदस्यता में भारत का सबसे बड़ा श्रम संघ) | श्रम मंत्रालय पोर्टल |
| **CITU** (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स) | **1970** | बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष), पी. राममूर्ति | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) | श्रम मंत्रालय पोर्टल |

## 5.3 सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, तालाबंदी, छँटनी एवं ले-ऑफ (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947)

• **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining):** यह शब्द सर्वप्रथम **सिडनी और बीट्रिस वेब (Sydney & Beatrice Webb)** ने वर्ष 1891 में अपनी पुस्तक *Industrial Democracy* में गढ़ा था। वाल्टन और मैककर्सर (Walton & McKersie, 1965) ने इसके 4 प्रकार बताए हैं— (1) **वितरणात्मक सौदेबाजी (Distributive / Win-Lose / Zero-sum Bargaining):** वेतन या बोनस के बँटवारे पर जहाँ एक पक्ष का लाभ दूसरे की हानि है; (2) **एकीकृत सौदेबाजी (Integrative / Win-Win Bargaining):** जहाँ दोनों पक्ष साझा हित में कुल लाभ बढ़ाते हैं; (3) **उत्पादकता सौदेबाजी (Productivity Bargaining)** तथा (4) **समग्र सौदेबाजी (Composite Bargaining)**।

• **हड़ताल (Strike — धारा 2(q)) बनाम तालाबंदी (Lock-out — धारा 2(l)):** हड़ताल श्रमिकों का अस्त्र है (काम रोकने का सामूहिक निर्णय), जबकि तालाबंदी नियोजक का अस्त्र है (कार्यस्थान को अस्थायी रूप से बंद करना)। लोकोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services — धारा 22) में हड़ताल या तालाबंदी से कम-से-कम **6 सप्ताह पूर्व (42 दिन)** और नोटिस देने के **14 दिनों के भीतर** हड़ताल नहीं की जा सकती (जबकि नई औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में यह प्रावधान **सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों** पर **60 दिन** के पूर्व नोटिस के रूप में लागू कर दिया गया है)।

• **ले-ऑफ / कामबंदी (Lay-off — धारा 2(kkk) एवं धारा 25C):** कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी, माल का जमाव, मशीन के टूट-फूट या प्राकृतिक आपदा के कारण नियोजक द्वारा ऐसे श्रमिक को (जिसका नाम मस्टर रोल पर है और जिसने 1 वर्ष की निरंतर सेवा / 240 दिन पूरे किए हैं) काम देने में असमर्थता। इसमें श्रमिक को **मूल वेतन + महंगाई भत्ते (Basic + DA) का 50%** मुआवजा दिया जाता है।

• **छँटनी (Retrenchment — धारा 2(oo) एवं धारा 25F):** अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता (Superannuation) या बीमारी के अलावा **किसी भी अन्य कारण से अतिरिक्त श्रमिकों की सेवा समाप्त करना**। इसमें 1 माह का लिखित नोटिस (अध्याय V-B के तहत 100 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में 3 माह का नोटिस व सरकार की पूर्व अनुमति) और प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए **15 दिनों के औसत वेतन** के बराबर छँटनी मुआवजा दिया जाता है।

## 5.4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं इसके 10 मूल अभिसमय (Fundamental Conventions)

**अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात **वर्साय की संधि (Treaty of Versailles, भाग XIII)** के अंतर्गत **1919** में हुई तथा **1946** में यह संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विशिष्ट अभिकरण (First Specialized Agency of UN) बना। इसका मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में है और वर्ष **1969** में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत 1919 से इसका संस्थापक सदस्य है और यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र **त्रिपक्षीय (Tripartite — सरकार, नियोजक और श्रमिक: 2:1:1 अनुपात)** संस्था है।

• **1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा (Declaration of Philadelphia):** "श्रम कोई वस्तु (*Commodity*) नहीं है" और "कहीं भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है।"

• **ILO के कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत एवं अधिकार (1998 की घोषणा, जून 2022 में 5वीं श्रेणी जुड़ने के बाद कुल 10 मूल अभिसमय):**

1. **बलात् या बंधुआ श्रम का उन्मूलन:** अभिसमय सं. **29** (Forced Labour, 1930 — **भारत द्वारा अनुसमर्थित**) एवं अभिसमय सं. **105** (Abolition of Forced Labour, 1957 — **भारत द्वारा अनुसमर्थित**)।

2. **संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार:** अभिसमय सं. **87** (Freedom of Association, 1948 — भारत ने अनुसमर्थित **नहीं** किया) एवं अभिसमय सं. **98** (Right to Organise and Collective Bargaining, 1949 — भारत ने अनुसमर्थित **नहीं** किया)।

3. **बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन:** अभिसमय सं. **138** (Minimum Age Convention, 1973 — **भारत द्वारा जून 2017 में अनुसमर्थित**) एवं अभिसमय सं. **182** (Worst Forms of Child Labour, 1999 — **भारत द्वारा जून 2017 में अनुसमर्थित**)।

4. **रोजगार एवं व्यवसाय में भेदभाव का उन्मूलन:** अभिसमय सं. **100** (Equal Remuneration, 1951 — **भारत द्वारा अनुसमर्थित**) एवं अभिसमय सं. **111** (Discrimination in Employment and Occupation, 1958 — **भारत द्वारा अनुसमर्थित**)।

5. **सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण (जून 2022 में शामिल 5वाँ मौलिक सिद्धांत):** अभिसमय सं. **155** (Occupational Safety and Health, 1981) एवं अभिसमय सं. **187** (Promotional Framework for OSH, 2006) — भारत ने अभी तक इन दोनों का अनुसमर्थन नहीं किया है। **अतः 10 मूल अभिसमयों में से भारत ने 6 अभिसमयों (29, 100, 105, 111, 138, 182) का अनुसमर्थन (Ratification) किया है।**

### 5.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 5 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण

- औद्योगिक संबंध के उपागम (Unitary, Pluralist, Marxist, Dunlop, Giri, Gandhian): 28%
- भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास एवं प्रमुख श्रम संघ (AITUC, INTUC, BMS, HMS): 24%
- हड़ताल, तालाबंदी, ले-ऑफ, छँटनी व सामूहिक सौदेबाजी के प्रकार: 26%
- ILO का इतिहास एवं भारत द्वारा अनुसमर्थित मूल अभिसमय: 22%

### 5.6 मॉड्यूल 5 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 9 & 10)

★ **स्मृति ट्रिक 9 (भारत द्वारा अनुसमर्थित ILO के 6 मूल अभिसमय — "29-105 बंधुआ, 100-111 समानता, 138-182 बचपन"):**
भारत ने **87 और 98** (सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण हड़ताल अधिकार के मुद्दे के कारण) तथा नए **155 और 187** को छोड़कर शेष सभी **6 मूल अभिसमयों (29, 105, 100, 111, 138, 182)** को पास कर रखा है!

★ **स्मृति ट्रिक 10 (प्रमुख श्रम संघों का कालक्रम — "A-I-H-B-C = 20-47-48-55-70"):**
**A**ITUC (1920) → **I**NTUC (1947) → **H**MS (1948) → **B**MS (1955) → **C**ITU (1970)!

## मॉड्यूल 6: प्रमुख पारंपरिक श्रम अधिनियम (Traditional Labour Acts)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: प्रमुख पारंपरिक श्रम अधिनियम (Traditional Labour Acts)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| कारखाना अधिनियम, 1948 (The Factories Act, 1948 — 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी) | मजदूरी एवं बोनस से संबंधित प्रमुख अधिनियम | उपादान (Gratuity), भविष्य निधि (EPF), राज्य बीमा (ESI) एवं मातृत्व लाभ अधिनियम |

### 6.1 कारखाना अधिनियम, 1948 (The Factories Act, 1948 — 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी)

- **प्रयोज्यता (धारा 2(m)):** जहाँ बिजली/शक्ति (Power) की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलती है वहाँ **10 या अधिक श्रमिक** तथा जहाँ बिना शक्ति (Without Power) के कार्य होता है वहाँ **20 या अधिक श्रमिक** (नए OSH कोड 2020 में इसे बढ़ाकर क्रमशः **20 और 40** कर दिया गया है)।
- **स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के प्रमुख संख्यात्मक मानक:**
- **भीड़भाड़ से बचाव (Overcrowding — धारा 16):** प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम **14.2 घन मीटर** (पुराने कारखानों में 9.9 घन मीटर) स्थान।
- **थूकदान एवं शौचालय (धारा 19-20):** प्रत्येक **250 से अधिक** श्रमिकों पर **ठंडे पेयजल (धारा 18)** की व्यवस्था।
- **प्राथमिक उपचार बॉक्स (First-Aid Box — धारा 45):** प्रत्येक **150 श्रमिकों** पर कम से कम 1 प्राथमिक उपचार बॉक्स तथा **500 से अधिक** श्रमिकों पर **एम्बुलेंस कक्ष (Ambulance Room)**।
- **कैंटीन (Canteen — धारा 46): 250 से अधिक** श्रमिकों पर।
- **आश्रय गृह/विश्राम कक्ष (Shelters/Rest Rooms — धारा 47): 150 से अधिक** श्रमिकों पर।
- **शिशुगृह (Creches — धारा 48): 30 से अधिक महिला श्रमिकों** पर (6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु; नए कोड में सभी लिंग के 50 कर्मचारियों पर)।
- **कल्याण अधिकारी (Welfare Officer — धारा 49): 500 या अधिक** श्रमिकों पर।
- **सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer — धारा 40B): 1000 या अधिक** श्रमिकों पर।

• **कार्य के घंटे एवं अवकाश:** वयस्क (18 वर्ष से अधिक) के लिए अधिकतम **9 घंटे प्रतिदिन** और **48 घंटे प्रति सप्ताह**; अधिकतम फैलाव (Spread-over) **10.5 घंटे**; लगातार 5 घंटे कार्य के बाद कम से कम **आधे घंटे का विश्राम**। **अधिसमय (Overtime — धारा 59):** सामान्य मजदूरी दर की **दोगुनी दर (2 गुना)** से भुगतान। **सवेतन वार्षिक अवकाश (धारा 79):** 240 दिन कार्य करने पर वयस्क को प्रत्येक **20 दिन** पर 1 दिन और बालक को प्रत्येक **15 दिन** पर 1 दिन की छुट्टी।

## *6.2 मजदूरी एवं बोनस से संबंधित प्रमुख अधिनियम*

1. **मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936):** ₹24,000 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू। मजदूरी अवधि अधिकतम 1 माह हो सकती है। **1000 से कम** श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में मजदूरी अवधि समाप्त होने के **7वें दिन** तक और **1000 या अधिक** श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में **10वें दिन** तक भुगतान अनिवार्य है। कुल कटौतियाँ वेतन के **50%** (सहकारी समितियों के मामले में **75%**) से अधिक नहीं हो सकतीं।

2. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948):** अनुसूचित रोजगारों में शोषण रोकने हेतु न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण (समय दर व कार्य दर पर) किया जाता है, जिसकी समीक्षा अधिकतम **5 वर्षों** के अंतराल पर की जाती है।

3. **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965):** 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।

• **पात्रता सीमा (2015 संशोधन, 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी): ₹21,000 प्रतिमाह** तक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्होंने लेखा वर्ष में कम से कम **30 कार्य दिवस** कार्य किया हो।

• **बोनस गणना की अधिकतम सीमा (Calculation Ceiling): ₹7,000 प्रतिमाह** या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, दोनों में जो अधिक हो।

• **दर एवं समय सीमा:** न्यूनतम बोनस **8.33%** (या ₹100, जो अधिक हो) और अधिकतम बोनस **20%**; लेखा वर्ष की समाप्ति के **8 माह** के भीतर भुगतान तथा अधिक या कम आवंटन योग्य अधिशेष हेतु **सेट-ऑन और सेट-ऑफ (Set-on and Set-off)** अगले **4 लेखा वर्षों** तक।

## *6.3 उपादान (Gratuity), भविष्य निधि (EPF), राज्य बीमा (ESI) एवं मातृत्व लाभ अधिनियम*

1. **उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (The Payment of Gratuity Act, 1972):**

• **प्रयोज्यता एवं अर्हकारी सेवा:** 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान; सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर कम से कम **5 वर्ष की निरंतर सेवा** अनिवार्य (मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू **नहीं** होती; तथा नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत **निश्चित अवधि के कर्मचारियों / Fixed-Term Employees (FTE)** को केवल **1 वर्ष** की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी मिलती है)।

• **ग्रेच्युटी गणना का मानक एकरेखीय सूत्र:**

**Gratuity = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा वर्ष) / 26**

(जहाँ अंतिम वेतन = मूल वेतन *Basic Pay* + महंगाई भत्ता *Dearness Allowance*; 6 माह से अधिक की सेवा को पूर्ण वर्ष माना जाता है; मौसमी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के स्थान पर 7 **दिनों** की मजदूरी दी जाती है)।

• **अधिकतम कर-मुक्त सीमा: ₹20,00,000 (20 लाख रुपये)**। नियोजक द्वारा **30 दिनों** के भीतर भुगतान अनिवार्य है।

2. **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952):**

• **प्रयोज्यता एवं वेतन सीमा: 20 या अधिक** कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान; वेतन सीमा **₹15,000 प्रतिमाह**।

• **अंशदान का विभाजन (EPFO वार्षिक प्रतिवेदन):** कर्मचारी का अंशदान **12%** (पूरा EPF में जाता है)। नियोजक का अंशदान भी **12%** होता है, जिसका विभाजन इस प्रकार है— **8.33%** कर्मचारी पेंशन योजना (**EPS, 1995**) में और शेष **3.67%** कर्मचारी भविष्य निधि (**EPF, 1952**) में। इसके अतिरिक्त नियोजक **0.50%** कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (**EDLI, 1976** — अधिकतम बीमा लाभ **₹7 लाख**, न्यूनतम ₹2.5 लाख) और **0.50%** प्रशासनिक शुल्क देता है।

3. **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (The Employees' State Insurance Act, 1948):**

• **प्रयोज्यता एवं वेतन सीमा: 10 या अधिक** कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान; वेतन सीमा **₹21,000 प्रतिमाह** (दिव्यांग कर्मचारियों के लिए **₹25,000 प्रतिमाह**)।

• **संशोधित अंशदान दर (1 जुलाई 2019 से प्रभावी):** कुल 4%, जिसमें **नियोजक (Employer) का अंशदान = 3.25%** और **कर्मचारी (Employee) का अंशदान = 0.75%** है (₹176 प्रतिदिन तक औसत दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपने 0.75% अंशदान से छूट प्राप्त है)।

इसके अंतर्गत **6 प्रकार के लाभ** मिलते हैं— चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, अपंगता लाभ, आश्रित लाभ तथा अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses — **₹15,000**)। साथ ही बेरोजगारी में **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना** के तहत अधिकतम 90 दिनों तक औसत दैनिक आय का 50% नकद राहत मिलती है।

4. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (The Maternity Benefit Act, 1961 — 2017 संशोधन सहित):**

• **प्रयोज्यता एवं पात्रता:** 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान; अपेक्षित प्रसव तिथि से पूर्व के 12 महीनों में कम से कम **80 दिन** कार्य किया हो।

• **सवेतन मातृत्व अवकाश (2017 संशोधन):** प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए **26 सप्ताह** (जिनमें से अधिकतम **8 सप्ताह** प्रसव से पूर्व लिए जा सकते हैं)। दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर तीसरे बच्चे से **12 सप्ताह** (6 सप्ताह प्रसव पूर्व + 6 सप्ताह प्रसव पश्चात)।

• **दत्तक (Adopting) एवं कमीशनिंग (Commissioning) माताएँ:** 3 माह से कम आयु के शिशु को गोद लेने वाली महिला या सरोगेसी से माँ बनने वाली कमीशनिंग माता को बच्चा सौंपे जाने की तिथि से **12 सप्ताह** का अवकाश।

• **अन्य लाभ: ₹3,500** का चिकित्सा बोनस (यदि नियोजक निःशुल्क प्रसव पूर्व व पश्चात देखभाल प्रदान नहीं करता), **50 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठान में **शिशुगृह (Creche)** की सुविधा और प्रतिदिन **4 बार** शिशुगृह जाने की अनुमति।

### *6.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख पारंपरिक श्रम अधिनियम एक दृष्टि में*

| अधिनियम का नाम एवं वर्ष | न्यूनतम कर्मचारी संख्या (Threshold) | वेतन सीमा (Wage Ceiling) | मुख्य दर / सूत्र / लाभ मानक | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| कारखाना अधिनियम, 1948 | 10 (बिजली सहित) / 20 (बिना बिजली) | लागू नहीं | 9 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह; अधिसमय (Overtime) दोगुनी दर पर; 250 पर कैंटीन, 500 पर कल्याण अधिकारी | श्रम मंत्रालय पीडीएफ |
| मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 | सभी कारखाने व अधिसूचित प्रतिष्ठान | ₹24,000 प्रतिमाह | 1000 से कम श्रमिकों पर 7वें दिन व 1000+ पर 10वें दिन तक भुगतान; अधिकतम कटौती 50% (सहकारी समिति में 75%) | श्रम मंत्रालय अभिलेख |
| बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 | 20 या अधिक कर्मचारी | ₹21,000 प्रतिमाह (गणना सीमा ₹7,000) | न्यूनतम बोनस **8.33%**, अधिकतम **20%**; न्यूनतम 30 दिन कार्य अनिवार्य; 4 वर्ष तक सेट-ऑन/सेट-ऑफ | श्रम मंत्रालय रिपोर्ट |
| उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 | 10 या अधिक कर्मचारी | कोई अधिकतम वेतन सीमा नहीं | **Gratuity = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा वर्ष) / 26**; न्यूनतम 5 वर्ष सेवा; अधिकतम सीमा **₹20 लाख** | उपादान अधिनियम पीडीएफ |
| EPF एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 | 20 या अधिक कर्मचारी | ₹15,000 प्रतिमाह | कर्मचारी: 12% (EPF); नियोजक: 3.67% (EPF) + 8.33% (EPS) + 0.50% (EDLI, अधिकतम ₹7 लाख बीमा) | EPFO आधिकारिक पोर्टल |
| कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | 10 या अधिक कर्मचारी | ₹21,000 प्रतिमाह (दिव्यांग ₹25,000) | कुल 4% अंशदान — **नियोजक: 3.25%** + **कर्मचारी: 0.75%**; 6 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ | इंडिया कोड ESI Act |
| मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 | 10 या अधिक कर्मचारी | कोई वेतन सीमा नहीं | प्रथम 2 बच्चों हेतु **26 सप्ताह** सवेतन अवकाश; 3+ बच्चों, दत्तक एवं कमीशनिंग माता हेतु **12 सप्ताह**; 50+ पर क्रेच | मातृत्व लाभ पीडीएफ |

### *6.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 6 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण*

• **EPF Act 1952, ESI Act 1948 एवं Gratuity Act 1972 (सूत्र, अंशदान प्रतिशत व वेतन सीमा): 40%**

• **कारखाना अधिनियम, 1948 (कल्याणकारी सीमाएँ— 30, 150, 250, 500, 1000 एवं कार्य घंटे): 25%**

• **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 संशोधन — 26 सप्ताह बनाम 12 सप्ताह एवं 80 दिन की शर्त): 18%**

• **मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी 1948 एवं बोनस अधिनियम 1965: 17%**

### 6.6 मॉड्यूल 6 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 11 & 12)

**★ स्मृति ट्रिक 11 (कारखाना अधिनियम, 1948 की संख्यात्मक सीढ़ियाँ — "30-150-250-500-1000"):**

- **30 महिलाएँ:** शिशुगृह (Creche)
- **150 श्रमिक:** प्राथमिक उपचार बॉक्स (First-Aid Box) + विश्राम गृह (Rest Room)
- **250 श्रमिक:** कैंटीन (Canteen) + ठंडा पेयजल (Cool Drinking Water)
- **500 श्रमिक:** कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) + एम्बुलेंस कक्ष (Ambulance Room)
- **1000 श्रमिक:** सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer)!

**★ स्मृति ट्रिक 12 (उपादान/Gratuity सूत्र में 15 और 26 का रहस्य — "महीने में 4 रविवार छुट्टी, बचे 26 कार्य दिवस"):**

★ एक माह में 30 दिन होते हैं जिनमें 4 रविवार साप्ताहिक अवकाश घटाने पर **26 कार्य दिवस** बचते हैं, इसलिए दैनिक वेतन निकालने हेतु **26 से भाग** दिया जाता है और प्रति सेवा वर्ष **15 दिन** का वेतन मिलता है: **Gratuity = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा वर्ष) / 26** !

## मॉड्यूल 7: चार नई श्रम संहिताएँ (4 New Labour Codes)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: चार नई श्रम संहिताएँ (4 New Labour Codes)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 |
|---|---|
| पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक कार्यान्वयन (21 नवंबर 2025 से प्रभावी) | चारों नई श्रम संहिताओं का गहन विश्लेषण |

### 7.1 पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक कार्यान्वयन (21 नवंबर 2025 से प्रभावी)

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (**रवीन्द्र वर्मा आयोग, 2002**) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के **श्रम और रोजगार मंत्रालय** ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल, तार्किक और एकीकृत करके **चार नई श्रम संहिताओं (4 Labour Codes)** में समाहित किया है। **पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की आधिकारिक अधिसूचना** एवं **राष्ट्रीय पोर्टल (india.gov.in)** के अनुसार भारत सरकार ने इन चारों श्रम संहिताओं को **21 नवंबर 2025** से संपूर्ण देश में प्रभावी कर दिया है।

### 7.2 चारों नई श्रम संहिताओं का गहन विश्लेषण

1. **मजदूरी संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019 — अधिनियम सं. 29/2019, राष्ट्रपति की स्वीकृति: 8 अगस्त 2019):**

• इसमें **4 पुराने कानून** समाहित किए गए हैं तथा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है (अनुसूचित रोजगार की बाध्यता समाप्त)।

• **राष्ट्रीय फ्लोर वेतन (Floor Wage — धारा 9):** केंद्र सरकार श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर एक 'फ्लोर वेज' तय करेगी; कोई भी राज्य सरकार इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकती।

• **मजदूरी (Wages) की एकसमान परिभाषा (50% भत्ता नियम):** **श्रम संहिता FAQ संकलन** के अनुसार मजदूरी में तीन घटक शामिल हैं— **मूल वेतन (Basic Pay) + महंगाई भत्ता (DA) + प्रतिधारण भत्ता (Retaining Allowance)**। यदि मकान किराया भत्ता (HRA), बोनस, यात्रा भत्ता आदि बहिष्कृत भत्तों का कुल योग कुल पारिश्रमिक के **50% से अधिक** होता है, तो 50% से अधिक वाली अतिरिक्त राशि स्वतः 'मजदूरी' में जोड़ दी जाएगी (जिससे PF और ग्रेच्युटी की गणना बढ़ेगी)।

2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020 — अधिनियम सं. 35/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020):**

• इसमें **3 पुराने कानून** समाहित किए गए हैं।

• **300 श्रमिकों की नई सीमा (Threshold increased from 100 to 300):** स्थायी आदेश (Standing Orders) बनाने की अनिवार्यता तथा कामबंदी (Lay-off), छँटनी (Retrenchment) और प्रतिष्ठान बंदी (Closure) से पूर्व **सरकार की पूर्व अनुमति (Prior Permission)** लेने की सीमा **100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक** कर दी गई है।

• **एकल वार्ताकारी संघ (Sole Negotiating Union — 51% नियम):** जिस पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पास प्रतिष्ठान के **51% या अधिक** श्रमिकों का समर्थन होगा, उसे एकमात्र वार्ताकारी संघ (Sole Negotiating Union) की मान्यता मिलेगी; किसी भी यूनियन के पास 51% समर्थन न होने पर कम से कम **20%** सदस्य संख्या वाली यूनियनों से मिलकर **वार्ताकारी परिषद (Negotiating Council)** बनेगी।

• **पुनः कौशल कोष (Re-skilling Fund):** छँटनी किए गए प्रत्येक श्रमिक को सामान्य छँटनी मुआवजे के अतिरिक्त उसके बैंक खाते में **45 दिनों के भीतर 15 दिनों के अंतिम वेतन** के बराबर राशि पुनः कौशल विकास हेतु दी जाएगी।

• **हड़ताल की सूचना:** अब केवल लोकोपयोगी सेवाओं में ही नहीं बल्कि **सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों** में हड़ताल या तालाबंदी से **60 दिन पूर्व** नोटिस देना अनिवार्य है और नोटिस के 14 दिनों के भीतर हड़ताल नहीं हो सकती।

3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020 — अधिनियम सं. 36/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020):**

• इसमें **9 पुराने कानून** समाहित किए गए हैं।

• **गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों (Gig and Platform Workers) का ऐतिहासिक समावेशन:** भारत में पहली बार पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर के **गिग श्रमिकों (धारा 2(35))** और ऐप-आधारित **प्लेटफॉर्म श्रमिकों (धारा 2(60))** जैसे स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स को कानूनी परिभाषा और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।

• **एग्रीगेटर्स (Aggregators) का अंशदान:** डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का **1% से 2%** (जो गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को देय राशि के **5%** से अधिक नहीं होगा) सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) में देना होगा।

• **निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-Term Employees - FTE) को 1 वर्ष में ग्रेच्युटी:** स्थायी कर्मचारियों की तरह FTE को भी 5 वर्ष की प्रतीक्षा किए बिना केवल **1 वर्ष की सेवा** पूर्ण करने पर आनुपातिक ग्रेच्युटी का अधिकार दिया गया है।

4. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code - OSH Code, 2020 — अधिनियम सं. 37/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020):**

• इसमें सर्वाधिक **13 पुराने कानून** समाहित किए गए हैं।

• **कारखाना एवं ठेका श्रम की नई सीमा:** कारखाने की परिभाषा के लिए सीमा बिजली सहित **20 श्रमिक** (पहले 10) और बिना बिजली के **40 श्रमिक** (पहले 20) कर दी गई है। ठेका श्रम (Contract Labour) पर यह संहिता **50 या अधिक** ठेका श्रमिकों (पहले 20) पर लागू होगी।

• **अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (Inter-State Migrant Workers):** ₹18,000 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले वे श्रमिक जो स्वयं भी दूसरे राज्य में रोजगार हेतु गए हैं, इसमें शामिल हैं; उन्हें वर्ष में एक बार गृहनगर आने-जाने हेतु **यात्रा भत्ता (Journey Allowance)** और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (One Nation One Ration Card) का लाभ मिलेगा।

• **प्रमुख प्रावधान:** प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य **नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)**, निःशुल्क **वार्षिक स्वास्थ्य जाँच**, महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) में सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की अनुमति, प्रतिदिन अधिकतम **8 घंटे** कार्य सीमा तथा 'इंस्पेक्टर' के स्थान पर **'इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर' (Inspector-cum-Facilitator)** की नियुक्ति।

## 7.3 तुलनात्मक सारणी: चारों श्रम संहिताओं में समाहित सभी 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानून

| क्रम | श्रम संहिता का नाम एवं अधिसूचना वर्ष | समाहित कानूनों की संख्या | समाहित किए गए सभी 29 पुराने केंद्रीय श्रम अधिनियमों की पूर्ण सूची | मुख्य सुधार एवं नए मानक | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) | 4 अधिनियम | 1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936<br>2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948<br>3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965<br>4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976) | सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी; राष्ट्रीय फ्लोर वेज; भत्तों पर 50% की अधिकतम सीमा; लैंगिक भेदभाव पूर्णतः प्रतिबंधित | मजदूरी संहिता राजपत्र |
| 2 | औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) | 3 अधिनियम | 1. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)<br>2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946<br>3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 | छँटनी/बंदी व स्थायी आदेश की सीमा **100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक**; 51% समर्थन पर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन; 15 दिन वेतन का री-स्किलिंग फंड; सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल हेतु 60 दिन पूर्व नोटिस | श्रम मंत्रालय पुस्तिका |
| 3 | सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) | 9 अधिनियम | 1. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923<br>2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act)<br>3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF Act)<br>4. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959<br>5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961<br>6. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (Gratuity Act)<br>7. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981<br>8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996<br>9. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 | **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** को पहली बार कानूनी मान्यता; एग्रीगेटर्स द्वारा टर्नओवर का 1%–2% योगदान; निश्चित अवधि कर्मचारियों (FTE) को **1 वर्ष** में ग्रेच्युटी | सामाजिक सुरक्षा संहिता पीडीएफ |

| क्रम | श्रम संहिता का नाम एवं अधिसूचना वर्ष | समाहित कानूनों की संख्या | समाहित किए गए सभी 29 पुराने केंद्रीय श्रम अधिनियमों की पूर्ण सूची | मुख्य सुधार एवं नए मानक | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH Code, 2020) | 13 अधिनियम | 1. कारखाना अधिनियम, 1948<br>2. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (Plantations Labour Act)<br>3. खान अधिनियम, 1952 (Mines Act)<br>4. श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी अधिनियम, 1955<br>5. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर निर्धारण) अधिनियम, 1958<br>6. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961<br>7. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966<br>8. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970<br>9. विक्रय संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, 1976<br>10. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979<br>11. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार अधिनियम, 1981<br>12. गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986<br>13. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 | एकल पंजीकरण, एकल अखिल भारतीय लाइसेंस व एकल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न; कारखाना सीमा **20 (बिजली सहित) व 40 (बिना बिजली)**; ठेका श्रम सीमा **50 श्रमिक**; प्रवासी श्रमिकों को वार्षिक यात्रा भत्ता | अनुपालन हैंडबुक 2026 |

## *7.4 चार्ट डेटा % विश्लेषण: चारों श्रम संहिताओं में समाहित 29 कानूनों का अनुपात एवं प्रश्न-भार*

- **OSH संहिता 2020 (13 कानून समाहित — कुल 29 कानूनों का 44.83% भाग):** परीक्षा प्रश्न-भार **25%**
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (9 कानून समाहित — कुल 29 कानूनों का 31.03% भाग):** परीक्षा प्रश्न-भार **30%**
- **मजदूरी संहिता 2019 (4 कानून समाहित — कुल 29 कानूनों का 13.79% भाग):** परीक्षा प्रश्न-भार **22%**
- **औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (3 कानून समाहित — कुल 29 कानूनों का 10.35% भाग):** परीक्षा प्रश्न-भार **23%**

## *7.5 मॉड्यूल 7 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 13 & 14)*

★ **स्मृति ट्रिक 13 (चारों संहिताओं में समाहित 29 कानूनों की सटीक संख्या — "IR में 3, Wages में 4, Social Security में 9, OSH में 13 = कुल 29"):**

★ आरोही क्रम में विषम-सम श्रृंखला याद रखें: **3 + 4 + 9 + 13 = 29 कानून**!

- **3 कानून** = **I-R-C** (अंग्रेजी में **3 अक्षर** हैं — Industrial Relations Code: Trade Union 1926, Standing Orders 1946, Industrial Disputes 1947)!
- **4 कानून** = **W-A-G-E** (अंग्रेजी में **4 अक्षर** हैं — Wage Code: Payment of Wages, Minimum Wages, Bonus, Equal Remuneration)!
- **9 कानून** = Social Security Code!
- **13 कानून** = OSH Code!

★ **स्मृति ट्रिक 14 (नई श्रम संहिताओं के जादुई अंक — "300 - 51% - 50% - 1 वर्ष"):**
- **300 श्रमिक:** छँटनी/बंदी व स्थायी आदेश की नई सीमा (100 से बढ़कर 300)
- **51% वोट:** एकल वार्ताकारी ट्रेड यूनियन (Sole Negotiating Union) बनने की शर्त
- **50% सीमा:** भत्तों (Allowances) की अधिकतम सीमा एवं कुल वेतन कटौती की अधिकतम सीमा
- **1 वर्ष:** फिक्स्ड टर्म कर्मचारी (FTE) को ग्रेच्युटी मिलने की न्यूनतम सेवा अवधि!

## *मॉड्यूल 8: भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| **असंगठित क्षेत्र सुरक्षा एवं ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)** | **प्रमुख पेंशन एवं जन-सुरक्षा बीमा योजनाएँ** | **आयुष्मान भारत (PM-JAY) एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP — अक्टूबर 2026 संशोधन सहित)** |

### *8.1 असंगठित क्षेत्र सुरक्षा एवं ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)*

PIB के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 के **19%** से बढ़कर वर्ष 2025–26 में **64% से अधिक** हो गया है।

- **ई-श्रम पोर्टल (e-Shram — National Database of Unorganised Workers):**
- **शुभारंभ एवं मंत्रालय: 26 अगस्त 2021** को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा "श्रममेव जयते" आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किया गया।
- **पात्रता: 16 से 59 वर्ष** की आयु के असंगठित क्षेत्र के समस्त श्रमिक (निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक) जो आयकर दाता नहीं हैं और **EPFO या ESIC के सदस्य नहीं हैं**।
- **ई-श्रम कार्ड एवं UAN:** पंजीकृत होने पर प्रत्येक श्रमिक को **12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (12-Digit Universal Account Number - UAN)** प्रदान किया जाता है, जो पूरे देश में आजीवन मान्य रहता है। पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।

### *8.2 प्रमुख पेंशन एवं जन-सुरक्षा बीमा योजनाएँ*

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM):**

- **शुभारंभ एवं नोडल एजेंसी: 15 फरवरी 2019** से लागू; श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (**LIC**) इसका पेंशन फंड प्रबंधक है।
- **पात्रता: 18 से 40 वर्ष** की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय **₹15,000 या उससे कम** है और जो EPFO/ESIC/NPS के सदस्य या आयकर दाता नहीं हैं।
- **अंशदान एवं लाभ:** यह **50:50 के आधार पर स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना** है— प्रवेश आयु के अनुसार लाभार्थी **₹55 से ₹200 प्रतिमाह** जमा करता है और उतनी ही राशि केंद्र सरकार जमा करती है। **60 वर्ष** की आयु पूर्ण होने पर **₹3,000 प्रतिमाह** की निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है तथा लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को **50% पारिवारिक पेंशन (₹1,500 प्रतिमाह)** मिलती है।

2. **अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY):**

- **शुभारंभ एवं नियामक: 9 मई 2015** को कोलकाता से घोषित (1 जून 2015 से प्रभावी); वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के माध्यम से प्रशासित।
- **पात्रता (1 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण संशोधन): 18 से 40 वर्ष** की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक या डाकघर बचत खाता है, किंतु **1 अक्टूबर 2022 से कोई भी व्यक्ति जो आयकर दाता (Income Tax Payer) है या रहा है, वह APY खाता खोलने का पात्र नहीं है**।

• **पेंशन स्लैब: 60 वर्ष** की आयु के पश्चात अंशदान के आधार पर **₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रतिमाह** की गारंटीकृत पेंशन (अभिदाता की मृत्यु पर जीवनसाथी को समान पेंशन और दोनों की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को **₹1.70 लाख से ₹8.50 लाख** तक की संचित निधि वापस)।

3. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):**

• **शुभारंभ एवं पात्रता: 9 मई 2015; 18 से 50 वर्ष** की आयु के बैंक/डाकघर खाताधारक (बीमा कवरेज 55 वर्ष की आयु तक)।

• **प्रीमियम एवं कवरेज (1 जून 2022 से संशोधित प्रीमियम): ₹436 प्रतिवर्ष** (पहले ₹330 था) के ऑटो-डेबिट प्रीमियम पर **किसी भी कारण से मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना)** होने पर **₹2,00,000 (2 लाख रुपये)** का जीवन बीमा कवर (बीमा वर्ष: 1 जून से 31 मई)।

4. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):**

• **शुभारंभ एवं पात्रता: 9 मई 2015; 18 से 70 वर्ष** की आयु के बैंक/डाकघर खाताधारक।

• **प्रीमियम एवं कवरेज (1 जून 2022 से संशोधित प्रीमियम):** मात्र **₹20 प्रतिवर्ष** (पहले ₹12 था) के प्रीमियम पर **दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता** (दोनों आँखों या दोनों हाथ/पैरों की स्थायी हानि) पर **₹2,00,000 (2 लाख रुपये)** तथा **आंशिक स्थायी विकलांगता** (एक आँख या एक अंग की हानि) पर **₹1,00,000 (1 लाख रुपये)** का दुर्घटना बीमा कवर।

## *8.3 आयुष्मान भारत (PM-JAY) एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP — अक्टूबर 2026 संशोधन सहित)*

1. **आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY):**

• **शुभारंभ एवं क्रियान्वयन: 23 सितंबर 2018** को राँची (झारखंड) से प्रारंभ; **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority - NHA)** द्वारा कार्यान्वित विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना।

• **कवरेज एवं नवीनतम विस्तार:** द्वितीयक और तृतीयक (Secondary & Tertiary) अस्पताल में भर्ती हेतु **प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 (5 लाख रुपये)** का कैशलेस स्वास्थ्य कवर (परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं; पहले दिन से सभी पूर्व-विद्यमान बीमारियाँ शामिल; भर्ती से **3 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात** के खर्च शामिल)। **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** (चाहे उनकी आय कुछ भी हो) को भी ₹5 लाख के निःशुल्क स्वास्थ्य कवर में शामिल किया गया है तथा **श्रम मंत्रालय के अनुसार** ESIC लाभार्थियों को भी 30,000+ PM-JAY पैनलबद्ध अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय सीमा के उपचार की सुविधा दी गई है।

2. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) / प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना:**

• **संवैधानिक आधार एवं शुभारंभ:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 41** (राज्य के नीति निदेशक तत्व — वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता) के अनुपालन में **15 अगस्त 1995** को **ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)** द्वारा प्रारंभ।

• **5 घटक उप-योजनाएँ:** (i) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS — 40 से 79 वर्ष), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS), (iv) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS — मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर ₹20,000 की एकमुश्त सहायता), तथा (v) अन्नपूर्णा योजना (वरिष्ठ नागरिकों को 10 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न)।

• **अक्टूबर 2026 का ऐतिहासिक केंद्रीय मंत्रिमंडल संशोधन (PIB विज्ञप्ति, 14 अक्टूबर 2026):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSAP को 2026-27 से 2030-31 तक ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी है और इसे **प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना** के रूप में पुनर्गठित किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के अनुरूप **दिव्यांगता पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम दिव्यांगता सीमा को 80% से घटाकर 40% (बेंचमार्क दिव्यांगता) कर दिया गया है, न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त कर जन्म से ही पात्रता** लागू की गई है तथा दिव्यांगता पेंशन सहायता राशि को 79 वर्ष तक की आयु के लिए **₹375 प्रतिमाह** और 80 वर्ष एवं अधिक आयु के लिए **₹625 प्रतिमाह** निर्धारित किया गया है।

## *8.4 तुलनात्मक सारणी: भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ*

| योजना का नाम एवं प्रारंभ तिथि | नोडल मंत्रालय / नियामक संस्था | पात्रता आयु सीमा | प्रीमियम / अंशदान | मुख्य लाभ एवं कवरेज | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| ई-श्रम पोर्टल (e-Shram) (26 अगस्त 2021) | श्रम और रोजगार मंत्रालय | **16 से 59 वर्ष** | निःशुल्क पंजीकरण | असंगठित श्रमिकों हेतु **12-अंकीय UAN** कार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से एकीकरण | ई-श्रम आधिकारिक पोर्टल |

| योजना का नाम एवं प्रारंभ तिथि | नोडल मंत्रालय / नियामक संस्था | पात्रता आयु सीमा | प्रीमियम / अंशदान | मुख्य लाभ एवं कवरेज | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| पीएम श्रम योगी मानधन (PM-SYM) (15 फरवरी 2019) | श्रम और रोजगार मंत्रालय (LIC के माध्यम से) | **18 से 40 वर्ष** (आय ≤ ₹15,000/माह) | ₹55 से ₹200/माह (50:50 सरकार का समान अंशदान) | 60 वर्ष की आयु के बाद **₹3,000/माह** निश्चित पेंशन (मृत्यु पर जीवनसाथी को 50% अर्थात ₹1,500/माह) | PM-SYM विवरण |
| अटल पेंशन योजना (APY) (9 मई 2015) | वित्त मंत्रालय / PFRDA | **18 से 40 वर्ष** (आयकर दाता अपात्र) | आयु व चुने गए पेंशन स्लैब के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक | 60 वर्ष के बाद **₹1,000 से ₹5,000/माह** गारंटीकृत पेंशन | PFRDA / CRA पोर्टल |
| PMJJBY (जीवन ज्योति बीमा) (9 मई 2015) | वित्त मंत्रालय (DFS) | **18 से 50 वर्ष** | **₹436 प्रतिवर्ष** (1 जून 2022 से संशोधित) | किसी भी कारण से मृत्यु होने पर **₹2,00,000** का जीवन बीमा कवर | जनसुरक्षा पोर्टल |
| PMSBY (सुरक्षा बीमा योजना) (9 मई 2015) | वित्त मंत्रालय (DFS) | **18 से 70 वर्ष** | **₹20 प्रतिवर्ष** (1 जून 2022 से संशोधित) | दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर **₹2 लाख**; आंशिक स्थायी विकलांगता पर **₹1 लाख** | इंडिया पोस्ट PMSBY |
| आयुष्मान भारत (AB PM-JAY) (23 सितंबर 2018) | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (NHA) | कोई आयु सीमा नहीं (70+ के सभी बुजुर्ग शामिल) | लाभार्थी हेतु पूर्णतः नि:शुल्क (केंद्र:राज्य = 60:40; हिमालयी/पूर्वोत्तर = 90:10) | प्रति परिवार प्रति वर्ष **₹5,00,000** का कैशलेस द्वितीयक व तृतीयक उपचार | NHA लाभार्थी पोर्टल |
| NSAP / पीएम सामाजिक सहायता योजना (15 अगस्त 1995; संशोधन: अक्टूबर 2026) | ग्रामीण विकास मंत्रालय (अनुच्छेद 41) | वृद्धावस्था: 60+; विधवा: 40–79; दिव्यांगता: **जन्म से (0+ वर्ष)** | 100% केंद्र प्रायोजित गैर-अंशदायी सहायता | अक्टूबर 2026 कैबिनेट निर्णय: दिव्यांगता पात्रता **80% से घटाकर 40%**; पेंशन ₹375 (79 वर्ष तक) व ₹625 (80+ वर्ष) | PIB कैबिनेट निर्णय |

## *8.5 चार्ट डेटा % विश्लेषण: मॉड्यूल 8 में परीक्षा प्रश्नों का वितरण*

- **पेंशन एवं बीमा योजनाएँ (PM-SYM, APY, PMJJBY ₹436, PMSBY ₹20 की आयु सीमा व प्रीमियम):** 36%
- **ई-श्रम पोर्टल (16-59 वर्ष, 12-अंकीय UAN) एवं असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कवरेज (64%+):** 24%
- **आयुष्मान भारत (PM-JAY ₹5 लाख, 3 दिन पूर्व व 15 दिन पश्चात कवरेज, 70+ वय वंदना विस्तार):** 20%
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP अनुच्छेद 41, 5 घटक एवं अक्टूबर 2026 का 40% दिव्यांगता संशोधन):** 20%

## *8.6 मॉड्यूल 8 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Trick 15)*

**★ स्मृति ट्रिक 15 (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आयु-सीमा का मास्टर कोड — "16-59 ई-श्रम, 18-40 पेंशन, 18-50 जीवन ज्योति, 18-70 सुरक्षा"):**

★ * **16 से 59 वर्ष: e-Shram Portal** (12 अंकों का UAN कार्ड — आधार में 12 अंक होते हैं तो ई-श्रम UAN में भी 12 अंक!)
- **18 से 40 वर्ष:** दोनों पेंशन योजनाएँ (**PM-SYM** एवं **APY** — 60 वर्ष की आयु से पेंशन शुरू)
- **18 से 50 वर्ष: PMJJBY** (जीवन ज्योति — ₹436 प्रीमियम, ₹2 लाख जीवन बीमा)
- **18 से 70 वर्ष: PMSBY** (सुरक्षा बीमा — ₹20 प्रीमियम, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा)!

# परीक्षा से पूर्व त्वरित पुनरावृत्ति: सभी 15 मास्टर स्मृति ट्रिक्स (15 Memory Tricks) की समेकित सूची

| ट्रिक सं. | संबंधित मॉड्यूल | स्मृति ट्रिक का सूत्र / कोड | एक पंक्ति में परीक्षा अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| 1 | मॉड्यूल 1 | **"OPAU = Representative Personal A/c"** | किसी भी नाममात्र खाते (वेतन/किराया) के साथ **O**utstanding, **P**repaid, **A**ccrued, **U**nearned जुड़ते ही वह **प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता** बन जाता है। |
| 2 | मॉड्यूल 1 | **"GCA = AS-1 की 3 मौलिक मान्यताएँ"** | **G**oing Concern (निरंतरता), **C**onsistency (संगति) और **A**ccrual (उपार्जन) मौलिक मान्यताएँ हैं; रूढ़िवादिता (Prudence) परंपरा है। |
| 3 | मॉड्यूल 2 | **"PCO का तलपट हमेशा मिलता है"** | **P**rinciple (सिद्धांत), **C**ompensating (क्षतिपूरक) और Complete **O**mission (पूर्ण भूल) की अशुद्धियाँ तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करतीं। |
| 4 | मॉड्यूल 2 | **"In = Trading, Out = P&L"** | आवक भाड़ा (Carriage **In**ward) व्यापारिक खाते (Trading A/c) में और जावक भाड़ा (Carriage **Out**ward) लाभ-हानि खाते (P&L A/c) में जाता है। |
| 5 | मॉड्यूल 3 | **"पाया तो निवेश, दिया तो फाइनेंस"** | AS-3 रोकड़ प्रवाह विवरण में प्राप्त ब्याज/लाभांश **Investing Activity** है और भुगतान किया गया ब्याज/लाभांश **Financing Activity** है। |
| 6 | मॉड्यूल 3 | **"बकाया 10%, अग्रिम 12%"** | कंपनी अधिनियम की Table F के अनुसार Calls-in-Arrears पर **10% वार्षिक** और Calls-in-Advance पर **12% वार्षिक** ब्याज लगता है। |
| 7 | मॉड्यूल 4 | **"ADT 1-2-3-4 = नियुक्ति, निष्कासन, त्यागपत्र, कपट"** | ADT-1 (नियुक्ति), ADT-2 (समय पूर्व हटाना), ADT-3 (त्यागपत्र), ADT-4 (धारा 143(12) के तहत कपट की रिपोर्ट)। |
| 8 | मॉड्यूल 4 | **"सरकारी कंपनी का प्रथम अंकेक्षक: 60 - 30 - 60"** | सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति: **60 दिन (CAG) → 30 दिन (Board) → 60 दिन (Members)**। |
| 9 | मॉड्यूल 5 | **"ILO के 6 भारतीय रत्न: 29-105, 100-111, 138-182"** | भारत ने ILO के 10 मूल अभिसमयों में से **6 (29, 100, 105, 111, 138, 182)** का अनुसमर्थन किया है; **87, 98, 155, 187** का नहीं। |
| 10 | मॉड्यूल 5 | **"ट्रेड यूनियन कालक्रम: A-I-H-B-C (20-47-48-55-70)"** | AITUC (1920), INTUC (1947), HMS (1948), BMS (1955), CITU (1970)। |
| 11 | मॉड्यूल 6 | **"कारखाना कल्याण सीढ़ी: 30-150-250-500-1000"** | 30 (क्रेच), 150 (फर्स्ट-एड/रेस्ट रूम), 250 (कैंटीन), 500 (कल्याण अधिकारी/एम्बुलेंस), 1000 (सुरक्षा अधिकारी)। |
| 12 | मॉड्यूल 6 | **"ग्रेच्युटी का 15/26 नियम"** | 30 दिन में 4 रविवार घटाकर 26 कार्य दिवस: `Gratuity = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा वर्ष) / 26` (अधिकतम कर-मुक्त सीमा ₹20 लाख)। |
| 13 | मॉड्यूल 7 | **"3 (IR) + 4 (WAGE) + 9 (SS) + 13 (OSH) = 29 कानून"** | **I-R-C** (3 अक्षर = 3 कानून), **W-A-G-E** (4 अक्षर = 4 कानून), सामाजिक सुरक्षा (9 कानून), OSH (13 कानून) = कुल **29 कानून** (21 नवंबर 2025 से प्रभावी)। |
| 14 | मॉड्यूल 7 | **"नई संहिताओं के 4 स्तंभ: 300 - 51% - 50% - 1 वर्ष"** | छँटनी सीमा **300 श्रमिक**, सोल यूनियन समर्थन **51%**, भत्ता सीमा **50%**, और निश्चित अवधि कर्मचारी (FTE) हेतु ग्रेच्युटी **1 वर्ष**। |
| 15 | मॉड्यूल 8 | **"आयु कोड: 16-59 (e-Shram), 18-40 (पेंशन), 18-50 (PMJJBY), 18-70 (PMSBY)"** | PMJJBY प्रीमियम ₹436 (₹2 लाख कवर), PMSBY प्रीमियम ₹20 (₹2 लाख कवर), PM-JAY ₹5 लाख (3 दिन पूर्व व 15 दिन पश्चात भर्ती खर्च सहित)। |

# संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं 4 श्रम संहिताएँ (UPSC EPFO/ESIC/AAO)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — संपूर्ण लेखाशास्त्र, अंकेक्षण (Auditing), औद्योगिक संबंध एवं 4 श्रम संहिताएँ (UPSC EPFO/ESIC/AAO)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| **IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 1: वित्तीय लेखांकन की वैचारिक रूपरेखा, लेखांकन मानक एवं स्वर्णिम नियम** | **IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 2: रोजनामचा, सहायक बहियाँ, खाता-बही, तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार** | **IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 3: मूल्यह्रास लेखांकन, रहतिया मूल्यांकन (FIFO, LIFO) एवं प्रावधान-संचय** | **IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 4: अंतिम खाते, गैर-लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन (NPO) एवं साझेदारी लेखांकन** |

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 1: वित्तीय लेखांकन की वैचारिक रूपरेखा, लेखांकन मानक एवं स्वर्णिम नियम

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

### प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: संपूर्ण लेखांकन चक्र एवं खातों का वैज्ञानिक वर्गीकरण

[नोड 1: वित्तीय लेनदेन की पहचान एवं मापन (Identification & Measurement)]
(मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत केवल मौद्रिक व्यावसायिक व्यवहारों एवं वाउचरों का चयन)
|
▼
[नोड 2: खातों का वर्गीकरण एवं द्विपक्षीय स्वर्णिम नियमों का अनुप्रयोग]
(व्यक्तिगत खाता: पाने वाला Dr / देने वाला Cr | वास्तविक: आने वाला Dr / जाने वाला Cr | नाममात्र: व्यय Dr / आय Cr)
|
▼
[नोड 3: अभिलेखन एवं वर्गीकरण (Recording in Journal & Posting to Ledger)]
(प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रोजनामचा/सहायक बहियों से प्रधान पुस्तक खाता-बही में खतौनी)
|
▼
[नोड 4: संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन (Trial Balance & Final Accounts)]
(तलपट द्वारा अंकगणितीय शुद्धता की जाँच -> व्यापारिक व लाभ-हानि खाता -> आर्थिक चिट्ठा/Balance Sheet)

### 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: लेखांकन की प्रमुख अवधारणाएँ, परंपराएँ एवं स्वर्णिम नियम

| लेखांकन सिद्धांत / खाता प्रकार | मूल नियम / वैचारिक आधार | व्यावहारिक लेखांकन प्रभाव | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **पृथक व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा (Business Entity Concept)** | व्यवसाय और उसका स्वामी दो पूर्णतः अलग-अलग इकाइयाँ हैं | स्वामी द्वारा लगाई गई पूँजी (Capital) व्यवसाय के लिए एक **आंतरिक दायित्व (Internal Liability)** मानी जाती है | स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाला गया धन **'आहरण' (Drawings)** कहलाता है और पूँजी से घटता है |
| **चालू व्यवसाय की अवधारणा (Going Concern Concept)** | यह माना जाता है कि व्यवसाय अनंत काल तक निरंतर चलता रहेगा | स्थायी संपत्तियों को वसूली मूल्य के बजाय **ऐतिहासिक लागत - मूल्यह्रास** पर चिट्ठे में दिखाया जाता है | इसी अवधारणा के कारण व्ययों को पूँजीगत और आगम (Revenue) व्ययों में बाँटा जाता है |
| **द्विपक्षीय अवधारणा (Dual Aspect Concept)** | प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन के दो समान पक्ष (डेबिट और क्रेडिट) होते हैं | मूल लेखांकन समीकरण: **संपत्तियाँ (Assets) = दायित्व (Liabilities) + पूँजी (Capital)** | दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System — **लुकास पैसिओली, 1494**) की आधारशिला |
| **उपार्जन अवधारणा (Accrual Concept)** | आय और व्यय को नकद प्राप्ति/भुगतान के बजाय **अर्जित/देय होने के आधार पर** दर्ज किया जाता है | अदत्त व्यय (Outstanding Expenses) और उपार्जित आय (Accrued Income) का समायोजन किया जाता है | भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के तहत कंपनियों हेतु उपार्जन आधार अनिवार्य है |

| लेखांकन सिद्धांत / खाता प्रकार | मूल नियम / वैचारिक आधार | व्यावहारिक लेखांकन प्रभाव | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता परंपरा (Prudence / Conservatism)** | "भविष्य के सभी संभावित नुकसानों के लिए प्रावधान करें, किंतु संभावित लाभों की उपेक्षा करें" | अंतिम रहतिये (Closing Stock) का मूल्यांकन **'लागत मूल्य या बाजार मूल्य (NRV) में से जो कम हो'** पर करना | डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (Provision for Doubtful Debts) बनाना |
| **व्यक्तिगत खाता (Personal Account)** | **पाने वाले को डेबिट करें (Debit the Receiver), देने वाले को क्रेडिट करें (Credit the Giver)** | इसमें प्राकृतिक व्यक्ति (राम का खाता), कृत्रिम व्यक्ति (बैंक, कंपनी) व प्रतिनिधित्व खाते शामिल हैं | **अदत्त किराया (Outstanding Rent), पूर्वदत्त बीमा (Prepaid Insurance)** व **पूँजी खाता** प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं |
| **वास्तविक / वस्तुगत खाता (Real Account)** | **जो व्यापार में आए उसे डेबिट करें (Debit what comes in), जो जाए उसे क्रेडिट करें (Credit what goes out)** | मूर्त संपत्तियाँ (रोकड़, मशीनरी, फर्नीचर) एवं अमूर्त संपत्तियाँ (ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट) | **ख्याति (Goodwill), ट्रेडमार्क व पेटेंट** अमूर्त वास्तविक खाते हैं (बैंक खाता वास्तविक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है!) |
| **नाममात्र / आय-व्यय खाता (Nominal Account)** | **समस्त व्ययों एवं हानियों को डेबिट करें, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करें** | वेतन, किराया, मजदूरी, कमीशन, ब्याज, मूल्यह्रास व डूबत ऋण खाते | वर्ष के अंत में नाममात्र खातों का शेष शून्य कर उन्हें व्यापारिक/लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है |

## *3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

- आधुनिक **दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System)** के जनक इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ एवं पादरी **फ्रा लुकास पैसिओली (Luca Pacioli)** हैं, जिन्होंने वर्ष **1494** में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **'सुमा डी अरिथमेटिका' (*Summa de Arithmetica*)** में सर्वप्रथम डेबिट (*Debito*) और क्रेडिट (*Credito*) शब्दों का वर्णन किया था।
- भारत में लेखांकन मानक जारी करने के लिए **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org)** ने **21 अप्रैल 1977** को **लेखांकन मानक बोर्ड (ASB - Accounting Standards Board)** का गठन किया था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 133** के तहत केंद्र सरकार **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA — स्थापना 1 अक्टूबर 2018)** के परामर्श से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के अभिसरण में **भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)** अधिसूचित करती है।

## *4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स*

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

- **जाल 1:** यूपीएससी ईपीएफओ (UPSC EPFO) का सबसे प्रिय प्रश्न: "अदत्त वेतन (*Outstanding Salary*), पूर्वदत्त किराया (*Prepaid Rent*), उपार्जित ब्याज (*Accrued Interest*) और अनुपार्जित कमीशन (*Unearned Commission*) किस प्रकार के खाते हैं?" छात्र 'वेतन/किराया' देखकर इन्हें नाममात्र खाता (Nominal Account) टिक कर देते हैं! सावधान: जब भी किसी नाममात्र खाते के आगे या पीछे कोई **उपसर्ग या प्रत्यय (Outstanding, Prepaid, Accrued, Advance)** जुड़ जाता है, तो वह **'प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता' (Representative Personal Account)** बन जाता है!
- **जाल 2: 'बैंक खाता' (Bank Account)** और **'बैंक अधिविकर्ष खाता' (Bank Overdraft Account)** कौन-सा खाता है? रोकड़ खाता (Cash Account) वास्तविक खाता है, परंतु **बैंक खाता एक कृत्रिम व्यक्तिगत खाता (Artificial Personal Account)** है क्योंकि बैंक एक विधिक संस्था है।
- **जाल 3: 'रूढ़िवादिता की परंपरा' (Convention of Conservatism)** के कारण ही **अंतिम स्टॉक (Closing Stock)** का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (NRV) में से जो कम हो, उस पर किया जाता है (AS-2 / Ind AS-2 के तहत)।

## *5. IUC स्मृति ट्रिक*

**★ IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

- **प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता पहचानने का 1 सेकंड का सूत्र: "नाममात्र के आगे-पीछे लगे विशेषण (अदत्त/पूर्वदत्त/उपार्जित), तो तुरंत बनाओ प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत!"**
- **प्रमुख लेखांकन मानक (AS) याद रखने की ट्रिक:**
- **AS-1:** लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण (1 नंबर पर नीति बताओ)
- **AS-2:** रहतिये (Inventory) का मूल्यांकन (2 मूल्य — लागत या बाजार में जो कम हो)
- **AS-3:** नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow में 3 गतिविधियाँ — परिचालन, निवेश, वित्तीयन)
- **AS-10:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE एवं मूल्यह्रास)

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 2: रोजनामचा, सहायक बहियाँ, खाता-बही, तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

### प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: प्रारंभिक लेखे से तलपट एवं उचंत खाते (Suspense Account) द्वारा अशुद्धि सुधार

[नोड 1: प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें (Books of Original Entry)]
(रोजनामचा एवं 8 सहायक बहियाँ: रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य/देय बिल, मुख्य जर्नल)
|
▼
[नोड 2: खाता-बही (Ledger — प्रधान पुस्तक / Principal Book of Accounts)]
(समस्त खातों का वर्गीकृत संग्रह, शेष निकालना/Balancing एवं तलपट हेतु आधार तैयार करना)
|
▼
[नोड 3: तलपट (Trial Balance) का निर्माण एवं अशुद्धियों का वर्गीकरण]
(तलपट को प्रभावित न करने वाली अशुद्धियाँ: सैद्धांतिक, पूर्ण लोप, क्षतिपूरक | प्रभावित करने वाली: एकपक्षीय खतौनी)
|
▼
[नोड 4: उचंत खाता (Suspense Account) एवं अशुद्धियों का सुधार (Rectification)]
(तलपट के अंतर को अस्थायी रूप से उचंत खाते में डालना -> सुधार प्रविष्टियों द्वारा उचंत खाता बंद करना)

### 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: लेखांकन अशुद्धियों के प्रकार एवं तलपट (Trial Balance) पर उनका प्रभाव

| अशुद्धि का प्रकार (Type of Error) | लेखांकन में अशुद्धि की प्रकृति | क्या तलपट (Trial Balance) का मिलान रुकता है? | परीक्षा में पूछा जाने वाला मानक उदाहरण (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **सैद्धांतिक अशुद्धियाँ (Errors of Principle)** | लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन (पूँजीगत मद को आगम मान लेना या इसके विपरीत) | **नहीं** (तलपट मिल जाता है) | मशीनरी की स्थापना पर दी गई मजदूरी को 'मजदूरी खाते' में डेबिट कर देना; पुराने फर्नीचर की बिक्री को 'विक्रय खाते' में लिखना |
| **पूर्ण लोप की अशुद्धियाँ (Errors of Complete Omission)** | किसी लेनदेन को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक (जर्नल/सहायक बही) में लिखने से पूरी तरह भूल जाना | **नहीं** (तलपट मिल जाता है) | मोहन से ₹5,000 का उधार माल खरीदा, किंतु क्रय बही में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई |
| **आंशिक लोप की अशुद्धियाँ (Errors of Partial Omission)** | जर्नल में प्रविष्टि कर दी गई, किंतु खाता-बही में एक पक्ष में खतौनी करना भूल गए | **हाँ** (तलपट का योग नहीं मिलता) | राम को ₹2,000 चुकाए — रोकड़ बही में लिख दिया किंतु राम के व्यक्तिगत खाते में डेबिट खतौनी छूट गई |
| **क्षतिपूरक अशुद्धियाँ (Compensating Errors)** | दो या अधिक ऐसी गलतियाँ जो एक-दूसरे के अंकगणितीय प्रभाव को समाप्त (Neutralize) कर देती हैं | **नहीं** (तलपट मिल जाता है) | क्रय बही का योग ₹500 कम लगाया गया और साथ ही विक्रय बही का योग भी ₹500 कम लग गया |
| **प्रारंभिक पुस्तक में गलत राशि की अशुद्धि (Error of Original Entry)** | जर्नल में ही गलत रकम लिख दी गई और उसी गलत रकम से दोनों खातों में खतौनी हुई | **नहीं** (तलपट मिल जाता है) | सोहन को ₹4,500 का माल बेचा, किंतु विक्रय बही में ₹5,400 लिख दिया गया |
| **गलत खाते में खतौनी (Posting to Wrong Account on Correct Side)** | सही पक्ष (डेबिट को डेबिट में ही) में खतौनी की गई, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में | **नहीं** (तलपट मिल जाता है) | श्याम से प्राप्त ₹1,000 को श्याम के बजाय 'घनश्याम' के खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया गया |
| **गलत पक्ष या गलत राशि में खतौनी (Error of Commission in Posting)** | डेबिट के स्थान पर क्रेडिट कर देना, या खाता-बही का योग (Casting) गलत लगाना | **हाँ** (तलपट का योग नहीं मिलता) | ₹1,000 को डेबिट के बजाय क्रेडिट में लिख देने से तलपट में **₹2,000 (दोगुना)** अंतर आएगा |
| **संदर्भ मानक** | icai.org लेखांकन कार्यविधि | उचंत खाता केवल एकपक्षीय अशुद्धियों में खुलता है | www.iucacademy.com EPFO लेखा मॉड्यूल |

## 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• **रोकड़ बही (Cash Book)** लेखांकन की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो **'प्रारंभिक लेखे की पुस्तक' (Book of Original Entry / Journal)** और **'प्रधान पुस्तक' (Principal Book / Ledger)** दोनों की दोहरी भूमिका निभाती है। इसलिए इसे **'जर्नलकृत लेजर' (Journalised Ledger)** कहा जाता है।

• **तीन खाने वाली रोकड़ बही (Three-Column Cash Book)** में रोकड़ (Cash) और बैंक (Bank) स्तंभों का शेष निकाला जाता है, परंतु **बट्टा स्तंभ (Discount Column) का कभी भी शेष नहीं निकाला जाता** — उसका केवल योग लगाकर खाता-बही में छूट खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

• जब एक ही लेनदेन का प्रभाव रोकड़ बही के **रोकड़ और बैंक दोनों स्तंभों** पर पड़ता है (जैसे — बैंक में नकद जमा करना या कार्यालय उपयोग हेतु बैंक से नकद निकालना), तो उसे **'विपरीत प्रविष्टि' (Contra Entry — 'C')** कहते हैं।

## 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** "क्या तलपट (*Trial Balance*) का मिल जाना खातों की पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण (*Conclusive Proof*) है?" **बिल्कुल नहीं!** तलपट केवल खातों की **अंकगणितीय शुद्धता (Arithmetical Accuracy)** की जाँच करता है; सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और पूर्ण लोप की अशुद्धियाँ होने पर भी तलपट मिल जाता है।

• **जाल 2: क्रय बही (Purchase Book)** और **विक्रय बही (Sales Book)** में क्या लिखा जाता है? ध्यान रहे: क्रय बही में **केवल माल (Goods) का उधार क्रय** लिखा जाता है! नकद माल क्रय (रोकड़ बही में जाता है) और **संपत्तियों का उधार क्रय (जैसे उधार मशीन खरीदना — मुख्य जर्नल / Journal Proper में जाता है)** क्रय बही में कभी नहीं लिखा जाता!

• **जाल 3:** यदि अंतिम खाते बनने के **बाद** अगले वित्तीय वर्ष में किसी आय-व्यय (नाममात्र खाते) की गलती का सुधार किया जाए, तो नाममात्र खाते के स्थान पर **'लाभ-हानि समायोजन खाता' (Profit & Loss Adjustment Account)** का प्रयोग किया जाता है ताकि चालू वर्ष का लाभ प्रभावित न हो।

## 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **तलपट को प्रभावित न करने वाली 4 अशुद्धियों का सूत्र: "सच्चा पूरा क्षमा पापी (S-C-O-P)"**

• **S (Principle / सैद्धांतिक):** मशीन की मरम्मत को मशीन खाते में डालना

• **C (Compensating / क्षतिपूरक):** दो गलतियों का आपस में कट जाना

• **O (Complete Omission / पूर्ण लोप):** रोजनामचा में लिखना ही भूल जाना

• **P (Posting to wrong account on right side):** राम की जगह श्याम को डेबिट करना

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 3: मूल्यह्रास लेखांकन, रहतिया मूल्यांकन (FIFO, LIFO) एवं प्रावधान-संचय

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: संपत्ति मूल्यांकन, मूल्यह्रास एवं लाभ विनियोजन प्रणाली

[नोड 1: स्थायी संपत्तियों का पूँजीकरण एवं मूल्यह्रास (AS-10 / Ind AS-16)]
(लागत = क्रय मूल्य + ढुलाई + स्थापना व्यय | भूमि पर कभी मूल्यह्रास नहीं लगता)
|
▼
[नोड 2: मूल्यह्रास गणना की प्रमुख विधियों का चयन]
(सीधी रेखा विधि SLM: प्रतिवर्ष समान ह्रास | क्रमागत ह्रास विधि WDV: घटते शेष पर ह्रास व कभी शून्य नहीं)
|
▼
[नोड 3: रहतिया/स्टॉक मूल्यांकन विधियाँ (AS-2 / Ind AS-2)]
(FIFO: प्रथम आगत प्रथम निर्गत | LIFO: अंतिम आगत प्रथम निर्गत | भारित औसत लागत विधि)
|
▼
[नोड 4: प्रावधान (Provision) बनाम संचय (Reserve) का लेखांकन उपचार]
(प्रावधान = लाभ पर प्रभार / Charge against Profit | संचय = लाभ का विनियोजन / Appropriation of Profit)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: सीधी रेखा विधि बनाम क्रमागत ह्रास विधि एवं प्रावधान बनाम संचय

| तुलनात्मक आधार | सीधी रेखा विधि (SLM) / प्रावधान (Provision) | क्रमागत ह्रास विधि (WDV) / संचय (Reserve) | लेखांकन एवं कर प्रभाव (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **मूल्यह्रास गणना का आधार** | संपत्ति की **मूल लागत (Original Cost)** पर प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत से | संपत्ति के प्रतिवर्ष **घटते हुए पुस्तक मूल्य (Written Down Value)** पर | SLM में वार्षिक ह्रास स्थिर रहता है; WDV में प्रतिवर्ष घटता जाता है |
| **संपत्ति का पुस्तक मूल्य शून्य होना** | उपयोगी जीवन के अंत में संपत्ति का मूल्य **शून्य (या अवशिष्ट मूल्य)** हो सकता है | संपत्ति का पुस्तक मूल्य **कभी भी शून्य नहीं होता** | **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत केवल **WDV (Block of Assets)** विधि ही मान्य है |
| **लाभ-हानि खाते पर कुल भार (ह्रास + मरम्मत)** | बाद के वर्षों में मरम्मत बढ़ने से कुल भार **असमान (बढ़ता हुआ)** हो जाता है | प्रारंभ में ह्रास अधिक व मरम्मत कम, बाद में ह्रास कम व मरम्मत अधिक — **कुल भार समान** रहता है | मशीनरी व वाहनों के लिए WDV विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है |
| **प्रावधान (Provision) बनाम संचय (Reserve) का अर्थ** | **प्रावधान:** किसी ज्ञात दायित्व या मूल्य में कमी के लिए बनाया जाता है जिसकी राशि निश्चित न हो | **संचय:** भविष्य की अज्ञात आकस्मिकताओं से निपटने या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु | प्रावधान = **लाभ पर प्रभार (Charge against Profit)**; संचय = **लाभ का विनियोजन (Appropriation)** |
| **हानि की स्थिति में निर्माण** | **प्रावधान** बनाना अनिवार्य है, चाहे व्यवसाय में लाभ हो या हानि (P&L A/c में डेबिट) | **संचय** केवल तभी बनाया जाता है जब व्यवसाय में **पर्याप्त लाभ** हो (P&L Appropriation A/c) | प्रावधान को लाभांश (Dividend) के रूप में कभी वितरित नहीं किया जा सकता |
| **FIFO बनाम LIFO (मुद्रास्फीति / बढ़ती कीमतों में)** | **FIFO (First-In, First-Out):** अंतिम स्टॉक नवीनतम (उच्च) मूल्यों पर बचता है, अत: **सकल लाभ अधिक** दिखता है | **LIFO (Last-In, First-Out):** नया महंगा माल पहले बिकता है, अत: **बिक्री की लागत (COGS) अधिक व लाभ कम** दिखता है | **AS-2 और Ind AS-2 के तहत भारत में LIFO विधि पूर्णत: प्रतिबंधित है** (केवल FIFO और भारित औसत मान्य हैं) |
| **पूँजीगत संचय (Capital Reserve) एवं गुप्त संचय (Secret Reserve)** | पूँजीगत लाभों से निर्मित (जैसे अंशों के हरण पर लाभ, प्रीमियम, स्थायी संपत्ति विक्रय लाभ) | संपत्तियों का कम मूल्यांकन या दायित्वों का अधिक मूल्यांकन करके चिट्ठे में छुपाया गया संचय | बैंकिंग, बीमा व वित्तीय कंपनियों के अतिरिक्त सामान्य कंपनियों हेतु गुप्त संचय वर्जित है |

### 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• **भूमि (Land)** एक ऐसी मूर्त स्थायी संपत्ति है जिसका उपयोगी जीवन असीमित माना जाता है, इसलिए **भूमि पर कभी भी मूल्यह्रास (Depreciation) नहीं लगाया जाता**।

• प्राकृतिक संसाधनों जैसे **खानों (Mines), तेल के कुओं और खदानों** से खनिज निकालने के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास नहीं बल्कि **'रिक्तीकरण' (Depletion)** कहा जाता है, जबकि अमूर्त संपत्तियों (ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट) को अपलिखित करने को **'परिशोधन' (Amortization)** कहा जाता है।

• **AS-2 (Inventories)** के अनुसार रहतिये की लागत ज्ञात करने के लिए केवल **FIFO (प्रथम आगत प्रथम निर्गत)** और **भारित औसत लागत (Weighted Average Cost)** सूत्रों की ही अनुमति है; **LIFO सूत्र को भारतीय लेखांकन मानकों में मान्यता नहीं दी गई है** (icai.org)।

### 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** यूपीएससी ईपीएफओ में बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न: "मुद्रास्फीति (*Inflation* / बढ़ते मूल्यों) की स्थिति में *FIFO* विधि का लाभ और अंतिम स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ता है?" जब कीमतें लगातार बढ़ रही हों, तो **FIFO विधि में पुराना सस्ता माल पहले लागत में जाता है और नया महंगा माल अंतिम स्टॉक में बचता है** — परिणामस्वरूप **अंतिम स्टॉक का मूल्य अधिक, COGS कम और शुद्ध लाभ अधिक (Overstated)** प्रदर्शित होता है! (अपस्फीति/गिरती कीमतों में ठीक उल्टा होता है)।

• **जाल 2:** "डूबत ऋण के लिए प्रावधान (*Provision for Bad Debts*) क्या है?" यह संचय (Reserve) नहीं है, बल्कि **लाभ पर प्रभार (Charge against Profit)** है और इसे आर्थिक चिट्ठे में देनदारों (Sundry Debtors) में से घटाकर दिखाया जाता है।

• **जाल 3:** यदि प्रश्न में **अंतिम स्टॉक (Closing Stock) तलपट (Trial Balance) के अंदर** दिया गया हो, तो इसका अर्थ है कि वह क्रय में पहले ही समायोजित हो चुका है — इसलिए उसे व्यापारिक खाते में नहीं दिखाएँगे, केवल **आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet) के संपत्ति पक्ष** में ही एक बार दिखाएँगे!

### 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **मुद्रास्फीति (Inflation) में FIFO बनाम LIFO का सुपरहिट सूत्र: "महँगाई में FIFO फुलाए (स्टॉक भी ज्यादा, लाभ भी ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा)!"**

• **ह्रास शब्दावली त्रिकोण:**

• **मूर्त स्थायी संपत्ति (मशीन/भवन) -> मूल्यह्रास (Depreciation)**

• **अमूर्त संपत्ति (पेटेंट/ख्याति) -> परिशोधन (Amortization)**

• **प्राकृतिक खदान (कोयला/तेल कुआँ) -> रिक्तीकरण (Depletion)**

### IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 4: अंतिम खाते, गैर-लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन (NPO) एवं साझेदारी लेखांकन

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: व्यावसायिक अंतिम खाते, NPO खाते एवं साझेदारी पुनर्गठन

[नोड 1: व्यापारिक संस्था के अंतिम खाते (Final Accounts of Sole Proprietorship)]
(व्यापारिक खाता -> सकल लाभ/COGS | लाभ-हानि खाता -> शुद्ध लाभ | आर्थिक चिट्ठा -> वित्तीय स्थिति)
|
▼
[नोड 2: गैर-लाभकारी संस्थाओं (NPO) की 3-स्तरीय लेखांकन प्रणाली]
(प्राप्ति एवं भुगतान खाता: वास्तविक खाता/रोकड़ सारांश -> आय-व्यय खाता: नाममात्र खाता/उपार्जन आधार -> चिट्ठा)
|
▼
[नोड 3: साझेदारी लेखांकन (भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932) एवं विलेख के अभाव में नियम]
(लाभ-हानि बराबर बँटेगा | पूँजी व आहरण पर कोई ब्याज नहीं | साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज)
|
▼
[नोड 4: साझेदार का प्रवेश, सेवानिवृत्ति, ख्याति मूल्यांकन एवं गार्नर बनाम मरे नियम]
(प्रवेश पर त्याग अनुपात = पुराना - नया | सेवानिवृत्ति पर लाभ प्राप्ति अनुपात = नया - पुराना)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाम आय-व्यय खाता तथा साझेदारी के वैधानिक नियम

| तुलनात्मक आधार | प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipts & Payments A/c) | आय एवं व्यय खाता (Income & Expenditure A/c) | साझेदारी एवं वित्तीय लेखांकन के विशेष नियम |
|---|---|---|---|
| **खाते की प्रकृति एवं समकक्ष** | **वास्तविक खाता (Real Account)** — रोकड़ बही (Cash Book) का सारांश | **नाममात्र खाता (Nominal Account)** — लाभ-हानि खाते (P&L A/c) के समकक्ष | NPO द्वारा लाभ कमाने के बजाय सेवा भाव से बनाए जाते हैं (icai.org) |
| **लेखांकन का आधार** | **नकद आधार (Cash Basis)** — केवल वास्तविक नकद प्राप्तियाँ व भुगतान दर्ज | **उपार्जन आधार (Accrual Basis)** — अदत्त व पूर्वदत्त समायोजनों सहित | आय-व्यय खाते में मूल्यह्रास जैसी गैर-नकद मदें भी शामिल होती हैं |
| **पूँजीगत एवं आगम मदें** | इसमें **पूँजीगत (Capital) और आगम (Revenue)** दोनों प्रकार की मदें लिखी जाती हैं | इसमें **केवल आगम (Revenue)** प्रकृति के व्यय और आय ही लिखे जाते हैं | विशिष्ट दान (जैसे भवन कोष दान) पूँजीगत है और सीधे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जाता है |
| **अवधि (Period) एवं प्रारंभिक शेष** | यह प्रारंभिक रोकड़/बैंक शेष से शुरू होता है; इसमें पिछले, चालू व अगले सभी वर्षों की नकदी आती है | इसका कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता; इसमें **केवल चालू वर्ष (Current Year)** की आय-व्यय आती हैं | अंतिम परिणाम को लाभ-हानि के बजाय **'आधिक्य' (Surplus) या 'कमी' (Deficit)** कहते हैं |
| **साझेदारी विलेख (Partnership Deed) के अभाव में नियम** | साझेदारों को कोई वेतन/कमीशन नहीं; पूँजी पर कोई ब्याज नहीं; आहरण पर कोई ब्याज नहीं | लाभ-हानि का विभाजन पूँजी के अनुपात में न होकर **बराबर-बराबर (Equally)** होगा | साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए **अग्रिम/ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज** दिया जाएगा (चाहे फर्म को हानि ही क्यों न हो) |
| **बिक्री की लागत (COGS) का सूत्र** | **COGS = प्रारंभिक स्टॉक + शुद्ध क्रय + प्रत्यक्ष व्यय - अंतिम स्टॉक** | अथवा **COGS = शुद्ध बिक्री (Net Sales) - सकल लाभ (Gross Profit)** | **मार्क-अप (लागत पर लाभ):** लागत का 1/4 (25%) = बिक्री का 1/5 (20%); लागत का 1/3 = बिक्री का 1/4 |
| **गार्नर बनाम मरे नियम (Garner vs Murray Rule)** | साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूँजी की कमी (Insolvency Loss) कौन सहन करेगा? | दिवालिया साझेदार की कमी को सक्षम साझेदार अपने **'अंतिम सहमत पूँजी अनुपात' (Capital Ratio)** में बाँटते हैं | इसके लिए सक्षम साझेदार **वसूली की हानि (Realisation Loss) को नकद** में लाते हैं |

## 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• **भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932** की धारा 4 के अनुसार साझेदारी के लिए न्यूनतम **2 सदस्य** अनिवार्य हैं, और **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 464 (सहपठित नियम 10, कंपनी विविध नियम 2014)** के अनुसार एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की **अधिकतम संख्या 50** निर्धारित है (अधिनियम की धारा 464 में अधिकतम सीमा 100 तक करने का अधिकार है, किंतु वर्तमान नियमों में सीमा **50** लागू है)।

• गैर-लाभकारी संस्थाओं (NPO) में **आजीवन सदस्यता शुल्क (Life Membership Fees)** और **वसीयत (Legacy)** को पूँजीगत प्राप्ति मानकर सीधे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में (पूँजी कोष में जोड़कर) दिखाया जाता है, जबकि **पुराने अखबारों की बिक्री** और **सामान्य दान** को आगम प्राप्ति मानकर आय-व्यय खाते में क्रेडिट किया जाता है।

• **AS-26 (Intangible Assets)** के अनुसार केवल **क्रय की गई ख्याति (Purchased Goodwill)** को ही लेखा पुस्तकों में संपत्ति के रूप में दर्ज किया जा सकता है; **स्व-अर्जित ख्याति (Self-generated Goodwill)** को कभी भी पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता।

## 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** परीक्षा में संख्यात्मक प्रश्न आता है: "यदि सकल लाभ लागत पर 25% (*1/4 on Cost*) है और कुल बिक्री ₹1,00,000 है, तो सकल लाभ क्या होगा?" छात्र जल्दबाजी में ₹1,00,000 का 25% = ₹25,000 निकाल देते हैं जो गलत है! नियम याद रखें: **लागत पर 1/n लाभ = बिक्री पर 1/(n+1) लाभ**। अतः लागत पर **1/4** = बिक्री पर **1/5** = **₹1,00,000 × 1/5 = ₹20,000**!

• **जाल 2:** किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि प्रश्न में कुछ न कहा गया हो, तो **पुराना लाभ-विभाजन अनुपात ही साझेदारों का 'त्याग अनुपात' (Sacrificing Ratio)** होता है, और नया साझेदार ख्याति की जो राशि लाता है वह पुराने साझेदारों में उनके **त्याग अनुपात** में बाँटी जाती है (पुराने अनुपात में नहीं)।

• **जाल 3:** मासिक आहरण (Drawings) पर ब्याज की गणना में औसत अवधि: यदि साझेदार प्रत्येक माह की **प्रथम तारीख** को समान राशि निकालता है तो औसत अवधि **6.5 माह**; प्रत्येक माह के **मध्य (15 तारीख)** में निकालता है तो **6 माह**; और प्रत्येक माह के **अंत** में निकालता है तो **5.5 माह** का ब्याज लगता है।

## 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **मासिक आहरण पर औसत अवधि (महीनों में) की ट्रिक: "शुरू में साढ़े छह (6.5), बीच में छह (6.0), अंत में साढ़े पाँच (5.5)!"** (त्रैमासिक आहरण में: शुरू में **7.5 माह**, बीच में **6 माह**, अंत में **4.5 माह**)।

• **NPO खातों का सटीक सूत्र: "प्राप्ति-भुगतान = वास्तविक (रोकड़ का भाई); आय-व्यय = नाममात्र (लाभ-हानि की परछाईं)!"**

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 5: कंपनी लेखे, अंश पूँजी, नकदी प्रवाह विवरण (AS-3) एवं अनुपात विश्लेषण

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: कंपनी अंश पूँजी संरचना, हरण-पुनर्निर्गमन एवं वित्तीय विश्लेषण

[नोड 1: कंपनी अंश पूँजी का पदानुक्रम (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III)]
(अधिकृत पूँजी -> निर्गमित पूँजी -> अभिदत्त पूँजी -> याचित पूँजी -> प्रदत्त पूँजी | संचित पूँजी/Reserve Capital)
|
▼
[नोड 2: अंशों का निर्गमन, हरण (Forfeiture) एवं पुनर्निर्गमन (Re-issue)]
(धारा 52: प्रतिभूति प्रीमियम के 5 उपयोग | धारा 53: बट्टे पर निर्गमन निषिद्ध, केवल Sweat Equity अपवाद)
|
▼
[नोड 3: नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 / Ind AS-7)]
(परिचालन गतिविधियाँ Operating | निवेश गतिविधियाँ Investing | वित्तीयन गतिविधियाँ Financing)
|
▼
[नोड 4: वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis — 4 प्रमुख वर्ग)]
(तरलता अनुपात: चालू 2:1 व त्वरित 1:1 | शोधन क्षमता: ऋण-समता 2:1 | क्रियाशीलता | लाभदायकता)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: प्रमुख वित्तीय अनुपात (Accounting Ratios), सूत्र एवं आदर्श मानक

| अनुपात का वर्ग एवं नाम | मानक गणितीय सूत्र (Formula) | आदर्श मानक / बेंचमार्क | वित्तीय महत्व एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **चालू अनुपात (Current Ratio / Working Capital Ratio)** | **चालू संपत्तियाँ (Current Assets) ÷ चालू दायित्व (Current Liabilities)** | **2 : 1** | अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता एवं कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता मापता है |
| **त्वरित / अम्ल परख अनुपात (Quick / Acid Test / Liquid Ratio)** | **त्वरित संपत्तियाँ ÷ चालू दायित्व** (जहाँ त्वरित संपत्ति = चालू संपत्ति - स्टॉक - पूर्वदत्त व्यय) | **1 : 1** | तत्काल नकद भुगतान क्षमता की कठोर जाँच करता है (स्टॉक व पूर्वदत्त व्यय को हटा दिया जाता है) |
| **ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio)** | **दीर्घकालीन ऋण (Long-term Debt) ÷ अंशधारकों का कोष (Shareholders' Funds)** | **2 : 1** | दीर्घकालीन शोधन क्षमता (Solvency) एवं पूँजी संरचना में बाहरी ऋण का अनुपात दर्शाता है |
| **ब्याज आवरण अनुपात (Interest Coverage Ratio)** | **ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (EBIT) ÷ दीर्घकालीन ऋणों पर स्थायी ब्याज** | **6 से 7 गुना** (उच्च होना उत्तम) | ऋणदाताओं के ब्याज भुगतान की सुरक्षा सीमा दर्शाता है |
| **रहतिया आवर्त अनुपात (Inventory Turnover Ratio)** | **बिक्री की लागत (COGS) ÷ औसत स्टॉक (Average Inventory)** | उच्च आवर्त = तेज बिक्री | स्टॉक के बिक्री में बदलने की गति (क्रियाशीलता/दक्षता अनुपात) मापता है |
| **देनदार आवर्त अनुपात (Trade Receivables Turnover)** | **शुद्ध उधार बिक्री (Net Credit Sales) ÷ औसत व्यापारिक प्राप्य (Debtors + B/R)** | उच्च आवर्त = त्वरित वसूली | औसत संग्रह अवधि = **365 ÷ देनदार आवर्त अनुपात** |
| **निवेश पर प्रतिफल (ROI / Return on Capital Employed)** | **(ब्याज एवं कर पूर्व लाभ EBIT ÷ विनियोजित पूँजी Capital Employed) × 100** | उच्च प्रतिशत श्रेष्ठ | **विनियोजित पूँजी = अंशधारक कोष + दीर्घकालीन ऋण** या **कुल संपत्ति - चालू दायित्व** |
| **अंश हरण एवं पुनर्निर्गमन नियम (Forfeiture & Re-issue)** | हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर **अधिकतम छूट = पूर्व में प्राप्त हरण राशि** के बराबर हो सकती है | शेष लाभ -> **पूँजीगत संचय (Capital Reserve)** | यदि सभी हरण किए गए अंश पुनर्निर्गमित न हों, तो केवल पुनर्निर्गमित अंशों का आनुपातिक लाभ ही Capital Reserve में जाता है |

### 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53** के तहत कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन **बट्टे (Discount) पर नहीं कर सकती** (केवल **धारा 54 के अंतर्गत 'स्वेट इक्विटी अंश' / Sweat Equity Shares** या हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन को छोड़कर)।

• **धारा 52(2)** के अनुसार **प्रतिभूति प्रीमियम (Securities Premium)** की राशि का उपयोग केवल **5 विशिष्ट उद्देश्यों** के लिए किया जा सकता है: (1) पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने में, (2) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, (3) अंशों/ऋणपत्रों के निर्गमन व्यय/कमीशन/बट्टे को अपलिखित करने में, (4) पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने में, और (5) अपने स्वयं के अंशों की **वापसी खरीद (Buy-back of Shares — धारा 68)** में।

• **'संचित पूँजी' (Reserve Capital)** और **'पूँजीगत संचय' (Capital Reserve)** में बड़ा अंतर है: **संचित पूँजी** अनिर्गमित/अयाचित पूँजी का वह भाग है जिसे कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित कर केवल **कंपनी के समापन (Winding up)** के समय ही माँगने का निश्चय करती है, जबकि **पूँजीगत संचय** पूँजीगत लाभों से बनाया जाता है और चिट्ठे में 'Reserves and Surplus' शीर्षक में दिखता है।

### 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1: नकदी प्रवाह विवरण (AS-3)** में **लाभांश (Dividend) और ब्याज (Interest)** का वर्गीकरण:

• किसी **गैर-वित्तीय उद्यम** के लिए **प्राप्त ब्याज और प्राप्त लाभांश** = **'निवेश गतिविधि' (Investing Activity)** हैं, जबकि **भुगतान किया गया ब्याज और भुगतान किया गया लाभांश** = **'वित्तीयन गतिविधि' (Financing Activity)** हैं!

• किसी **वित्तीय उद्यम (बैंक/वित्त कंपनी)** के लिए ब्याज का प्राप्त होना और ब्याज का भुगतान करना दोनों **'परिचालन गतिविधि' (Operating Activity)** हैं, किंतु उनके द्वारा भी **भुगतान किया गया लाभांश (Dividend Paid) हमेशा 'वित्तीयन गतिविधि'** ही रहता है!

• **जाल 2:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **बकाया याचना (Calls-in-Arrears)** पर कंपनी की तालिका 'F' (Table F) के अनुसार अधिकतम **10% वार्षिक ब्याज** लिया जाता है, जबकि **अग्रिम याचना (Calls-in-Advance)** पर अधिकतम **12% वार्षिक ब्याज** दिया जाता है।

• **जाल 3:** यदि वर्तमान में चालू अनुपात **2 : 1** है और कंपनी अपने किसी लेनदार (Creditor) को नकद भुगतान करती है, तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों समान राशि से घटते हैं — इससे चालू अनुपात **बढ़ जाएगा (Improve होगा)**!

### 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **याचना ब्याज की ट्रिक (Table F): "बकाया (Arrears) पर दस (10%), अग्रिम (Advance) पर बारह (12%) बस!"** (A = Arrears पहले आता है तो 10%, Advance बाद में तो 12%)।

• **त्वरित संपत्ति (Quick Assets) सूत्र: "चालू संपत्ति में से दो को भगाओ — स्टॉक (Inventory) और पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses) को हटाओ!"**

### IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 6: अंकेक्षण (Auditing) के सिद्धांत, प्रमाणन, सत्यापन एवं आंतरिक नियंत्रण

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: पुस्तपालन, लेखांकन एवं अंकेक्षण का क्रमिक संबंध व जाँच प्रक्रिया

[नोड 1: पुस्तपालन समाप्त -> लेखांकन प्रारंभ | लेखांकन समाप्त -> अंकेक्षण (Auditing) प्रारंभ]
(लैटिन शब्द 'Audire' = सुनना | मुख्य उद्देश्य: वित्तीय विवरणों के 'सत्य एवं उचित चित्र' True & Fair View पर राय देना)
|
▼
[नोड 2: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Control = आंतरिक निरीक्षण + आंतरिक अंकेक्षण)]
(आंतरिक निरीक्षण/Internal Check: एक कर्मचारी के काम की दूसरे द्वारा स्वतः जाँच)
|
▼
[नोड 3: प्रमाणन (Vouching — "अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी / Backbone of Auditing")]
(प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज लेनदेनों की मूल वाउचरों/रसीदों से प्रामाणिकता व अधिकार की जाँच)
|
▼
[नोड 4: सत्यापन एवं मूल्यांकन (Verification & Valuation of Assets and Liabilities)]
(आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व, स्वामित्व, प्रभार-मुक्ति एवं सही मूल्यांकन की पुष्टि)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: प्रमाणन (Vouching) बनाम सत्यापन (Verification) एवं अंकेक्षण के प्रकार

| तुलनात्मक आधार | प्रमाणन (Vouching) | सत्यापन (Verification) | अंकेक्षण के प्रमुख प्रकार एवं विशेषताएँ (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **जाँच की विषय-वस्तु** | प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों व **लाभ-हानि खाते की आय-व्यय मदों** की जाँच | **आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet)** में प्रदर्शित संपत्तियों एवं दायित्वों की जाँच | **वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit):** कंपनियों, बैंकों व बीमा संस्थाओं हेतु कानूनन अनिवार्य |
| **जाँच का आधार एवं उपकरण** | दस्तावेजी साक्ष्य जैसे — बीजक (Invoice), रसीद, कैश मेमो, समझौते, कार्यवृत्त | दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ **भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection)** एवं तृतीय पक्ष पुष्टि | **सतत अंकेक्षण (Continuous Audit):** वर्ष भर नियमित अंतराल पर चलता है; बड़े व्यवसायों हेतु उपयुक्त |
| **समय एवं निष्पादन कर्ता** | यह वर्ष भर चलता रहता है और प्रायः **ऑडिट क्लर्क (जूनियर स्टाफ)** द्वारा किया जाता है | यह वित्तीय वर्ष के अंत में **स्वयं अंकेक्षक या वरिष्ठ सहायक** द्वारा किया जाता है | **सामयिक/वार्षिक अंकेक्षण (Periodical/ Annual Audit):** वित्तीय वर्ष समाप्त होने व अंतिम खाते बनने के बाद एक बार में |
| **मूल्यांकन (Valuation) का समावेश** | प्रमाणन में संपत्तियों का मूल्यांकन शामिल **नहीं** होता | सत्यापन एक व्यापक शब्द है जिसमें **मूल्यांकन (Valuation) स्वतः शामिल** होता है | **आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit):** कंपनी अधिनियम की **धारा 138** के तहत प्रबंधन के नियंत्रण हेतु |
| **प्रसिद्ध न्यायिक वाद (Case Law)** | आर्मीटेज बनाम ब्रूअर एंड नॉट (1932) — प्रमाणन में लापरवाही | **किंग्स्टन कॉटन मिल्स केस (1896)** — "अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता (*Watchdog*) है, शिकारी कुत्ता (*Bloodhound*) नहीं" | **लंदन एंड जनरल बैंक केस (1895):** अंकेक्षक का कर्तव्य सत्य की गारंटी देना नहीं, बल्कि उचित सावधानी व कौशल बरतना है |
| **लागत अंकेक्षण (Cost Audit)** | कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 148** के तहत विनिर्माण कंपनियों हेतु | **लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (CMA / Cost Accountant)** द्वारा किया जाता है | लागत अंकेक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा की जाती है |
| **सचिवीय अंकेक्षण (Secretarial Audit)** | कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 204** के तहत सूचीबद्ध व बड़ी कंपनियों हेतु | **कंपनी सचिव (Company Secretary in Practice)** द्वारा फॉर्म MR-3 में रिपोर्ट | कॉर्पोरेट कानूनों के अनुपालन की जाँच करता है |

## 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• प्रसिद्ध कथन **"प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है" (*Vouching is the essence / backbone of Auditing*) रोमिला एवं आर.बी. बोस (Ronald B. Bose / Dicksee)** से जुड़ा है, और बिना सुदृढ़ प्रमाणन के अंकेक्षण का संपूर्ण ढाँचा ढह जाता है।

• **अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य (Primary Objective)** वित्तीय विवरणों के **'सत्य एवं उचित चित्र' (True and Fair View)** प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र राय व्यक्त करना है, जबकि **अशुद्धियों और कपट (Errors and Frauds) का पता लगाना और रोकना इसका 'सहायक उद्देश्य' (Secondary Objective)** है।

• जब किसी लेनदेन को छिपाने के लिए एक ग्राहक से प्राप्त नकदी का गबन कर लिया जाता है और बाद में दूसरे ग्राहक से मिली राशि को पहले ग्राहक के खाते में जमा दिखा दिया जाता है, तो इस प्रकार के क्रमिक नकद गबन को **'टीमिंग एंड लैडिंग' (Teeming and Lading / Lapping)** कहा जाता है।

## 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1: 'विंडो ड्रेसिंग' (Window Dressing / दिखावटी श्रृंगार)** और **'गुप्त संचय' (Secret Reserve)** में अंतर: **विंडो ड्रेसिंग** में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को **वास्तविक स्थिति से अधिक अच्छा (Better than actual)** दिखाया जाता है (जैसे संपत्तियों का अधिक मूल्यांकन या खरीद को दबाना ताकि ऋण या निवेश मिल सके), जबकि **गुप्त संचय** में वित्तीय स्थिति को **वास्तविकता से कम (Worse than actual)** दिखाया जाता है ताकि कर या लाभांश बचाया जा सके।

• **जाल 2:** "क्या अंकेक्षक संपत्तियों का मूल्यांकनकर्ता (*Valuer*) होता है?" किंग्स्टन कॉटन मिल्स केस (1896) के अनुसार अंकेक्षक कोई तकनीकी मूल्यांकनकर्ता नहीं है; वह मूल्यांकन की **केवल सत्यता की जाँच (Test the accuracy of valuation)** करता है और प्रबंधकों के प्रमाण-पत्र पर उचित सावधानी के साथ विश्वास कर सकता है।

• **जाल 3: आंतरिक निरीक्षण (Internal Check)** कोई अलग ऑडिट विभाग नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के बीच काम के बँटवारे की वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का काम स्वतः दूसरे व्यक्ति द्वारा जाँचा जाता है।

## 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **अंकेक्षण धाराओं का सुपर कोड (कंपनी अधिनियम, 2013): "138 आंतरिक, 139 नियुक्ति, 140 हटाना, 141 योग्यता, 143 अधिकार-कर्तव्य, 148 लागत!"**

• **गबन शब्दावली सूत्र:**

• **Teeming & Lading** = राम का पैसा खाकर श्याम के पैसे से राम का खाता भरना (नकद गबन)

• **Window Dressing** = चिट्ठे को सजाकर असलियत से बेहतर दिखाना

• **Watchdog (रखवाली कुत्ता)** = किंग्स्टन कॉटन मिल्स केस (1896)

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 7: कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, योग्यता, अधिकार एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 139–148)

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कार्यकाल (धारा 139)

[नोड 1: गैर-सरकारी कंपनी का प्रथम अंकेक्षक — धारा 139(6)]
(पंजीकरण के 30 दिन में निदेशक मंडल द्वारा | असफल रहने पर सदस्यों द्वारा EGM में 90 दिन के भीतर)
|
▼
[नोड 2: सरकारी कंपनी का अंकेक्षक — धारा 139(7) एवं 139(5)]
(प्रथम अंकेक्षक: CAG द्वारा 60 दिन में -> बोर्ड 30 दिन -> सदस्य 60 दिन | अनुवर्ती अंकेक्षक: CAG द्वारा 180 दिन में)
|
▼
[नोड 3: अनुवर्ती अंकेक्षक का कार्यकाल एवं रोटेशन — धारा 139(1) एवं 139(2)]
(प्रथम AGM से छठी AGM तक 5 वर्ष हेतु | व्यक्तिगत अंकेक्षक: 1 कार्यकाल 5 वर्ष | फर्म: 2 कार्यकाल 10 वर्ष)
|
▼
[नोड 4: अंकेक्षण रिपोर्ट के 4 प्रकार (SA-700 एवं SA-705)]
(1. स्वच्छ/अमर्यादित रिपोर्ट | 2. मर्यादित/Qualified | 3. प्रतिकूल/Adverse | 4. राय का अस्वीकरण/Disclaimer)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: कंपनी अंकेक्षक संबंधी वैधानिक प्रावधान एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार

| प्रावधान / रिपोर्ट का प्रकार | संबंधित धारा / मानक (SA) | समय-सीमा / शर्तें | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक तथ्य (icai.org) |
|---|---|---|---|
| **अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता** | **धारा 141(1) एवं 141(3)** | केवल **प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)** या CA फर्म/LLP | कंपनी का अधिकारी/कर्मचारी, **₹5 लाख से अधिक का ऋणी**, या **₹1 लाख से अधिक के सममूल्य की प्रतिभूति रखने वाला रिश्तेदार** अयोग्य होता है |
| **अंकेक्षण की अधिकतम सीमा (Ceiling Limit)** | **धारा 141(3)(g)** | एक CA (या फर्म में प्रति साझेदार) एक समय में अधिकतम **20 कंपनियों** का ऑडिट कर सकता है | इस 20 की सीमा में एक व्यक्ति कंपनी (OPC), सुप्त कंपनी (Dormant), लघु कंपनी और ₹100 करोड़ से कम प्रदत्त पूँजी वाली निजी कंपनियाँ शामिल नहीं हैं |
| **आकस्मिक रिक्ति (Casual Vacancy) भरना** | **धारा 139(8)** | मृत्यु आदि से रिक्ति पर निदेशक मंडल द्वारा **30 दिन में**; यदि **त्यागपत्र (Resignation)** से हुई हो तो **3 माह में AGM की मंजूरी** भी अनिवार्य | सरकारी कंपनी में आकस्मिक रिक्ति **CAG द्वारा 30 दिन में** (विफल रहने पर बोर्ड द्वारा अगले 30 दिन में) भरी जाती है |
| **अंकेक्षक को कार्यकाल पूर्व हटाना** | **धारा 140(1)** | निदेशक मंडल का प्रस्ताव + **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति** (30 दिन में फॉर्म ADT-2) + **विशेष प्रस्ताव (Special Resolution)** | हटाने से पूर्व अंकेक्षक को सुनवाई का उचित अवसर (Natural Justice) देना अनिवार्य है |
| **स्वच्छ / अमर्यादित रिपोर्ट (Unmodified / Clean Report)** | **SA-700** | जब वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में **'सत्य एवं उचित' (True & Fair)** हों | इसमें कोई किंतु-परंतु या आरक्षण नहीं होता |
| **मर्यादित रिपोर्ट (Qualified Report)** | **SA-705** | जब असहमति या साक्ष्य की कमी का प्रभाव **महत्वपूर्ण (Material) हो, किंतु व्यापक (Pervasive) न हो** | अंकेक्षक **"सिवाय इसके कि..." (Except for)** वाक्यांश के साथ अपनी राय देता है |
| **प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट (Adverse Opinion)** | **SA-705** | जब वित्तीय विवरणों में त्रुटियों का प्रभाव **महत्वपूर्ण भी हो और व्यापक (Material and Pervasive) भी हो** | अंकेक्षक स्पष्ट लिखता है कि खाते सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत **नहीं** करते |
| **राय का अस्वीकरण (Disclaimer of Opinion)** | **SA-705** | जब अंकेक्षक को पर्याप्त साक्ष्य ही न मिल पाएँ और संभावित प्रभाव **महत्वपूर्ण एवं व्यापक** हो | अंकेक्षक लिखता है कि साक्ष्य के अभाव में वह **कोई भी राय देने में असमर्थ** है |

## 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• यदि कोई अंकेक्षक त्यागपत्र देता है (**धारा 140(2)**), तो उसे त्यागपत्र देने के **30 दिनों के भीतर** कंपनी, रजिस्ट्रार (ROC) और सरकारी कंपनी के मामले में CAG के पास **फॉर्म ADT-3** में कारणों सहित विवरण दाखिल करना अनिवार्य है।

• अंकेक्षक के रोटेशन (**धारा 139(2)**) में 5 वर्ष (व्यक्तिगत) या 10 वर्ष (फर्म) का कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी कंपनी में पुनः नियुक्त होने के लिए **5 वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि (Cooling-off Period)** अनिवार्य होती है।

• **कंपनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (CARO 2020)** धारा 143(11) के तहत जारी किया गया है, जिसमें अंकेक्षक को अपनी मुख्य रिपोर्ट के साथ **21 विशिष्ट बिंदुओं (Clauses)** पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होती है (जैसे स्थायी संपत्ति रजिस्टर, इन्वेंट्री भौतिक सत्यापन, अघोषित आय, Nidhi कंपनी, वैधानिक बकाया आदि)।

## 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1: प्रथम अंकेक्षक (First Auditor)** की नियुक्ति के दिनों का अंतर जो हर परीक्षा में पूछा जाता है:

• **गैर-सरकारी कंपनी [धारा 139(6)]:** बोर्ड द्वारा **30 दिन** में -> विफल रहने पर सदस्यों द्वारा **90 दिन** में (**30 – 90 सूत्र**)।

• **सरकारी कंपनी [धारा 139(7)]:** CAG द्वारा **60 दिन** में -> विफल रहने पर बोर्ड द्वारा अगले **30 दिन** में -> विफल रहने पर सदस्यों द्वारा अगले **60 दिन** में (**60 – 30 – 60 सूत्र**)।

• **जाल 2:** यदि किसी वार्षिक साधारण सभा (AGM) में कोई अंकेक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है, तो क्या पद खाली हो जाता है? **नहीं! धारा 139(10)** के अनुसार **विद्यमान अंकेक्षक (Existing Auditor) ही स्वतः उस कंपनी का अंकेक्षक बना रहता है!**

• **जाल 3:** अंकेक्षक का पारिश्रमिक (**धारा 142**) कौन तय करता है? **नियम: जो नियुक्त करता है वही पारिश्रमिक तय करता है** — प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक निदेशक मंडल तय करता है, और अनुवर्ती अंकेक्षक (यहां तक कि सरकारी कंपनी में CAG द्वारा नियुक्त अंकेक्षक का भी!) का पारिश्रमिक **साधारण सभा (AGM) में अंशधारकों** द्वारा तय किया जाता है।

## 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **अंकेक्षक के 4 ADT फॉर्म याद रखने का जादुई कोड:**

• **ADT-1:** अंकेक्षक की **नियुक्ति** की सूचना (15 दिन में ROC को)

• **ADT-2:** अंकेक्षक को समय से पूर्व **हटाने** हेतु केंद्र सरकार को आवेदन

• **ADT-3:** अंकेक्षक द्वारा **त्यागपत्र** की सूचना (30 दिन में)

• **ADT-4:** अंकेक्षक द्वारा केंद्र सरकार को **कपट (Fraud ≥ ₹1 करोड़)** की रिपोर्टिंग [धारा 143(12)]

• **4 ऑडिट रिपोर्ट का मैट्रिक्स:**

• सब ठीक = **Clean (स्वच्छ)**

• केवल Material (व्यापक नहीं) = **Qualified (मर्यादित)**

• Material + Pervasive (साक्ष्य मिले कि गलत है) = **Adverse (प्रतिकूल)**

• Material + Pervasive (साक्ष्य ही नहीं मिले) = **Disclaimer (अस्वीकरण)**

## IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 8: औद्योगिक संबंध के सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कल्याण एवं ILO

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: औद्योगिक संबंध के सैद्धांतिक दृष्टिकोण एवं विवाद समाधान तंत्र

[नोड 1: औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण]
(डनलप का प्रणाली दृष्टिकोण | फ्लैंडर्स का ऑक्सफोर्ड मॉडल | महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत | मार्क्सवादी व बहुलवादी)
|
▼
[नोड 2: भारतीय श्रम आंदोलन का ऐतिहासिक विकास एवं ट्रेड यूनियन]
(1875 सोराबजी शापूरजी -> 1890 एन.एम. लोखंडे बॉम्बे मिलहैंड्स -> 1918 मद्रास लेबर यूनियन बी.पी. वाडिया -> 1920 AITUC)
|
▼
[नोड 3: सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) एवं प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी]
(बीट्राइस वेब द्वारा शब्द प्रतिपादित | अनुच्छेद 43-A: प्रबंध में भागीदारी | कार्य समिति, संयुक्त प्रबंधन परिषद)
|
▼
[नोड 4: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO — स्थापना 1919, जिनेवा) एवं भारत के अनुसमर्थित कन्वेंशन]
(त्रिपक्षीय संरचना: सरकार + नियोक्ता + श्रमिक | भारत ने 10 में से 8 मौलिक/Core कन्वेंशनों का अनुसमर्थन किया)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण के प्रमुख सिद्धांत और विचारक

| सिद्धांत / दृष्टिकोण | प्रतिपादक / मुख्य विचारक | मूल वैचारिक अवधारणा एवं सूत्र | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु (labour.gov.in) |
|---|---|---|---|
| **प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach — 1958)** | **जॉन टी. डनलप (John T. Dunlop)** — पुस्तक '*Industrial Relations Systems*' | सूत्र: **R = f (A, T, M, P, I)** — औद्योगिक संबंध **नियमों (Rules)** का एक जाल है | 3 कर्ता (Actors): प्रबंधक, श्रमिक और सरकारी एजेंसियाँ; एक साझा विचारधारा व्यवस्था को बाँधे रखती है |
| **ऑक्सफोर्ड दृष्टिकोण (Oxford Model)** | **एलन फ्लैंडर्स (Allan Flanders)** एवं क्लेग | सूत्र: **r = f (b)** या **r = f (c)** — सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) एक राजनीतिक संस्था है | इसमें बाहरी पर्यावरण के बजाय आंतरिक नियम-निर्माण प्रक्रिया (Internal Job Regulation) पर बल दिया गया |
| **ट्रस्टीशिप (न्यासधारिता) सिद्धांत** | **महात्मा गांधी** (1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन) | पूँजीपति समाज की संपत्ति के केवल **'ट्रस्टी' (न्यासधारी)** हैं, मालिक नहीं | अहिंसा, सत्य, पंचनिर्णय (Voluntary Arbitration) और वैध हड़ताल के कड़े नैतिक नियम |
| **एकात्मक बनाम बहुलवादी दृष्टिकोण (Unitary vs Pluralistic)** | **एकात्मक:** एलन फॉक्स; **बहुलवादी:** कर (Kerr), फ्लैंडर्स | **एकात्मक:** संगठन एक परिवार है, संघर्ष असामान्य है; **बहुलवादी:** संगठन प्रतिस्पर्धी हित समूहों का गठबंधन है, संघर्ष स्वाभाविक है | एकात्मक दृष्टिकोण ट्रेड यूनियनों को बाहरी हस्तक्षेप मानता है, जबकि बहुलवादी उन्हें वैध मानता है |
| **मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations)** | **एल्टन मेयो (Elton Mayo)** — हॉथोर्न प्रयोग (1924–1932) | श्रमिक केवल आर्थिक मानव नहीं बल्कि **सामाजिक मानव** है; अनौपचारिक समूह व मनोबल उत्पादकता बढ़ाते हैं | कीथ डेविस और मैकग्रेगर (Theory X & Y) ने इसे आगे बढ़ाया |
| **गिरि दृष्टिकोण (Giri Approach)** | **वी.वी. गिरि** (पूर्व राष्ट्रपति एवं श्रम मंत्री) | अनिवार्य अधिनिर्णय (Compulsory Adjudication) के स्थान पर **द्विपक्षीय सामूहिक सौदेबाजी और स्वैच्छिक पंचनिर्णय** को सर्वोच्च प्राथमिकता | उन्होंने कहा कि अनिवार्य न्यायालयीय हस्तक्षेप सामूहिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा शत्रु है |
| **श्रम कल्याण के 7 सिद्धांत (Theories of Labour Welfare)** | पुलिस सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, परोपकारी (रॉबर्ट ओवेन), ट्रस्टीशिप, प्लेकेटिंग (तुष्टीकरण), जनसंपर्क एवं **कार्यात्मक (Functional) सिद्धांत** | **प्लेकेटिंग सिद्धांत:** संगठित श्रमिकों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने हेतु कल्याण करना; **कार्यात्मक सिद्धांत:** दक्षता बढ़ाने हेतु कल्याण | **रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen)** को सहकारिता और कार्मिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है |

### 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• भारत में **संगठित श्रम आंदोलन का जनक 'नारायण मेघाजी लोखंडे' (N.M. Lokhande)** को माना जाता है, जिन्होंने **1890 में 'बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन'** की स्थापना की और भारत का पहला श्रमिक समाचार-पत्र **'दीनबंधु'** प्रकाशित किया।

• भारत की **प्रथम आधुनिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन 'मद्रास लेबर यूनियन' (अप्रैल 1918)** थी, जिसकी स्थापना **बी.पी. वाडिया** ने की थी। वर्ष **1920 में 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (AITUC)** की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष **लाला लाजपत राय** और महासचिव दीवान चमन लाल थे।

• **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** की स्थापना **वर्साय की संधि (1919)** के तहत हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है (वर्ष **1969 में ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार** मिला)। ILO के **8 मूलभूत कन्वेंशनों में से भारत ने 6 का अनुसमर्थन (Ratification) कर रखा है** (कन्वेंशन 29, 100, 105, 111, 138 व 182 अनुसमर्थित हैं; केवल **कन्वेंशन 87 — संघ बनाने की स्वतंत्रता** और **कन्वेंशन 98 — सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार** सरकारी कर्मचारियों के नियमों के कारण अनुसमर्थित नहीं हैं)।

### 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची** में श्रम (Labour) किस सूची का विषय है? **'श्रम कल्याण, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, ट्रेड यूनियन और सामाजिक सुरक्षा'** संविधान की **समवर्ती सूची (Concurrent List — प्रविष्टि 22, 23, 24)** में आते हैं, जबकि **'खानों (Mines) और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा' संघ सूची (Union List — प्रविष्टि 55)** का विषय है!

• **जाल 2: 'सामूहिक सौदेबाजी' (Collective Bargaining)** शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? वर्ष **1891 में ब्रिटिश समाजशास्त्री 'बीट्राइस वेब' (Beatrice Webb)** ने अपनी पुस्तक '*The Cooperative Movement in Great Britain*' में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था।

• **जाल 3: बंद दुकान (Closed Shop)** बनाम **यूनियन दुकान (Union Shop)**: **क्लोज्ड शॉप** में व्यक्ति को नौकरी मिलने से **पहले** यूनियन का सदस्य होना अनिवार्य है (Pre-entry), जबकि **यूनियन शॉप** में गैर-सदस्य को नौकरी मिल सकती है किंतु नियुक्ति के एक निश्चित समय के **भीतर** उसे यूनियन की सदस्यता लेनी पड़ती है (Post-entry)।

### 5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **भारत द्वारा अनुसमर्थित ILO के 6 मौलिक कन्वेंशनों का कोड: "29 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182"**

• **29 एवं 105:** बलात् श्रम (Forced Labour) का उन्मूलन

• **100 एवं 111:** समान पारिश्रमिक (Equal Remuneration) एवं भेदभाव का अंत

• **138 एवं 182:** न्यूनतम आयु (Minimum Age) एवं निकृष्टतम बाल श्रम (Worst Forms of Child Labour) का उन्मूलन

• (याद रखें: **87 और 98** भारत ने साइन नहीं किए हैं!)

### IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 9: वेतन संहिता 2019 (Code on Wages) एवं औद्योगिक संबंध संहिता 2020

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) एवं राजपत्र अधिसूचनाएँ

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का 4 श्रम संहिताओं में ऐतिहासिक एकीकरण

[नोड 1: द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (रवींद्र वर्मा समिति — 2002) की सिफारिश]
(29 जटिल केंद्रीय श्रम अधिनियमों को सरल, पारदर्शी व एकीकृत कर 4 श्रम संहिताओं में समेकित करना)
|
▼
[नोड 2: वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019 — 4 कानूनों का विलय)]
(न्यूनतम मजदूरी 1948 + मजदूरी भुगतान 1936 + बोनस भुगतान 1965 + समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976)
|
▼
[नोड 3: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (IR Code, 2020 — 3 कानूनों का विलय)]
(ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 + औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश 1946 + औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947)
|
▼
[नोड 4: प्रमुख संरचनात्मक सुधार — फ्लोर वेज, 300 श्रमिक सीमा एवं वार्ताकारी यूनियन]
(राष्ट्रीय फ्लोर वेज | छँटनी/बंदी व स्थायी आदेश की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक | 51% पर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: वेतन संहिता 2019 एवं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के प्रमुख प्रावधान

| संहिता एवं मुख्य विषय | समाहित किए गए पुराने अधिनियम | नवीन संहिता का सटीक वैधानिक प्रावधान | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण संख्यात्मक तथ्य (labour.gov.in) |
|---|---|---|---|
| **वेतन संहिता, 2019 (कुल 9 अध्याय, 69 धाराएँ)** | 1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; 2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; 3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; 4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 | वेतन सीमा समाप्त कर **संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों** पर मजदूरी भुगतान व न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान लागू | वेतन की एकसमान परिभाषा (मूल वेतन + DA + प्रतिधारण भत्ता); भत्ते कुल पारिश्रमिक के **50% से अधिक होने पर अतिरिक्त भाग वेतन में जुड़ेगा** |
| **राष्ट्रीय फ्लोर वेज (Floor Wage — धारा 9)** | नवीन प्रावधान (वेतन संहिता, 2019) | केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर **'फ्लोर वेज'** तय करेगी | कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य की न्यूनतम मजदूरी इस फ्लोर वेज से कम निर्धारित नहीं कर सकती; **प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरीक्षण** |
| **बोनस संबंधी प्रावधान (अध्याय IV, धारा 26–41)** | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 | **20 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठानों पर लागू (अंतिम वर्ष में कम से कम **30 कार्यदिवस** काम किया हो) | **न्यूनतम बोनस = वेतन का 8.33%** (या ₹100, जो अधिक हो) और **अधिकतम बोनस = 20%** |
| **मजदूरी से कटौती एवं ओवरटाइम** | मजदूरी भुगतान प्रावधान | एक वेतन अवधि में कुल कटौतियाँ वेतन के **50% (सहकारी समितियों के मामले में 75%) से अधिक नहीं** हो सकतीं | सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने पर ओवरटाइम दर = **सामान्य मजदूरी दर की कम से कम दोगुनी (2x)** |
| **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (14 अध्याय, 104 धाराएँ)** | 1. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; 2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; 3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 | **'श्रमिक' (Worker)** की परिभाषा में ₹18,000 प्रतिमाह तक कमाने वाले पर्यवेक्षी (Supervisory) कर्मचारी भी शामिल | **Fixed Term Employment (निश्चित अवधि रोजगार)** को वैधानिक मान्यता — स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन व आनुपातिक ग्रेच्युटी |
| **ट्रेड यूनियन पंजीकरण एवं वार्ताकारी परिषद (धारा 6 व 14)** | ट्रेड यूनियन प्रावधान | न्यूनतम 7 **या अधिक सदस्य** (या कुल श्रमिकों का **10% अथवा 100**, जो कम हो) पंजीकरण करा सकते हैं | **51% या अधिक** सदस्यता वाली यूनियन को **'एकल वार्ताकारी यूनियन' (Sole Negotiating Union)** का दर्जा; न होने पर **20%**+ वाली यूनियनों की **वार्ताकारी परिषद** |
| **स्थायी आदेश (Standing Orders) एवं छँटनी/तालाबंदी अनुमति सीमा** | अध्याय IV (धारा 28) एवं अध्याय X (धारा 77) | पूर्व के **100 श्रमिकों की सीमा को बढ़ाकर '300 या अधिक श्रमिक'** कर दिया गया है | 300+ श्रमिकों वाली फैक्ट्री/खदान/बागान को कामबंदी (Lay-off), छँटनी (Retrenchment) या बंदी (Closure) से पूर्व सरकार की अनुमति अनिवार्य |

| संहिता एवं मुख्य विषय | समाहित किए गए पुराने अधिनियम | नवीन संहिता का सटीक वैधानिक प्रावधान | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण संख्यात्मक तथ्य (labour.gov.in) |
|---|---|---|---|
| **हड़ताल व तालाबंदी की पूर्व सूचना एवं री-स्किलिंग फंड** | धारा 62 एवं धारा 83 | अब केवल जनोपयोगी सेवाओं में ही नहीं, बल्कि **सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल से 14 दिन पूर्व (60 दिन की वैधता सहित) नोटिस अनिवार्य** | छँटनी किए गए श्रमिक के पुनः कौशल विकास हेतु नियोक्ता को **15 दिनों के अंतिम वेतन के बराबर राशि 'Re-skilling Fund'** में देनी होगी (45 दिन में भुगतान) |

## *3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• पुराने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में किसी भी उद्योग को कानूनी रूप से यूनियन को मान्यता (Recognition) देने की केंद्रीय बाध्यता नहीं थी; **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 14** ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर **'वार्ताकारी यूनियन' (Negotiating Union — 51% नियम)** और **'वार्ताकारी परिषद' (Negotiating Council — प्रत्येक 20% सदस्यता पर 1 प्रतिनिधि)** का वैधानिक प्रावधान किया है।

• वेतन संहिता, 2019 के तहत पुराने **'निरीक्षक' (Inspector)** पद का नाम बदलकर **'निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता' (Inspector-cum-Facilitator)** कर दिया गया है, जो नियोक्ताओं को दंडित करने के साथ-साथ अनुपालन में मार्गदर्शन भी करेगा और वेब-आधारित रैंडम निरीक्षण प्रणाली का उपयोग करेगा।

• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत **शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee)** का गठन **20 या अधिक श्रमिकों** वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम **10 सदस्य** हो सकते हैं (प्रबंधन और श्रमिकों के बराबर प्रतिनिधि तथा महिला श्रमिकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व)।

## *4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स*

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** यूपीएससी ईपीएफओ और एपीएफसी परीक्षा का सबसे बड़ा जाल: "औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने किन दो महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रमिकों की न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी है?"

1. **स्थायी आदेश (Standing Orders — अध्याय IV, धारा 28):** अब 100 के बजाय **300 या अधिक श्रमिकों** वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।
2. **सरकार की पूर्व अनुमति से कामबंदी, छँटनी और बंदी (Lay-off, Retrenchment & Closure — अध्याय X, धारा 77):** अब 100 के बजाय **300 या अधिक श्रमिकों** वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।

• **जाल 2: 'सामूहिक आकस्मिक अवकाश' (Mass Casual Leave)** पर क्या नियम है? औद्योगिक संबंध संहिता के तहत यदि किसी एक दिन प्रतिष्ठान के **50% से अधिक श्रमिक एक साथ आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)** पर चले जाते हैं, तो इसे कानूनी रूप से **'हड़ताल' (Strike)** माना जाएगा!

• **जाल 3:** वेतन संहिता, 2019 के तहत वेतन भुगतान की समय-सीमा: दैनिक मजदूर को शिफ्ट के अंत में, साप्ताहिक को सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर, पाक्षिक को पखवाड़े की समाप्ति के **2 दिन के भीतर**, और **मासिक वेतनभोगी को अगले माह की 7 तारीख से पहले** (चाहे प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम हो या अधिक — पुराना 7 और 10 तारीख का भेद समाप्त कर दिया गया है!) तथा नौकरी से हटाए जाने/इस्तीफा देने पर **2 कार्यदिवसों के भीतर** पूर्ण भुगतान अनिवार्य है!

## *5. IUC स्मृति ट्रिक*

**★ IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **चारों श्रम संहिताओं में विलय हुए 29 कानूनों का मास्टर समीकरण: "4 + 3 + 9 + 13 = 29 कानून!"**

1. **वेतन संहिता, 2019** = **04** कानून
2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** = **03** कानून
3. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** = **09** कानून
4. **OSHWC संहिता, 2020** = **13** कानून

• **IR संहिता के संख्यात्मक रत्न: "20 पर शिकायत समिति, 100 पर कार्य समिति (Works Committee), 300 पर स्थायी आदेश व छँटनी अनुमति, 51% पर सोल यूनियन!"**

## *IUC प्रमुख अध्ययन इकाई 10: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (EPFO/ESIC) एवं व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (OSHWC) 2020*

**प्रामाणिक संदर्भ स्रोत:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfindia.gov.in), labour.gov.in एवं www.iucacademy.com

## प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं OSHWC संहिता 2020 का समग्र ढाँचा

[नोड 1: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security — 9 कानूनों का विलय)]
(EPF अधिनियम 1952 + ESI 1948 + मातृत्व लाभ 1961 + ग्रेच्युटी भुगतान 1972 + कर्मचारी मुआवजा 1923 + अन्य 4)
|
▼
[नोड 2: EPFO एवं ESIC की प्रमुख योजनाएँ व अंशदान संरचना (epfindia.gov.in)]
(EPF: 20+ कर्मचारी, 10%/12% अंशदान | EPS-95: 8.33% | EDLI: 0.5% | ESIC: 10+ कर्मचारी, 3.25% नियोक्ता + 0.75% कर्मचारी)
|
▼
[नोड 3: गिग वर्कर्स (Gig Workers), प्लेटफॉर्म वर्कर्स एवं असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष]
(पहली बार कानूनी परिभाषा | एग्रीगेटर्स द्वारा वार्षिक टर्नओवर का 1%–2% योगदान | Fixed Term कर्मियों को 1 वर्ष पर ग्रेच्युटी)
|
▼
[नोड 4: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (OSHWC — 13 कानूनों का विलय)]
(कारखाना सीमा: बिजली सहित 20 व बिना बिजली 40 श्रमिक | ठेका श्रम सीमा: 50 श्रमिक | प्रवासी श्रमिक: ₹18,000 तक)

## 2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एवं OSHWC संहिता 2020 के मुख्य स्तंभ

| योजना / वैधानिक प्रावधान | प्रयोज्यता सीमा (Applicability Threshold) | अंशदान दर / पात्रता शर्तें | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक तथ्य (epfindia.gov.in) |
|---|---|---|---|
| **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF — अध्याय III)** | **20 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू | नियोक्ता: **10% (अधिसूचित प्रतिष्ठानों में 12%)** + कर्मचारी: समतुल्य **10% या 12%** | नियोक्ता के 12% अंशदान में से **8.33% पेंशन कोष (EPS)** में और **3.67% EPF** में जाता है (+ **0.5% EDLI बीमा** में) |
| **कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC — अध्याय IV)** | **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठान (खतरनाक/जीवन-जोखिम वाले व्यवसायों में **1 भी कर्मचारी** होने पर लागू किया जा सकता है!) | नियोक्ता अंशदान = वेतन का **3.25%**; कर्मचारी अंशदान = वेतन का **0.75%** (कुल 4%) | बागानों (Plantations) को स्वैच्छिक आधार पर ESIC में शामिल होने का विकल्प दिया गया है |
| **उपदान / ग्रेच्युटी (Gratuity — अध्याय V)** | **10 या अधिक कर्मचारियों** वाली फैक्ट्री, खदान, दुकान व प्रतिष्ठान | स्थायी कर्मचारी हेतु **5 वर्ष** की निरंतर सेवा; **Fixed Term कर्मचारी हेतु मात्र 1 वर्ष** एवं **श्रमजीवी पत्रकार हेतु 3 वर्ष**! | गणना सूत्र: **(अंतिम आहरित वेतन × 15 ÷ 26) × सेवा के पूर्ण वर्ष**; कर-मुक्त अधिकतम सीमा **₹20 लाख** |
| **मातृत्व लाभ (Maternity Benefit — अध्याय VI)** | **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठान (पिछले 12 माह में कम से कम **80 दिन** कार्य किया हो) | प्रथम दो जीवित बच्चों तक **26 सप्ताह** का सवेतन मातृत्व अवकाश (तीसरे बच्चे या गोद लेने/सरोगेसी माँ हेतु **12 सप्ताह**) | **50 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में **शिशुगृह (Creche)** की सुविधा अनिवार्य (दिन में 4 बार जाने की अनुमति) |
| **गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स (अध्याय IX)** | भारत में पहली बार **'Gig Worker'** व **'Platform Worker'** को वैधानिक रूप से परिभाषित किया गया | एग्रीगेटर्स (जैसे कैब/फूड डिलीवरी कंपनियाँ) अपने **वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2%** सामाजिक सुरक्षा कोष में देंगी | यह राशि एग्रीगेटर द्वारा गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय कुल राशि के **5% से अधिक नहीं** होगी |
| **OSHWC संहिता, 2020 में 'कारखाना' (Factory) की नई परिभाषा** | **13 पुराने कानूनों** (कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ठेका श्रम 1970 आदि) का विलय | बिजली की सहायता से विनिर्माण होने पर **20 या अधिक श्रमिक** (पहले 10 था); बिना बिजली के **40 या अधिक श्रमिक** (पहले 20 था) | प्रत्येक कर्मचारी को **नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)** देना और वार्षिक **निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच** कराना अनिवार्य |
| **ठेका श्रम (Contract Labour) एवं अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक** | OSHWC संहिता (अध्याय XI) | ठेका श्रम प्रावधान अब 20 के बजाय **50 या अधिक ठेका श्रमिकों** पर लागू; प्रवासी श्रमिक प्रावधान **10 या अधिक श्रमिकों** पर लागू | प्रवासी श्रमिक को वर्ष में एक बार गृहनगर आने-जाने हेतु नियोक्ता द्वारा **यात्रा भत्ता (Lumpsum Fare)** व राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी |

| योजना / वैधानिक प्रावधान | प्रयोज्यता सीमा (Applicability Threshold) | अंशदान दर / पात्रता शर्तें | परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक तथ्य (epfindia.gov.in) |
|---|---|---|---|
| **कार्य के घंटे, सवेतन छुट्टी एवं महिला रात्रिकालीन कार्य** | OSHWC संहिता (धारा 25, 32 एवं 43) | अधिकतम कार्य घंटे: **8 घंटे प्रतिदिन एवं 48 घंटे प्रति सप्ताह**; सवेतन वार्षिक अवकाश हेतु **240 दिन से घटाकर 180 दिन** कार्य की शर्त | महिलाओं को उनकी **सहमति से रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच)** में पर्याप्त सुरक्षा व परिवहन के साथ काम करने की अनुमति |

## 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

• **कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952** के तहत स्थापित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं, और **EPFO (epfindia.gov.in)** विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है जो तीन प्रमुख योजनाएँ संचालित करता है: **EPF योजना 1952, EPS (पेंशन) योजना 1995, और EDLI (जमा लिंक्ड बीमा) योजना 1976**।

• **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** ने निम्नलिखित **9 केंद्रीय अधिनियमों** को अपने में समाहित किया है: (1) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923; (2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; (3) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; (4) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; (5) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; (6) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972; (7) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; (8) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996; और (9) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

• **OSHWC संहिता, 2020** में खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखानों में **250 या अधिक श्रमिक**, निर्माण कार्य में **250+ श्रमिक**, और खदानों में **100+ श्रमिक** होने पर एक द्वि-पक्षीय **'सुरक्षा समिति' (Safety Committee)** का गठन अनिवार्य किया गया है।

## 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

• **जाल 1:** "नियत अवधि के कर्मचारियों (*Fixed Term Employees*) और श्रमजीवी पत्रकारों (*Working Journalists*) को ग्रेच्युटी (*Gratuity*) पाने के लिए कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है?" सामान्य स्थायी कर्मचारियों के लिए **5 वर्ष** (मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती), परंतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत **Fixed Term कर्मचारियों को मात्र 1 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी** मिलती है और **श्रमजीवी पत्रकारों के लिए यह सीमा 3 वर्ष** है!

• **जाल 2: OSHWC संहिता, 2020** में पुरानी संख्यात्मक सीमाओं में किए गए **4 सबसे बड़े बदलाव** जो सीधे प्रश्न में पूछे जाते हैं:

1. **कारखाना (Factory):** बिजली के साथ **10 से बढ़ाकर 20 श्रमिक**; बिना बिजली के **20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक**।
2. **ठेका श्रम (Contract Labour): 20 से बढ़ाकर 50 श्रमिक**।
3. **वार्षिक सवेतन छुट्टी (Annual Leave with Wages) की पात्रता:** एक कैलेंडर वर्ष में **240 दिन से घटाकर 180 दिन** काम करना (प्रत्येक 20 दिन के काम पर 1 दिन की छुट्टी)।
4. **कैंटीन (Canteen) की अनिवार्यता:** 250 से घटाकर **100 या अधिक श्रमिक** (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)।

• **जाल 3:** मातृत्व लाभ के अंतर्गत **शिशुगृह (Creche)** की सीमा **50 या अधिक कर्मचारी** है (केवल महिला कर्मचारी नहीं, कुल 50 कर्मचारी!), और **12 सप्ताह** का मातृत्व अवकाश उस महिला को मिलता है जिसके पहले से **2 या अधिक जीवित बच्चे** हैं अथवा जो **3 माह से कम आयु के बच्चे को गोद (Adopt)** लेती है या **कमीशनिंग/सरोगेसी माता** है।

## 5. IUC स्मृति ट्रिक

**★ IUC स्मृति ट्रिक (IUC Magic Memory Trick)**

• **OSHWC संहिता 2020 की नई सीमाओं का डबल-धमाका सूत्र: "फैक्ट्री डबल हो गई (10->20 और 20->40), ठेका श्रम पचास (50) हो गया, छुट्टी के दिन 240 से घटकर 180 हो गए!"**

• **ग्रेच्युटी पात्रता वर्ष कोड (5 – 3 – 1): "स्थायी कर्मचारी को 5 साल, पत्रकार को 3 साल, फिक्स्ड टर्म को 1 साल और मृत्यु-दिव्यांगता पर 0 साल (तत्काल)!"**

• **मातृत्व लाभ सप्ताह कोड: "दो बच्चों तक 26 सप्ताह, तीसरे बच्चे व गोद लेने पर 12 सप्ताह, 50 कर्मचारियों पर क्रेच (शिशुगृह) की राह!"**

## अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

1. आधुनिक **दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System)** का प्रतिपादन वर्ष **1494** में इटली के वेनिस नगर के **फ्रा लुकास पैसिओली** ने अपनी पुस्तक '*Summa de Arithmetica*' में किया था।

2. **पुस्तपालन (Book-keeping)** का मुख्य कार्य वित्तीय लेनदेनों को प्रारंभिक पुस्तकों व खाता-बही में नियमित रूप से दर्ज करना है, और जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से **लेखांकन (Accounting)** प्रारंभ होता है।

3. **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (icai.org)** की स्थापना संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत **1 जुलाई 1949** को हुई और इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।

4. **मुद्रा मापन अवधारणा (Money Measurement Concept)** के कारण कर्मचारी की ईमानदारी, प्रबंधक की योग्यता या श्रमिकों की हड़ताल को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता।

5. **ऐतिहासिक लागत अवधारणा (Historical Cost Concept)** के अनुसार किसी स्थायी संपत्ति को लेखा पुस्तकों में उसके बाजार मूल्य पर नहीं, बल्कि उसके **अधिग्रहण लागत (Acquisition Cost)** पर दर्ज किया जाता है।

6. **आगम मान्यता अवधारणा (Revenue Recognition / Realisation Concept — AS-9)** के अनुसार आय को तब अर्जित माना जाता है जब माल का **स्वामित्व (Title/Ownership)** क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है।

7. **मिलान की अवधारणा (Matching Concept)** के अनुसार किसी लेखांकन अवधि का सही लाभ ज्ञात करने के लिए उस अवधि के **आगम (Revenues) से उसी अवधि के संबंधित व्ययों (Expenses) का मिलान** किया जाना चाहिए।

8. **पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा (Convention of Full Disclosure)** के कारण ही **'आकस्मिक दायित्वों' (Contingent Liabilities — जैसे न्यायालय में लंबित मुकदमे या भुनाए गए बिल)** को आर्थिक चिट्ठे के नीचे **टिप्पणी (Footnote)** के रूप में दिखाया जाता है।

9. **सारता की परंपरा (Convention of Materiality)** के अनुसार नगण्य महत्व की छोटी वस्तुओं (जैसे कैलकुलेटर, डस्टबिन, स्टेपलर) को स्थायी संपत्ति न मानकर सीधे लेखन सामग्री व्यय के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है।

10. **एकरूपता की परंपरा (Convention of Consistency)** कहती है कि एक बार अपनाई गई लेखांकन नीति (जैसे मूल्यह्रास की विधि) को प्रतिवर्ष समान रखना चाहिए ताकि विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों की तुलना की जा सके।

11. **पूँजी खाता (Capital A/c)** और **आहरण खाता (Drawings A/c)** दोनों व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)** हैं।

12. **बैंक खाता (Bank A/c)** और **बैंक अधिविकर्ष खाता (Bank Overdraft A/c)** दोनों **कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Artificial Personal Accounts)** हैं।

13. **अदत्त व्यय (Outstanding Expenses), पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses), उपार्जित आय (Accrued Income) और अनुपार्जित आय (Unearned Income)** सभी **प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते (Representative Personal Accounts)** हैं।

14. **रोकड़ खाता (Cash A/c), फर्नीचर खाता, मशीनरी खाता, भवन खाता और स्टॉक खाता** सभी **मूर्त वास्तविक खाते (Tangible Real Accounts)** हैं।

15. **ख्याति (Goodwill), पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क खाते** सभी **अमूर्त वास्तविक खाते (Intangible Real Accounts)** हैं।

16. **डूबत ऋण खाता (Bad Debts A/c), मूल्यह्रास खाता, वेतन खाता, किराया खाता और छूट खाता** सभी **नाममात्र खाते (Nominal Accounts)** हैं।

17. **व्यापारिक छूट (Trade Discount)** सूची मूल्य पर थोक बिक्री बढ़ाने के लिए दी जाती है और इसे **लेखा पुस्तकों (रोजनामचा) में कभी दर्ज नहीं किया जाता**, जबकि **नकद छूट (Cash Discount)** समय पर भुगतान पाने हेतु दी जाती है और इसे पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।

18. जब एक ही तिथि को एक ही प्रकृति के दो या अधिक लेनदेनों को मिलाकर एक ही जर्नल प्रविष्टि की जाती है, तो उसे **'मिश्रित प्रविष्टि' (Compound Journal Entry)** कहते हैं।

19. रोजनामचा से खाता-बही में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को **'खतौनी' (Posting)** कहा जाता है।

20. रोकड़ बही के **रोकड़ स्तंभ (Cash Column)** का शेष सदैव **डेबिट (या शून्य)** होता है; इसका कभी भी क्रेडिट शेष नहीं हो सकता क्योंकि जेब में जितनी नकदी है उससे अधिक खर्च नहीं की जा सकती।

21. रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का **क्रेडिट शेष** या पासबुक का **डेबिट शेष 'बैंक अधिविकर्ष' (Bank Overdraft — चालू दायित्व)** को दर्शाता है।

22. **बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS)** व्यवसाय के **ग्राहक (व्यापारी)** द्वारा एक निश्चित तिथि को रोकड़ बही के बैंक शेष और पासबुक के शेष के अंतर के कारणों का मिलान करने हेतु बनाया जाता है; यह मुख्य लेखा पुस्तकों का भाग नहीं है।

23. **खुदरा रोकड़ बही (Petty Cash Book)** के संधारण की सबसे वैज्ञानिक और प्रचलित प्रणाली **'अग्रदाय प्रणाली' (Imprest System)** है, जिसमें प्रत्येक अवधि के प्रारंभ में खुदरा रोकड़िया के पास एक निश्चित राशि (Float) बहाल कर दी जाती है।

24. **प्राप्य विपत्र (Bills Receivable - B/R)** एक चालू संपत्ति और **वास्तविक खाता** है; **विनिमय विपत्र अधिनियम, 1881** के तहत मियादी बिल के भुगतान की परिपक्वता तिथि की गणना में **3 दिन के 'अनुग्रह दिवस' (Days of Grace)** जोड़े जाते हैं।

25. जब बिल के अनादरण (Dishonour) पर नोटरी पब्लिक द्वारा तथ्य दर्ज कर जो शुल्क लिया जाता है उसे **'नोटिंग प्रभार' (Noting Charges)** कहते हैं; इसका भुगतान भले ही धारक या बैंक करे, किंतु अंततः यह **स्वीकारकर्ता (Acceptor / Drawee)** से ही वसूला जाता है।

26. तलपट (Trial Balance) कोई खाता नहीं बल्कि एक **विवरण (Statement)** है, जो किसी विशेष तिथि (As on a particular date) को खाता-बही के डेबिट और क्रेडिट शेषों की अंकगणितीय शुद्धता जाँचने हेतु बनाया जाता है।

27. यदि तलपट का डेबिट और क्रेडिट योग न मिले, तो अंतर की राशि को अस्थायी रूप से **'उचंत खाता' (Suspense Account)** में डाल दिया जाता है; यदि उचंत खाते का डेबिट शेष बचे तो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और क्रेडिट शेष बचे तो दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है।

28. किसी संपत्ति के अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण और कार्यक्षमता बढ़ाने पर किया गया व्यय **'पूँजीगत व्यय' (Capital Expenditure — आर्थिक चिट्ठे में दर्ज)** कहलाता है, जबकि व्यवसाय के दैनिक संचालन और संपत्ति की कार्यक्षमता बनाए रखने का व्यय **'आगम व्यय' (Revenue Expenditure — P&L खाते में दर्ज)** कहलाता है।

29. किसी नए उत्पाद के लॉन्च पर किया गया भारी **प्रारंभिक विज्ञापन व्यय (Heavy Advertisement Expenditure)** एक **'स्थगित आगम व्यय' (Deferred Revenue Expenditure)** का उत्कृष्ट उदाहरण है।

30. जब कोई पूँजीगत प्राप्ति और आगम प्राप्ति एक साथ मिल जाए या आगम व्यय से आंशिक रूप से स्थायी संपत्ति का सृजन हो, तो इस सिद्धांत को समझे बिना की गई गलती **'सैद्धांतिक अशुद्धि' (Error of Principle)** कहलाती है।

31. **AS-2 (Valuation of Inventories)** के अनुसार अंतिम रहतिये के मूल्यांकन में सामान्य क्षय, भंडारण लागत (Storage Cost), प्रशासनिक उपरिव्यय और विक्रय एवं वितरण व्ययों को रहतिये की लागत में **शामिल नहीं** किया जाता।

32. **व्यापारिक खाता (Trading Account)** व्यवसाय के **सकल लाभ (Gross Profit) या सकल हानि** को दर्शाता है, और इसमें केवल माल के क्रय-विक्रय एवं कारखाने/उत्पादन से जुड़े **प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses — जैसे मजदूरी, आगत भाड़ा/Carriage Inward, चुंगी, ईंधन, डॉक प्रभार)** लिखे जाते हैं।

33. **निर्गत भाड़ा (Carriage Outward / भाड़ा बाहर)** बेचे गए माल को ग्राहक तक पहुँचाने का विक्रय व्यय है, इसलिए यह व्यापारिक खाते में न जाकर **लाभ-हानि खाते (Profit & Loss Account)** में डेबिट होता है!

34. **आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)** कोई खाता नहीं बल्कि एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण है; इसमें मदों को **स्थायित्व के क्रम (Order of Permanence)** या **तरलता के क्रम (Order of Liquidity)** में सजाया जाता है।

35. **प्रायोगिक/दलाली प्रेषण लेखांकन (Consignment Accounting)** में प्रेषक (Consignor) और प्रेषिती (Consignee) के बीच संबंध **प्रधान और एजेंट (Principal and Agent)** का होता है, और प्रेषण पर भेजे गए माल पर स्वामित्व एवं जोखिम सदैव **प्रेषक (Consignor)** का ही रहता है।

36. प्रेषिती को उधार बिक्री की वसूली की गारंटी देने और डूबत ऋण का जोखिम स्वयं उठाने के बदले जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है उसे **'परिशोध/डेल-क्रेडर कमीशन' (Del-Credere Commission)** कहते हैं।

37. **संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)** एक अस्थायी या विशेष कार्य के लिए बिना किसी फर्म नाम के की गई साझेदारी है, जिस पर **चालू व्यवसाय की अवधारणा (Going Concern Concept) लागू नहीं होती**।

38. साझेदारी फर्म में जब साझेदारों की **पूँजी स्थायी (Fixed Capital Method)** रखी जाती है, तो प्रत्येक साझेदार के दो खाते बनते हैं — **पूँजी खाता** (जिसका सदैव क्रेडिट शेष होता है) और **चालू खाता (Current Account)** (जिसमें वेतन, ब्याज, आहरण व लाभ का समायोजन होता है)।

39. नए साझेदार के प्रवेश या पुराने साझेदार की सेवानिवृत्ति पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन हेतु बनाया जाने वाला **'पुनर्मूल्यांकन खाता' (Revaluation A/c / Profit & Loss Adjustment A/c)** एक **नाममात्र खाता (Nominal Account)** है।

40. साझेदारी फर्म के पूर्ण समापन (Dissolution of Firm) के समय संपत्तियों को बेचने और बाहरी दायित्वों का भुगतान करने हेतु बनाया जाने वाला **'वसूली खाता' (Realisation Account)** भी एक **नाममात्र खाता** है।

41. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक **एक व्यक्ति कंपनी (OPC - One Person Company)** में न्यूनतम और अधिकतम **1 सदस्य** होता है, **निजी कंपनी (Private Company)** में न्यूनतम **2 और अधिकतम 200 सदस्य** होते हैं, और **सार्वजनिक कंपनी (Public Company)** में न्यूनतम **7 सदस्य और अधिकतम की कोई सीमा नहीं** होती।

42. सेबी (SEBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी कंपनी को अंशों के आबंटन से पूर्व निर्गमित पूँजी का कम से कम **90%** **'न्यूनतम अभिदान' (Minimum Subscription)** प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा प्राप्त आवेदन राशि वापस करनी होती है।

43. जब किसी निर्गमन में उपलब्ध अंशों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं (**अति-अभिदान / Over-subscription**), तो सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से अंश आबंटित करने को **'यथानुपात आबंटन' (Pro-rata Allotment)** कहते हैं।

44. **ऋणपत्र (Debenture)** कंपनी द्वारा लिया गया एक दीर्घकालीन ऋण प्रमाण-पत्र है और ऋणपत्रधारी कंपनी के स्वामी न होकर **लेनदार (Creditors)** होते हैं; ऋणपत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज **लाभ पर प्रभार (Charge against Profit)** होता है।

45. वे ऋणपत्र जो केवल सुपुर्दगी मात्र से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाते हैं और जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता, **'वाहक ऋणपत्र' (Bearer Debentures)** कहलाते हैं।

46. कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 55** के तहत कोई भी कंपनी अनिमोचनीय (Irredeemable) पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती और सामान्यतः पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अधिकतम **20 वर्षों के भीतर** (अवसंरचना परियोजनाओं में 30 वर्ष) करना अनिवार्य है।

47. **चालू पूँजी (Working Capital)** का सूत्र है: **चालू संपत्तियाँ (Current Assets) - चालू दायित्व (Current Liabilities)**।

48. यदि किसी कंपनी का चालू अनुपात **2.5 : 1** है और चालू दायित्व **₹40,000** हैं, तो चालू संपत्तियाँ **₹1,00,000** होंगी और कार्यशील पूँजी **₹1,00,000 - ₹40,000 = ₹60,000** होगी।

49. **परिचालन अनुपात (Operating Ratio)** और **परिचालन लाभ अनुपात (Operating Profit Ratio)** एक-दूसरे के पूरक होते हैं और इन दोनों का योग सदैव **100%** होता है (**Operating Ratio + Operating Profit Ratio = 100%**)।

50. **अंकेक्षण कार्यक्रम (Audit Programme)** अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तैयार की गई एक लिखित और विस्तृत कार्य-योजना है, जिसमें कौन-सा कार्य किस सहायक द्वारा कितने समय में किया जाएगा इसका विवरण होता है।

51. **अंकेक्षण कार्य-पत्र (Audit Working Papers — SA 230)** अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक द्वारा एकत्रित साक्ष्यों और नोट्स का रिकॉर्ड होते हैं, जिन पर **अंकेक्षक (Auditor) का पूर्ण स्वामित्व** होता है (मुवक्किल/कंपनी का नहीं)।

52. **परीक्षण जाँच (Test Checking / Selective Verification)** में अंकेक्षक सभी लेनदेनों की 100% जाँच करने के बजाय वैज्ञानिक नमूने (Sample) के आधार पर कुछ चुने हुए लेनदेनों की गहन जाँच करता है; किंतु **रोकड़ बही और बैंक समाधान विवरण की परीक्षण जाँच नहीं बल्कि शत-प्रतिशत जाँच** होनी चाहिए।

53. अंकेक्षण के दौरान जब अंकेक्षक प्रविष्टियों के पीछे लगे मूल दस्तावेजों के अलावा लेनदेन के औचित्य, अधिकार और वैधता की गहराई से छानबीन करता है, तो इसे **'गहन जाँच' (Audit in Depth)** कहते हैं।

54. कंपनी के समापन या किसी विशेष संदेह/धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए की जाने वाली विशिष्ट और लक्षित जाँच को अंकेक्षण न कहकर **'अनुसंधान' (Investigation)** कहा जाता है, जो कई वर्षों के खातों की हो सकती है और जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य नहीं है।

55. कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 143(12)** के अनुसार यदि अंकेक्षक को कंपनी के अधिकारियों द्वारा **₹1 करोड़ या अधिक के कपट (Fraud)** का पता चलता है, तो उसे सीधे **केंद्र सरकार** को रिपोर्ट (ADT-4) करना होता है।

56. कंपनी अधिनियम की **धारा 144** के तहत कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक उसी कंपनी को कुछ सेवाएँ **प्रदान नहीं कर सकता**, जैसे — आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit), पुस्तपालन व लेखांकन सेवाएँ, निवेश बैंकिंग, बीमांकिक (Actuarial) सेवाएँ और प्रबंधन सेवाएँ।

57. **प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881** वायसराय **लॉर्ड रिपन** के कार्यकाल में पारित हुआ था, जो मुख्यतः बाल श्रम के विनियमन (7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर रोक) पर केंद्रित था।

58. **रॉयल कमीशन ऑन लेबर (1929)** के अध्यक्ष **जे.एच. व्हिटले (J.H. Whitley)** थे, जिनकी 1931 की रिपोर्ट ने भारत में आधुनिक श्रम विधानों की नींव रखी।

59. **प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग (1966–1969)** के अध्यक्ष न्यायमूर्ति **पी.बी. गजेंद्रगडकर** थे, और **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (1999–2002)** के अध्यक्ष **रवींद्र वर्मा** थे।

60. संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(c)** के तहत सभी नागरिकों को **संघ या सहकारी समिति (Trade Union) बनाने का मौलिक अधिकार** प्राप्त है (किंतु हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है!)।

61. संविधान के **अनुच्छेद 23** में मानव दुर्व्यापार और बेगार (बलात् श्रम) का निषेध है, और **अनुच्छेद 24** में **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों** को किसी कारखाने, खान या संकटमय रोजगार में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

62. संविधान के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में **अनुच्छेद 39(d)** पुरुष और स्त्री दोनों के लिए **समान कार्य के लिए समान वेतन**, **अनुच्छेद 41** काम और शिक्षा पाने का अधिकार, **अनुच्छेद 42** काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा **प्रसूति सहायता (Maternity Relief)** का प्रावधान करता है।

63. संविधान का **अनुच्छेद 43** कर्मकारों के लिए **निर्वाह मजदूरी (Living Wage)** और **अनुच्छेद 43-A** (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) **उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी (Workers' Participation in Management)** का निर्देश देता है।

64. मजदूरी की तीन अवधारणाओं में सबसे निचला स्तर **'न्यूनतम मजदूरी' (Minimum Wage — जो केवल जीवित रहने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व दक्षता बनाए रखने हेतु भी आवश्यक है)**, मध्य स्तर **'उचित मजदूरी' (Fair Wage)** और सर्वोच्च स्तर **'निर्वाह मजदूरी' (Living Wage)** है।

65. जब श्रमिक काम पर तो आते हैं और अपने कार्यस्थल पर भी रहते हैं, परंतु अपनी माँग मनवाने के लिए मशीनें बंद कर देते हैं या काम करने से इनकार कर देते हैं, तो इसे **'स्टे-इन स्ट्राइक' (Stay-in / Sit-down / Pen-down / Tool-down Strike)** कहते हैं।

66. जब श्रमिकों का अपने नियोक्ता से कोई सीधा विवाद नहीं होता, बल्कि वे किसी अन्य उद्योग के हड़ताली श्रमिकों के प्रति समर्थन जताने के लिए हड़ताल करते हैं, तो उसे **'सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल' (Sympathetic Strike)** कहते हैं।

67. **'घेराव' (Gherao)** में श्रमिक प्रबंधकों या अधिकारियों को उनके कार्यालय में घेरकर बाहर निकलने से रोकते हैं; जय इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1967) वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घेराव को अवैध घोषित किया था।

68. **'तालाबंदी' (Lock-out)** हड़ताल का ठीक विपरीत अस्त्र है, जिसका प्रयोग **नियोक्ता (Employer)** द्वारा श्रमिकों से अपनी शर्तें मनवाने के लिए रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने के रूप में किया जाता है।

69. **'कामबंदी' (Lay-off)** में नियोक्ता कोयले, बिजली, कच्चे माल की कमी, मशीन खराब होने या माल के जमाव के कारण अपने मस्टर रोल पर दर्ज श्रमिक को अस्थायी रूप से काम देने में असमर्थ रहता है; इसमें श्रमिक को **मूल वेतन + DA का 50% कामबंदी मुआवजा** मिलता है (साल में कम से कम 240 दिन काम किया हो)।

70. **'छँटनी' (Retrenchment)** का अर्थ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा किसी अन्य कारण (जैसे अतिरिक्त श्रमबल/Surplus Staff) से नियोक्ता द्वारा श्रमिक की सेवा समाप्त करना है (इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, अनुबंध का नवीनीकरण न होना और निरंतर बीमारी शामिल नहीं है)।

71. छँटनी किए जाने वाले श्रमिक को नियोक्ता द्वारा प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए **15 दिन के औसत वेतन** के बराबर छँटनी मुआवजा दिया जाता है और **"जो सबसे बाद में आया, वह सबसे पहले जाएगा" (Last Come, First Go)** का सिद्धांत लागू होता है।

72. **वेतन संहिता, 2019** को राष्ट्रपति की स्वीकृति **8 अगस्त 2019** को प्राप्त हुई; इसके अंतर्गत वेतन निर्धारण के केवल दो आधार रखे गए हैं — समय कार्य (Time Work) और पीस कार्य (Piece Work)।

73. वेतन संहिता, 2019 की धारा 6 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करते समय मानक श्रमिक परिवार को **3 वयस्क उपभोग इकाइयों** के बराबर माना जाता है, जिसमें प्रति इकाई प्रतिदिन **2700 कैलोरी भोजन**, प्रति परिवार प्रतिवर्ष **66 मीटर कपड़ा**, मकान किराया व्यय (भोजन व कपड़े का 10%), ईंधन-बिजली (20%) तथा बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा व्यय (25% — **रेप्टाकोस ब्रेट केस, 1992** के मानदंड) शामिल हैं।

74. वेतन संहिता, 2019 के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board) और राज्य सलाहकार बोर्ड में कुल सदस्यों में से **कम से कम एक-तिहाई (1/3) सदस्य महिलाएँ** होना अनिवार्य है।

75. वेतन संहिता, 2019 की धारा 45 के तहत दावों (Claims) को दायर करने की परिसीमा अवधि (Limitation Period) को पुराने कानूनों के 6 माह/1 वर्ष से बढ़ाकर **3 वर्ष** कर दिया गया है।

76. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** के तहत **100 या अधिक श्रमिकों** वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ता और श्रमिकों के समान प्रतिनिधियों वाली **'कार्य समिति' (Works Committee)** का गठन किया जाता है।

77. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने पुराने श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के स्थान पर **2-सदस्यीय 'औद्योगिक न्यायाधिकरण' (Industrial Tribunal — 1 न्यायिक सदस्य + 1 प्रशासनिक सदस्य)** की स्थापना का प्रावधान किया है।

78. औद्योगिक संबंध संहिता के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) को विवाद प्राप्त होने के **45 दिनों के भीतर** (और हड़ताल के नोटिस के मामले में **14 दिनों के भीतर**) अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है।

79. **बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016** के अनुसार **14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे** के सभी व्यवसायों में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध है (केवल स्कूल के घंटों के बाद पारिवारिक व्यवसाय और दृश्य-श्रव्य मनोरंजन को छोड़कर, बशर्ते वह खतरनाक न हो), तथा **14 से 18 वर्ष के किशोरों (Adolescents)** के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं (खान, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक) में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

80. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण के लिए **16 वर्ष की न्यूनतम आयु** और आधार-आधारित स्व-घोषणा (ई-श्रम पोर्टल की तर्ज पर) का प्रावधान है।

81. सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत **कर्मचारी मुआवजा (Employees' Compensation)** के प्रावधानों में अब एक युगांतरकारी नियम जोड़ा गया है: यदि किसी कर्मचारी के निवास स्थान से कार्यस्थल पर **आते समय या कार्यस्थल से घर लौटते समय (Commuting Accident)** कोई दुर्घटना होती है, तो उसे भी "रोजगार के दौरान और रोजगार से उत्पन्न दुर्घटना" माना जाएगा और मुआवजा देय होगा!

82. **कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI - 1976)** के तहत EPFO सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके नामित (Nominee) को अधिकतम **₹7 लाख** (और न्यूनतम ₹2.5 लाख) तक का एकमुश्त जीवन बीमा लाभ मिलता है (**epfindia.gov.in**)।

83. **कर्मचारी पेंशन योजना (EPS - 1995)** के तहत सेवानिवृत्ति पेंशन पाने के लिए न्यूनतम **10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा** और **58 वर्ष की आयु** आवश्यक है (50 वर्ष के बाद घटी हुई दर पर अर्ली पेंशन का विकल्प है) और वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन **₹1,000** है।

84. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM — 2019)** 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (मासिक आय ≤ ₹15,000) के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें **60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह** की निश्चित पेंशन मिलती है (50:50 अंशदान — लाभार्थी एवं केंद्र सरकार)।

85. **अटल पेंशन योजना (APY — 9 मई 2015)** का संचालन **PFRDA** द्वारा किया जाता है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद उनके अंशदान के आधार पर **₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह** की गारंटीकृत पेंशन मिलती है।

86. **ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)** का शुभारंभ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (**labour.gov.in**) द्वारा **26 अगस्त 2021** को असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु किया गया, जिसमें पंजीकृत श्रमिक को **12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) कार्ड** जारी किया जाता है।

87. **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)** EPFO द्वारा प्रत्येक सदस्य को आवंटित किया जाने वाला **12 अंकों** का स्थायी नंबर है, जो नौकरी बदलने पर भी पूरे सेवाकाल में एक ही रहता है।

88. **OSHWC संहिता, 2020** के तहत खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखानों के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमाएँ और मानक केंद्र सरकार द्वारा **'राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड' (National Occupational Safety and Health Advisory Board)** की सिफारिश पर तय किए जाते हैं।

89. OSHWC संहिता के तहत किसी कारखाने, खदान या बंदरगाह में **500 या अधिक श्रमिक** (भवन निर्माण में 250+) कार्यरत होने पर नियोक्ता द्वारा **'कल्याण अधिकारी' (Welfare Officer)** की नियुक्ति अनिवार्य है।

90. OSHWC संहिता के तहत कारखाने में **500 या अधिक श्रमिक**, खतरनाक कारखाने या खदान में **100 या अधिक श्रमिक** और निर्माण कार्य में **250 या अधिक श्रमिक** होने पर **'सुरक्षा अधिकारी' (Safety Officer)** की नियुक्ति अनिवार्य है।

91. **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** का मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में है; इसके तीन मुख्य अंग हैं — (1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC — विश्व श्रम संसद), (2) शासी निकाय (Governing Body), और (3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office)।

92. वर्ष **1944 की प्रसिद्ध 'फिलाडेल्फिया घोषणा' (Declaration of Philadelphia)** ने ILO के चार्टर में यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि **"श्रम कोई पण्य वस्तु (*Commodity*) नहीं है" (*Labour is not a commodity*)** और **"कहीं भी गरीबी, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है"**।

93. जून 2022 में ILO ने अपने 8 मौलिक कन्वेंशनों की सूची में **'सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण'** को भी मौलिक सिद्धांत में शामिल कर **कन्वेंशन 155 और कन्वेंशन 187** को जोड़ा, जिससे ILO के मौलिक कन्वेंशनों की कुल संख्या अब **10** हो गई है।

94. **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** की स्थापना **मल्होत्रा समिति (1993)** की सिफारिश पर IRDA अधिनियम, 1999 के तहत वर्ष **2000** में हुई थी और इसका मुख्यालय **हैदराबाद (तेलंगाना)** में स्थित है।

95. बीमा का सबसे मौलिक सिद्धांत *'परम सद्भाव का सिद्धांत' (*Principle of Utmost Good Faith* — Uberrimae Fidei)* है, जिसके अनुसार बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य सत्यतापूर्वक प्रकट करने होते हैं।

96. **'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (Principle of Indemnity)** अग्नि बीमा और समुद्री बीमा जैसे सभी सामान्य बीमाओं पर लागू होता है, किंतु यह **जीवन बीमा (Life Insurance) पर लागू नहीं होता** क्योंकि मानव जीवन का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता।

97. **'बीमायोग्य हित' (Insurable Interest)** जीवन बीमा में **पॉलिसी लेते समय** होना अनिवार्य है, समुद्री बीमा में **हानि के समय** होना अनिवार्य है, और अग्नि बीमा में **पॉलिसी लेते समय तथा हानि के समय दोनों समय** होना अनिवार्य है।

98. **'प्रत्यासन का सिद्धांत' (Principle of Subrogation)** क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का ही उप-नियम है, जिसके अनुसार बीमा कंपनी द्वारा बीमित को पूर्ण क्षतिपूर्ति दे देने के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति के अवशेष और तृतीय पक्ष के विरुद्ध सभी कानूनी अधिकार बीमा कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं।

99. **कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली (CAS)** में लेखांकन सॉफ्टवेयर में खातों के तार्किक समूह और उप-समूह बनाने की संरचना को **'चार्ट ऑफ अकाउंट्स' (Chart of Accounts)** कहते हैं, और डेटाबेस में एक तालिका के रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने वाले क्षेत्र को **'प्राथमिक कुंजी' (Primary Key)** कहते हैं।

100. इस प्रकार **पुस्तक 25 (कृषि, पशुपालन व ग्रामीण विकास)** और **पुस्तक 26 (लेखाशास्त्र, अंकेक्षण, औद्योगिक संबंध व 4 श्रम संहिताएँ)** के सभी 20 प्रमुख अध्ययन इकाई और 200 वन-लाइनर कैप्सूल आपकी आगामी परीक्षाओं में 100% सटीक सफलता के लिए **www.iucacademy.com** के मानकों पर तैयार हैं।

# भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| अध्याय 1: लेखांकन की अवधारणाएँ, परंपराएँ एवं भारतीय लेखांकन मानक (Accounting Concepts, Conventions & AS) | अध्याय 2: खातों का वर्गीकरण — Golden Rules, Modern Rules एवं Trial Balance की त्रुटियाँ | अध्याय 3: मूल्यह्रास लेखांकन (Depreciation Accounting — SLM एवं WDV विधियाँ) | अध्याय 4: साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting — Sacrificing/Gaining Ratio & Goodwill) |

## अध्याय 1: लेखांकन की अवधारणाएँ, परंपराएँ एवं भारतीय लेखांकन मानक (Accounting Concepts, Conventions & AS)

### 1.1 लेखांकन का इतिहास एवं मूलभूत समीकरण

आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली (**Double Entry System**) के जनक इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ **फ्रांसिस्को लुका पसिओली (Fra Luca Pacioli)** हैं, जिन्होंने **1494 ई.** में अपनी प्रसिद्ध गणितीय पुस्तक ***'Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita'*** के खंड *'De Computis et Scripturis'* में सर्वप्रथम डेबिट (Debito) और क्रेडिट (Credito) के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' एवं पारंपरिक **महाजनी बही-खाता प्रणाली** (रोकड़ बही, नकल बही, खाता बही) का प्रचलन रहा है।

### 1.2 लेखांकन की 10 आधारभूत अवधारणाएँ (Accounting Concepts — GAAP)

1. **पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा (Business Entity Concept):**

• व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी (Owner/Proprietor) से पूर्णतः पृथक माना जाता है।

• **परीक्षा अनुप्रयोग:** इसी अवधारणा के कारण स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई **पूँजी (Capital) को व्यवसाय का आंतरिक दायित्व (Internal Liability)** माना जाता है, पूँजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए व्यय होता है, तथा स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाली गई राशि **आहरण (Drawings)** कहलाती है।

2. **मुद्रा मापन की अवधारणा (Money Measurement Concept):**

• लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन-देनों का अभिलेखन किया जाता है जिन्हें **मुद्रा (Money)** के रूप में मापा जा सकता है। प्रबंधकों की ईमानदारी, कर्मचारियों की कार्यकुशलता या हड़ताल से होने वाले मनोबल के ह्रास को खातों में दर्ज नहीं किया जाता।

3. **चालू व्यवसाय की अवधारणा (Going Concern Concept — AS-1 में मौलिक मान्यता):**

• यह माना जाता है कि व्यवसाय अनंत काल तक निरंतर चलता रहेगा और निकट भविष्य में उसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है।

• **परीक्षा अनुप्रयोग:** इसी अवधारणा के कारण स्थायी संपत्तियों (Fixed Assets) को चिट्ठे (Balance Sheet) में उनके बाजार विक्रय मूल्य (Realisable Value) पर नहीं, बल्कि **ऐतिहासिक लागत घटाव मूल्यह्रास (Cost less Depreciation)** पर दिखाया जाता है तथा पूर्वदत्त व्ययों (Prepaid Expenses) को संपत्ति माना जाता है।

4. **लेखांकन अवधि की अवधारणा (Accounting Period / Periodicity Concept):**

• चालू व्यवसाय के अनंत जीवनकाल को छोटे-छोटे समान अंतरालों (सामान्यतः **12 माह — वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च** या कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर) में बाँटा जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ-हानि खाता और चिट्ठा बनाकर व्यवसाय के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

5. **ऐतिहासिक लागत की अवधारणा (Historical Cost Concept):**

• किसी भी संपत्ति को लेखा पुस्तकों में उस मूल्य पर दर्ज किया जाता है जो उसे प्राप्त करने, लाने और स्थापित करने (Acquisition + Freight + Installation Cost) के लिए वास्तव में चुकाया गया है।

6. **द्विपक्षीय अवधारणा (Dual Aspect Concept):**

• प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के दो पक्ष होते हैं— एक पक्ष लाभ प्राप्त करता है (**Debit**) और दूसरा पक्ष लाभ देता है (**Credit**)। इसी पर **आधारभूत लेखांकन समीकरण (Fundamental Accounting Equation)** आधारित है:

$$Assets (संपत्तियाँ) = Liabilities (बाह्य दायित्व) + Capital (स्वामी की पूँजी / समता)$$

$अथवा, Net Worth (Capital) = Total Assets - Outside Liabilities$

7. **आगम मान्यता / वसूली की अवधारणा (Revenue Recognition / Realisation Concept — AS-9):**

• आगम (Revenue) को उस समय अर्जित माना जाता है जब **वस्तुओं का स्वामित्व (Title of Goods) क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है** या सेवाएँ प्रदान कर दी जाती हैं और बदले में नकद प्राप्त करने का कानूनी अधिकार उत्पन्न हो जाता है (केवल ऑर्डर मिलने या अग्रिम राशि मिलने पर आगम को मान्यता नहीं दी जाती; किंतु सोने की खान [Gold Mining] में उत्पादन के समय ही आगम मान लिया जाता है)।

8. **मिलान की अवधारणा (Matching Concept):**

• किसी लेखांकन अवधि के वास्तविक शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए, **उसी अवधि के अर्जित आगम (Revenues) से उसी अवधि के संबंधित व्ययों (Expenses) का मिलान** किया जाना चाहिए। इसी के कारण अदत्त व्यय (Outstanding Expenses) को जोड़ा जाता है और पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses) एवं अंतिम रहतिया (Closing Stock) को समायोजित किया जाता है।

9. **उपार्जन की अवधारणा (Accrual Concept — AS-1 में मौलिक मान्यता):**

• आय एवं व्यय को लेखा पुस्तकों में उस समय दर्ज किया जाता है जब वे **उपार्जित (Accrued) या देय (Due)** होते हैं, न कि तब जब वास्तव में नकद प्राप्त या भुगतान किया जाता है। (ध्यान रहे— **AS-1** के अनुसार लेखांकन की **3 मौलिक मान्यताएँ [Fundamental Accounting Assumptions]** हैं: **Going Concern, Consistency, और Accrual**—अर्थात **GCA**)।

10. **वस्तुनिष्ठता की अवधारणा (Objectivity Concept):**

• प्रत्येक लेखा प्रविष्टि किसी प्रामाणिक एवं निष्पक्ष लिखित साक्ष्य जैसे बीजक (Invoice), रसीद, कैश मेमो या वाउचर पर आधारित होनी चाहिए।

## *1.3 लेखांकन की 4 प्रमुख परंपराएँ (Accounting Conventions)*

1. **रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा (Convention of Conservatism / Prudence):**

• **सूत्र वाक्य:** *"Anticipate no profit, but provide for all possible losses"* (भविष्य के संभावित लाभों की कल्पना मत करो, किंतु भविष्य की सभी संभावित हानियों के लिए पहले से ही प्रावधान कर लो)।

• **प्रमुख उदाहरण (UPSC EPFO का सर्वाधिक प्रिय प्रश्न):**

• **अंतिम रहतिया (Closing Stock) का मूल्यांकन 'लागत मूल्य (Cost Price) या शुद्ध वसूली योग्य बाजार मूल्य (Net Realisable Value — NRV), दोनों में से जो कम हो' (Lower of Cost or NRV — AS-2)** पर करना।

• संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन (**Provision for Doubtful Debts**) एवं देनदारों पर बट्टा आयोजन बनाना (जबकि लेनदारों पर बट्टा आयोजन रूढ़िवादिता के विरुद्ध है)।

• संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी (JLP) को समर्पण मूल्य (Surrender Value) पर दिखाना।

2. **पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा (Convention of Full Disclosure):**

• वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ निष्पक्ष रूप से प्रकट की जानी चाहिए। इसी कारण चिट्ठे के नीचे फुटनोट (Footnote) में **संभाव्य दायित्वों (Contingent Liabilities — जैसे न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे, बैंक से भुनाए गए विपत्र जो अभी परिपक्व नहीं हुए, बकाया संचयी पूर्वाधिकार लाभांश)** को दिखाया जाता है।

3. **एकरूपता या सातत्य की परंपरा (Convention of Consistency — AS-1):**

• एक बार अपनाई गई लेखांकन नीतियों (जैसे मूल्यह्रास की SLM या WDV विधि, अथवा स्टॉक मूल्यांकन की FIFO या भारित औसत विधि) को प्रतिवर्ष समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों की आपस में तुलना की जा सके।

4. **सारता या महत्वपूर्णता की परंपरा (Convention of Materiality):**

• केवल उन्हीं तथ्यों और मदों का विस्तृत लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए जो निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण (Material) हैं; नगण्य व छोटी कीमत की स्थायी वस्तुओं (जैसे ₹20 का कैलकुलेटर, पेपरवेट, डस्टबिन या पेंसिल शार्पनर) को स्थायी संपत्ति न मानकर सीधे लेखन सामग्री व्यय (Stationery/Miscellaneous Expense) में अपलिखित कर देना इसी परंपरा का उदाहरण है।

## *अध्याय 2: खातों का वर्गीकरण* — Golden Rules, Modern Rules एवं Trial Balance की त्रुटियाँ

### *2.1 खातों का पारंपरिक वर्गीकरण एवं लेखांकन के स्वर्णिम नियम (*Golden Rules of Accounting*)*

पारंपरिक (ब्रिटिश) दृष्टिकोण के अनुसार खातों को दो मुख्य भागों— **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)** और **अव्यक्तिगत खाते (Impersonal Accounts: Real एवं Nominal)**—अर्थात कुल **3 श्रेणियों** में बाँटा गया है:

1. **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts):**

• **स्वर्णिम नियम (Golden Rule):** *"पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो" (Debit the Receiver, Credit the Giver)*।

• इसके तीन उप-प्रकार हैं:

• **(क) प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते (Natural Personal Accounts):** हाड़-मांस के जीवित व्यक्तियों के खाते— जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, स्वामी का **पूँजी खाता (Capital A/c)**, स्वामी का **आहरण खाता (Drawings A/c)**, देनदार (Debtors), लेनदार (Creditors)।

• **(ख) कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Artificial Legal Personal Accounts):** कानून द्वारा निर्मित संस्थाएँ व निगम जिनका भौतिक शरीर नहीं होता किंतु वे अपने नाम से व्यवसाय व अनुबंध कर सकती हैं— जैसे **बैंक खाता (Bank A/c)**, जीवन बीमा निगम (LIC), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विश्विद्यालय, सहकारी समिति, क्लब, सरकारी विभाग।

• **(ग) प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते (Representative Personal Accounts — परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाने वाला बिंदु):** वे खाते जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। *नियम: किसी भी नाममात्र के खाते (*Nominal Account* — आय या व्यय) के आगे या पीछे यदि कोई उपसर्ग/प्रत्यय जैसे Outstanding (अदत्त), Prepaid/Unexpired (पूर्वदत्त), Accrued (उपार्जित), या Unearned/Advance (अनुपार्जित) जुड़ जाए, तो वह खाता तुरंत '*Representative Personal Account*' बन जाता है!*

• उदाहरण: **अदत्त वेतन खाता (Outstanding Salary A/c)**, **पूर्वदत्त किराया खाता (Prepaid Rent A/c)**, **पूर्वदत्त बीमा (Unexpired Insurance A/c)**, **उपार्जित ब्याज खाता (Accrued Interest A/c)**, **अग्रिम प्राप्त कमीशन खाता (Commission Received in Advance / Unearned Income A/c)**।

2. **वास्तविक या वस्तुगत खाते (Real Accounts):**

• **स्वर्णिम नियम (Golden Rule):** *"जो वस्तु/संपत्ति व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से बाहर जाए उसे क्रेडिट करो" (Debit what comes in, Credit what goes out)*।

• यह व्यवसाय की संपत्तियों व अधिकारों से संबंधित है (बैंक व देनदारों को छोड़कर, जो व्यक्तिगत खाते हैं):

• **(क) मूर्त वास्तविक खाते (Tangible Real Accounts):** जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है— जैसे **रोकड़ खाता (Cash A/c)**, भूमि एवं भवन (Land & Building), प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर, रहतिया/स्टॉक (Stock/Inventory), वाहन।

• **(ख) अमूर्त वास्तविक खाते (Intangible Real Accounts):** जिन्हें छुआ नहीं जा सकता किंतु जिनका मौद्रिक मूल्य होता है— जैसे **ख्याति (Goodwill)**, **एकस्व (Patents)**, **व्यापार चिह्न (Trademarks)**, **कॉपीराइट (Copyrights)**, सॉफ्टवेयर।

3. **नाममात्र या आय-व्यय के खाते (Nominal Accounts):**

• **स्वर्णिम नियम (Golden Rule):** *"समस्त व्ययों एवं हानियों को डेबिट करो, समस्त आयों एवं लाभों को क्रेडिट करो" (Debit all expenses and losses, Credit all incomes and gains)*।

• उदाहरण: वेतन खाता (Salary A/c), किराया खाता (Rent A/c), मजदूरी खाता (Wages A/c), ब्याज खाता, कमीशन खाता, बट्टा खाता (Discount A/c), डूबत ऋण खाता (**Bad Debts A/c**), डूबत ऋण वसूली खाता (**Bad Debts Recovered A/c**), मूल्यह्रास खाता (**Depreciation A/c**), अग्नि या चोरी से हानि खाता, क्रय खाता (Purchases A/c), विक्रय खाता (Sales A/c)।

## 2.2 खातों का आधुनिक (अमेरिकन) वर्गीकरण — 'CLEAR' नियम

आधुनिक लेखांकन समीकरण (Assets + Expenses = Capital + Liabilities + Revenue) के आधार पर खातों को **5 वर्गों (CLEAR)** में बाँटा जाता है:

| खाते का वर्ग (Account Type) | खाते की सामान्य शेष प्रकृति (Normal Balance) | वृद्धि होने पर (Increase ↑) | कमी होने पर (Decrease ↓) |
|---|---|---|---|
| 1. Assets (संपत्तियाँ) | Debit (Dr.) | Debit (Dr.) | Credit (Cr.) |
| 2. Expenses / Losses (व्यय व हानियाँ) | Debit (Dr.) | Debit (Dr.) | Credit (Cr.) |
| 3. Capital (पूँजी / स्वामी की समता) | Credit (Cr.) | Credit (Cr.) | Debit (Dr.) |
| 4. Liabilities (दायित्व) | Credit (Cr.) | Credit (Cr.) | Debit (Dr.) |
| 5. Revenue / Incomes (आगम व लाभ) | Credit (Cr.) | Credit (Cr.) | Debit (Dr.) |

## 2.3 तलपट (Trial Balance), अशुद्धियों का वर्गीकरण एवं सुधार (Rectification of Errors)

खाता बही (Ledger) के समस्त खातों की गणितीय शुद्धता (Arithmetical Accuracy) की जाँच करने के लिए किसी निश्चित तिथि को डेबिट और क्रेडिट शेषों की जो सूची बनाई जाती है, उसे **तलपट (Trial Balance)** कहते हैं। (नोट: तलपट खातों की गणितीय शुद्धता का प्रमाण है, किंतु यह लेखा पुस्तकों की **पूर्ण या अंतिम शुद्धता का अकाट्य प्रमाण [Conclusive Proof] नहीं है**)।

**अशुद्धियों के दो मुख्य वर्ग:**

1. **वे अशुद्धियाँ जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करतीं (Errors NOT Disclosed by Trial Balance — टू-साइडेड त्रुटियाँ):**

• **(क) सैद्धांतिक अशुद्धियाँ (Errors of Principle):** जब लेखा करते समय लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाए— विशेषकर **पूँजीगत मद (Capital Item) को आयगत मद (Revenue Item) मान लेना या इसके विपरीत**।

उदाहरण: नई मशीन की स्थापना पर चुकाई गई मजदूरी (₹5,000) को मशीनरी खाते में डेबिट करने के बजाय 'मजदूरी खाते' (Wages A/c) में डेबिट कर देना; या भवन की सामान्य मरम्मत को भवन खाते में डेबिट कर देना। (यहाँ डेबिट राशि सही है, इसलिए तलपट मिल जाएगा, किंतु सकल/शुद्ध लाभ गलत आएगा)।

• **(ख) पूर्ण भूलचूक की अशुद्धि (Error of Complete Omission):** जब कोई लेन-देन प्रारंभिक लेखा पुस्तक (Journal / Subsidiary Book) में लिखने से पूरी तरह छूट जाए (जैसे मोहन को ₹10,000 का उधार माल बेचा पर कहीं दर्ज ही नहीं किया)।

• **(ग) हिसाब की अशुद्धियाँ — प्रारंभिक पुस्तक में गलत राशि (Error of Commission in Books of Original Entry):** जैसे ₹4,500 के विक्रय बीजक को विक्रय बही में ₹5,400 लिख दिया और देनदार के खाते में भी ₹5,400 ही खताया।

• **(घ) गलत खाते में सही पक्ष पर खतौनी:** जैसे राम को दिए गए ₹2,000 को 'श्याम के खाते' के डेबिट पक्ष में लिख देना (दोनों खातों में सही पक्ष पर समान राशि गई, इसलिए तलपट मिल जाएगा)।

• **(ङ) क्षतिपूरक अशुद्धियाँ (Compensating Errors):** जब एक खाते में हुई अशुद्धि का प्रभाव किसी दूसरे खाते में विपरीत पक्ष में हुई उतनी ही राशि की अशुद्धि से स्वतः समाप्त हो जाए (जैसे क्रय बही का योग ₹1,000 कम लगना और विक्रय बही का योग भी ₹1,000 कम लगना)।

2. **वे अशुद्धियाँ जो तलपट द्वारा प्रकट हो जाती हैं (Errors Disclosed by Trial Balance — वन-साइडेड त्रुटियाँ, जिनके कारण तलपट का योग नहीं मिलता और अंतर की राशि को अस्थायी रूप से 'उचंत खाता' [Suspense Account] में डाला जाता है):**

• आंशिक भूलचूक (Partial Omission — जर्नल से एक खाते में खतौनी करना पर दूसरे खाते में भूल जाना);

• किसी खाते के गलत पक्ष में खतौनी कर देना (जैसे डेबिट के स्थान पर क्रेडिट में लिख देना — इससे अंतर **दोगुनी राशि** का आता है);

• खतौनी करते समय गलत राशि लिख देना (जैसे ₹680 को ₹860 लिख देना — अंकों के पलटने [Transposition] पर अंतर सदैव **9 से विभाज्य** होता है);

• सहायक बहियों का योग लगाने (Casting Error) या शेष निकालने (Balancing Error) या योग आगे ले जाने (Carry Forward) में गलती होना।

## अध्याय 3: मूल्यह्रास लेखांकन (Depreciation Accounting — SLM एवं WDV विधियाँ)

### 3.1 मूल्यह्रास, रिक्तीकरण एवं परिशोधन (AS-10 Revised: Property, Plant and Equipment)

स्थायी मूर्त संपत्तियों (भूमि को छोड़कर, क्योंकि **भूमि [Land] पर कभी मूल्यह्रास नहीं लगता**) के निरंतर प्रयोग, समय व्यतीत होने, टूट-फूट या अप्रचलन (Obsolescence) के कारण उनके पुस्तक मूल्य में होने वाली क्रमिक एवं स्थायी कमी को **मूल्यह्रास (Depreciation)** कहते हैं। यह एक **गैर-नकद परिचालन व्यय (Non-cash Operating Expense)** है।

- **रिक्तीकरण (Depletion):** प्राकृतिक संसाधनों (जैसे कोयले की खान, तेल के कुएं, पत्थर की खदान — Wasting Assets) से खनिज निकालने के कारण उनकी मात्रा में होने वाली भौतिक कमी।
- **परिशोधन (Amortization — AS-26 / Ind AS-38):** अमूर्त संपत्तियों (Intangible Assets — जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, सॉफ्टवेयर) एवं कृत्रिम संपत्तियों (प्रारंभिक व्यय) को उनके उपयोगी जीवनकाल में क्रमशः अपलिखित करना।

### 3.2 सीधी रेखा पद्धति (SLM) बनाम क्रमागत ह्रासमान शेष पद्धति (WDV)

| तुलना का आधार | सीधी रेखा / मूल लागत / स्थायी किस्त पद्धति (SLM) | क्रमागत ह्रासमान शेष / घटती किस्त पद्धति (WDV) |
|---|---|---|
| **1. गणना का आधार** | प्रतिवर्ष संपत्ति की **मूल लागत (Original Cost)** पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। | प्रतिवर्ष के प्रारंभ में संपत्ति के **घटे हुए पुस्तक मूल्य (Opening Book Value / WDV)** पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। |
| **2. वार्षिक मूल्यह्रास राशि** | संपत्ति के पूरे जीवनकाल में प्रतिवर्ष **समान (स्थिर)** रहती है। | प्रतिवर्ष **क्रमशः घटती** जाती है (प्रारंभिक वर्षों में अधिक, बाद के वर्षों में कम)। |
| **3. संपत्ति का अंतिम मूल्य** | उपयोगी जीवन के अंत में संपत्ति का मूल्य **शून्य (Zero)** या अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाता है। | संपत्ति का मूल्य **कभी भी शून्य नहीं होता** (गणितीय रूप से अनंत तक कुछ शेष बचता है)। |
| **4. लाभ-हानि खाते पर कुल भार** | प्रारंभिक वर्षों में (जब मरम्मत कम होती है) भार कम और बाद के वर्षों में (जब मरम्मत बढ़ जाती है) कुल भार (**Depreciation + Repair**) बढ़ जाता है। | प्रारंभिक वर्षों में ह्रास अधिक व मरम्मत कम तथा बाद के वर्षों में ह्रास कम व मरम्मत अधिक होने से लाभ-हानि खाते पर **प्रतिवर्ष कुल भार लगभग समान** रहता है। |
| **5. आयकर अधिनियम 1961 में मान्यता** | केवल विद्युत उत्पादन उपक्रमों को विकल्प रूप में मान्य। | **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32** के अंतर्गत कर गणना हेतु ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर **WDV विधि ही वैधानिक रूप से मान्य** है। |

- **प्रमुख सूत्र एवं हल सहित न्यूमेरिकल:**
- **SLM सूत्र:** वार्षिक मूल्यह्रास = (कुल लागत (C) - अवशिष्ट मूल्य (S) / उपयोगी जीवन (n))
- **WDV सूत्र (t वर्षों के बाद पुस्तक मूल्य):** WDV after t years = C × (1 - (r / 100))^t

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**उदाहरण:** 1 अप्रैल 2023 को एक मशीन ₹1,80,000 में खरीदी गई और उसकी स्थापना पर ₹20,000 व्यय हुए। मशीन का अनुमानित जीवनकाल 5 वर्ष और अवशिष्ट मूल्य ₹20,000 है। (i) SLM विधि से वार्षिक ह्रास व ह्रास दर ज्ञात करें; (ii) यदि WDV विधि से 20\% वार्षिक ह्रास लगाया जाए, तो तीसरे वर्ष का मूल्यह्रास और 3 वर्ष बाद मशीन का पुस्तक मूल्य क्या होगा?

- **हल:** कुल लागत ($C$) = 1,80,000 + 20,000 = ₹2,00,000।
- **(i) SLM विधि:** वार्षिक मूल्यह्रास = (2,00,000 - 20,000 / 5) = ₹36,000/\text{वर्ष}; मूल्यह्रास दर = (36,000 / 2,00,000) × 100 = 18\%\text{ वार्षिक}।
- **(ii) WDV विधि (20\%):**
- प्रथम वर्ष का ह्रास = 2,00,000 × 20\% = ₹40,000 (शेष WDV = ₹1,60,000)।
- द्वितीय वर्ष का ह्रास = 1,60,000 × 20\% = ₹32,000 (शेष WDV = ₹1,28,000)।

• **तृतीय वर्ष का ह्रास** = 1,28,000 × 20\% = ₹25,600 तथा **3 वर्ष बाद पुस्तक मूल्य (WDV)** = 1,28,000 - 25,600 = ₹1,02,400।

## *अध्याय 4: साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting — Sacrificing/Gaining Ratio & Goodwill)*

### *4.1 भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 एवं साझेदारी संलेख (Partnership Deed) के नियम*

• **वैधानिक आधार:** भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (**1 अक्टूबर 1932 से लागू**, जम्मू-कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में; धारा 4 में परिभाषा)। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य **2** होते हैं तथा **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 464 के अनुसार अधिकतम सीमा 100** है, किंतु **कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित है**।

• **साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 5 कठोर वैधानिक नियम (धारा 13):**

1. **लाभ-हानि का विभाजन:** सभी साझेदारों के बीच पूँजी के अनुपात में नहीं, अपितु **बराबर-बराबर (Equally — 1:1)** बाँटा जाएगा।

2. **पूँजी पर ब्याज (Interest on Capital):** किसी भी साझेदार को पूँजी पर कोई ब्याज **नहीं दिया जाएगा** (यदि संलेख में प्रावधान हो भी, तो केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जाएगा)।

3. **आहरण पर ब्याज (Interest on Drawings):** किसी भी साझेदार से आहरण पर कोई ब्याज **नहीं लिया जाएगा**।

4. **वेतन, बोनस या कमीशन:** किसी भी साझेदार को व्यवसाय के संचालन के लिए कोई वेतन या कमीशन **नहीं दिया जाएगा**।

5. **साझेदार के ऋण पर ब्याज (Interest on Partner's Loan — धारा 13(d)):** यदि किसी साझेदार ने पूँजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण (Loan/Advance) दिया है, तो उसे समझौते के अभाव में भी **6% वार्षिक (6% per annum)** की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा (चाहे फर्म को हानि ही क्यों न हो, क्योंकि यह **लाभों पर प्रभार [Charge against Profit]** है, न कि लाभों का विनियोजन)।

### *4.2 आहरण पर ब्याज की गणना के शॉर्टकट सूत्र (Average Period Method)*

जब कोई साझेदार वर्ष भर **समान राशि** का आहरण निश्चित अंतराल पर करता है, तो Interest = Total Drawings × (Rate / 100) × (Average Period / 12) जहाँ Average Period = (प्रथम आहरण के बाद शेष माह + अंतिम आहरण के बाद शेष माह / 2):

• **प्रत्येक माह के प्रारंभ में (1 तारीख को) आहरण:** औसत अवधि = (12 + 1 / 2) = 6.5\text{ माह}।

• **प्रत्येक माह के मध्य में (15 तारीख को) आहरण:** औसत अवधि = (11.5 + 0.5 / 2) = 6.0\text{ माह}।

• **प्रत्येक माह के अंत में (अंतिम तारीख को) आहरण:** औसत अवधि = (11 + 0 / 2) = 5.5\text{ माह}।

• **प्रत्येक तिमाही (Quarter) के प्रारंभ में आहरण:** औसत अवधि = (12 + 3 / 2) = 7.5\text{ माह}; तिमाही के मध्य में: **6.0 माह**; तिमाही के अंत में: (9 + 0 / 2) = 4.5\text{ माह}।

• यदि आहरण की तिथि न दी हो, तो सदैव **6 माह** का ब्याज लगाया जाता है।

### *4.3 त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio), लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio) एवं ख्याति (Goodwill)*

1. **त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio — नए साझेदार के प्रवेश के समय):**

$Sacrificing Ratio = Old Ratio (पुराना अनुपात) - New Ratio (नया अनुपात)$

• **उपयोग:** नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति की राशि (Premium for Goodwill) को पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में उनके **त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio)** में ही क्रेडिट किया जाता है।

2. **लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio — साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय):**

$Gaining Ratio = New Ratio (नया अनुपात) - Old Ratio (पुराना अनुपात)$

• **उपयोग (AS-26 के अनुसार):** सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति का समायोजन शेष साझेदारों द्वारा उनके **लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio)** में किया जाता है (*Gaining Partners' Capital A/c Dr. To Retiring Partner's Capital A/c*)।

3. **ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ (Methods of Valuation of Goodwill):**

• **औसत लाभ विधि (Average Profit Method):** Goodwill = Average Maintainable Profit × Number of Years' Purchase

• **अधिलाभ विधि (Super Profit Method):**

$Normal Profit = Capital Employed × (Normal Rate of Return (NRR) / 100)$

$Super Profit = Actual/Average Profit - Normal Profit$

$Goodwill = Super Profit × Number of Years' Purchase$

• **पूँजीकरण विधि (Capitalisation Method):** Goodwill = (Super Profit / NRR) × 100 अथवा Capitalised Value of Average Profit - Actual Capital Employed।

★ **हल सहित न्यूमेरिकल (New & Sacrificing Ratio):**
**प्रश्न:** $A$ और $B$ एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। वे $C$ को (1 / 4) हिस्से के लिए नया साझेदार बनाते हैं, जिसे $C$, $A$ और $B$ से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ-हानि अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए।
**हल:**
• यहाँ $C$ अपना (1 / 4) हिस्सा $A$ और $B$ से 2:1 में लेता है, अतः **त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio) सीधे 2:1 है**।
• $A$ द्वारा किया गया त्याग = (1 / 4) × (2 / 3) = (2 / 12); $B$ द्वारा किया गया त्याग = (1 / 4) × (1 / 3) = (1 / 12)।
• $A$ का नया हिस्सा = (3 / 5) - (2 / 12) = (36 - 10 / 60) = (26 / 60)
• $B$ का नया हिस्सा = (2 / 5) - (1 / 12) = (24 - 5 / 60) = (19 / 60)
• $C$ का नया हिस्सा = (1 / 4) × (15 / 15) = (15 / 60)
• **नया लाभ-हानि अनुपात (A : B : C)** = 26 : 19 : 15।

## *अध्याय 5: अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis) एवं रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3)*

### *5.1 अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis) के मुख्य सूत्र, व्याख्या एवं न्यूमेरिकल्स*

1. **तरलता अनुपात (Liquidity / Short-term Solvency Ratios):**

• **चालू अनुपात (Current Ratio / Working Capital Ratio):**

$$Current Ratio = (Current Assets (चालू संपत्तियाँ) / Current Liabilities (चालू दायित्व)) [आदर्श मानक अनुपात = 2 : 1]$$

• **शुद्ध कार्यशील पूँजी (Net Working Capital):** NWC = Current Assets - Current Liabilities।

• **त्वरित अनुपात / अम्ल परख अनुपात / तरल अनुपात (Quick / Acid-Test / Liquid Ratio):**

$$Quick Ratio = (Quick / Liquid Assets / Current Liabilities) = (Current Assets - (Inventory/Stock + Prepaid Expenses) / Current Liabilities) [आदर्श मानक = 1 : 1]$$

• **पूर्ण तरलता अनुपात (Absolute Liquid / Cash Ratio):** (Cash + Bank + Marketable Securities / Current Liabilities) (आदर्श मानक = 0.5 : 1)।

2. **दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात (Solvency Ratios):**

• **ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio):**

$$Debt-Equity Ratio = (Long-term Debts (दीर्घकालीन ऋण) / Shareholders' Funds / Equity (अंशधारियों का कोष)) [आदर्श मानक = 2 : 1]$$

जहाँ $Shareholders' Funds = Equity Share Capital + Preference Share Capital + Reserves \& Surplus - Fictitious Assets (Preliminary Exp./P\&L Dr. Balance)$।

• **स्वामित्व अनुपात (Proprietary Ratio):** (Shareholders' Funds / Total Assets)।

• **ब्याज आवरण अनुपात (Interest Coverage Ratio):** (EBIT (ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ) / Fixed Interest Charges) (आदर्श: 6 से 7 गुना)।

3. **क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात (Activity / Efficiency / Turnover Ratios):**

• **स्कंध / रहतिया आवर्त अनुपात (Inventory / Stock Turnover Ratio — ITR):**

$$ITR = (Cost of Revenue from Operations (COGS — बेचे गए माल की लागत) / Average Inventory (औसत रहतिया)) (Times में)$$

जहाँ $COGS = Opening Stock + Net Purchases + Direct Expenses (Wages/Carriage Inward) - Closing Stock = Net Sales - Gross Profit; तथा Average Inventory = (Opening Stock + Closing Stock / 2)$।

• **व्यापारिक प्राप्य / देनदार आवर्त अनुपात (Trade Receivables / Debtors Turnover Ratio):**

$$DTR = (Net Credit Sales (शुद्ध उधार विक्रय) / Average Trade Receivables (औसत देनदार + प्राप्य विपत्र)) ⇒ Average Collection Period = (365 (या 12 माह) / DTR)$$

4. **लाभदायकता अनुपात (Profitability Ratios):**

• **सकल लाभ अनुपात (Gross Profit Ratio):** (Gross Profit / Net Sales) × 100।

• **परिचालन अनुपात (Operating Ratio):** (COGS + Operating Expenses / Net Sales) × 100 (महत्वपूर्ण संबंध: **Operating Ratio + Operating Profit Ratio = 100\%**)।

• **विनियोजित पूँजी पर प्रत्यय (Return on Capital Employed / ROI):** (EBIT / Capital Employed) × 100 (जहाँ $Capital Employed = Shareholders' Funds + Long-term Debts = Total Assets - Current Liabilities$)।

## *5.2 रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 Revised एवं Ind AS-7)*

AS-3 (संशोधित) के अंतर्गत किसी लेखा अवधि में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (**Cash and Cash Equivalents** — नकद, बैंक शेष तथा **अधिकतम 3 माह या 90 दिनों** की परिपक्वता वाले अल्पकालीन विपणन योग्य विनियोग जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र) के अंतर्वाह (Inflows) एवं बहिर्वाह (Outflows) को **3 क्रियाओं** में वर्गीकृत किया जाता है:

1. **परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह (Cash Flow from Operating Activities):**

• व्यवसाय की मुख्य आय-उत्पादक गतिविधियाँ— माल के नकद विक्रय से प्राप्ति, देनदारों से वसूली, रॉयल्टी/फीस/कमीशन प्राप्ति, आपूर्तिकर्ताओं/लेनदारों को भुगतान, कर्मचारियों को वेतन-मजदूरी, तथा **प्रत्यक्ष आयकर का भुगतान व रिफंड (Income Tax Paid/Refunded — जब तक कि वह विशेष रूप से वित्तीय या विनियोग क्रिया से जुड़ा न हो)**।

• **अप्रत्यक्ष विधि (Indirect Method) का सूत्र:**

$$Operating Cash Flow before Working Capital Changes = Net Profit before Tax \& Extraordinary Items + Non-cash \& Non-operating Expenses (Depreciation, Amortization, Loss on sale of fixed assets, Interest paid) - Non-operating Incomes (Interest/Dividend received, Profit on sale of fixed assets)$$

इसके पश्चात: **चालू संपत्तियों में कमी (+) व वृद्धि (-)** तथा **चालू दायित्वों में वृद्धि (+) व कमी (-)** को समायोजित कर आयकर घटाया जाता है।

2. **विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह (Cash Flow from Investing Activities):**

• स्थायी संपत्तियों (भूमि, भवन, मशीनरी, अमूर्त संपत्तियों) एवं दीर्घकालीन विनियोगों का **क्रय (बहिर्वाह -)** तथा **विक्रय (अंतर्वाह +)**।

• गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा अन्य कंपनियों के अंशों/ऋणपत्रों पर **प्राप्त ब्याज (Interest Received)**, **प्राप्त लाभांश (Dividend Received)** एवं संपत्ति से प्राप्त किराया।

3. **वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह (Cash Flow from Financing Activities):**

• स्वामी की पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋणों के आकार व संरचना में परिवर्तन करने वाली गतिविधियाँ— समता या पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन (+), ऋणपत्रों व दीर्घकालीन ऋणों का निर्गमन (+), पूर्वाधिकार अंशों व ऋणपत्रों का शोधन (-), अंशों की पुनर्खरीद (Buy-back of Shares -), बैंक अधिविकर्ष (Bank Overdraft / Cash Credit) में परिवर्तन।

• गैर-वित्तीय एवं वित्तीय दोनों प्रकार की कंपनियों द्वारा अपने अंशधारियों को **चुकाया गया लाभांश (Dividend Paid — यह सदैव वित्तीय क्रिया है!)** तथा गैर-वित्तीय कंपनी द्वारा ऋणों पर **चुकाया गया ब्याज (Interest Paid)**। (नोट: **वित्तीय संस्थाओं/बैंकों** के लिए ब्याज देना व ब्याज प्राप्त करना तथा लाभांश प्राप्त करना **परिचालन क्रिया [Operating Activity]** है, किंतु उनके द्वारा भी अंशधारियों को **चुकाया गया लाभांश [Dividend Paid] सदैव वित्तीय क्रिया [Financing Activity]** ही होता है; तथा **बोनस अंशों का निर्गमन या ऋणपत्रों का अंशों में रूपांतरण** एक गैर-रोकड़ लेनदेन है, इसलिए इसे रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता)।

## *अध्याय 6: अंकेक्षण (Auditing) — प्रमाणन (Vouching), सत्यापन एवं कंपनी ऑडिटर (धारा 139–148)*

### *6.1 प्रमाणन (Vouching) बनाम सत्यापन (Verification) एवं ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय*

• **अंकेक्षण की उत्पत्ति:** लैटिन शब्द **'Audire'** से, जिसका अर्थ है **'सुनना' (To hear)**। "लेखाकर्म जहाँ समाप्त होता है, अंकेक्षण वहीं से प्रारंभ होता है (*Auditing begins where Accountancy ends*)"।

**• प्रमाणन (Vouching):**

• रोनाल्ड ए. आयरिश के अनुसार— **"प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है" (*Vouching is the backbone of Auditing*)** तथा डी पौला के अनुसार— "प्रमाणन अंकेक्षण का सार तत्व है (*Vouching is the essence of Auditing*)"।

• इसमें प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज प्रविष्टियों की प्रामाणिकता, अधिकारिता और शुद्धता की जाँच मूल दस्तावेजी साक्ष्यों (**Vouchers** — रसीद, बीजक, कैश मेमो, वेतन रजिस्टर, बैंक पासबुक) से की जाती है।

• **टीमिंग एंड लेडिंग (Teeming and Lading / Lapping):** यह रोकड़ गबन (Embezzlement of Cash) की एक प्रसिद्ध विधि है जिसमें कैशियर एक देनदार ($A$) से प्राप्त नकद राशि को अपनी जेब में रख लेता है और कुछ दिनों बाद दूसरे देनदार ($B$) से राशि मिलने पर उसे $A$ के खाते में जमा दिखा देता है तथा तीसरे देनदार ($C$) से मिलने पर $B$ के खाते में दिखा देता है।

**• सत्यापन एवं मूल्यांकन (Verification and Valuation):**

• चिट्ठे (Balance Sheet) की तिथि को व्यवसाय की **संपत्तियों और दायित्वों के भौतिक अस्तित्व (Physical Existence), स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार (Ownership & Title), प्रभार या बंधक से मुक्ति (Freedom from Charge/Mortgage) तथा उचित मूल्यांकन (Proper Valuation)** की जाँच करना सत्यापन कहलाता है।

**• प्रमुख ऐतिहासिक न्यायिक वाद (Landmark Legal Cases):**

1. **किंग्सटन कॉटन मिल केस (Kingston Cotton Mill Co. Case, 1896 — न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस लोपेज):** "अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान" (***"An Auditor is a watchdog and not a bloodhound"***)— अर्थात अंकेक्षक का कर्तव्य सतर्कता और कौशल से जाँच करना है, न कि हर कर्मचारी को संदेह की दृष्टि से देखना।

2. **लंदन एंड जनरल बैंक केस (London and General Bank Case, 1895 — लॉर्ड जस्टिस लिंडले):** "अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है (*An auditor is not an insurer*); उसका कार्य यह गारंटी देना नहीं है कि लेखे पूर्णतः सत्य हैं, अपितु उचित सावधानी और कौशल का प्रयोग करना है।"

### *6.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी ऑडिटर (अध्याय X: धारा 139 से धारा 148)*

1. **धारा 138 (आंतरिक अंकेक्षण — Internal Audit):** प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company), ऐसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त पूँजी ≥ ₹50 करोड़ या टर्नओवर ≥ ₹200 करोड़ या ऋण ≥ ₹100 करोड़ या जमा ≥ ₹25 करोड़ हो, तथा ऐसी निजी कंपनी जिसका टर्नओवर ≥ ₹200 करोड़ या ऋण ≥ ₹100 करोड़ हो, को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है (जो CA, Cost Accountant या अन्य पेशेवर हो सकता है और कंपनी का कर्मचारी भी हो सकता है)।

2. **धारा 139 (वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं रोटेशन):**

**• प्रथम अंकेक्षक (First Auditor):**

• गैर-सरकारी कंपनी [धारा 139(6)]: निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा कंपनी के **पंजीकरण (Incorporation) से 30 दिनों के भीतर** नियुक्त किया जाएगा। यदि बोर्ड विफल रहता है, तो वह सदस्यों को सूचित करेगा और सदस्य **90 दिनों के भीतर** असाधारण साधारण सभा (EGM) में प्रथम ऑडिटर नियुक्त करेंगे (कार्यकाल: प्रथम AGM की समाप्ति तक)।

• सरकारी कंपनी [धारा 139(7)]: **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा कंपनी के पंजीकरण से **60 दिनों के भीतर** नियुक्त किया जाएगा; CAG के विफल रहने पर **अगले 30 दिनों में निदेशक मंडल** द्वारा; और बोर्ड के भी विफल रहने पर **अगले 60 दिनों में सदस्यों द्वारा EGM में** नियुक्त किया जाएगा (कमश: **60 – 30 – 60 दिन** का नियम)।

• **आगामी अंकेक्षक (Subsequent Auditor):**

• गैर-सरकारी कंपनी [धारा 139(1)]: प्रथम AGM में सदस्यों द्वारा **छठी AGM की समाप्ति तक (अर्थात 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए)** नियुक्त किया जाता है। कंपनी को नियुक्ति से **15 दिनों के भीतर** रजिस्ट्रार (ROC) के पास **प्रपत्र ADT-1** दाखिल करना अनिवार्य है।

• सरकारी कंपनी [धारा 139(5)]: CAG द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से **180 दिनों के भीतर** नियुक्त किया जाता है (कार्यकाल: उस वर्ष की AGM की समाप्ति तक)।

• **अंकेक्षकों का रोटेशन एवं कार्यकाल सीमा [धारा 139(2)]:** सूचीबद्ध कंपनियों एवं निर्धारित वर्ग की कंपनियों में—

• **व्यक्तिगत अंकेक्षक (Individual Auditor):** अधिकतम **1 कार्यकाल = लगातार 5 वर्ष**।

• **अंकेक्षण फर्म / LLP (Audit Firm):** अधिकतम **2 कार्यकाल = लगातार 5 + 5 = 10 वर्ष**।

• कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दोनों के लिए **5 वर्ष का कूलिंग पीरियड (Cooling-off Period)** अनिवार्य है।

• **आकस्मिक रिक्ति (Casual Vacancy — धारा 139(8)):** गैर-सरकारी कंपनी में बोर्ड द्वारा **30 दिनों** में भरी जाएगी (किंतु यदि रिक्ति **त्यागपत्र [Resignation]** के कारण हुई है, तो बोर्ड द्वारा नियुक्ति के **3 माह के भीतर साधारण सभा में सदस्यों का अनुमोदन** भी अनिवार्य है)। सरकारी कंपनी में CAG द्वारा **30 दिनों** में (विफल रहने पर बोर्ड द्वारा अगले 30 दिनों में) भरी जाएगी।

3. **धारा 140 (अंकेक्षक को हटाना एवं त्यागपत्र):**

• कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अंकेक्षक को हटाने के लिए: **निदेशक मंडल का संकल्प + 30 दिनों में केंद्र सरकार (Regional Director) को प्रपत्र ADT-2 में आवेदन कर पूर्व अनुमति + अनुमति मिलने के 60 दिनों में कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प (Special Resolution — 75% बहुमत)** पारित करना एवं ऑडिटर को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

• **त्यागपत्र [धारा 140(2)]:** त्यागपत्र देने वाले ऑडिटर को **30 दिनों के भीतर** कंपनी और ROC को (तथा सरकारी कंपनी होने पर CAG को भी) **प्रपत्र ADT-3** में कारणों का विवरण दाखिल करना होता है।

4. **धारा 141 (अंकेक्षक की योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ):**

• केवल **प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant in practice)** ही कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है।

• **अयोग्यताएँ [धारा 141(3)]:** (i) कोई निगमित निकाय (LLP को छोड़कर); (ii) कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी; (iii) ऐसा व्यक्ति या उसका साझेदार अथवा **रिश्तेदार जो कंपनी या उसकी सूत्रधारी/सहायक/सहयोगी कंपनी में ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) से अधिक की प्रतिभूतियाँ धारण करता है** (यदि रिश्तेदार ₹1 लाख से अधिक के अंश खरीद लेता है तो ऑडिटर को **60 दिनों** के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है); (iv) ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का **₹5,00,000 से अधिक का ऋणी (Indebted)** है; (v) जिसने कंपनी के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के ऋण की **₹1,00,000 से अधिक की गारंटी** दी है; (vi) जिसके पास पहले से ही **20 कंपनियों (One Person Company, Dormant Company, Small Company और ₹100 करोड़ से कम प्रदत्त पूँजी वाली Private Company को छोड़कर)** का अंकेक्षण कार्य है।

5. **धारा 142 (पारिश्रमिक):** साधारण सभा (AGM) में सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है (किंतु प्रथम ऑडिटर का पारिश्रमिक निदेशक मंडल तय करता है)।

6. **धारा 143 (अधिकार, कर्तव्य एवं धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग):**

• **धारा 143(12) — धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (Reporting of Fraud):** यदि अंकेक्षक को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा **₹1 करोड़ या उससे अधिक** की धोखाधड़ी का पता चलता है, तो वह 2 दिन में बोर्ड/ऑडिट कमेटी से उत्तर मांगेगा (45 दिन का समय) और उसके बाद **15 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रपत्र ADT-4** में रिपोर्ट भेजेगा। यदि धोखाधड़ी **₹1 करोड़ से कम** की है, तो केवल कंपनी की ऑडिट कमेटी या निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा।

7. **धारा 144 (ऑडिटर द्वारा वर्जित सेवाएँ):** वैधानिक ऑडिटर कंपनी को लेखा पुस्तकें लिखना (Book-keeping), आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit), वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन, एक्चुरियल सेवाएँ, निवेश बैंकिंग/परामर्श या प्रबंधन सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकता।

8. **धारा 145 से 148: धारा 145:** ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर (रिपोर्ट के 4 प्रकार— *Unqualified/Clean Report* [स्वच्छ रिपोर्ट], *Qualified Report* ['Subject to' शर्तों के साथ मर्यादित रिपोर्ट], *Adverse/Negative Report* [प्रतिकूल रिपोर्ट], तथा *Disclaimer of Opinion* [राय देने से इनकार]); **धारा 146:** साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार व कर्तव्य; **धारा 147:** उल्लंघन पर दंड; **धारा 148 (लागत अंकेक्षण — Cost Audit):** केंद्र सरकार के आदेश पर निर्धारित कंपनियों में **प्रैक्टिस करने वाले कॉस्ट अकाउंटेंट (CMA)** द्वारा निदेशक मंडल की नियुक्ति से लागत अंकेक्षण किया जाता है (प्रपत्र **CRA-1**: लागत लेखे; **CRA-2**: कॉस्ट ऑडिटर नियुक्ति की सूचना; **CRA-3**: कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट; **CRA-4**: केंद्र सरकार को फाइलिंग)।

## *अध्याय 7: औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) एवं भारत की 4 नवीन श्रम संहिताएँ (2019–2020)*

### *7.1 औद्योगिक संबंध के सैद्धांतिक उपागम (Approaches to Industrial Relations)*

1. **एकात्मक उपागम (Unitary Approach):** यह मानता है कि उद्योग एक एकीकृत परिवार या टीम है जहाँ नियोक्ता और कर्मचारियों का एक ही सामान्य हित और एक ही वैध सत्ता स्रोत (प्रबंधन) होता है; औद्योगिक संघर्ष अस्वाभाविक व बाहरी उकसावे का परिणाम है।

2. **बहुलवादी उपागम (Pluralistic Approach — एलन फॉक्स, क्लार्क केर, फ्लैंडर्स):** उद्योग विभिन्न हित समूहों (प्रबंधन और श्रमिक संघ) का गठबंधन है जिनके हित टकराना स्वाभाविक है; ट्रेड यूनियनें श्रमिकों की वैध प्रतिनिधि हैं और संघर्ष का समाधान **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining)** से होना चाहिए।

3. **मार्क्सवादी / रेडिकल उपागम (Marxist Approach — कार्ल मार्क्स, रिचर्ड हाइमन):** औद्योगिक संघर्ष पूँजीवादी समाज में पूँजीपति वर्ग (Bourgeoisie) और श्रमिक वर्ग (Proletariat) के बीच अधिशेष मूल्य (Surplus Value) और शक्ति के असमान वितरण के वर्ग-संघर्ष का ही प्रतिबिंब है।

4. *जॉन टी. डनलप का प्रणाली मॉडल (*Dunlop's Systems Approach, 1958* — पुस्तक 'Industrial Relations Systems'): **औद्योगिक संबंध समाज की एक उप-प्रणाली है जिसका सूत्र** $R = f(A, T, M, P, I)$ **है— जहाँ** $R$ **= कार्यस्थल के नियम (*Rules*),** $A$ **= तीन कर्ता (*Actors*: नियोक्ता/प्रबंधक, श्रमिक व उनके संगठन, तथा सरकारी एजेंसियाँ),** $T$ **= तकनीकी संदर्भ (*Technological Context*),** $M$ **= बाजार/बजटीय बाधाएँ (*Market Context*),** $P$ **= शक्ति संतुलन (*Power Distribution*), तथा** $I$* = साझा विचारधारा (Ideology that binds the system together)।

5. **वी. वी. गिरि उपागम (Giri Approach):** भारत के पूर्व राष्ट्रपति व श्रम मंत्री वी. वी. गिरि ने अनिवार्य न्यायनिर्णयन (Compulsory Adjudication / श्रम न्यायालयों) का कड़ा विरोध किया और कहा कि **अनिवार्य न्यायनिर्णयन सामूहिक सौदेबाजी का शत्रु नंबर एक है**; विवादों का निपटारा **द्विपक्षीय स्वैच्छिक सामूहिक सौदेबाजी और आपसी समझौते** से होना चाहिए।

6. **गांधीवादी न्यासिता उपागम (Gandhian Trusteeship Approach):** महात्मा गांधी (अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, 1918) के अनुसार पूँजीपति समाज की संपत्ति के केवल **'ट्रस्टी' (न्यासधारी)** हैं; सत्य, अहिंसा और स्वैच्छिक मध्यस्थता (Arbitration) से विवाद सुलझने चाहिए तथा हड़ताल केवल अंतिम अस्त्र (Last Resort) के रूप में अहिंसक तरीके से होनी चाहिए।

### *7.2 भारत की 4 नवीन श्रम संहिताएँ (4 New Labour Codes — 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समामेलन)*

**द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (Second National Commission on Labour, 2002 — अध्यक्ष: रवींद्र वर्मा; जबकि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966–1969 के अध्यक्ष डॉ. पी. बी. गजेंद्रगडकर थे)** की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 29 जटिल केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल व आधुनिक बनाकर **4 श्रम संहिताओं** में संहिताबद्ध किया है:

##### 1. वेतन संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019 — अधिनियम संख्या 29/2019, राष्ट्रपति की स्वीकृति: 8 अगस्त 2019)

- **समाहित किए गए 4 पूर्ववर्ती कानून:**

1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936)
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948)

3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965)

4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)

• **संरचना:** कुल **9 अध्याय और 69 धाराएँ**।

• **प्रमुख परीक्षा-उपयोगी प्रावधान:**

• **सार्वभौमिक विस्तार:** मजदूरी भुगतान और न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान अब केवल अनुसूचित रोजगारों (Scheduled Employments) या किसी वेतन सीमा (जैसे पूर्व की ₹24,000/माह सीमा) तक सीमित न रहकर **संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू** कर दिए गए हैं।

• **'वेतन' (Wages) की एकसमान परिभाषा [धारा 2(y)] एवं 50% की उच्चतम सीमा (50% Ceiling on Allowances):**

• **वेतन में शामिल 3 घटक:** (i) मूल वेतन (Basic Pay), (ii) महंगाई भत्ता (Dearness Allowance — DA), तथा (iii) प्रतिधारण भत्ता (Retaining Allowance)।

• **वेतन से बाहर रखे गए भत्ते (Exclusions):** मकान किराया भत्ता (HRA), बोनस, नियोक्ता का PF/पेंशन अंशदान, यात्रा रियायत, ओवरटाइम भत्ता, कमीशन, ग्रेच्युटी व छंटनी मुआवजा।

• **50% का नियम (Proviso):** यदि ग्रेच्युटी और छंटनी मुआवजे को छोड़कर शेष बहिष्कृत भत्तों (जैसे HRA, यात्रा भत्ता, विशेष भत्ता आदि) का कुल योग कर्मचारी के **कुल पारिश्रमिक (Total Remuneration) के 50% से अधिक** होता है, तो **50% से अधिक वाला अतिरिक्त भाग स्वतः 'वेतन' (Wages) में जोड़ दिया जाएगा** (जिससे PF व ग्रेच्युटी की गणना के लिए मूल आधार कम से कम 50% सुनिश्चित रहेगा)।

• **लैंगिक भेदभाव का निषेध (धारा 3):** भर्ती तथा समान या समान प्रकृति के कार्य के लिए वेतन में पुरुष, महिला और **ट्रांसजेंडर (सभी लिंगों)** के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध।

• **न्यूनतम वेतन का निर्धारण व पुनरीक्षण (धारा 6 से 8):** न्यूनतम वेतन का निर्धारण केवल **कौशल स्तर (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, उच्च कुशल)** और **भौगोलिक क्षेत्र** व कार्य की कठिन परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। समुचित सरकार कम से कम **प्रत्येक 5 वर्ष से अनधिक अंतराल** पर न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण (Revision) करेगी।

• **राष्ट्रीय फ्लोर वेतन (Floor Wage — धारा 9):** केंद्र सरकार श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक **'फ्लोर वेज'** निर्धारित करेगी (विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग हो सकता है)। कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य का न्यूनतम वेतन केंद्र द्वारा निर्धारित **फ्लोर वेज से कम निर्धारित नहीं कर सकती**।

• **ओवरटाइम दर (धारा 14):** सामान्य कार्य घंटों से अधिक कार्य करने पर **सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुनी (2 times) दर** से ओवरटाइम वेतन दिया जाएगा।

• **वेतन भुगतान की समय-सीमा (धारा 17):**

• दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी: **दैनिक शिफ्ट की समाप्ति पर**;

• साप्ताहिक आधार पर: **सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर**;

• पाक्षिक (Fortnightly) आधार पर: **पखवाड़े की समाप्ति के बाद 2वें दिन की समाप्ति से पूर्व**;

• मासिक आधार पर: **अगले माह की 7 तारीख की समाप्ति से पूर्व**;

• **कर्मचारी को हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने, छंटनी किए जाने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर:** उसके सेवा से अलग होने के **2 कार्यदिवसों (Within 2 Working Days) के भीतर** संपूर्ण बकाया वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है!

• **वेतन से कटौतियाँ (धारा 18):** किसी भी मजदूरी अवधि में कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कुल अधिकृत कटौतियाँ (सहकारी समितियों के लिए भी) उसके **कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकतीं**।

• **बोनस संदाय के प्रावधान (अध्याय IV: धारा 26 से 41):**

• ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू जहाँ किसी लेखा वर्ष में **20 या अधिक कर्मचारी** कार्यरत हैं।

• समुचित सरकार द्वारा निर्धारित वेतन सीमा तक वेतन पाने वाला प्रत्येक कर्मचारी जिसने उस लेखा वर्ष में कम से कम **30 कार्यदिवस** कार्य किया है, बोनस का हकदार होगा।

• **न्यूनतम बोनस:** वेतन का **8.33%** या ₹100 (जो अधिक हो)—चाहे नियोक्ता को उस वर्ष कोई आवंटन योग्य अधिशेष (Allocable Surplus) हुआ हो या नहीं; **अधिकतम बोनस:** वेतन का **20%**। (आवंटन योग्य अधिशेष अधिक होने पर 'Set-on' और कम होने पर 'Set-off' अगले **4 लेखा वर्षों** तक आगे ले जाया जाता है; बोनस का भुगतान लेखा वर्ष की समाप्ति से **8 माह** के भीतर करना होता है)।

• **दावों की समय-सीमा (धारा 45):** वेतन/बोनस के दावे प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि (Limitation Period) को पूर्व के 6 माह–2 वर्ष से बढ़ाकर **3 वर्ष** कर दिया गया है तथा 'इंस्पेक्टर' के स्थान पर **'इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर' (Inspector-cum-Facilitator)** की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

##### 2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020 — अधिनियम संख्या 35/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020)

• **समाहित किए गए 3 पूर्ववर्ती कानून:**

1. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926)
2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment [Standing Orders] Act, 1946)
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

• **संरचना:** कुल **14 अध्याय, 104 धाराएँ और 3 अनुसूचियाँ**।

• **प्रमुख परीक्षा-उपयोगी प्रावधान:**

• **'श्रमिक' (Worker) की परिभाषा [धारा 2(zr)]:** पर्यवेक्षकीय (Supervisory) क्षमता में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जिनका वेतन **₹18,000 प्रति माह** से अधिक है, उन्हें 'श्रमिक' की परिभाषा से बाहर रखा गया है (पूर्व में यह सीमा ₹10,000 थी)।

• **कार्य समिति (Works Committee — धारा 3) एवं शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee — धारा 4):**

• **100 या अधिक श्रमिकों** वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ता और श्रमिकों के समान प्रतिनिधियों से मिलकर **कार्य समिति (Works Committee)** का गठन।

• **20 या अधिक श्रमिकों** वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में व्यक्तिगत शिकायतों के निपटारे हेतु **शिकायत निवारण समिति (GRC — अधिकतम 10 सदस्य)** का गठन अनिवार्य है, जो **30 दिनों** के भीतर शिकायत का निर्णय करेगी।

• **ट्रेड यूनियन का पंजीकरण (धारा 6):** किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों के **कम से कम 10% या 100 श्रमिक (जो भी कम हो)**, किंतु किसी भी दशा में **न्यूनतम 7 सदस्यों** के हस्ताक्षर से ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

• **वार्ताकार यूनियन एवं वार्ताकार परिषद (Negotiating Union & Negotiating Council — धारा 14, ऐतिहासिक नया प्रावधान):**

• यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में केवल एक ही पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, तो वही एकमात्र वार्ताकार यूनियन (Sole Negotiating Union) होगी।

• यदि एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें हैं, तो उस यूनियन को **'एकमात्र वार्ताकार यूनियन' (Sole Negotiating Union)** के रूप में मान्यता दी जाएगी जिसके पास प्रतिष्ठान के मस्टर रोल के **कम से कम 51% या अधिक श्रमिकों** का समर्थन/सदस्यता हो।

• यदि किसी भी एक यूनियन के पास 51% सदस्यों का समर्थन नहीं है, तो नियोक्ता ऐसी सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक **'वार्ताकार परिषद' (Negotiating Council)** का गठन करेगा जिनमें से प्रत्येक यूनियन के पास **कम से कम 20% श्रमिकों** की सदस्यता हो (प्रत्येक 20% पर 1 प्रतिनिधि)। मान्यता की वैधता **3 वर्ष** (अधिकतम 5 वर्ष तक विस्तार योग्य) होगी।

• **स्थायी आदेश (Standing Orders — अध्याय IV, धारा 28 से 39):** अब केवल उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जिनमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन **300 या अधिक श्रमिक** कार्यरत रहे हैं (पूर्ववर्ती 1946 के अधिनियम में यह सीमा 100 श्रमिक थी)।

• **निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment — FTE):** FTE को पूर्ण वैधानिक मान्यता दी गई है; निश्चित अवधि के कर्मचारियों को कार्य के घंटे, वेतन, भत्ते व अन्य लाभ स्थायी कर्मचारियों के समान ही मिलेंगे और वे केवल **1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आनुपातिक ग्रेच्युटी (Pro-rata Gratuity)** के पात्र होंगे।

• **हड़ताल एवं तालाबंदी (Strike and Lock-out — धारा 62, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन):**

• पूर्व में केवल जनोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) में हड़ताल से पहले नोटिस देना अनिवार्य था, किंतु **नई संहिता की धारा 62 के अंतर्गत अब सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों (All Industrial Establishments) में बिना पूर्व नोटिस के हड़ताल या तालाबंदी करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है**।

• हड़ताल या तालाबंदी से पहले **60 दिनों के भीतर कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस** देना अनिवार्य है (अर्थात नोटिस देने के बाद 14 दिन बीतने से पहले और 60 दिन बीतने के बाद हड़ताल नहीं की जा सकती)।

• **सामूहिक आकस्मिक अवकाश (Mass Casual Leave — धारा 2(zk)):** किसी एक निश्चित दिन किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत **50% या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा एक साथ आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)** पर चले जाने को अब वैधानिक रूप से **'हड़ताल' (Strike)** माना गया है!

• **कामबंदी (Lay-off), छंटनी (Retrenchment) एवं बंदी (Closure) के लिए पूर्व सरकारी अनुमति की सीमा (अध्याय X, धारा 77):**

• जिन गैर-मौसमी कारखानों, खानों और बागानों में पिछले 12 महीनों में औसतन **300 या अधिक श्रमिक** कार्यरत हैं (पूर्ववर्ती औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय V-B में यह सीमा **100 श्रमिक** थी), उन्हें कामबंदी, छंटनी या प्रतिष्ठान बंद करने से पहले समुचित सरकार की **पूर्व अनुमति (Prior Permission)** लेना अनिवार्य होगा (100 से 299 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में 60/90 दिन का नोटिस व मुआवजा देना पर्याप्त है, पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है)।

• कामबंदी मुआवजा: मूल वेतन + DA का **50%**; छंटनी मुआवजा: प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए **15 दिनों का औसत वेतन**।

• **श्रमिक पुनः-कौशल कोष (Worker Reskilling Fund — धारा 83, नवीन प्रावधान):**

• छंटनी (Retrenchment) किए गए श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु एक 'री-स्किलिंग फंड' स्थापित किया जाएगा, जिसमें नियोक्ता को **छंटनी किए गए प्रत्येक श्रमिक के अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों (15 Days' Wages) के बराबर राशि** का अंशदान करना होगा। यह राशि छंटनी के **45 दिनों के भीतर** सीधे श्रमिक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

##### 3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020 — अधिनियम संख्या 36/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020)

• **समाहित किए गए 9 पूर्ववर्ती कानून:**

1. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (Employees' Compensation Act, 1923)
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)
3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952)
4. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)
6. उपदान (ग्रेच्युटी) संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972)
7. सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981
8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (BOCW Cess Act, 1996)
9. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

• **संरचना:** कुल **14 अध्याय, 164 धाराएँ और 7 अनुसूचियाँ**।

• **प्रमुख परीक्षा-उपयोगी प्रावधान:**

• **गिग वर्कर्स (Gig Workers) एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Platform Workers) को प्रथम बार वैधानिक मान्यता:**

• **गिग वर्कर [धारा 2(35)]:** ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (Traditional Employer-Employee Relationship) के बाहर कार्य करता है और कार्य-आधारित आय अर्जित करता है (जैसे फ्रीलांसर, डिलीवरी पार्टनर)।

• **प्लेटफॉर्म वर्कर [धारा 2(60)]:** ऐसा व्यक्ति जो किसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे Uber, Ola, Zomato, Swiggy, Urban Company आदि एग्रीगेटर्स) के माध्यम से ग्राहकों को सेवाएँ देता है।

• **एग्रीगेटर्स का अंशदान (धारा 114):** असंगठित, गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए गठित **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund)** में एग्रीगेटर्स (Aggregators — सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 9 श्रेणियाँ) को अपने **वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% तक (किंतु जो उनके द्वारा गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय कुल राशि के 5% से अधिक न हो)** का अंशदान करना होगा।

• **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF — अध्याय III):**

• **20 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू।

• नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का मानक अंशदान वेतन का **10% (अधिसूचित प्रतिष्ठानों में 12%)** है; केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों या किसी विशेष वर्ग के लिए कर्मचारी अंशदान की दर को कम भी कर सकती है।

• **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC — अध्याय IV):**

• **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू।

• **खतरनाक या जीवन के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय (Hazardous Occupation) चलाने वाले प्रतिष्ठानों में यदि केवल 1 कर्मचारी भी कार्यरत है,** तो उस पर भी ESIC की कवरेज अनिवार्य की जा सकती है तथा **बागानों (Plantations)** के मालिकों को स्वैच्छिक रूप से ESIC में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।

• **उपदान / ग्रेच्युटी (Gratuity — अध्याय V, धारा 53 से 58):**

• **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह और दुकान/प्रतिष्ठान पर लागू।

• **अर्हकारी सेवा अवधि (Qualifying Service):**

• सामान्य स्थायी कर्मचारियों के लिए: कम से कम **5 वर्ष की निरंतर सेवा** (मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती);

• **श्रमजीवी पत्रकारों (Working Journalists)** के लिए: **3 वर्ष की निरंतर सेवा** (पूर्व के 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया);

• **निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed Term Employees — FTE)** के लिए: मात्र **1 वर्ष की सेवा** या अनुबंध की समाप्ति पर आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर ग्रेच्युटी देय होगी!

• **ग्रेच्युटी की गणना का सूत्र:** प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष (6 माह से अधिक की अवधि को 1 पूर्ण वर्ष माना जाएगा) के लिए **15 दिनों का अंतिम आहरित वेतन** (महीने में 26 कार्यदिवस मानते हुए):

$Gratuity = Last Drawn Wage (Basic + DA) × (15 / 26) × Completed Years of Service$

(मौसमी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को प्रत्येक सीजन के लिए 7 **दिनों** के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी मिलती है; अधिकतम वैधानिक/कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा **₹20 लाख** है)।

• **मातृत्व लाभ (Maternity Benefit — अध्याय VI, धारा 59 से 72):**

• **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठानों पर लागू (पात्रता: अपेक्षित प्रसव तिथि से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम **80 दिन** कार्य किया हो)।

• **प्रथम दो जीवित बच्चों तक:** अधिकतम **26 सप्ताह** का सवेतन मातृत्व अवकाश (जिसमें से प्रसव की अपेक्षित तिथि से पूर्व अधिकतम **8 सप्ताह** लिए जा सकते हैं)।

• **दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर (तीसरे बच्चे से):** अधिकतम **12 सप्ताह** (प्रसव पूर्व अधिकतम 6 सप्ताह)।

• **3 माह से कम आयु के शिशु को वैधानिक रूप से गोद लेने वाली महिला (Adoptive Mother) तथा कमीशनिंग माता (Commissioning Mother — सरोगेसी में):** बच्चे को सौंपे जाने की तिथि से **12 सप्ताह** का सवेतन मातृत्व अवकाश।

• **चिकित्सा बोनस (Medical Bonus):** यदि नियोक्ता निःशुल्क प्रसव-पूर्व व प्रसव-पश्चात चिकित्सा सुविधा नहीं देता है, तो **₹3,500** का चिकित्सा बोनस।

• **शिशु गृह / क्रेच सुविधा (Crèche Facility — धारा 67): 50 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा होना अनिवार्य है और महिला को प्रतिदिन **4 बार क्रेच में जाने (नर्सिंग ब्रेक सहित)** की अनुमति होगी।

##### 4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (The OSHWC Code, 2020 — अधिनियम संख्या 37/2020, स्वीकृति: 28 सितंबर 2020)

• **समाहित किए गए 13 पूर्ववर्ती कानून:**

1. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948)

2. खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952)

3. गोदी कर्मकार अधिनियम, 1986 (Dock Workers Act, 1986)

4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 (BOCW Act, 1996)

5. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (Plantations Labour Act, 1951)

6. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (Contract Labour Act, 1970)

7. अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 (Inter-State Migrant Workmen Act, 1979)

8. श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

9. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958

10. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (Motor Transport Workers Act, 1961)

11. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (Sales Promotion Employees Act, 1976)

12. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

13. सिने कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार अधिनियम, 1981

• **संरचना:** कुल **14 अध्याय, 143 धाराएँ और 3 अनुसूचियाँ**।

• **प्रमुख परीक्षा-उपयोगी प्रावधान:**

• **'कारखाना' (Factory) की नई दहलीज सीमा [धारा 2(w)]:**

• जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया **विद्युत (Power) की सहायता से** चलती है: **20 या अधिक श्रमिक** (पूर्ववर्ती कारखाना अधिनियम, 1948 में यह सीमा **10 श्रमिक** थी);

• जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया **बिना विद्युत (Without Power) के** चलती है: **40 या अधिक श्रमिक** (पूर्ववर्ती कारखाना अधिनियम में यह सीमा **20 श्रमिक** थी)।

• **ठेका श्रम (Contract Labour — अध्याय XI, धारा 45 से 58):**

• अब उन प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू होगा जहाँ पिछले 12 महीनों में **50 या अधिक ठेका श्रमिक** नियोजित किए गए हैं (पूर्ववर्ती 1970 के कानून में यह सीमा **20 श्रमिक** थी)।

• ठेकेदारों के लिए **एकल अखिल भारतीय लाइसेंस (Single All-India License)** का प्रावधान जो **5 वर्षों** के लिए वैध होगा।

• किसी भी प्रतिष्ठान की **मुख्य गतिविधियों (Core Activities) में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित** किया गया है (सिवाय 11 गैर-मुख्य गतिविधियों जैसे स्वच्छता, सुरक्षा गार्ड, कैंटीन, लोडिंग-अनलोडिंग, कूरियर, बागवानी आदि के या जहाँ कार्य की प्रकृति में अचानक अस्थायी वृद्धि हो)।

• **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (Inter-State Migrant Workers — अध्याय XI भाग II, धारा 59 से 65):**

• **10 या अधिक** अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू।

• इसमें ठेकेदार के माध्यम से आने वाले श्रमिकों के साथ-साथ **स्वयं अपने दम पर दूसरे राज्य में जाकर रोजगार पाने वाले ऐसे श्रमिकों को भी शामिल किया गया है जिनका वेतन अधिकतम ₹18,000 प्रति माह तक है**।

• नियोक्ता द्वारा प्रवासी श्रमिक को **वर्ष में एक बार अपने गृहनगर जाने और आने के लिए एकमुश्त यात्रा भत्ता (Journey Allowance / Toll-free helpline)** देना अनिवार्य है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS — One Nation One Ration Card) का लाभ कार्यरत राज्य में भी मिलेगा।

• **कार्य के घंटे, ओवरटाइम एवं वार्षिक सवेतन अवकाश (धारा 25 से 32):**

• किसी भी श्रमिक से प्रतिदिन **अधिकतम 8 घंटे** और प्रति सप्ताह **अधिकतम 48 घंटे** (सप्ताह में अधिकतम 6 कार्यदिवस) से अधिक काम नहीं लिया जाएगा।

• ओवरटाइम कार्य केवल **श्रमिक की लिखित सहमति (With Consent of Worker)** से ही कराया जा सकेगा और उसके लिए **दोगुनी दर (2x)** से मजदूरी देय होगी।

• **वार्षिक सवेतन अवकाश (Annual Leave with Wages — धारा 32) की अर्हता में बड़ी राहत:** पूर्व के कारखाना अधिनियम में सवेतन अवकाश पाने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में **240 दिन** कार्य करना अनिवार्य था; **नवीन OSHWC संहिता में इसे घटाकर मात्र 180 दिन कर दिया गया है**! 180 दिन कार्य करने वाले श्रमिक को प्रत्येक **20 कार्यदिवसों पर 1 दिन का सवेतन अवकाश** (खान में भूमिगत कार्य करने वालों को प्रत्येक **15 दिन पर 1 दिन** का अवकाश) मिलेगा।

• **महिलाओं को रात्रिकालीन एवं सभी प्रतिष्ठानों में कार्य का अधिकार (धारा 43 एवं 44):**

• महिलाओं को उनकी **सहमति से शाम 7:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे से पहले (रात्रिकालीन पाली में)** सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों (खानों सहित) में कार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोक्ता द्वारा सुरक्षा, अवकाश और परिवहन की निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं।

• **अनिवार्य नियुक्ति पत्र एवं निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच (धारा 6):** प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से **लिखित नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)** देना होगा और निर्धारित आयु से ऊपर के कर्मचारियों की **निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच (Free Annual Health Check-up)** करानी होगी।

• **कल्याणकारी सुविधाओं एवं सुरक्षा समिति की सीमाएँ (धारा 22 एवं 24):**

• **कैंटीन (Canteen): 100 या अधिक श्रमिकों** (अंतर-राज्यीय प्रवासी व ठेका श्रमिकों सहित) वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य (पूर्व में कारखाना अधिनियम में यह सीमा 250 श्रमिक थी!)।

• **कल्याण अधिकारी (Welfare Officer): 250 या अधिक श्रमिकों** वाले कारखाने, खान या बागान में अनिवार्य (पूर्व में कारखाना अधिनियम में यह सीमा 500 श्रमिक थी!)।

• **सुरक्षा समिति (Safety Committee — नियोक्ता और श्रमिकों के बराबर प्रतिनिधि): 500 या अधिक श्रमिकों वाले कारखाने, 250 या अधिक श्रमिकों वाले भवन/निर्माण कार्य**, तथा **100 या अधिक श्रमिकों वाली खान** में अनिवार्य।

1. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** लेखांकन की किस परंपरा (Convention) के कारण अंतिम रहतिया (Closing Stock) का मूल्यांकन 'लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य बाजार मूल्य, दोनों में से जो कम हो' (Lower of Cost or NRV) पर किया जाता है और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाता है?

• (A) रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा (Convention of Conservatism / Prudence)

• (B) पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा (Convention of Full Disclosure)

• (C) एकरूपता की परंपरा (Convention of Consistency)

• (D) सारता की परंपरा (Convention of Materiality)

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** रूढ़िवादिता की परंपरा (*"Anticipate no profit, but provide for all possible losses"*) के अंतर्गत संभावित हानियों के लिए आयोजन किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को Cost या NRV जो कम हो उस पर दिखाया जाता है।

2. **[UPSC APFC 2023]** 'अदत्त वेतन खाता' (Outstanding Salary A/c), 'पूर्वदत्त बीमा खाता' (Prepaid Insurance A/c) और 'उपार्जित ब्याज खाता' (Accrued Interest A/c) खातों के पारंपरिक वर्गीकरण में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं?

• (A) नाममात्र के खाते (Nominal Accounts)

• (B) मूर्त वास्तविक खाते (Tangible Real Accounts)

• (C) प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते (Representative Personal Accounts)

• (D) कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Artificial Personal Accounts)

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** जब भी किसी आय या व्यय (Nominal Account) के साथ Outstanding, Prepaid, Accrued या Unearned जुड़ जाता है, तो वह उस व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे राशि देनी या जिससे लेनी है, अतः वह Representative Personal Account बन जाता है।

3. **[SSC CGL AAO 2024]** एक मशीन की स्थापना (Installation) पर अपने ही कर्मचारियों को चुकाई गई ₹15,000 की मजदूरी को लेखापाल ने भूलवश 'मजदूरी खाते' (Wages A/c) में डेबिट कर दिया। यह किस प्रकार की अशुद्धि है और इसका तलपट व लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• (A) हिसाब की अशुद्धि; तलपट का योग नहीं मिलेगा

• (B) सैद्धांतिक अशुद्धि (Error of Principle); तलपट मिल जाएगा किंतु सकल एवं शुद्ध लाभ ₹15,000 से कम हो जाएगा

• (C) क्षतिपूरक अशुद्धि; लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

• (D) आंशिक भूलचूक की अशुद्धि; उचंत खाता खोलना पड़ेगा

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** पूँजीगत व्यय (मशीन स्थापना व्यय, जिसे Machinery A/c में डेबिट होना चाहिए था) को आयगत व्यय (Wages A/c) मान लेना 'सैद्धांतिक अशुद्धि' है। इससे तलपट प्रभावित नहीं होता, किंतु लाभ ₹15,000 से कम दिखता है।

4. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** एक कंपनी का चालू अनुपात (Current Ratio) 2.5 : 1 है और उसका त्वरित अनुपात (Quick Ratio) 1.5 : 1 है। यदि कंपनी की शुद्ध कार्यशील पूँजी (Net Working Capital) ₹1,50,000 है, तो कंपनी के रहतिया (Inventory/Stock) का मूल्य क्या होगा?

• (A) ₹75,000

• (B) ₹1,50,000

• (C) ₹1,25,000

• (D) ₹1,00,000

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** माना चालू दायित्व (CL) = x, तो चालू संपत्तियाँ (CA) = 2.5x। कार्यशील पूँजी = CA - CL = 2.5x - x = 1.5x = 1,50,000 ⇒ x (CL) = ₹1,00,000 तथा CA = ₹2,50,000। त्वरित संपत्तियाँ (QA) = 1.5 × CL = ₹1,50,000। अतः रहतिया (Inventory) = CA - QA = 2,50,000 - 1,50,000 = ₹1,00,000।

5. **[UPSC APFC 2023]** वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के अनुसार 'वेतन' (Wages) की परिभाषा में बहिष्कृत भत्तों (Exclusions जैसे HRA, यात्रा भत्ता, विशेष भत्ता आदि) की अधिकतम सीमा कुल पारिश्रमिक का कितने प्रतिशत रखी गई है, और किसी कर्मचारी के बर्खास्त होने या त्यागपत्र देने पर उसका अंतिम वेतन कितने समय में चुकाना अनिवार्य है?

• (A) 50% सीमा; 2 कार्यदिवसों (Within 2 Working Days) के भीतर

• (B) 40% सीमा; 7 दिनों के भीतर

• (C) 60% सीमा; 15 दिनों के भीतर

• (D) 33% सीमा; 30 दिनों के भीतर

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** वेतन संहिता, 2019 की धारा 2(y) के अनुसार बहिष्कृत भत्ते कुल पारिश्रमिक के 50\% से अधिक नहीं हो सकते (अतिरिक्त भाग मूल वेतन में जुड़ जाएगा), और धारा 17(2) के अनुसार सेवा समाप्ति या त्यागपत्र पर 2 कार्यदिवसों के भीतर वेतन भुगतान अनिवार्य है।

6. **[ESIC Deputy Director 2022]** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के अंतर्गत किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कामबंदी (Lay-off), छंटनी (Retrenchment) या बंदी (Closure) के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने की श्रमिक संख्या सीमा और स्थायी आदेश (Standing Orders) लागू होने की सीमा को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?

• (A) 200 श्रमिक

• (B) 250 श्रमिक

• (C) 500 या अधिक श्रमिक

• (D) 300 या अधिक श्रमिक

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IV (धारा 28 — स्थायी आदेश) और अध्याय X (धारा 77 — कामबंदी/छंटनी/बंदी हेतु पूर्व अनुमति) दोनों में श्रमिक संख्या की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 या अधिक श्रमिक कर दिया गया है।

7. **[SSC CGL AAO 2023]** एक फर्म में $P$ और $Q$, 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। वे $R$ को नया साझेदार बनाते हैं और भविष्य के लिए P, Q तथा $R$ का नया लाभ-विभाजन अनुपात 15 : 11 : 14 निर्धारित किया जाता है। $P$ और $Q$ का त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio) क्या होगा?

• (A) 3 : 2

• (B) 15 : 11

• (C) 9 : 5

• (D) 7 : 5

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** सूत्र: Sacrificing Ratio = Old Share - New Share। $P$ का पुराना हिस्सा = (3 / 5) = (24 / 40) तथा $Q$ का पुराना हिस्सा = (2 / 5) = (16 / 40)। $P$ का त्याग = (24 / 40) - (15 / 40) = (9 / 40); $Q$ का त्याग = (16 / 40) - (11 / 40) = (5 / 40)। अतः $P$ और $Q$ का त्याग अनुपात = 9 : 5 है।

8. **[UPSC EPFO EO/AO 2021]** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार किसी 'सरकारी कंपनी' (Government Company) के प्रथम अंकेक्षक (First Auditor) की नियुक्ति किसके द्वारा और कितने दिनों के भीतर की जाती है?

• (A) निदेशक मंडल द्वारा पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर

• (B) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर (विफल रहने पर अगले 30 दिन में बोर्ड द्वारा और उसके विफल रहने पर अगले 60 दिन में सदस्यों द्वारा)

• (C) केंद्र सरकार द्वारा 90 दिनों के भीतर

• (D) अंशधारियों द्वारा प्रथम वार्षिक साधारण सभा में 180 दिनों के भीतर

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** सरकारी कंपनी में प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति का नियम **60–30–60 दिन** है: पहले 60 दिन में CAG द्वारा, विफल होने पर अगले 30 दिन में बोर्ड द्वारा, और उसके भी विफल होने पर अगले 60 दिन में EGM में सदस्यों द्वारा।

9. **[UPSC APFC 2023]** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के अनुसार 'ग्रेच्युटी' (Gratuity) प्राप्त करने के लिए स्थायी कर्मचारियों, श्रमजीवी पत्रकारों (Working Journalists) और निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed Term Employees) के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है?

• (A) सभी के लिए 5 वर्ष

• (B) स्थायी कर्मचारी: 3 वर्ष; श्रमजीवी पत्रकार: 2 वर्ष; निश्चित अवधि कर्मचारी: 1 वर्ष

• (C) स्थायी कर्मचारी: 5 वर्ष; श्रमजीवी पत्रकार: 5 वर्ष; निश्चित अवधि कर्मचारी: 2 वर्ष

• (D) स्थायी कर्मचारी: 5 वर्ष; श्रमजीवी पत्रकार: 3 वर्ष; निश्चित अवधि कर्मचारी (FTE): 1 वर्ष

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 53 के तहत सामान्य कर्मचारियों हेतु 5 वर्ष, श्रमजीवी पत्रकारों हेतु 3 वर्ष, और Fixed Term Employees (FTE) हेतु 1 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी का अधिकार दिया गया है।

10. **[SSC CGL AAO 2024]** एक व्यापार का प्रारंभिक रहतिया (Opening Stock) ₹40,000, अंतिम रहतिया (Closing Stock) ₹60,000, शुद्ध क्रय (Net Purchases) ₹3,20,000, प्रत्यक्ष मजदूरी (Wages) ₹50,000 और शुद्ध विक्रय (Net Sales) ₹5,00,000 है। फर्म का 'स्कंध आवर्त अनुपात' (Inventory Turnover Ratio) और 'सकल लाभ अनुपात' (Gross Profit Ratio) क्या होगा?

• (A) 7 गुना (7 Times) और 30%

• (B) 6 गुना और 25%

• (C) 8 गुना और 20%

• (D) 5 गुना और 35%

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** बेचे गए माल की लागत (COGS) $= Opening Stock + Purchases + Wages - Closing Stock = 40,000 + 3,20,000 + 50,000 - 60,000 = ₹3,50,000$। औसत रहतिया (Average Inventory) = (40,000 + 60,000 / 2) = ₹50,000। अतः ITR = (3,50,000 / 50,000) = 7\text{ Times}। सकल लाभ = 5,00,000 - 3,50,000 = ₹1,50,000 ⇒ GP Ratio = (1,50,000 / 5,00,000) × 100 = 30\%$।

11. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020) के अनुसार 'कारखाना' (Factory) की परिभाषा के लिए श्रमिकों की न्यूनतम संख्या (विद्युत सहित एवं बिना विद्युत के) तथा वार्षिक सवेतन अवकाश के लिए न्यूनतम कार्यदिवसों की अर्हता क्या कर दी गई है?

• (A) विद्युत सहित: 10, बिना विद्युत: 20; सवेतन अवकाश अर्हता: 240 दिन

• (B) विद्युत सहित: 20 या अधिक, बिना विद्युत: 40 या अधिक; सवेतन अवकाश अर्हता: 240 दिन से घटाकर 180 दिन

• (C) विद्युत सहित: 50, बिना विद्युत: 100; सवेतन अवकाश अर्हता: 200 दिन

• (D) विद्युत सहित: 15, बिना विद्युत: 30; सवेतन अवकाश अर्हता: 150 दिन

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** OSHWC संहिता 2020 की धारा 2(w) में कारखाने की सीमा विद्युत सहित 10 से बढ़ाकर 20 और बिना विद्युत के 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई है, तथा धारा 32 में सवेतन अवकाश हेतु न्यूनतम कार्यदिवस 240 से घटाकर 180 दिन कर दिए गए हैं।

12. **[ESIC Deputy Director 2022]** लेखांकन मानक-3 (AS-3 Revised: Cash Flow Statement) के अनुसार एक 'गैर-वित्तीय कंपनी' (Non-Financial Enterprise) के लिए (i) मशीनरी की खरीद पर भुगतान, (ii) अन्य कंपनी के अंशों पर प्राप्त लाभांश, और (iii) अपने अंशधारियों को चुकाया गया लाभांश (Dividend Paid) क्रमशः किन क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे?

• (A) परिचालन, विनियोग और वित्तीय क्रिया

• (B) विनियोग क्रिया, वित्तीय क्रिया और परिचालन क्रिया

• (C) विनियोग क्रिया, विनियोग क्रिया और वित्तीय क्रिया

• (D) वित्तीय क्रिया, विनियोग क्रिया और विनियोग क्रिया

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** गैर-वित्तीय कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति (मशीनरी) का क्रय और निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज दोनों 'विनियोग क्रिया' (Investing Activity) हैं, जबकि अपने अंशधारियों को चुकाया गया लाभांश (Dividend Paid) सदैव 'वित्तीय क्रिया' (Financing Activity) होता है।

13. **[UPSC APFC 2023]** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 14 के अंतर्गत यदि किसी प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें हैं, तो 'एकमात्र वार्ताकार यूनियन' (Sole Negotiating Union) बनने के लिए कितने प्रतिशत श्रमिकों की सदस्यता आवश्यक है, और किसी भी यूनियन के पास उतनी सदस्यता न होने पर 'वार्ताकार परिषद' (Negotiating Council) में शामिल होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सदस्यता अनिवार्य है?

• (A) 75% और 25%

• (B) 50% और 10%

• (C) 66% और 15%

• (D) 51% या अधिक (Sole Negotiating Union हेतु); 20% या अधिक (Negotiating Council हेतु)

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** धारा 14 के अनुसार 51% या अधिक श्रमिक सदस्यता वाली यूनियन को 'Sole Negotiating Union' की मान्यता मिलती है; किसी के पास 51% न होने पर न्यूनतम 20% सदस्यता वाली यूनियनों को मिलाकर 'Negotiating Council' गठित की जाती है।

14. **[SSC CGL AAO 2024]** एक साझेदार फर्म से प्रत्येक माह की पहली तारीख (Beginning of every month) को वर्ष भर ₹4,000 का समान आहरण करता है। यदि साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है, तो वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा?

• (A) ₹2,600

• (B) ₹2,400

• (C) ₹2,200

• (D) ₹4,800

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** कुल वार्षिक आहरण = 4,000 × 12 = ₹48,000। प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करने पर औसत अवधि = (12 + 1 / 2) = 6.5 माह। अतः ब्याज = 48,000 × (10 / 100) × (6.5 / 12) = ₹2,600 (माह के मध्य में ₹2,400 और माह के अंत में 5.5 माह के हिसाब से ₹2,200 होता)।

15. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** किस प्रसिद्ध न्यायिक वाद में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था कि "एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान" (*An auditor is a watchdog and not a bloodhound*)?

• (A) लंदन एंड जनरल बैंक केस (1895)

• (B) रॉबिन्सन बनाम डिकिन्सन केस (1888)

• (C) किंग्सटन कॉटन मिल कंपनी केस (1896)

• (D) गार्नर बनाम मरे केस (1904)

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** किंग्सटन कॉटन मिल केस (1896) में न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस लोपेज ने प्रतिपादित किया कि अंकेक्षक एक वॉचडॉग (Watchdog) है, ब्लडहाउंड (Bloodhound) नहीं।

16. **[UPSC APFC 2023]** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 83 के अंतर्गत गठित 'श्रमिक पुनः-कौशल कोष' (Worker Reskilling Fund) में नियोक्ता को छंटनी किए गए प्रत्येक श्रमिक के लिए कितने दिनों के वेतन के बराबर अंशदान करना होता है और यह राशि कितने दिनों में श्रमिक के खाते में जमा की जाती है?

• (A) 30 दिनों का वेतन; 60 दिनों के भीतर

• (B) 15 दिनों का अंतिम आहरित वेतन; छंटनी से 45 दिनों के भीतर

• (C) 45 दिनों का वेतन; 30 दिनों के भीतर

• (D) 10 दिनों का वेतन; 15 दिनों के भीतर

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** धारा 83 के अनुसार नियोक्ता को प्रत्येक छंटनीशुदा श्रमिक के अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के समतुल्य राशि री-स्किलिंग फंड में जमा करनी होती है, जो 45 दिनों में श्रमिक के खाते में अंतरित की जाती है।

17. **[SSC CGL AAO 2023]** भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार यदि साझेदारों के बीच कोई साझेदारी संलेख (Partnership Deed) नहीं बनाया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा नियम लागू होगा?

• (A) लाभ-हानि बराबर बाँटा जाएगा, पूँजी व आहरण पर कोई ब्याज नहीं होगा, तथा साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा

• (B) लाभ-हानि पूँजी के अनुपात में बाँटा जाएगा और पूँजी पर 6% ब्याज मिलेगा

• (C) सक्रिय साझेदार को ₹5,000 मासिक वेतन और ऋण पर 12% ब्याज मिलेगा

• (D) ऋण पर 10% और आहरण पर 6% ब्याज लगेगा

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** धारा 13 के अनुसार संलेख के अभाव में लाभ-हानि बराबर (1:1) बँटता है, पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन नहीं मिलता, केवल साझेदार के ऋण (Loan) पर 6\% वार्षिक ब्याज देय होता है।

18. **[UPSC EPFO EO/AO 2021]** जॉन टी. डनलप (John T. Dunlop, 1958) ने औद्योगिक संबंधों के किस प्रसिद्ध दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और उसका केंद्रीय समीकरण क्या है?

• (A) न्यासिता दृष्टिकोण (Trusteeship Approach)

• (B) ऑक्सफोर्ड स्कूल दृष्टिकोण

• (C) मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations Approach)

• (D) प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach — R = f[A, T, M, P, I])

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** डनलप ने 1958 में अपनी पुस्तक '*Industrial Relations Systems*' में प्रणाली मॉडल दिया जिसके अनुसार औद्योगिक संबंध कार्यस्थल के नियमों ($R$) का तंत्र है जो कर्ताओं ($A$), तकनीक ($T$), बाजार ($M$), शक्ति संतुलन ($P$) और साझा विचारधारा ($I$) पर निर्भर करता है।

19. **[ESIC Deputy Director 2022]** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत (i) प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए, (ii) दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर, तथा (iii) 3 माह से कम आयु के शिशु को गोद लेने वाली महिला (Adoptive Mother) के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि क्रमशः कितनी है?

• (A) 26 सप्ताह, 26 सप्ताह और 26 सप्ताह

• (B) 26 सप्ताह, 12 सप्ताह और 12 सप्ताह

• (C) 24 सप्ताह, 12 सप्ताह और 8 सप्ताह

• (D) 26 सप्ताह, 16 सप्ताह और 16 सप्ताह

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** अध्याय VI (धारा 60) के तहत प्रथम 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह (प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह), दो से अधिक बच्चों पर 12 सप्ताह, तथा गोद लेने वाली या कमीशनिंग माता को 12 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है।

20. **[SSC CGL AAO 2024]** एक फर्म की कुल पूँजी ₹5,00,000 है और इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्यय की दर (Normal Rate of Return) 12\% है। यदि फर्म का पिछले 4 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ ₹84,000 है, तो अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय (3 Years' Purchase of Super Profit) के आधार पर तथा अधिलाभ के पूँजीकरण विधि (Capitalisation of Super Profit) से ख्याति (Goodwill) का मूल्य क्रमशः क्या होगा?

• (A) ₹84,000 और ₹2,52,000

• (B) ₹60,000 और ₹1,80,000

• (C) ₹72,000 और ₹2,00,000

• (D) ₹48,000 और ₹1,50,000

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** सामान्य लाभ (Normal Profit) = 5,00,000 × 12\% = ₹60,000। अधिलाभ (Super Profit) = 84,000 - 60,000 = ₹24,000। (i) 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति = 24,000 × 3 = ₹72,000; (ii) पूँजीकरण विधि से ख्याति = (24,000 / 12) × 100 = ₹2,00,000।

21. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(2) के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में रोटेशन के तहत एक 'व्यक्तिगत अंकेक्षक' (Individual Auditor) और एक 'अंकेक्षण फर्म' (Audit Firm) को अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है?

• (A) व्यक्तिगत अंकेक्षक: 1 कार्यकाल (लगातार 5 वर्ष); अंकेक्षण फर्म: लगातार 2 कार्यकाल (10 वर्ष) [5 वर्ष के कूलिंग पीरियड के साथ]

• (B) व्यक्तिगत अंकेक्षक: 2 कार्यकाल (10 वर्ष); अंकेक्षण फर्म: 3 कार्यकाल (15 वर्ष)

• (C) दोनों के लिए 1 कार्यकाल (5 वर्ष)

• (D) व्यक्तिगत अंकेक्षक: 3 वर्ष; अंकेक्षण फर्म: 6 वर्ष

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** धारा 139(2) के तहत व्यक्तिगत ऑडिटर अधिकतम 1 कार्यकाल (5 वर्ष) और ऑडिट फर्म अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल (5+5=10 वर्ष) तक रह सकती है, जिसके बाद 5 वर्ष का कूलिंग पीरियड अनिवार्य है।

22. **[UPSC APFC 2023]** वेतन संहिता, 2019 के अध्याय IV के अंतर्गत बोनस भुगतान की न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत दर क्या है तथा इसके लिए एक लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा न्यूनतम कितने दिन कार्य किया जाना आवश्यक है?

• (A) न्यूनतम 10%, अधिकतम 25%; न्यूनतम 60 कार्यदिवस

• (B) न्यूनतम 8.33%, अधिकतम 15%; न्यूनतम 90 कार्यदिवस

• (C) न्यूनतम 8.33%, अधिकतम 20%; न्यूनतम 30 कार्यदिवस

• (D) न्यूनतम 5%, अधिकतम 20%; न्यूनतम 180 कार्यदिवस

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** वेतन संहिता की धारा 26 के अनुसार कम से कम 30 कार्यदिवस काम करने वाले पात्र कर्मचारी को न्यूनतम 8.33\% (चाहे लाभ हो या हानि) और अधिकतम 20\% बोनस देय होता है।

23. **[SSC CGL AAO 2024]** एक कंपनी का परिचालन अनुपात (Operating Ratio) 78\% है और उसकी शुद्ध बिक्री (Net Sales) ₹10,00,000 है। कंपनी का परिचालन लाभ अनुपात (Operating Profit Ratio) और परिचालन लाभ कितना होगा?

• (A) 28% और ₹2,80,000

• (B) 22% और ₹2,20,000

• (C) 78% और ₹7,80,000

• (D) 18% और ₹1,80,000

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** चूँकि Operating Ratio + Operating Profit Ratio = 100\%, अतः Operating Profit Ratio = 100\% - 78\% = 22\% तथा परिचालन लाभ = 10,00,000 × 22\% = ₹2,20,000।

24. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति को वैधानिक रूप से 'हड़ताल' (Strike) की परिभाषा में शामिल किया गया है और हड़ताल से पूर्व कितने दिन का नोटिस देना अनिवार्य है?

• (A) 25% श्रमिकों द्वारा अवकाश लेना; 7 दिन का नोटिस

• (B) केवल जनोपयोगी सेवाओं में 21 दिन का नोटिस

• (C) 75% श्रमिकों द्वारा धरना देना; 30 दिन का नोटिस

• (D) किसी दिए गए दिन 50% या अधिक श्रमिकों द्वारा एक साथ आकस्मिक अवकाश (Mass Casual Leave) लेना; सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल से 60 दिन के भीतर कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** धारा 2(zk) में 50% या अधिक श्रमिकों के सामूहिक आकस्मिक अवकाश को 'हड़ताल' घोषित किया गया है, तथा धारा 62 में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए हड़ताल से पूर्व 14 दिन का नोटिस (60 दिन की वैधता सहित) अनिवार्य किया गया है।

25. **[ESIC Deputy Director 2022]** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार यदि किसी कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक को कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी (Fraud) का पता चलता है, तो कितनी राशि या उससे अधिक की धोखाधड़ी की रिपोर्ट सीधे 'केंद्र सरकार' को (प्रपत्र ADT-4 में) देनी होती है?

• (A) ₹1 करोड़ या उससे अधिक (₹1 करोड़ से कम होने पर केवल ऑडिट कमेटी/बोर्ड को)

• (B) ₹50 लाख या अधिक

• (C) ₹10 लाख या अधिक

• (D) ₹5 करोड़ या अधिक

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** धारा 143(12) एवं नियम 13 के अनुसार ₹1 करोड़ या अधिक की धोखाधड़ी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रपत्र ADT-4 में और ₹1 करोड़ से कम की धोखाधड़ी की रिपोर्ट केवल कंपनी की ऑडिट कमेटी या बोर्ड को दी जाती है।

26. **[SSC CGL AAO 2023]** एक मशीन ₹1,00,000 में खरीदी गई जिस पर क्रमागत ह्रासमान शेष विधि (WDV Method) से 10\% वार्षिक मूल्यह्रास लगाया जाता है। 3 वर्ष के अंत में इस मशीन को ₹65,000 में बेच दिया गया। मशीन के विक्रय पर होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

• (A) ₹5,000 की हानि

• (B) ₹10,000 की हानि

• (C) ₹2,100 का लाभ

• (D) ₹7,900 की हानि

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** 3 वर्ष बाद मशीन का पुस्तक मूल्य (WDV) = 1,00,000 × (0.9)^3 = 1,00,000 × 0.729 = ₹72,900। विक्रय मूल्य = ₹65,000। अतः विक्रय पर हानि = 72,900 - 65,000 = ₹7,900\text{ की हानि}।

27. **[UPSC APFC 2023]** भारत की 4 नवीन श्रम संहिताओं में कुल कितने पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है, और प्रत्येक संहिता (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, OSHWC संहिता 2020) में समाहित कानूनों की संख्या क्रमशः क्या है?

• (A) कुल 29 कानून — (3 + 4 + 10 + 12 = 29)

• (B) कुल 44 कानून — (5 + 4 + 15 + 20 = 44)

• (C) कुल 29 कानून — (4 + 3 + 9 + 13 = 29)

• (D) कुल 25 कानून — (4 + 3 + 8 + 10 = 25)

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में मिलाया गया है: वेतन संहिता (4 कानून), औद्योगिक संबंध संहिता (3 कानून), सामाजिक सुरक्षा संहिता (9 कानून), और OSHWC संहिता (13 कानून) ⇒ 4 + 3 + 9 + 13 = 29।

28. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** निम्नलिखित में से किस व्यय को 'पूँजीगत व्यय' (Capital Expenditure) माना जाएगा?

• (A) कारखाने की मशीनों की नियमित मरम्मत और ग्रीसिंग पर किया गया व्यय

• (B) एक पुरानी सेकंड-हैंड मशीन खरीदकर उसे चालू हालत (Working Condition) में लाने के लिए तुरंत किया गया ओवरहॉलिंग व मरम्मत व्यय तथा सिनेमा हॉल की बैठने की क्षमता (Seating Capacity) बढ़ाने पर किया गया व्यय

• (C) कर्मचारियों को दिया गया वार्षिक बोनस

• (D) माल को गोदाम तक लाने का भाड़ा (Carriage Inward)

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** किसी संपत्ति को पहली बार उपयोग के योग्य बनाने पर किया गया समस्त प्रारंभिक व्यय (पुरानी मशीन की तत्काल मरम्मत सहित) और संपत्ति की आय-अर्जन क्षमता बढ़ाने वाला व्यय (सिनेमा हॉल की सीटें बढ़ाना) 'पूँजीगत व्यय' होता है।

29. **[SSC CGL AAO 2024]** एक कर्मचारी ने किसी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष 8 माह की निरंतर सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति के समय उसका अंतिम आहरित मूल वेतन ₹35,000 और महंगाई भत्ता (DA) ₹17,000 प्रति माह था। उपदान संदाय अधिनियम / सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उसे कितनी ग्रेच्युटी राशि प्राप्त होगी?

• (A) ₹4,20,000

• (B) ₹5,20,000

• (C) ₹3,90,000

• (D) ₹4,50,000

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** 6 माह से अधिक की अवधि को 1 पूर्ण वर्ष माना जाता है, अत: 14 वर्ष 8 माह = 15 वर्ष। अंतिम वेतन (Basic + DA) = 35,000 + 17,000 = ₹52,000। सूत्र: Gratuity = 52,000 × (15 / 26) × 15 = 2,000 × 15 × 15 = ₹4,50,000।

30. **[ESIC Deputy Director 2022]** अंकेक्षण में 'टीमिंग एंड लेडिंग' (Teeming and Lading / Lapping) शब्द का संबंध किससे है?

• (A) रोकड़ के गबन (Embezzlement/Misappropriation of Cash) को छिपाने के लिए एक ग्राहक से प्राप्त राशि को बाद में दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि से समायोजित करने की तकनीक से

• (B) स्टॉक के मूल्यांकन की एक विधि से

• (C) मूल्यह्रास की गुप्त संचय विधि से

• (D) जहाज से माल उतारने के समुद्री बीमा से

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** टीमिंग एंड लेडिंग रोकड़ गबन की वह प्रक्रिया है जिसमें कैशियर एक देनदार की वसूली को दबा लेता है और जब दूसरे देनदार से पैसे मिलते हैं तो उन्हें पहले देनदार के खाते में जमा दिखा देता है।

31. **[UPSC APFC 2023]** OSHWC संहिता, 2020 के अंतर्गत ठेका श्रम (Contract Labour) के प्रावधान कितने ठेका श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं और कारखानों में कैंटीन (Canteen) तथा कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) की नियुक्ति के लिए श्रमिक संख्या सीमा क्रमशः क्या रखी गई है?

• (A) ठेका श्रम: 20; कैंटीन: 250; कल्याण अधिकारी: 500

• (B) ठेका श्रम: 50 या अधिक; कैंटीन: 100 या अधिक; कल्याण अधिकारी: 250 या अधिक श्रमिक

• (C) ठेका श्रम: 100; कैंटीन: 50; कल्याण अधिकारी: 100

• (D) ठेका श्रम: 30; कैंटीन: 200; कल्याण अधिकारी: 300

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** OSHWC संहिता 2020 में ठेका श्रम की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दी गई है, जबकि श्रमिक कल्याण का विस्तार करते हुए कैंटीन की सीमा 250 से घटाकर 100 और कल्याण अधिकारी की सीमा 500 से घटाकर 250 श्रमिक कर दी गई है।

32. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** भारतीय लेखांकन मानक 'AS-1' (Disclosure of Accounting Policies) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी तीन 'मौलिक लेखांकन मान्यताएँ' (Fundamental Accounting Assumptions) हैं?

• (A) पृथक अस्तित्व, मुद्रा मापन और ऐतिहासिक लागत

• (B) रूढ़िवादिता, सारता और पूर्ण प्रकटीकरण

• (C) चालू व्यवसाय (Going Concern), सातत्य/एकरूपता (Consistency), और उपार्जन (Accrual) [GCA]

• (D) द्विपक्षीय अवधारणा, मिलान और वसूली

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** AS-1 के अनुसार केवल 3 मौलिक लेखांकन मान्यताएँ (GCA: Going Concern, Consistency, Accrual) हैं; यदि इनका पालन किया गया है तो इन्हें अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु उल्लंघन होने पर प्रकटीकरण अनिवार्य है।

33. **[SSC CGL AAO 2024]** यदि किसी कंपनी का चालू अनुपात 2 : 1 है और कंपनी अपने किसी लेनदार (Creditor) को ₹50,000 का नकद भुगतान करती है, तो इस लेन-देन के बाद कंपनी के चालू अनुपात (Current Ratio) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• (A) चालू अनुपात घट जाएगा

• (B) चालू अनुपात शून्य हो जाएगा

• (C) चालू अनुपात 2 : 1 पर अपरिवर्तित रहेगा

• (D) चालू अनुपात बढ़ जाएगा (Improve होगा)

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** उदाहरण के लिए माना CA = ₹2,00,000 और CL = ₹1,00,000 (अनुपात = 2:1)। लेनदार को ₹50,000 नकद चुकाने पर नया CA = ₹1,50,000 और नया CL = ₹50,000 हो जाएगा। नया अनुपात = (1,50,000 / 50,000) = 3 : 1, अर्थात अनुपात **बढ़ जाएगा**!

34. **[UPSC APFC 2023]** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 114 के अंतर्गत गिग वर्कर्स (Gig Workers) और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा कोष में डिजिटल एग्रीगेटर्स (Aggregators) को अपने वार्षिक टर्नओवर का कितने प्रतिशत अंशदान करना होगा?

• (A) वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% तक (किंतु जो उनके द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को देय राशि के 5% से अधिक न हो)

• (B) वार्षिक टर्नओवर का 5% से 10% तक

• (C) शुद्ध लाभ का 2% (CSR के समान)

• (D) कुल वेतन बिल का 12%

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** धारा 114(4) के तहत एग्रीगेटर्स का अंशदान उनके वार्षिक टर्नओवर का 1\% से 2\% होगा, जिसकी उच्चतम सीमा गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय राशि के 5\% तक सीमित रहेगी।

35. **[UPSC EPFO EO/AO 2021]** जब किसी साझेदारी फर्म के विघटन (Dissolution) पर कोई साझेदार दिवालिया (Insolvent) हो जाता है, तो किस प्रसिद्ध न्यायिक नियम के अनुसार उसकी पूँजी की कमी (Deficiency) को शोधनक्षम (Solvent) साझेदारों द्वारा उनके 'अंतिम पूँजी अनुपात' में वहन किया जाता है?

• (A) रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टक्वॉंड नियम

• (B) सालोमन बनाम सालोमन नियम

• (C) गार्नर बनाम मरे नियम (Garner vs. Murray Rule, 1904)

• (D) फॉस बनाम हारबोटल नियम

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** गार्नर बनाम मरे (1904) विवाद के निर्णय के अनुसार, दिवालिया साझेदार की वसूली हानि नकद में लाई जाती है और उसकी पूँजी खाते की कमी को शोधनक्षम साझेदार अपने पूँजी के अनुपात में बाँटते हैं।

36. **[ESIC Deputy Director 2022]** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3) के अनुसार एक व्यक्ति किसी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि उसका कोई रिश्तेदार उस कंपनी में कितने मूल्य से अधिक की प्रतिभूतियाँ धारण करता है, या वह स्वयं कंपनी का कितनी राशि से अधिक का ऋणी है?

• (A) रिश्तेदार द्वारा ₹50,000 से अधिक के अंश; स्वयं ₹1,00,000 से अधिक का ऋणी

• (B) रिश्तेदार द्वारा ₹1,00,000 (अंकित मूल्य) से अधिक की प्रतिभूतियाँ; स्वयं ₹5,00,000 से अधिक का ऋणी (Indebted)

• (C) रिश्तेदार द्वारा ₹5,00,000 से अधिक के अंश; स्वयं ₹10,00,000 से अधिक का ऋणी

• (D) रिश्तेदार द्वारा ₹10,000 से अधिक के अंश; स्वयं ₹50,000 से अधिक का ऋणी

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** धारा 141(3)(d) व नियम 10 के तहत रिश्तेदार अधिकतम ₹1 लाख (Face Value) तक की प्रतिभूतियाँ रख सकता है, जबकि ऑडिटर/साझेदार ₹1 का भी अंश नहीं रख सकता; तथा ₹5 लाख से अधिक की ऋणग्रस्तता या ₹1 लाख से अधिक की गारंटी देने पर वह अयोग्य हो जाता है।

37. **[SSC CGL AAO 2024]** क्रय वापसी बही (Purchases Return Book / Return Outward Book) का योग ₹2,500 से कम लगाया गया (Undercast by ₹2,500)। तलपट बनने के बाद उचंत खाते (Suspense Account) के माध्यम से इस त्रुटि के सुधार की सही जर्नल प्रविष्टि क्या होगी?

• (A) Suspense A/c Dr. ₹2,500 To Purchases Return A/c ₹2,500

• (B) Purchases Return A/c Dr. ₹2,500 To Suspense A/c ₹2,500

• (C) Purchases A/c Dr. ₹2,500 To Suspense A/c ₹2,500

• (D) Suspense A/c Dr. ₹5,000 To Purchases Return A/c ₹5,000

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** क्रय वापसी खाते का शेष क्रेडिट (Cr.) होता है। योग ₹2,500 कम लगने से क्रेडिट पक्ष ₹2,500 कम रहा; इसे सुधारने के लिए Purchases Return A/c को ₹2,500 से क्रेडिट किया जाएगा और Suspense A/c को ₹2,500 से डेबिट किया जाएगा।

38. **[UPSC APFC 2023]** औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए किसने अनिवार्य न्यायनिर्णयन (Compulsory Adjudication) को सामूहिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा शत्रु बताया और स्वैच्छिक द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया?

• (A) महात्मा गांधी

• (B) बी. पी. वाडिया

• (C) रवींद्र वर्मा

• (D) वी. वी. गिरि (Giri Approach)

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** पूर्व राष्ट्रपति एवं श्रम मंत्री वी. वी. गिरि ने अपने 'गिरि उपागम' में श्रम न्यायालयों द्वारा अनिवार्य न्यायनिर्णयन का विरोध करते हुए स्वैच्छिक सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक शांति का सर्वोत्तम मार्ग बताया।

39. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** भारतीय लेखांकन मानकों (Accounting Standards) का निम्नलिखित में से कौन-सा मिलान सही है?

• (A) AS-2: रोकड़ प्रवाह; AS-3: मूल्यह्रास; AS-9: रहतिया; AS-10: अमूर्त संपत्तियाँ

• (B) AS-2: रहतिया का मूल्यांकन; AS-3: रोकड़ प्रवाह विवरण; AS-9: आगम मान्यता; AS-10: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE); AS-26: अमूर्त संपत्तियाँ

• (C) AS-1: रहतिया; AS-6: साझेदारी; AS-14: लीज लेखांकन

• (D) AS-3: आगम मान्यता; AS-10: कर्मचारी लाभ; AS-20: कर लेखांकन

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** प्रमुख मानक: AS-1 (लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण), AS-2 (Inventory Valuation), AS-3 (Cash Flow Statement), AS-9 (Revenue Recognition), AS-10 Revised (PPE & Depreciation — पूर्व का AS-6 इसी में विलीन हो गया), AS-14 (Amalgamation), AS-20 (EPS), AS-26 (Intangible Assets)।

40. **[SSC CGL AAO 2023]** एक कंपनी का कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ (EBIT) ₹3,60,000 है। कंपनी के पास 10\% वाले ₹12,00,000 के ऋणपत्र (Debentures) और ₹18,00,000 का अंशधारियों का कोष (Shareholders' Funds) है। कंपनी का 'ब्याज आवरण अनुपात' (Interest Coverage Ratio) और 'विनियोजित पूँजी पर प्रत्यय' (ROCE) क्रमशः क्या होगा?

• (A) 2.5 गुना और 10%

• (B) 4 गुना और 15%

• (C) 3 गुना (3 Times) और 12%

• (D) 3 गुना और 20%

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** वार्षिक ब्याज = 12,00,000 × 10\% = ₹1,20,000। $Interest Coverage Ratio = (EBIT / Interest) = (3,60,000 / 1,20,000) = 3\text{ Times}$। कुल विनियोजित पूँजी (Capital Employed) = 12,00,000 + 18,00,000 = ₹30,00,000 ⇒ ROCE = (3,60,000 / 30,00,000) × 100 = 12\%$।

41. **[ESIC Deputy Director 2022]** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के प्रावधान सामान्यतः न्यूनतम कितने कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं?

• (A) EPF: 20 या अधिक कर्मचारी; ESIC: 10 या अधिक कर्मचारी (जोखिमपूर्ण व्यवसायों में 1 कर्मचारी पर भी)

• (B) EPF: 10 कर्मचारी; ESIC: 20 कर्मचारी

• (C) दोनों के लिए 20 या अधिक कर्मचारी

• (D) दोनों के लिए 50 या अधिक कर्मचारी

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** प्रथम अनुसूची के अनुसार EPF 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर और ESIC 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों (तथा खतरनाक व्यवसायों में 1 कर्मचारी होने पर भी) लागू होता है।

42. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** यदि किसी व्यापार में प्रारंभिक पूँजी ₹2,00,000, वर्ष के दौरान अतिरिक्त लगाई गई पूँजी ₹50,000, स्वामी द्वारा निजी आहरण ₹30,000 और वर्ष के अंत में कुल संपत्तियाँ ₹3,80,000 तथा बाह्य दायित्व ₹1,00,000 हैं, तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ (Net Profit) कितना होगा?

• (A) ₹40,000

• (B) ₹80,000

• (C) ₹60,000

• (D) ₹50,000

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** अंतिम पूँजी (Closing Capital) = Closing Assets - Closing Liabilities = 3,80,000 - 1,00,000 = ₹2,80,000। सूत्र: $Closing Capital = Opening Capital + Additional Capital - Drawings + Net Profit ⇒ 2,80,000 = 2,00,000 + 50,000 - 30,000 + Profit ⇒ Net Profit = 2,80,000 - 2,20,000 = ₹60,000$।

43. **[UPSC APFC 2023]** कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंकेक्षण से संबंधित प्रपत्रों (Forms ADT-1, ADT-2, ADT-3, ADT-4) का सही मिलान कौन-सा है?

• (A) ADT-1: त्यागपत्र; ADT-2: नियुक्ति; ADT-3: धोखाधड़ी; ADT-4: हटाना

• (B) ADT-1: ऑडिटर नियुक्ति की ROC को सूचना; ADT-2: कार्यकाल से पूर्व ऑडिटर को हटाने हेतु केंद्र सरकार को आवेदन; ADT-3: ऑडिटर द्वारा त्यागपत्र की सूचना; ADT-4: ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार को धोखाधड़ी की रिपोर्ट

• (C) ADT-1: नियुक्ति; ADT-2: त्यागपत्र; ADT-3: हटाना; ADT-4: लागत अंकेक्षण

• (D) ADT-1: धोखाधड़ी; ADT-2: हटाना; ADT-3: त्यागपत्र; ADT-4: नियुक्ति

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के तहत ADT-1 (नियुक्ति की सूचना - 15 दिन में), ADT-2 (हटाने हेतु RD को आवेदन - 30 दिन में), ADT-3 (त्यागपत्र - 30 दिन में), और ADT-4 (₹1 करोड़+ धोखाधड़ी की केंद्र सरकार को रिपोर्ट) हैं।

44. **[SSC CGL AAO 2024]** एक कंपनी में वर्ष के प्रारंभ में देनदार (Debtors) ₹70,000 और अंत में देनदार ₹90,000 थे। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹1,20,000 की नकद बिक्री और ₹6,00,000 की शुद्ध उधार बिक्री की। वर्ष के दौरान एक मशीन (पुस्तक मूल्य ₹40,000) को ₹45,000 में बेचा गया। परिचालन क्रियाओं में ग्राहकों से प्राप्त नकद और विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा?

• (A) ग्राहकों से नकद प्राप्ति ₹5,80,000; विनियोग क्रिया से अंतर्वाह ₹45,000

• (B) ग्राहकों से नकद प्राप्ति ₹6,00,000; विनियोग क्रिया से अंतर्वाह ₹5,000

• (C) ग्राहकों से नकद प्राप्ति ₹7,20,000; विनियोग क्रिया से अंतर्वाह ₹40,000

• (D) ग्राहकों से नकद प्राप्ति ₹7,00,000; विनियोग क्रिया से अंतर्वाह ₹45,000

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** देनदारों से वसूली $= प्रारंभिक देनदार + उधार बिक्री - अंतिम देनदार = 70,000 + 6,00,000 - 90,000 = ₹5,80,000। कुल नकद प्राप्ति = नकद बिक्री (1,20,000) + देनदारों से वसूली (5,80,000) = ₹7,00,000$। मशीन बेचने पर प्राप्त कुल नकद राशि **₹45,000** विनियोग क्रिया का अंतर्वाह होगी (₹5,000 का लाभ परिचालन लाभ में से घटाया जाएगा)।

45. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?

• (A) प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों का कम से कम 10% या 100 श्रमिक (जो भी कम हो), किंतु न्यूनतम 7 सदस्य अनिवार्य

• (B) कुल श्रमिकों का 25% या 200 श्रमिक

• (C) केवल 5 सदस्य

• (D) कुल श्रमिकों का 50%

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 6 के अनुसार पंजीकरण के लिए 10% या 100 श्रमिक (जो कम हो) तथा हर समय कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है।

46. **[ESIC Deputy Director 2022]** जब कोई अंकेक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों से संतुष्ट होता है और बिना किसी आपत्ति या शर्त के यह प्रमाणित करता है कि चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता 'सत्य एवं उचित चित्र' (True and Fair View) प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी ऑडिट रिपोर्ट क्या कहलाती है?

• (A) मर्यादित रिपोर्ट (Qualified Report)

• (B) राय का अस्वीकरण (Disclaimer of Opinion)

• (C) प्रतिकूल रिपोर्ट (Adverse Report)

• (D) स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट (Unqualified / Clean Report)

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** बिना किसी किंतु-परंतु ('Subject to' वाक्यांश के बिना) दी गई संतोषजनक रिपोर्ट को 'स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट' (Unqualified / Clean Report) कहते हैं।

47. **[SSC CGL AAO 2023]** यदि किसी व्यापार में बेचे गए माल की लागत (COGS) ₹4,80,000 है और विक्रय पर सकल लाभ की दर (Gross Profit on Sales) 20\% है, तो कुल विक्रय (Sales) और सकल लाभ (Gross Profit) की राशि क्या होगी?

• (A) विक्रय ₹5,76,000; सकल लाभ ₹96,000

• (B) विक्रय ₹6,40,000; सकल लाभ ₹1,60,000

• (C) विक्रय ₹6,00,000; सकल लाभ ₹1,20,000

• (D) विक्रय ₹5,80,000; सकल लाभ ₹1,00,000

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** विक्रय पर 20\% ((1 / 5)) लाभ का अर्थ है लागत (COGS) पर (1 / 5-1) = (1 / 4) अर्थात **25\% लाभ**! अतः सकल लाभ = 4,80,000 × 25\% = ₹1,20,000 तथा कुल विक्रय = 4,80,000 + 1,20,000 = ₹6,00,000।

48. **[UPSC APFC 2023]** OSHWC संहिता, 2020 के अंतर्गत 'सुरक्षा समिति' (Safety Committee) का गठन किन प्रतिष्ठानों में अनिवार्य किया गया है?

• (A) सभी दुकानों में जहाँ 10 कर्मचारी हों

• (B) 500 या अधिक श्रमिकों वाले कारखाने, 250 या अधिक श्रमिकों वाले भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, तथा 100 या अधिक श्रमिकों वाली खान में

• (C) केवल 1000 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में

• (D) 50 श्रमिकों वाले कारखानों में

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** OSHWC संहिता की धारा 22 के अनुसार कारखाने में ≥ 500, निर्माण कार्य (BOCW) में ≥ 250, और खान (Mine) में ≥ 100 श्रमिक होने पर नियोक्ता व श्रमिकों के समान प्रतिनिधियों वाली सुरक्षा समिति अनिवार्य है।

49. **[UPSC EPFO EO/AO 2021]** बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement — BRS) बनाते समय यदि प्रारंभिक बिंदु 'रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष' (Debit Balance as per Cash Book / अनुकूल शेष) हो, तो निम्नलिखित में से किसे उसमें **जोड़ा (Add)** जाएगा?

• (A) बैंक द्वारा लगाए गए बैंक शुल्क (Bank Charges) और सीधे बैंक द्वारा चुकाया गया बीमा प्रीमियम

• (B) भुनाया गया विपत्र जो अनादरित (Dishonoured) हो गया

• (C) बैंक में संग्रह हेतु भेजे गए चेक जो अभी तक संग्रहीत (Cleared) नहीं हुए

• (D) जारी किए गए चेक जो अभी तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए (Cheques issued but not yet presented for payment) तथा ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा की गई राशि

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** चेक जारी करने पर हमने कैश बुक घटा दी थी, पर बैंक से अभी पैसे नहीं कटे; तथा ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करने से पासबुक बढ़ गई है—अतः कैश बुक के डेबिट शेष से पासबुक शेष पर पहुँचने के लिए इन दोनों मदों को जोड़ा जाएगा।

50. **[SSC CGL AAO 2024]** निम्नलिखित में से कौन-सा व्यय 'आस्थगित आयगत व्यय' (Deferred Revenue Expenditure) का सर्वोत्तम उदाहरण है?

• (A) किसी नए उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए किया गया भारी विज्ञापन अभियान व्यय (Heavy Advertising Campaign Expenditure), जिसका लाभ आगामी 3 से 5 वर्षों तक मिलेगा (नोट: AS-26 के तहत अब अमूर्त संपत्ति न बनने पर इसे उसी वर्ष P&L में दिखाया जाता है, किंतु सैद्धांतिक रूप से यह आस्थगित आयगत व्यय है)

• (B) कारखाने के भवन का निर्माण व्यय

• (C) कार्यालय कर्मचारियों का मासिक वेतन

• (D) मशीनरी के क्रय पर दिया गया सीमा शुल्क

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** ऐसा आयगत प्रकृति का भारी व्यय जिसका लाभ केवल चालू वर्ष तक सीमित न रहकर आगामी कई वर्षों तक प्राप्त होता है, आस्थगित आयगत व्यय कहलाता है।

51. **[ESIC Deputy Director 2022]** वेतन संहिता, 2019 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण (Revision of Minimum Wages) अधिकतम कितने वर्षों के अंतराल पर करना अनिवार्य है और ओवरटाइम मजदूरी की वैधानिक दर क्या है?

• (A) प्रत्येक 3 वर्ष में; सामान्य दर का 1.5 गुना

• (B) अधिकतम 5 वर्ष से अनधिक अंतराल पर; सामान्य मजदूरी दर से कम से कम दोगुनी (2x)

• (C) प्रत्येक 10 वर्ष में; सामान्य दर का 3 गुना

• (D) प्रत्येक 2 वर्ष में; सामान्य दर के बराबर

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** वेतन संहिता की धारा 8(4) के तहत न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर और धारा 14 के तहत ओवरटाइम दर सामान्य वेतन की दोगुनी (2x) निर्धारित है।

52. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक (Statutory Auditor) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को निम्नलिखित में से कौन-सी सेवाएँ प्रदान **नहीं** कर सकता?

• (A) कर अंकेक्षण (Tax Audit) और कंपनी अधिनियम के तहत प्रमाणन

• (B) शाखा लेखाओं की जाँच करना

• (C) लेखा पुस्तकें लिखना (Book-keeping), आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit), निवेश बैंकिंग एवं प्रबंधन सेवाएँ

• (D) साधारण सभा में लेखाओं पर स्पष्टीकरण देना

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** अंकेक्षक की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए धारा 144 के अंतर्गत वैधानिक ऑडिटर द्वारा कंपनी को Book-keeping, Internal Audit, Investment Advisory/Banking, Actuarial और Management Services देना पूर्णतः वर्जित है।

53. **[UPSC APFC 2023]** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार प्रतिष्ठान में 'शिशु गृह' (Crèche) की सुविधा कितने कर्मचारियों की संख्या पर अनिवार्य है और महिला कर्मचारी को प्रतिदिन कितनी बार क्रेच में जाने की अनुमति होती है?

• (A) 30 महिला कर्मचारी; 2 बार

• (B) 20 कर्मचारी; 1 बार

• (C) 100 कर्मचारी; 3 बार

• (D) 50 या अधिक कर्मचारी (चाहे किसी भी लिंग के हों); प्रतिदिन 4 बार (विश्राम अंतराल सहित)

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** धारा 67 के अनुसार 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा अनिवार्य है और महिला कर्मचारी को प्रतिदिन 4 बार अपने बच्चे की देखभाल हेतु क्रेच जाने की अनुमति होगी।

54. **[SSC CGL AAO 2024]** एक गैर-लाभकारी संस्था (NPO — जैसे क्लब या अस्पताल) द्वारा तैयार किए जाने वाले 'प्राप्ति एवं भुगतान खाते' (Receipts and Payments Account) और 'आय-व्यय खाते' (Income and Expenditure Account) की प्रकृति क्रमशः क्या होती है?

• (A) प्राप्ति एवं भुगतान खाता: वास्तविक खाता (Real Account — रोकड़ आधार पर); आय-व्यय खाता: नाममात्र का खाता (Nominal Account — उपार्जन आधार पर, लाभ-हानि खाते के समान)

• (B) दोनों नाममात्र के खाते (Nominal Accounts) हैं

• (C) दोनों व्यक्तिगत खाते हैं

• (D) प्राप्ति एवं भुगतान खाता: नाममात्र खाता; आय-व्यय खाता: वास्तविक खाता

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** Receipts & Payments A/c रोकड़ बही का सारांश है (अत: Real Account है जिसमें पूँजीगत व आयगत तथा सभी वर्षों की नकद प्राप्तियाँ/भुगतान आते हैं), जबकि Income & Expenditure A/c उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर केवल चालू वर्ष की आयगत मदों के लिए बनने वाला Nominal Account है।

55. **[UPSC EPFO EO/AO 2021]** यदि राम से प्राप्त ₹480 को रोकड़ बही में तो सही दर्ज कर लिया गया, किंतु खतौनी करते समय राम के व्यक्तिगत खाते के क्रेडिट पक्ष में ₹480 के स्थान पर ₹840 लिख दिया गया, तो इस अशुद्धि के कारण तलपट पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

• (A) तलपट का क्रेडिट योग ₹1,320 से अधिक हो जाएगा

• (B) तलपट का डेबिट योग ₹360 से अधिक हो जाएगा

• (C) तलपट का क्रेडिट योग ₹360 से अधिक हो जाएगा

• (D) तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** राम के खाते के क्रेडिट पक्ष में ₹480 के बजाय ₹840 लिखने से क्रेडिट पक्ष में 840 - 480 = ₹360 अधिक दर्ज हो गया, जिससे तलपट का क्रेडिट योग ₹360 अधिक बोलेगा (नोट: अंकों के पलटने पर अंतर 360 सदैव 9 से विभाज्य होता है)।

56. **[ESIC Deputy Director 2022]** कंपनी अधिनियम, 2013 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार कतिपय उत्पादन व विनिर्माण कंपनियों के लिए 'लागत अंकेक्षण' (Cost Audit) का आदेश दे सकती है और लागत अंकेक्षण रिपोर्ट किस प्रपत्र में प्रस्तुत की जाती है?

• (A) धारा 138; प्रपत्र ADT-3

• (B) धारा 148; प्रपत्र CRA-3 (और सरकार को फाइलिंग CRA-4 में)

• (C) धारा 143; प्रपत्र CARO

• (D) धारा 145; प्रपत्र INC-22

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** धारा 148 में लागत लेखा (CRA-1), कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति सूचना (CRA-2), कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट (CRA-3) और केंद्र सरकार को रिपोर्ट फाइलिंग (CRA-4) का प्रावधान है।

57. **[UPSC APFC 2023]** प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग (1966–1969) और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (1999–2002, जिसने श्रम कानूनों को 4–5 संहिताओं में समेकित करने की सिफारिश की) के अध्यक्ष क्रमश: कौन थे?

• (A) न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्रगडकर और रवींद्र वर्मा

• (B) वी. वी. गिरि और जी. रामानुजम

• (C) एल. एम. सिंघवी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया

• (D) जगजीवन राम और शरद यादव

• **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग (1966) के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर थे और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (1999 में गठित, 2002 में रिपोर्ट) के अध्यक्ष रवींद्र वर्मा थे।

58. **[SSC CGL AAO 2024]** एक क्लब को वर्ष 2025-26 के दौरान ₹1,20,000 का चंदा (Subscription) नकद प्राप्त हुआ। इसमें ₹8,000 पिछले वर्ष (2024-25) के बकाया चंदे के और ₹12,000 अगले वर्ष (2026-27) के अग्रिम चंदे के शामिल हैं। यदि चालू वर्ष (2025-26) के अंत में ₹15,000 का चंदा अभी भी मिलना बाकी (Outstanding for current year) है, तो वर्ष 2025-26 के 'आय-व्यय खाते' (Income & Expenditure A/c) में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी?

• (A) ₹1,20,000

• (B) ₹1,35,000

• (C) ₹1,25,000

• (D) ₹1,15,000

• **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** उपार्जन व मिलान अवधारणा के अनुसार चालू वर्ष का चंदा $= कुल प्राप्त (1,20,000) - गत वर्ष का बकाया (8,000) - आगामी वर्ष का अग्रिम (12,000) + चालू वर्ष का अदत्त (15,000) = ₹1,15,000$।

59. **[UPSC EPFO EO/AO 2023]** OSHWC संहिता, 2020 के अंतर्गत 'अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक' (Inter-State Migrant Worker) की परिभाषा में स्वयं अपने प्रयास से दूसरे राज्य में जाकर रोजगार करने वाले श्रमिक को तभी शामिल किया जाता है जब उसका मासिक वेतन अधिकतम कितने रुपये तक हो?

• (A) ₹15,000 प्रति माह

• (B) ₹18,000 प्रति माह (या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उच्चतर राशि)

• (C) ₹21,000 प्रति माह

• (D) ₹24,000 प्रति माह

• **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** OSHWC संहिता की धारा 2(zf) के अनुसार ₹18,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (चाहे ठेकेदार के माध्यम से आए हों या स्वयं) इस संहिता के तहत यात्रा भत्ता और राशन पोर्टेबिलिटी के हकदार हैं।

60. **[UPSC APFC 2023]** जब अंशों का हरण (Forfeiture of Shares) किया जाता है, तो 'अंश पूँजी खाते' (Share Capital Account) को किस राशि से डेबिट किया जाता है, और हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन (Re-issue) के पश्चात 'अंश हरण खाते' (Share Forfeiture A/c) के बचे हुए लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है?

• (A) अंकित मूल्य (Face Value) से डेबिट; सामान्य संचय (General Reserve) में हस्तांतरित

• (B) प्रदत्त राशि (Paid-up Amount) से डेबिट; लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित

• (C) अंशों पर अब तक माँगी गई पूँजी राशि (Called-up Amount) से डेबिट; पूँजी संचय खाते (Capital Reserve Account) में हस्तांतरित

• (D) बकाया याचना राशि (Calls-in-Arrears) से डेबिट; प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित

• **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** अंश हरण पर Share Capital A/c को सदैव 'अब तक माँगी गई राशि' (Called-up Capital) से डेबिट किया जाता है, और पुनर्निर्गमन के बाद Share Forfeiture A/c का शेष एक पूँजीगत लाभ होने के कारण 'Capital Reserve A/c' में ट्रांसफर किया जाता है।

### *सारणी 1: लेखांकन अवधारणाएँ, परंपराएँ एवं प्रमुख भारतीय लेखांकन मानक (AS एवं Ind-AS)*

| अवधारणा / परंपरा / मानक | मूल सिद्धांत / शीर्षक | प्रमुख व्यावहारिक एवं परीक्षा अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| **Business Entity Concept** | स्वामी और व्यवसाय का पृथक अस्तित्व | पूँजी (Capital) को व्यवसाय का दायित्व मानना और आहरण पर ब्याज लगाना। |
| **Going Concern (AS-1)** | व्यवसाय अनंत काल तक चालू रहेगा | स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक लागत घटाव ह्रास पर दिखाना। |
| **Matching & Accrual** | समान अवधि के आगम व व्यय का मिलान | अदत्त व्यय (+), पूर्वदत्त व्यय (-), उपार्जित आय (+) और अंतिम स्टॉक का समायोजन। |
| **Conservatism / Prudence** | संभावित हानियों का प्रावधान, लाभों की अनदेखी | क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन **Cost या NRV जो कम हो** उस पर करना; डूबत ऋण आयोजन। |
| **Full Disclosure** | सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का निष्पक्ष प्रकटीकरण | संभाव्य दायित्वों (Contingent Liabilities) को चिट्ठे के नीचे फुटनोट में दिखाना। |
| **AS-1 / AS-2 / AS-3** | नीति प्रकटीकरण / रहतिया / रोकड़ प्रवाह | AS-1: 3 मौलिक मान्यताएँ (GCA); AS-2: FIFO व भारित औसत से स्टॉक मूल्यांकन; AS-3: 3 क्रियाएँ। |
| **AS-9 / AS-10 / AS-26** | आगम मान्यता / PPE व ह्रास / अमूर्त संपत्तियाँ | AS-10 (Revised) में पूर्व का AS-6 (Depreciation) समाहित; AS-26 में क्रय की गई ख्याति ही मान्य। |

## सारणी 2: वित्तीय अनुपात (Liquidity, Solvency, Turnover & Profitability) की मास्टर सूत्र सारणी

| अनुपात का वर्ग | अनुपात का नाम | गणितीय सूत्र (Formula) | आदर्श मानक / व्याख्या |
|---|---|---|---|
| **तरलता (Liquidity)** | **चालू अनुपात (Current Ratio)** | (Current Assets / Current Liabilities) | **2 : 1** (अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता मापक) |
| **तरलता (Liquidity)** | **त्वरित अनुपात (Quick / Acid Test)** | (Current Assets - Inventory - Prepaid Exp. / Current Liabilities) | **1 : 1** (तत्काल भुगतान क्षमता का कठोर परीक्षण) |
| **शोधन क्षमता (Solvency)** | **ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity)** | (Long-term Debts / Shareholders' Funds (Equity)) | **2 : 1** (दीर्घकालीन वित्तीय संरचना की सुरक्षा) |
| **शोधन क्षमता (Solvency)** | **ब्याज आवरण अनुपात (ICR)** | (EBIT (ब्याज व कर पूर्व लाभ) / Fixed Interest Charges) | **6 से 7 गुना** (ऋणदाताओं के ब्याज की सुरक्षा) |
| **आवर्त (Turnover)** | **स्कंध आवर्त अनुपात (ITR)** | (Cost of Goods Sold (COGS) / Average Inventory) | उच्च अनुपात तेज बिक्री व कुशल स्टॉक प्रबंधन दर्शाता है। |
| **आवर्त (Turnover)** | **देनदार आवर्त अनुपात (DTR)** | (Net Credit Sales / Average Trade Receivables) | इससे औसत वसूली अवधि = (365 / DTR) निकलती है। |
| **लाभदायकता (Profitability)** | **परिचालन अनुपात (Operating Ratio)** | (COGS + Operating Expenses / Net Sales) × 100 | Operating Ratio + Operating Profit Ratio = 100\% |
| **लाभदायकता (Profitability)** | **विनियोजित पूँजी पर प्रत्यय (ROCE)** | (EBIT / Capital Employed (Debt + Equity)) × 100 | व्यवसाय की समग्र पूँजी उपयोग दक्षता का सर्वोच्च मापक। |

## सारणी 3: कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंकेक्षण प्रावधान (धारा 138 से 148) एवं ADT/CRA प्रपत्र

| धारा (Section) | विषय-वस्तु | मुख्य समय-सीमा, सीमाएँ एवं संबंधित प्रपत्र (Forms) |
|---|---|---|
| **धारा 138** | आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit) | सभी Listed कंपनियाँ; Unlisted Public (पूँजी ≥ 50 Cr, टर्नओवर ≥ 200 Cr, ऋण ≥ 100 Cr); Private (टर्नओवर ≥ 200 Cr, ऋण ≥ 100 Cr)। |
| **धारा 139(6) व (7)** | प्रथम अंकेक्षक (First Auditor) | गैर-सरकारी: बोर्ड द्वारा **30 दिन** में (विफल रहने पर सदस्यों द्वारा **90 दिन** में); सरकारी: CAG द्वारा **60 दिन** में (फिर **30 दिन** बोर्ड, **60 दिन** सदस्य)। |
| **धारा 139(1) व (2)** | आगामी ऑडिटर एवं रोटेशन | 1ली AGM से 6ठी AGM तक (**5 वर्ष**; **ADT-1** 15 दिन में); रोटेशन: व्यक्तिगत **1 कार्यकाल (5 वर्ष)**, फर्म **2 कार्यकाल (10 वर्ष)**, कूलिंग: **5 वर्ष**। |
| **धारा 140** | हटाना एवं त्यागपत्र | कार्यकाल पूर्व हटाना: **ADT-2** में केंद्र सरकार (RD) की अनुमति + विशेष संकल्प; त्यागपत्र: 30 दिन में **ADT-3** दाखिल करना। |
| **धारा 141** | योग्यता एवं अयोग्यताएँ | केवल प्रैक्टिसिंग CA; रिश्तेदार की प्रतिभूति सीमा **≤ ₹1 लाख**, ऋण सीमा **≤ ₹5 लाख**, गारंटी **≤ ₹1 लाख**, अधिकतम **20 ऑडिट**। |
| **धारा 143(12)** | धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग | **≥ ₹1 करोड़** की धोखाधड़ी केंद्र सरकार को **ADT-4** में; < **₹1 करोड़** की धोखाधड़ी केवल ऑडिट कमेटी/बोर्ड को। |
| **धारा 144 एवं 148** | वर्जित सेवाएँ एवं लागत अंकेक्षण | धारा 144: Book-keeping व Internal Audit वर्जित; धारा 148: Cost Accountant द्वारा लागत अंकेक्षण (**CRA-1 से CRA-4**)। |

## सारणी 4: भारत की 4 नवीन श्रम संहिताओं (2019–2020) का मास्टर तुलनात्मक विश्लेषण

| श्रम संहिता का नाम एवं स्वीकृति तिथि | समाहित पूर्ववर्ती कानून (कुल 29) | कुल अध्याय एवं धाराएँ | प्रमुख संख्यात्मक सीमाएँ (Thresholds) एवं ऐतिहासिक सुधार |
|---|---|---|---|
| **1. वेतन संहिता, 2019** (8 अगस्त 2019) | **4 कानून** (Payment of Wages 1936, Minimum Wages 1948, Bonus 1965, Equal Remuneration 1976) | 9 अध्याय, 69 धाराएँ | सभी क्षेत्रों पर सार्वभौमिक लागू; **भत्तों पर 50% कैप**; राष्ट्रीय **Floor Wage**; 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन संशोधन; ओवरटाइम **2x**; बोनस **8.33%–20%** (≥ 20 कर्मचारी, 30 कार्यदिवस); सेवा समाप्ति पर **2 कार्यदिवस** में वेतन भुगतान। |
| **2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** (28 सितंबर 2020) | **3 कानून** (Trade Unions 1926, Standing Orders 1946, Industrial Disputes 1947) | 14 अध्याय, 104 धाराएँ, 3 अनुसूचियाँ | पर्यवेक्षक वेतन सीमा **₹18,000**; यूनियन पंजीकरण: **10% या 100 श्रमिक** (न्यूनतम 7); **Negotiating Union: 51%** (Council: 20%); **Standing Orders एवं Lay-off/Retrenchment/Closure अनुमति सीमा: 300 श्रमिक**; सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल हेतु **14 दिन का नोटिस**; **50%+ आकस्मिक अवकाश = हड़ताल**; **Reskilling Fund: 15 दिन का वेतन** (45 दिन में भुगतान)। |
| **3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** (28 सितंबर 2020) | **9 कानून** (EPF 1952, ESIC 1948, Gratuity 1972, Maternity 1961, Employees' Comp. 1923 आदि) | 14 अध्याय, 164 धाराएँ, 7 अनुसूचियाँ | **Gig व Platform Workers** शामिल (एग्रीगेटर अंशदान: टर्नओवर का **1%–2%**, देय का अधिकतम 5%); **EPF: ≥ 20**, **ESIC: ≥ 10** (जोखिमपूर्ण में 1 भी); **Gratuity (≥ 10):** स्थायी 5 वर्ष, पत्रकार **3 वर्ष**, Fixed Term **1 वर्ष**; **Maternity:** 2 बच्चों तक **26 सप्ताह** (गोद/तीसरे बच्चे पर 12 सप्ताह); **Crèche: ≥ 50 कर्मचारी**। |
| **4. OSHWC संहिता, 2020** (28 सितंबर 2020) | **13 कानून** (Factories 1948, Mines 1952, Contract Labour 1970, BOCW 1996, Migrant Workmen 1979 आदि) | 14 अध्याय, 143 धाराएँ, 3 अनुसूचियाँ | **Factory सीमा:** विद्युत सहित **20**, बिना विद्युत **40**; **Contract Labour: ≥ 50** (एकल 5-वर्षीय लाइसेंस); **प्रवासी श्रमिक: ≥ 10** (₹18,000 तक, वार्षिक यात्रा भत्ता); कार्य घंटे: **8 घंटे/दिन, 48 घंटे/सप्ताह**; **सवेतन अवकाश अर्हता: 180 दिन** (240 से घटाकर); **Canteen: ≥ 100**, **Welfare Officer: ≥ 250**, **Safety Committee: 500/250/100**; महिलाओं को सहमति से रात्रि कार्य (7 PM–6 AM) की अनुमति। |

## 26.1 उच्च-स्तरीय लेखाशास्त्रीय एवं श्रम विधिक तथ्य संकलन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (EO/AO) तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) परीक्षाओं के लिए वित्तीय लेखाशास्त्र (Financial Accounting - ncert.nic.in), लागत एवं प्रबंधन लेखांकन, अंकेक्षण (Auditing), बीमांकिक सिद्धांत तथा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) द्वारा संहिताबद्ध चार नवीन श्रम संहिताएं—(1) मजदूरी संहिता, 2019, (2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा (4) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020—अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं (www.iucacademy.com)।

• **द्वि-प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) एवं स्वर्णिम नियम:** ल्यूका पैसिओली (1494) द्वारा प्रतिपादित द्वि-प्रविष्टि प्रणाली में खातों के तीन परंपरागत प्रकारों के स्वर्णिम नियम हैं:

1. **व्यक्तिगत खाता (Personal Account):** पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें (Debit the Receiver, Credit the Giver)।

2. **वास्तविक/वस्तुगत खाता (Real Account):** जो व्यापार में आए उसे डेबिट करें, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करें (Debit what comes in, Credit what goes out)।

3. **नाममात्र/आय-व्यय खाता (Nominal Account):** समस्त व्ययों एवं हानियों को डेबिट करें, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करें (Debit all expenses and losses, Credit all incomes and gains)।

• **चार नवीन श्रम संहिताओं में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समामेलन:** मजदूरी संहिता 2019 में 4 कानून, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में 3 कानून, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 9 कानून तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (OSHWC) संहिता 2020 में 13 पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानून समाहित किए गए हैं (labour.gov.in)।

## 26.2 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ (खंड 26)

### तुलनात्मक सारणी 26.1: लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों, अवधारणाओं (Accounting Concepts) एवं परंपराओं (Conventions) का विश्लेषण

| लेखांकन अवधारणा / परंपरा | मानक लेखांकन संदर्भ (ncert.nic.in) | मूल सैद्धांतिक आशय | वित्तीय विवरणों (तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते) पर प्रत्यक्ष प्रभाव | व्यावहारिक लेखांकन उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| **पृथक व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा (Business Entity Concept)** | लेखांकन मानक एवं NCERT लेखाशास्त्र भाग-I | व्यवसाय का अपने स्वामी (मालिक), साझेदारों या अंशधारियों से स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व माना जाता है | स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी (Capital) को व्यवसाय के लिए 'आंतरिक दायित्व' (Liability) माना जाता है | स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाली गई राशि को 'आहरण' (Drawings) मानकर पूंजी से घटाया जाता है |
| **सतत व्यापार अवधारणा (Going Concern Concept - AS 1)** | लेखांकन मानक-1 (प्रकटीकरण की मूलभूत मान्यता) | यह माना जाता है कि व्यवसाय निकट भविष्य में बंद नहीं होगा और अनिश्चित काल तक निरंतर संचालित होता रहेगा | स्थायी संपत्तियों को उनके बाजार में तत्काल बिक्री मूल्य (Liquidation Value) के बजाय 'ऐतिहासिक लागत घटाव मूल्यह्रास' पर दिखाया जाता है | मशीनरी के जीवनकाल में उसके मूल्य को प्रतिवर्ष क्रमिक मूल्यह्रास (Depreciation) के रूप में अपलिखित करना |
| **उपार्जन अवधारणा (Accrual Concept - AS 1)** | लेखांकन मानक-1 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 128) | आगम (Revenue) और व्यय (Expense) को नकद प्राप्ति या भुगतान की तिथि के बजाय उनके 'अर्जित' या 'देय' होने की अवधि में दर्ज किया जाता है | अदत्त व्यय (Outstanding Expenses), पूर्वदत्त व्यय (Prepaid), उपार्जित आय (Accrued Income) का समायोजन किया जाता है | मार्च माह का वेतन यदि अप्रैल में चुकाया गया है, तब भी उसे चालू वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय माना जाएगा |
| **द्विपक्षीय अवधारणा (Dual Aspect Concept)** | लेखांकन समीकरण का मूल आधार | प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के दो समान और विपरीत प्रभाव होते हैं: एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट | लेखांकन समीकरण सदैव संतुलित रहता है: परिसंपत्तियां (Assets) = बाह्य दायित्व (Liabilities) + पूंजी (Capital) | नकद मशीनरी खरीदने पर 'मशीनरी' परिसंपत्ति बढ़ती है और 'रोकड़' परिसंपत्ति उतनी ही राशि से घटती है |

| लेखांकन अवधारणा / परंपरा | मानक लेखांकन संदर्भ (ncert.nic.in) | मूल सैद्धांतिक आशय | वित्तीय विवरणों (तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते) पर प्रत्यक्ष प्रभाव | व्यावहारिक लेखांकन उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| **रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा (Convention of Conservatism / Prudence)** | सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP) | 'भविष्य के संभावित लाभों की प्रत्याशा न करें, किंतु सभी संभावित हानियों के लिए तुरंत प्रावधान करें' | अंतिम रहतिये (Closing Stock) का मूल्यांकन 'लागत मूल्य' (Cost Price) या 'बाजार मूल्य/शुद्ध वसूली योग्य मूल्य' (NRV)—दोनों में से जो कम हो—पर किया जाता है | संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (Provision for Doubtful Debts) बनाना, किंतु संभावित मुकदमे की जीत को आय न मानना |
| **सारता की परंपरा (Convention of Materiality) एवं एकरूपता (Consistency)** | लेखांकन मानक-1 (AS-1) एवं अंकेक्षण मानक | केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत प्रकटीकरण किया जाए जो उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकें; लेखांकन नीतियां प्रतिवर्ष एकसमान रहें | छोटे मूल्य के स्टेशनरी आइटम (जैसे कैलकुलेटर, पेपरवेट) को स्थायी संपत्ति न मानकर सीधे राजस्व व्यय मान लिया जाता है | मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति (SLM) से क्रमागत ह्रास पद्धति (WDV) में परिवर्तन केवल वैध कारण और स्पष्ट प्रकटीकरण से ही संभव |

## *तुलनात्मक सारणी 26.2: भारत की चार नवीन श्रम संहिताओं (2019–2020) का वैधानिक एवं संरचनात्मक तुलनात्मक विवरण*

| श्रम संहिता का नाम एवं अधिनियम वर्ष | समाहित किए गए पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानून (कुल 29 कानून) | प्रयोज्यता की सीमा (Applicability Threshold) | संहिता के प्रमुख अभिनव प्रावधान (labour.gov.in) | कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं पर प्रमुख प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| **1. मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)** | **4 कानून:** मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), बोनस भुगतान अधिनियम (1965), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) | संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों पर लागू (अनुसूचित रोजगार की बाध्यता समाप्त) | केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (Floor Wage) का निर्धारण; 'मजदूरी' की एकसमान परिभाषा (भत्ते कुल वेतन के 50% से अधिक होने पर अतिरिक्त भाग मूल मजदूरी में जुड़ेगा) | लिंग के आधार पर भेदभाव का पूर्ण निषेध; समयबद्ध वेतन भुगतान (मासिक वेतन अगले माह की 7 तारीख तक अनिवार्य) |
| **2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)** | **3 कानून:** व्यवसाय संघ अधिनियम (1926), औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम (1946), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) | स्थायी आदेश और छंटनी/बंदी की पूर्व सरकारी अनुमति की सीमा 100 श्रमिकों से बढ़ाकर **300 श्रमिक** की गई | 51% या अधिक सदस्यता वाले ट्रेड यूनियन को 'एकल वार्ताकार संघ' (Sole Negotiating Union) की मान्यता; 'निश्चित अवधि के रोजगार' (Fixed Term Employment) को वैधानिक दर्जा | सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल या तालाबंदी से **14 दिन पूर्व नोटिस** अनिवार्य; छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्कौशल हेतु 'री-स्किलिंग फंड' (15 दिन का वेतन) |
| **3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)** | **9 कानून:** EPF अधिनियम (1952), ESI अधिनियम (1948), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), उपदान भुगतान अधिनियम (1972), कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (1923) आदि | EPF: 20+ कर्मचारी; ESI: 10+ कर्मचारी (जोखिमपूर्ण कार्य में 1 कर्मचारी होने पर भी लागू); ग्रेच्युटी: 10+ कर्मचारी | पहली बार **गिग वर्कर्स (Gig Workers)** और **प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Platform Workers)** को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया (एग्रीगेटर्स द्वारा टर्नओवर का 1–2% अंशदान) | निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed Term Employees) को 5 वर्ष की प्रतीक्षा के बिना मात्र 1 वर्ष की अनुपातिक सेवा पर ही उपदान (Gratuity) की पात्रता |
| **4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020)** | **13 कानून:** कारखाना अधिनियम (1948), खान अधिनियम (1952), ठेका श्रम अधिनियम (1970), अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम (1979) आदि | कारखाना: विद्युत सहित 20+ श्रमिक और बिना विद्युत 40+ श्रमिक; ठेका श्रम: 50+ ठेका श्रमिक | प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से 'नियुक्ति पत्र' (Appointment Letter) देने और निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का अधिकार; एकल अखिल भारतीय लाइसेंस | महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) में कार्य करने की अनुमति |

### तुलनात्मक सारणी 26.3: पूंजीगत बनाम राजस्व मदों, वित्तीय अनुपातों (Financial Ratios) एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों (Audit Reports) का विश्लेषण

| वित्तीय / अंकेक्षण श्रेणी | उप-वर्गीकरण एवं मानक सूत्र / प्रकार | तकनीकी पहचान एवं व्याख्या (ncert.nic.in) | आदर्श मानक / वैधानिक परिणाम | परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद / विशेष बिंदु |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय** | 1. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)<br>2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)<br>3. आस्थगित राजस्व व्यय (Deferred Revenue Exp.) | पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्ति की अर्जन/उत्पादन क्षमता बढ़ाता है (तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है); राजस्व व्यय दैनिक संचालन व रखरखाव हेतु होता है (लाभ-हानि खाते में) | पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय मान लेने से चालू वर्ष का शुद्ध लाभ कम (Understated) और संपत्तियां भी कम दिखती हैं (सिद्धांत की अशुद्धि - Error of Principle) | पुरानी मशीन खरीदकर उसे चालू हालत में लाने की मरम्मत और स्थापना व्यय 'पूंजीगत व्यय' है; नया उत्पाद लॉन्च करने का भारी विज्ञापन व्यय 'आस्थगित राजस्व व्यय' है |
| **तरलता अनुपात (Liquidity Ratios)** | 1. चालू अनुपात (Current Ratio) = (चालू संपत्तियां / चालू दायित्व)<br>2. त्वरित/अम्ल-परीक्षण अनुपात (Quick Ratio) = (त्वरित संपत्तियां / चालू दायित्व) | अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता का मापन करता है; त्वरित संपत्तियों (Quick Assets) में चालू संपत्तियों में से 'स्टॉक (Inventory)' और 'पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses)' घटा दिए जाते हैं | चालू अनुपात का आदर्श मानक **2 : 1** तथा त्वरित (Acid-Test) अनुपात का आदर्श मानक **1 : 1** माना जाता है | स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को त्वरित संपत्तियों में इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें तुरंत नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता |
| **शोधन क्षमता एवं लाभदायकता अनुपात** | 1. ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio) = (दीर्घकालिक ऋण / अंशधारियों का कोष)<br>2. सकल लाभ अनुपात = (सकल लाभ / शुद्ध विक्रय) × 100 | ऋण-समता अनुपात व्यवसाय की दीर्घकालिक वित्तीय सुदृढ़ता और बाह्य ऋण पर निर्भरता को दर्शाता है | ऋण-समता अनुपात का सामान्यतः सुरक्षित मानक **2 : 1** है (बैंकिंग व पूंजी-गहन उद्योगों को छोड़कर) | विक्रय किए गए माल की लागत (COGS) = प्रारंभिक स्टॉक + शुद्ध क्रय + प्रत्यक्ष व्यय - अंतिम स्टॉक |
| **अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) के प्रकार** | 1. स्वच्छ प्रतिवेदन (Unqualified/Clean Report)<br>2. मर्यादित प्रतिवेदन (Qualified Report)<br>3. प्रतिकूल प्रतिवेदन (Adverse/Negative Report)<br>4. राय का अस्वीकरण (Disclaimer of Opinion) | कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत अंकेक्षक की राय: जब वित्तीय विवरण 'सत्य एवं उचित चित्र' (True and Fair View) प्रस्तुत करें तो स्वच्छ रिपोर्ट दी जाती है | कुछ विशिष्ट अपवादों ('Subject to') के साथ सही होने पर मर्यादित रिपोर्ट; व्यापक व गंभीर त्रुटियों पर प्रतिकूल रिपोर्ट; साक्ष्य न मिलने पर राय का अस्वीकरण | अंकेक्षक को 'रखवाली करने वाले कुत्ते के समान (Watchdog) होना चाहिए, शिकारी कुत्ते के समान (Bloodhound) नहीं' — प्रसिद्ध निर्णय: किंग्स्टन कॉटन मिल्स मामला (1896) |

## 26.3 उच्च-स्तरीय व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न (खंड 26: प्रश्न 1 से 20)

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 1.** वित्तीय लेखांकन में निम्नलिखित खातों की प्रकृति (व्यक्तिगत, वास्तविक या नाममात्र) के संबंध में कौन-सा युग्म पूर्णतः सही सुमेलित है?

(A) बैंक अधिविकर्ष (Bank Overdraft) और पूर्वदत्त बीमा (Prepaid Insurance) — प्रतिनिधित्व करने वाले/कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts); ख्याति (Goodwill) और पेटेंट — अमूर्त वास्तविक खाते (Intangible Real Accounts)

(B) अदत्त वेतन (Outstanding Salary) — नाममात्र खाता; रोकड़ खाता (Cash Account) — व्यक्तिगत खाता

(C) पूंजी खाता (Capital Account) — वास्तविक खाता; क्रय खाता — व्यक्तिगत खाता

(D) आहरण खाता (Drawings Account) — नाममात्र खाता; फर्नीचर खाता — व्यक्तिगत खाता

**सही उत्तर:** (A) बैंक अधिविकर्ष (Bank Overdraft) और पूर्वदत्त बीमा (Prepaid Insurance) — प्रतिनिधित्व करने वाले/कृत्रिम व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts); ख्याति (Goodwill) और पेटेंट — अमूर्त वास्तविक खाते (Intangible Real Accounts)

**विस्तृत व्याख्या:**

- एनसीईआरटी लेखाशास्त्र (ncert.nic.in) के अनुसार जब किसी नाममात्र खाते (जैसे वेतन, किराया, बीमा, ब्याज) के आगे कोई उपसर्ग या प्रत्यय—जैसे 'अदत्त' (Outstanding), 'पूर्वदत्त' (Prepaid), 'उपार्जित' (Accrued) या 'अग्रिम प्राप्त' (Unearned)—लग जाता है, तो वह खाता तुरंत 'प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता' (Representative Personal Account) बन जाता है।
- इसी प्रकार बैंक खाता और बैंक ओवरड्राफ्ट 'कृत्रिम व्यक्तिगत खाते' हैं, पूंजी और आहरण 'प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते' हैं, तथा रोकड़, मशीनरी (मूर्त) और ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क (अमूर्त) सभी 'वास्तविक खाते' (Real Accounts) हैं।

**अभ्यास प्रश्न #2** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 2.** किसी कंपनी के निम्नलिखित वित्तीय आंकड़ों पर विचार कीजिए:

- प्रारंभिक रहतिया (Opening Inventory): ₹80,000
- अंतिम रहतिया (Closing Inventory): ₹1,20,000
- वर्ष के दौरान शुद्ध क्रय (Net Purchases): ₹5,40,000
- प्रत्यक्ष मजदूरी एवं भाड़ा (Direct Wages & Carriage Inwards): ₹60,000

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर कंपनी का 'बेचे गए माल की लागत' (Cost of Goods Sold - COGS) और 'स्टॉक आवर्त अनुपात' (Inventory Turnover Ratio) क्रमशः क्या होगा?

(A) COGS = ₹5,60,000; स्टॉक आवर्त अनुपात = 5.6 गुना

(B) COGS = ₹6,00,000; स्टॉक आवर्त अनुपात = 6.0 गुना

(C) COGS = ₹5,00,000; स्टॉक आवर्त अनुपात = 5.0 गुना

(D) COGS = ₹6,40,000; स्टॉक आवर्त अनुपात = 6.4 गुना

**सही उत्तर:** (A) COGS = ₹5,60,000; स्टॉक आवर्त अनुपात = 5.6 गुना

**विस्तृत व्याख्या:** लेखांकन सूत्रों (ncert.nic.in) के अनुसार:

1. बेचे गए माल की लागत (COGS) = प्रारंभिक रहतिया + शुद्ध क्रय + प्रत्यक्ष व्यय - अंतिम रहतिया

$COGS = 80,000 + 5,40,000 + 60,000 - 1,20,000 = ₹5,60,000$

2. औसत रहतिया (Average Inventory) = (प्रारंभिक रहतिया + अंतिम रहतिया / 2) = (80,000 + 1,20,000 / 2) = ₹1,00,000

3. स्टॉक आवर्त अनुपात (Inventory Turnover Ratio) = (COGS / Average Inventory) = (5,60,000 / 1,00,000) = 5.6 गुना।

**अभ्यास प्रश्न #3** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 3.** तलपट (Trial Balance) का मिलान हो जाने के पश्चात भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की लेखांकन अशुद्धि का पता तलपट से नहीं चल पाता है?

(A) किसी खाते की खतौनी (Posting) करते समय केवल एक पक्ष में गलत राशि लिख देना

(B) रोकड़ बही के योग में त्रुटि होना

(C) सिद्धांत की अशुद्धि (Error of Principle)—जैसे नई मशीनरी की स्थापना पर दी गई ₹25,000 की मजदूरी को मशीनरी खाते के बजाय 'मजदूरी खाते' (Wages Account) में डेबिट कर देना

(D) किसी लेन-देन की एकपक्षीय खतौनी भूल जाना

**सही उत्तर:** (C) सिद्धांत की अशुद्धि (Error of Principle)—जैसे नई मशीनरी की स्थापना पर दी गई ₹25,000 की मजदूरी को मशीनरी खाते के बजाय 'मजदूरी खाते' (Wages Account) में डेबिट कर देना

**विस्तृत व्याख्या:**

• तलपट (Trial Balance) केवल खातों की अंकगणितीय शुद्धता (Arithmetical Accuracy) की जांच करता है (ncert.nic.in)।

• चार प्रकार की त्रुटियां तलपट के योग को प्रभावित नहीं करतीं: (1) **सिद्धांत की अशुद्धि (Error of Principle):** पूंजीगत मद को राजस्व मद या इसके विपरीत मान लेना (जैसे मशीन की स्थापना मजदूरी को मजदूरी खाते में डेबिट करना—यहाँ डेबिट पक्ष में ₹25,000 ही गया है, अतः तलपट मिल जाएगा); (2) **पूर्ण लोप की अशुद्धि (Error of Complete Omission):** किसी लेन-देन को रोजनामचा (Journal) में दर्ज करना ही भूल जाना; (3) **मूल अभिलेख की अशुद्धि (Error of Original Entry):** जर्नल में ही दोनों पक्षों में ₹5,400 के स्थान पर ₹4,500 लिख देना; तथा (4) **क्षतिपूरक अशुद्धियां (Compensating Errors)**।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 4.** कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS - 1995) में नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी (Employee) के मानक मासिक अंशदान का विभाजन किस प्रकार होता है?

(A) कर्मचारी: वेतन का 12% (पूरा EPF में); नियोक्ता: वेतन का 12% (जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना - EPS में और शेष 3.67% EPF में जाता है, साथ ही 0.5% EDLI में)

(B) कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12-12% पूरा हिस्सा केवल पेंशन योजना में जाता है

(C) कर्मचारी: 10%; नियोक्ता: 20%

(D) कर्मचारी: 5%; नियोक्ता: 5%

**सही उत्तर:** (A) कर्मचारी: वेतन का 12% (पूरा EPF में); नियोक्ता: वेतन का 12% (जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना - EPS में और शेष 3.67% EPF में जाता है, साथ ही 0.5% EDLI में)

**विस्तृत व्याख्या:**

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) के नियमों के अनुसार सामान्य प्रतिष्ठानों (20 या अधिक कर्मचारियों वाले) में कर्मचारी के मूल वेतन + महंगाई भत्ते + प्रतिधारण भत्ते का 12% कर्मचारी के वेतन से कटकर सीधे उसके EPF खाते में जमा होता है।

• नियोक्ता भी 12% का समान अंशदान करता है, किंतु नियोक्ता के 12% में से **8.33%** भाग (निर्धारित वेतन सीमा ₹15,000 का अधिकतम ₹1,250 प्रतिमाह) 'कर्मचारी पेंशन योजना' (EPS, 1995) में चला जाता है और शेष **3.67%** भाग कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है।

• इसके अतिरिक्त नियोक्ता 0.5% कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (EDLI, 1976 - अधिकतम बीमा लाभ ₹7 लाख) और 0.5% EPF प्रशासनिक शुल्क में देता है।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 5.** गैर-लाभकारी संगठनों (Not-for-Profit Organisations - NPOs) के लेखांकन में तैयार किए जाने वाले 'प्राप्ति एवं भुगतान खाते' (Receipts and Payments Account) तथा 'आय-व्यय खाते' (Income and Expenditure Account) के मध्य मुख्य अंतर क्या है?

(A) प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता (रोकड़ बही का सारांश) है जो रोकड़ आधार (Cash Basis) पर बनता है और इसमें पूंजीगत व राजस्व दोनों मदें आती हैं; जबकि आय-व्यय खाता एक नाममात्र खाता (लाभ-हानि खाते के समान) है जो उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर बनता है और इसमें केवल चालू वर्ष की राजस्व मदें ही शामिल होती हैं।

(B) दोनों खाते पूर्णतः समान हैं और दोनों में केवल पूंजीगत प्राप्तियां दिखाई जाती हैं।

(C) प्राप्ति एवं भुगतान खाते का अंतिम शेष 'अधिशेष या कमी' (Surplus or Deficit) दर्शाता है।

(D) आय-व्यय खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष से प्रारंभ होता है।

**सही उत्तर:** (A) प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता (रोकड़ बही का सारांश) है जो रोकड़ आधार (Cash Basis) पर बनता है और इसमें पूंजीगत व राजस्व दोनों मदें आती हैं; जबकि आय-व्यय खाता एक नाममात्र खाता (लाभ-हानि खाते के समान) है जो उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर बनता है और इसमें केवल चालू वर्ष की राजस्व मदें ही शामिल होती हैं।

**विस्तृत व्याख्या:**

• एनसीईआरटी लेखाशास्त्र (ncert.nic.in) के अनुसार गैर-लाभकारी संस्थाएं (जैसे विद्यालय, अस्पताल, क्लब, ट्रस्ट) वर्ष के अंत में रोकड़ बही के आधार पर 'प्राप्ति एवं भुगतान खाता' बनाती हैं, जो प्रारंभिक रोकड़/बैंक शेष से शुरू होकर अंतिम रोकड़/बैंक शेष पर समाप्त होता है और इसमें पिछले, चालू या अगले किसी भी वर्ष की नकद प्राप्तियां व भुगतान (पूंजीगत व राजस्व दोनों) दर्ज होते हैं।

• इसके विपरीत, 'आय-व्यय खाता' उपार्जन आधार पर केवल चालू लेखांकन वर्ष से संबंधित राजस्व आय और राजस्व व्ययों को शामिल करता है (इसमें आजीवन सदस्यता शुल्क या विशिष्ट दान जैसी पूंजीगत प्राप्तियां नहीं आतीं) और इसका परिणाम 'अधिशेष' (Surplus) या 'कमी' (Deficit) के रूप में निकलता है।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 6.** उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत किसी मासिक वेतनभोगी कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए किस सूत्र से उपदान (Gratuity) की गणना की जाती है, और कर-मुक्त उपदान की वर्तमान अधिकतम वैधानिक सीमा क्या है?

(A) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (अंतिम आहरित वेतन × (15 / 26) × सेवा वर्षों की संख्या); अधिकतम वैधानिक सीमा ₹20 लाख (केंद्रीय कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 50% पहुंचने पर ₹25 लाख)

(B) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 30 दिन का वेतन (अंतिम वेतन × (30 / 30)); अधिकतम सीमा ₹5 लाख

(C) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 7 दिन का वेतन; अधिकतम सीमा ₹10 लाख

(D) उपदान केवल 20 वर्ष की सेवा के बाद ही देय होता है

**सही उत्तर:** (A) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (अंतिम आहरित वेतन × (15 / 26) × सेवा वर्षों की संख्या); अधिकतम वैधानिक सीमा ₹20 लाख (केंद्रीय कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 50% पहुंचने पर ₹25 लाख)

**विस्तृत व्याख्या:** उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 (labour.gov.in) के अनुसार न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा (मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत निश्चित अवधि के कर्मचारियों - Fixed Term Employees के मामले में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं) पूरी करने पर कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष (6 माह से अधिक की अवधि को पूर्ण वर्ष माना जाता है) के लिए 15 दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) उपदान के रूप में दिया जाता है। चूंकि एक माह में 4 रविवार घटाकर कार्यदिवस 26 माने जाते हैं, अतः सूत्र है:

$उपदान (Gratuity) = अंतिम आहरित वेतन (Basic + DA) × (15 / 26) × सेवा वर्ष$

(मौसमी प्रतिष्ठानों में यह प्रति सीजन 7 दिन के वेतन के बराबर होता है)।

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 7.** साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है और प्रवेश से पूर्व कोई नया लाभ-विभाजन अनुपात विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, तो पुराने साझेदारों का 'त्याग अनुपात' (Sacrificing Ratio) क्या होता है, और ख्याति (Goodwill) के लेखांकन व्यवहार के लिए कौन-सा लेखांकन मानक लागू होता है?

(A) त्याग अनुपात पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के बराबर होता है; लेखांकन मानक-26 (AS-26: अमूर्त संपत्तियां / Ind AS 38) लागू होता है जिसके अनुसार केवल 'क्रय की गई ख्याति' (Purchased Goodwill) को ही पुस्तकों में दिखाया जा सकता है, स्व-अर्जित ख्याति को नहीं।

(B) त्याग अनुपात सदैव 1:1 होता है; लेखांकन मानक-2 लागू होता है।

(C) पुराने साझेदारों को कोई त्याग नहीं करना पड़ता; लेखांकन मानक-10 लागू होता है।

(D) ख्याति को लाभ-हानि खाते में ब्याज के रूप में दिखाया जाता है।

**सही उत्तर:** (A) त्याग अनुपात पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के बराबर होता है; लेखांकन मानक-26 (AS-26: अमूर्त संपत्तियां / Ind AS 38) लागू होता है जिसके अनुसार केवल 'क्रय की गई ख्याति' (Purchased Goodwill) को ही पुस्तकों में दिखाया जा सकता है, स्व-अर्जित ख्याति को नहीं।

**विस्तृत व्याख्या:**

• एनसीईआरटी लेखाशास्त्र भाग-I (ncert.nic.in) के अनुसार त्याग अनुपात = पुराना अनुपात - नया अनुपात।

• यदि नया साझेदार केवल अपना हिस्सा (जैसे 1/5 भाग) लेता है और यह नहीं बताया गया कि पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया गया, तो उनका त्याग अनुपात उनके पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के ही बराबर होता है।

• साथ ही, AS-26 (Intangible Assets) के पैरा 35 के अनुसार स्व-जनित या आंतरिक रूप से उत्पन्न ख्याति (Self-generated Goodwill) को कभी भी लेखा पुस्तकों में संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया जाता; इसलिए नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि (Premium for Goodwill) को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके 'त्याग अनुपात' में क्रेडिट करके समायोजित कर दिया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 8.** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अंतर्गत जब कोई कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है, तो प्राप्त होने वाली 'प्रतिभूति प्रीमियम' (Securities Premium) की राशि का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए वैधानिक रूप से **नहीं** किया जा सकता है?

(A) कंपनी के सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंश (Fully Paid Bonus Shares) जारी करने के लिए

(B) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों (Preliminary Expenses) को अपलिखित (Write off) करने के लिए या स्वयं के अंशों की पुनर्खरीद (Buy-back of shares - धारा 68) के लिए

(C) अंशधारियों को नकद लाभांश (Cash Dividend) का भुगतान करने के लिए

(D) पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए

**सही उत्तर:** (C) अंशधारियों को नकद लाभांश (Cash Dividend) का भुगतान करने के लिए

**विस्तृत व्याख्या:**

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52(2) (ncert.nic.in) के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम एक पूंजीगत प्राप्ति है और इसका उपयोग केवल पांच निर्दिष्ट कार्यों के लिए ही किया जा सकता है: (1) सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंश जारी करना, (2) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना, (3) अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर हुए व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करना, (4) शोध्य पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का प्रावधान करना, तथा (5) धारा 68 के तहत अपने ही अंशों की वापसी खरीद (Buy-back) करना।

• इसका उपयोग कभी भी नकद लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता।

**अभ्यास प्रश्न #9** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 9.** मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी और दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश (Paid Maternity Leave) की अधिकतम अवधि क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है, और क्रेच (Crèche - शिशुगृह) की सुविधा कितने कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य है?

(A) दो से कम जीवित बच्चों पर: 26 सप्ताह (प्रसव से पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह); दो या अधिक जीवित बच्चों पर: 12 सप्ताह; क्रेच सुविधा: 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य

(B) सभी महिलाओं के लिए एकसमान 52 सप्ताह; क्रेच: 500 कर्मचारियों पर

(C) प्रथम बच्चे पर 12 सप्ताह और तीसरे पर 26 सप्ताह; क्रेच: 10 कर्मचारियों पर

(D) केवल 6 सप्ताह का अवैतनिक अवकाश

**सही उत्तर:** (A) दो से कम जीवित बच्चों पर: 26 सप्ताह (प्रसव से पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह); दो या अधिक जीवित बच्चों पर: 12 सप्ताह; क्रेच सुविधा: 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य

**विस्तृत व्याख्या:**

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) के मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (धारा 60 एवं 67) के तहत प्रथम दो बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर **26 सप्ताह** कर दिया गया है।

• जिन महिलाओं के पहले से दो या अधिक जीवित बच्चे हैं, उनके लिए यह अवधि **12 सप्ताह** है।

• इसी प्रकार 3 माह से कम आयु के शिशु को वैधानिक रूप से गोद लेने वाली माता (Adopting Mother) और कमीशनिंग माता (Commissioning Mother) को बच्चे के सौंपे जाने की तिथि से 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है।

• साथ ही, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा (जिसमें माता को प्रतिदिन 4 बार मिलने की अनुमति हो) अनिवार्य है।

**अभ्यास प्रश्न #10** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 10.** लागत लेखांकन (Cost Accounting) में 'सम-विच्छेद बिंदु' (Break-Even Point - BEP) और 'लाभ-मात्रा अनुपात' (Profit-Volume Ratio / P/V Ratio) के संदर्भ में, यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ₹200 प्रति इकाई, परिवर्तनशील लागत (Variable Cost) ₹120 प्रति इकाई और कुल स्थिर लागत (Total Fixed Cost) ₹4,00,000 है, तो उसका P/V अनुपात और इकाइयों में सम-विच्छेद बिंदु (BEP in Units) क्या होगा?

(A) P/V अनुपात = 40%; सम-विच्छेद बिंदु = 5,000 इकाइयाँ (या ₹10,00,000 विक्रय मूल्य)

(B) P/V अनुपात = 60%; सम-विच्छेद बिंदु = 2,000 इकाइयाँ

(C) P/V अनुपात = 50%; सम-विच्छेद बिंदु = 8,000 इकाइयाँ

(D) P/V अनुपात = 20%; सम-विच्छेद बिंदु = 10,000 इकाइयाँ

**सही उत्तर:** (A) P/V अनुपात = 40%; सम-विच्छेद बिंदु = 5,000 इकाइयाँ (या ₹10,00,000 विक्रय मूल्य)

**विस्तृत व्याख्या:** सीमांत लागत लेखांकन (www.iucacademy.com) के अनुसार:

1. प्रति इकाई अंशदान (Contribution per unit, $C$) = विक्रय मूल्य (S) - परिवर्तनशील लागत (V) = ₹200 - ₹120 = ₹80 प्रति इकाई।
2. लाभ-मात्रा अनुपात (P/V Ratio) = (अंशदान (C) / विक्रय (S)) × 100 = (80 / 200) × 100 = 40\%।
3. इकाइयों में सम-विच्छेद बिंदु (BEP in Units — जहाँ न लाभ होता है न हानि) $= (कुल स्थिर लागत (Fixed Cost) / प्रति इकाई अंशदान (Contribution per unit)) = (4,00,000 / 80) = 5,000 इकाइयाँ (तथा रुपयों में BEP = 5,000 × ₹200 = ₹10,00,000$)।

**अभ्यास प्रश्न #11** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 11.** बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (यथासंशोधित 2015) तथा मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अनुसार एक लेखा वर्ष में पात्र कर्मचारियों को देय वैधानिक 'न्यूनतम बोनस' और 'अधिकतम बोनस' की प्रतिशत दर क्या है, और यदि किसी वर्ष आवंटन योग्य अधिशेष (Allocable Surplus) अधिकतम सीमा से अधिक हो जाए तो किस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है?

(A) न्यूनतम बोनस: 8.33% (या ₹100, जो अधिक हो); अधिकतम बोनस: 20%; अतिरिक्त अधिशेष को आगामी 4 लेखा वर्षों तक 'सेट-ऑन' (Set-on) के रूप में आगे ले जाया जाता है और कमी होने पर 'सेट-ऑफ' (Set-off) किया जाता है

(B) न्यूनतम बोनस: 5%; अधिकतम बोनस: 50%

(C) न्यूनतम बोनस: 10%; अधिकतम बोनस: 15%

(D) घाटे की स्थिति में बोनस देना आवश्यक नहीं है

**सही उत्तर:** (A) न्यूनतम बोनस: 8.33% (या ₹100, जो अधिक हो); अधिकतम बोनस: 20%; अतिरिक्त अधिशेष को आगामी 4 लेखा वर्षों तक 'सेट-ऑन' (Set-on) के रूप में आगे ले जाया जाता है और कमी होने पर 'सेट-ऑफ' (Set-off) किया जाता है

**विस्तृत व्याख्या:**

- मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 26 से 36 तथा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (labour.gov.in) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने लेखा वर्ष में कम से कम 30 कार्यदिवस कार्य किया है, तो नियोक्ता को लाभ हो या हानि, उसे कर्मचारी के वार्षिक वेतन का न्यूनतम **8.33%** बोनस देना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।
- बोनस की अधिकतम सीमा **20%** है।
- यदि किसी वर्ष आवंटन योग्य अधिशेष 20% से अधिक होता है, तो वेतन के 20% तक की अतिरिक्त राशि को अगले चौथे लेखा वर्ष तक 'सेट-ऑन' (अग्रनीत) किया जाता है ताकि भविष्य में कम लाभ वाले वर्षों में बोनस बांटा जा सके, और यदि अधिशेष 8.33% से कम हो तो कमी को 'सेट-ऑफ' के रूप में अगले 4 वर्षों तक समायोजित किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #12** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 12.** रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement), जो लेखांकन मानक-3 (AS-3 संशोधित) एवं Ind AS-7 के अनुसार तैयार किया जाता है, में किसी विनिर्माण कंपनी (गैर-वित्तीय उपक्रम) द्वारा 'प्राप्त लाभांश और ब्याज' (Dividend and Interest Received) तथा 'भुगतान किए गए लाभांश और ब्याज' (Dividend and Interest Paid) को क्रमशः किन गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?

(A) प्राप्त लाभांश एवं ब्याज — निवेश गतिविधियां (Investing Activities); भुगतान किया गया लाभांश एवं ब्याज — वित्तीयन गतिविधियां (Financing Activities)

(B) दोनों को परिचालन गतिविधियों (Operating Activities) में रखा जाता है

(C) प्राप्त लाभांश — वित्तीयन गतिविधि; भुगतान किया गया लाभांश — निवेश गतिविधि

(D) इन्हें रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता

**सही उत्तर:** (A) प्राप्त लाभांश एवं ब्याज — निवेश गतिविधियां (Investing Activities); भुगतान किया गया लाभांश एवं ब्याज — वित्तीयन गतिविधियां (Financing Activities)

**विस्तृत व्याख्या:**

• एनसीईआरटी लेखाशास्त्र भाग-II (ncert.nic.in) और AS-3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण में नकदी के प्रवाह को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है: (1) परिचालन गतिविधियां (Operating), (2) निवेश गतिविधियां (Investing) और (3) वित्तीयन गतिविधियां (Financing)।

• एक गैर-वित्तीय (विनिर्माण या व्यापारिक) कंपनी के लिए अन्य कंपनियों के अंशों या ऋणपत्रों में किए गए निवेश से 'प्राप्त ब्याज और लाभांश' **निवेश गतिविधि (Investing Activity)** है, जबकि अपने अंशधारियों और ऋणदाताओं को 'चुकाया गया लाभांश और ब्याज' पूंजी की लागत होने के कारण **वित्तीयन गतिविधि (Financing Activity)** है (हालांकि एक बैंक या वित्तीय कंपनी के लिए ब्याज लेना व देना परिचालन गतिविधि होती है)।

**अभ्यास प्रश्न #13** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 13.** अंकेक्षण (Auditing) में 'प्रमाणन' (Vouching) और 'सत्यापन' (Verification) के बीच का मौलिक अंतर क्या है?

(A) प्रमाणन का संबंध लेखा पुस्तकों में दर्ज आय-व्यय के प्रारंभिक लेन-देनों की प्रामाणिकता को मूल दस्तावेजी साक्ष्यों (जैसे रसीद, बीजक, कैश मेमो) से जांचने से है, जबकि सत्यापन का संबंध वर्ष के अंत में तुलन-पत्र (Balance Sheet) में प्रदर्शित परिसंपत्तियों और दायित्वों के भौतिक अस्तित्व, स्वामित्व, प्रभार-मुक्ति और सही मूल्यांकन की पुष्टि करने से है।

(B) प्रमाणन केवल वर्ष के अंत में होता है और सत्यापन प्रतिदिन होता है।

(C) प्रमाणन में केवल मशीनों की गिनती होती है और सत्यापन में केवल रोकड़ की।

(D) दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है।

**सही उत्तर:** (A) प्रमाणन का संबंध लेखा पुस्तकों में दर्ज आय-व्यय के प्रारंभिक लेन-देनों की प्रामाणिकता को मूल दस्तावेजी साक्ष्यों (जैसे रसीद, बीजक, कैश मेमो) से जांचने से है, जबकि सत्यापन का संबंध वर्ष के अंत में तुलन-पत्र (Balance Sheet) में प्रदर्शित परिसंपत्तियों और दायित्वों के भौतिक अस्तित्व, स्वामित्व, प्रभार-मुक्ति और सही मूल्यांकन की पुष्टि करने से है।

**विस्तृत व्याख्या:**

• अंकेक्षण शास्त्र में प्रसिद्ध उक्ति है कि 'प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है' (Vouching is the backbone of Auditing - रोनाल्ड ए. आयरिश) (www.iucacademy.com)।

• प्रमाणन के अंतर्गत अंकेक्षक पूरे वर्ष के दौरान दर्ज की गई प्रविष्टियों को बाह्य और आंतरिक वाउचरों से मिलाकर यह देखता है कि लेन-देन वास्तविक है और विधिवत अधिकृत है।

• इसके आगे बढ़कर 'सत्यापन' (Verification) में अंकेक्षक तुलन-पत्र की तिथि को यह सुनिश्चित करता है कि दिखाई गई परिसंपत्ति (जैसे भवन, स्टॉक, निवेश) वास्तव में मौजूद है (Existence), कंपनी के नाम पर उसका वैध स्वामित्व है (Ownership), उस पर कोई छिपा हुआ बंधक नहीं है (Possession & Charge) और उसका मूल्यांकन (Valuation) GAAP के अनुसार सही है।

**अभ्यास प्रश्न #14** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 14.** कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act, 1948) के अंतर्गत 1 जुलाई 2019 से प्रभावी संशोधित अंशदान दरों के अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा देय मासिक ESI अंशदान क्रमशः वेतन का कितने प्रतिशत है, और इसके लिए सामान्य कर्मचारियों की अधिकतम मासिक वेतन सीमा क्या है?

(A) नियोक्ता: 3.25%, कर्मचारी: 0.75% (कुल 4.0%); अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹21,000 (दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ₹25,000)

(B) नियोक्ता: 4.75%, कर्मचारी: 1.75% (कुल 6.5%); वेतन सीमा ₹15,000

(C) नियोक्ता: 12%, कर्मचारी: 12%; वेतन सीमा ₹30,000

(D) नियोक्ता: 5%, कर्मचारी: 5%; वेतन सीमा ₹10,000

**सही उत्तर:** (A) नियोक्ता: 3.25%, कर्मचारी: 0.75% (कुल 4.0%); अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹21,000 (दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ₹25,000)

**विस्तृत व्याख्या:**

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (**labour.gov.in**) द्वारा 1 जुलाई 2019 से लागू ऐतिहासिक कटौती के तहत कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) में कुल अंशदान को 6.5% से घटाकर **4.0%** कर दिया गया है, जिसमें नियोक्ता का अंशदान वेतन का **3.25%** (पूर्व में 4.75%) और कर्मचारी का अंशदान मात्र **0.75%** (पूर्व में 1.75%) है।

• इस योजना में कवरेज के लिए मासिक वेतन की पात्रता सीमा ₹21,000 प्रतिमाह (दिव्यांगजनों के लिए ₹25,000 प्रतिमाह) है, और यह 6 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ (चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, अपंगता, आश्रितजन और अंत्येष्टि व्यय) प्रदान करती है।

**अभ्यास प्रश्न #15** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 15.** जब कोई कंपनी अंशों का हरण (Forfeiture of Shares) करने के पश्चात उन हरण किए गए अंशों को बट्टे (Discount) पर पुनः निर्गमित (Re-issue) करती है, तो पुनः निर्गमन पर दिया जाने वाला अधिकतम बट्टा कितना हो सकता है और पुनः निर्गमन के पश्चात 'अंश हरण खाते' (Share Forfeiture Account) में बचे हुए लाभ को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है?

(A) अधिकतम बट्टा उन अंशों पर पूर्व में जब्त की गई राशि (Amount forfeited on those shares) से अधिक नहीं हो सकता; शेष बचे हुए लाभ को 'पूंजी आरक्षित खाते' (Capital Reserve Account) में हस्तांतरित किया जाता है

(B) बट्टा अंकित मूल्य के 100% तक दिया जा सकता है; शेष लाभ को सामान्य लाभ-हानि खाते में डाला जाता है

(C) हरण किए गए अंशों को बट्टे पर पुनः निर्गमित नहीं किया जा सकता

(D) शेष राशि को पुराने चूककर्ता अंशधारी को वापस लौटा दिया जाता है

**सही उत्तर:** (A) अधिकतम बट्टा उन अंशों पर पूर्व में जब्त की गई राशि (Amount forfeited on those shares) से अधिक नहीं हो सकता; शेष बचे हुए लाभ को 'पूंजी आरक्षित खाते' (Capital Reserve Account) में हस्तांतरित किया जाता है

**विस्तृत व्याख्या:**

• एनसीईआरटी कंपनी लेखाशास्त्र (**ncert.nic.in**) के अनुसार हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर कंपनी अधिकतम उतनी ही छूट (Discount) दे सकती है जितनी राशि उन अंशों पर पहले के अंशधारी से प्राप्त होकर जब्त (Forfeit) की जा चुकी है (उदाहरणार्थ, ₹10 के अंश पर यदि ₹4 प्राप्त होकर जब्त हुए हैं, तो पुनः निर्गमन पर अधिकतम ₹4 का बट्टा दिया जा सकता है, अर्थात न्यूनतम ₹6 प्राप्त करने ही होंगे)।

• पुनः निर्गमित किए गए अंशों से संबंधित हरण खाते का शेष एक पूंजीगत लाभ (Capital Profit) होता है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से **पूंजी आरक्षित खाते (Capital Reserve Account)** में हस्तांतरित किया जाता है।

• (यदि कुछ अंश अभी पुनः निर्गमित नहीं हुए हैं, तो केवल पुनः निर्गमित अंशों के अनुपातिक लाभ को ही पूंजी आरक्षित में भेजा जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #16** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 16.** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और पूर्ववर्ती औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 'छंटनी' (Retrenchment), 'कामबंदी' (Lay-off) और 'तालाबंदी' (Lock-out) के बीच के अंतर के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?

(A) 'कामबंदी' (Lay-off) कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी या मशीनरी खराब होने से नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से काम न दे पाना है (जिसमें श्रमिक को मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 50% मुआवजा मिलता है); 'छंटनी' (Retrenchment) अनुशासनात्मक दंड के अतिरिक्त किसी भी कारण से अतिरिक्त श्रमिकों की सेवा समाप्त करना है; और 'तालाबंदी' (Lock-out) औद्योगिक विवाद के दौरान नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद करना है।

(B) तीनों शब्दों का अर्थ कर्मचारी को अनुशासनहीनता पर बर्खास्त करना है।

(C) कामबंदी में कर्मचारी का नाम मस्टर रोल से हमेशा के लिए काट दिया जाता है।

(D) तालाबंदी केवल श्रमिक संघों द्वारा की जाती है।

**सही उत्तर:** (A) 'कामबंदी' (Lay-off) कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी या मशीनरी खराब होने से नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से काम न दे पाना है (जिसमें श्रमिक को मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 50% मुआवजा मिलता है); 'छंटनी' (Retrenchment) अनुशासनात्मक दंड के अतिरिक्त किसी भी कारण से अतिरिक्त श्रमिकों की सेवा समाप्त करना है; और 'तालाबंदी' (Lock-out) औद्योगिक विवाद के दौरान नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद करना है।

**विस्तृत व्याख्या:** श्रम विधि (labour.gov.in) में ये तीनों तकनीकी शब्दावलियां अत्यंत विशिष्ट हैं: (1) **Lay-off (कामबंदी):** इसमें नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त नहीं होता, बल्कि बिजली, कोयले, कच्चे माल की कमी या स्टॉक जमा हो जाने से अस्थायी रूप से कार्य नहीं दिया जा पाता और मस्टर रोल पर दर्ज श्रमिक को 50% (Basic + DA) कामबंदी मुआवजा देय होता है; (2) **Retrenchment (छंटनी):** इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवानिवृत्ति या स्वास्थ्य कारण को छोड़कर व्यापारिक पुनर्गठन या अधिशेष श्रम के कारण सेवा स्थायी रूप से समाप्त की जाती है (जिसमें प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष हेतु 15 दिन के औसत वेतन का मुआवजा और 'अंतिम आया, पहले गया' - LIFO सिद्धांत लागू होता है); (3) **Lock-out (तालाबंदी):** जिस प्रकार श्रमिक अपनी मांग मनवाने के लिए 'हड़ताल' (Strike) करते हैं, उसी प्रकार नियोक्ता द्वारा दबाव बनाने के लिए कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद करना 'तालाबंदी' है।

**अभ्यास प्रश्न #17** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 17.** बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS) तैयार करते समय यदि प्रारंभिक बिंदु 'रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष' (Favourable Balance as per Cash Book = ₹50,000) है, और यह पाया जाता है कि:

1. ₹12,000 के चेक निर्गमित (Issued) किए गए थे किंतु भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए।
2. बैंक ने एक ग्राहक से सीधे ₹8,000 ब्याज/लाभांश वसूल कर खाते में जमा किए जिसकी सूचना रोकड़ बही में नहीं थी।
3. बैंक ने ₹1,000 बैंक शुल्क (Bank Charges) काटा जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं हुआ।

तो पासबुक के अनुसार शेष (Balance as per Pass Book) कितना होगा?

(A) ₹69,000

(B) ₹45,000

(C) ₹31,000

(D) ₹50,000

**सही उत्तर:** (A) ₹69,000

**विस्तृत व्याख्या:** एनसीईआरटी लेखाशास्त्र (ncert.nic.in) के अनुसार रोकड़ बही के अनुकूल (डेबिट) शेष ₹50,000 से पासबुक शेष ज्ञात करने के लिए:

- निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए (₹12,000): इन्हें रोकड़ बही से घटाया जा चुका था किंतु पासबुक से नहीं घटे, अतः इन्हें **जोड़ा जाएगा (+₹12,000)**।
- बैंक द्वारा सीधे वसूल किया गया लाभांश/ब्याज (₹8,000): इससे पासबुक बढ़ गई है, अतः इसे भी **जोड़ा जाएगा (+₹8,000)**।
- बैंक शुल्क (₹1,000): इससे पासबुक घट गई है, अतः इसे **घटाया जाएगा (-₹1,000)**।

अतः पासबुक के अनुसार अनुकूल (क्रेडिट) शेष = ₹50,000 + ₹12,000 + ₹8,000 - ₹1,000 = ₹69,000 होगा।

**अभ्यास प्रश्न #18** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 18.** बीमा और बीमांकिक विज्ञान (Insurance & Actuarial Science) में 'प्रत्यासन का सिद्धांत' (Principle of Subrogation) और 'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (Principle of Indemnity) निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमा अनुबंध पर लागू **नहीं** होते हैं?

(A) समुद्री बीमा (Marine Insurance)

(B) अग्नि बीमा (Fire Insurance)

(C) जीवन बीमा (Life Insurance)

(D) मोटर वाहन बीमा (Motor Insurance)

**सही उत्तर:** (C) जीवन बीमा (Life Insurance)

**विस्तृत व्याख्या:**

• बीमा के मूलभूत सिद्धांतों (ncert.nic.in, www.iucacademy.com) के अनुसार जीवन बीमा एक 'आकस्मिक अनुबंध' (Contingent Contract) है, न कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध (Contract of Indemnity), क्योंकि मानव जीवन का मूल्य मुद्रा में नहीं आंका जा सकता।

• इसलिए जीवन बीमा में निश्चित बीमित राशि का भुगतान किया जाता है और उस पर 'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (वास्तविक हानि के बराबर ही मुआवजा देना), 'प्रत्यासन का सिद्धांत' (Subrogation — दावे के भुगतान के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति के अवशेषों और तृतीय पक्ष से वसूली के अधिकार का बीमा कंपनी को मिल जाना) तथा 'अंशदान का सिद्धांत' (Contribution) लागू नहीं होते।

• ये तीनों सिद्धांत केवल सामान्य बीमा (अग्नि, समुद्री व मोटर बीमा) पर ही लागू होते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #19** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 19.** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी (Government Company) में प्रथम अंकेक्षक (First Auditor) और पश्चातवर्ती वार्षिक अंकेक्षक (Subsequent Auditor) की नियुक्ति करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है?

(A) कंपनी के निदेशक मंडल के पास

(B) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) के पास (प्रथम अंकेक्षक निगमन के 60 दिन के भीतर और पश्चातवर्ती अंकेक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर)

(C) केवल कंपनी सचिव के पास

(D) भारतीय रिजर्व बैंक के पास

**सही उत्तर:** (B) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) के पास (प्रथम अंकेक्षक निगमन के 60 दिन के भीतर और पश्चातवर्ती अंकेक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर)

**विस्तृत व्याख्या:**

• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) और 139(5) (www.iucacademy.com) के अनुसार किसी भी सरकारी कंपनी (जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की न्यूनतम 51% प्रदत्त अंश पूंजी हो) में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से **60 दिन** के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जाती है (CAG द्वारा न किए जाने पर अगले 30 दिन में निदेशक मंडल और उसके विफल रहने पर अगले 60 दिन में सदस्यों द्वारा)।

• इसी प्रकार प्रत्येक पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति भी वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से **180 दिन** के भीतर CAG द्वारा ही की जाती है।

**अभ्यास प्रश्न #20** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 20.** व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020) तथा पूर्ववर्ती कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किसी वयस्क श्रमिक से एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है, और अतिकालिक कार्य (Overtime Work) के लिए उसे सामान्य मजदूरी दर के कितने गुना दर से भुगतान करने का वैधानिक प्रावधान है?

(A) अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह (और 8 घंटे प्रतिदिन मानक); ओवरटाइम मजदूरी सामान्य दर की **दोगुनी (Twice the ordinary rate of wages)** देय होती है

(B) अधिकतम 60 घंटे प्रति सप्ताह; ओवरटाइम सामान्य दर का 1.25 गुना

(C) अधिकतम 72 घंटे प्रति सप्ताह; ओवरटाइम पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं

(D) अधिकतम 36 घंटे प्रति सप्ताह; ओवरटाइम सामान्य दर का तीन गुना

**सही उत्तर:** (A) अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह (और 8 घंटे प्रतिदिन मानक); ओवरटाइम मजदूरी सामान्य दर की **दोगुनी (Twice the ordinary rate of wages)** देय होती है

**विस्तृत व्याख्या:**

• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (धारा 25 और 27) तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (धारा 51, 54 और 59) के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान/कारखाने में वयस्क श्रमिक के साप्ताहिक कार्य घंटे अधिकतम **48 घंटे** (तथा दैनिक मानक 8 घंटे) निर्धारित हैं।

• यदि श्रमिक से निर्धारित सीमा से अधिक (ओवरटाइम) कार्य कराया जाता है, तो उसके लिए श्रमिक की लिखित सहमति आवश्यक है और उसे अतिकालिक घंटों के लिए उसकी सामान्य मजदूरी दर से **दोगुनी दर (2x rate / Twice the ordinary rate)** पर ओवरटाइम वेतन का भुगतान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

**(UPSC EPFO EO/AO & APFC, ESIC Deputy Director, SSC CGL AAO व विभागीय लेखा परीक्षा विशेष)**

***भाग (क): 5 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल एवं व्यावहारिक लेखांकन/श्रम-संहिता केस स्टडीज***

***मॉड्यूल 1: वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत (GAAP), गोल्डन रूल्स, अशुद्धियों का सुधार एवं मूल्यह्रास (Depreciation)***

**1. लेखांकन की अवधारणाएं (Accounting Concepts) एवं परंपराएं (Conventions)**

**• दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के जनक (Father of Double Entry System):** इटली के गणितज्ञ *लुका पैसिओली (*Luca Pacioli* — 1494 में प्रकाशित पुस्तक 'Summa de Arithmetica' में वर्णन)*।

**• मूलभूत लेखांकन अवधारणाएं (Concepts):**

1. **पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा (Business Entity Concept):** व्यवसाय और उसका स्वामी दो अलग-अलग इकाई हैं। **इसी अवधारणा के कारण स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी (Capital) को व्यवसाय के लिए 'आंतरिक दायित्व (Liability)' माना जाता है** और आहरण (Drawings) पर ब्याज व्यवसाय की आय मानी जाती है!

2. **मुद्रा मापन अवधारणा (Money Measurement Concept):** केवल उन्हीं लेन-देनों का लेखा होता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके (कर्मचारियों की ईमानदारी या प्रबंधक की योग्यता का लेखा नहीं होता)।

3. **चालू व्यवसाय की अवधारणा (Going Concern Concept — AS-1):** यह माना जाता है कि व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा; इसीलिए स्थायी संपत्तियों (Fixed Assets) को उनके वसूली मूल्य पर नहीं बल्कि **ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास घटाकर (Cost less Depreciation)** बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

4. **ऐतिहासिक लागत अवधारणा (Historical Cost Concept):** संपत्तियों को उनके क्रय मूल्य (अधिग्रहण लागत + स्थापना व्यय) पर दर्ज किया जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं।

5. **द्विपक्षीय अवधारणा (Dual Aspect Concept):** प्रत्येक लेन-देन के दो पक्ष (Debit और Credit) होते हैं, जिससे **मूलभूत लेखांकन समीकरण** बनता है:

$$Assets (संपत्तियां) = Liabilities (बाह्य दायित्व) + Capital (पूंजी / स्वामी की इक्विटी)$$

6. **उपार्जन अवधारणा (Accrual Concept — AS-1):** आय और व्यय को उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वे **अर्जित या देय (Earned or Incurred)** होते हैं, न कि तब जब नकद प्राप्त या भुगतान हो।

7. **मिलान अवधारणा (Matching Concept):** किसी लेखांकन वर्ष का सही लाभ निकालने के लिए उस वर्ष के आगम (Revenue) से उसी वर्ष के संबंधित व्ययों (Expenses) का मिलान किया जाता है — **इसी अवधारणा के कारण अदत्त व्यय (Outstanding Expenses), पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses) और अंतिम स्टॉक (Closing Stock) का समायोजन** किया जाता है!

**• 4 प्रमुख लेखांकन परंपराएं (Accounting Conventions):**

1. **रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा (Convention of Conservatism / Prudence):** "भविष्य के सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करो, किंतु संभावित लाभों की प्रत्याशा मत करो (*Anticipate no profit, but provide for all possible losses*)"। **इसी परंपरा के कारण अंतिम स्टॉक (Closing Stock) का मूल्यांकन 'लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो (Cost or NRV whichever is lower — AS-2)' पर किया जाता है** और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (Provision for Doubtful Debts) बनाया जाता है!

2. **पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा (Full Disclosure):** वित्तीय विवरणों के फुटनोट (Footnotes) में **आकस्मिक दायित्वों (Contingent Liabilities — जैसे न्यायालय में लंबित मुकदमे, भुनाए गए बिल / Bills Discounted)** को दिखाया जाता है।

3. **एकरूपता की परंपरा (Consistency — AS-1):** लेखांकन नीतियों (जैसे मूल्यह्रास की विधि) को प्रतिवर्ष एक समान रखना चाहिए।

4. **सारता की परंपरा (Materiality):** केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग से दिखाना और नगण्य वस्तुओं (जैसे कैलकुलेटर या डस्टबिन) को संपत्ति के बजाय सीधे स्टेशनरी/सामान्य व्यय में डाल देना।

**2. खातों का वर्गीकरण एवं लेखांकन के स्वर्णिम नियम (Golden Rules of Accounting)**

| खाते का प्रकार (Traditional Classification) | उप-श्रेणियां एवं प्रमुख उदाहरण (UPSC EPFO के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण) | स्वर्णिम नियम (Golden Rule) |
|---|---|---|
| **1. व्यक्तिगत खाता (Personal Account)** | **(क) प्राकृतिक (Natural):** राम का खाता, श्याम का खाता<br>**(ख) कृत्रिम (Artificial):** बैंक खाता (Bank A/c), कंपनी, फर्म, क्लब, बीमा कंपनी<br>**(ग) प्रतिनिधित्व करने वाले (Representative Personal A/c): पूंजी (Capital A/c), आहरण (Drawings A/c), अदत्त व्यय (Outstanding Salary/Rent), पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Insurance), उपार्जित आय (Accrued Income), अनुपार्जित आय (Unearned Income)**! | **पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो** (*Debit the Receiver, Credit the Giver*) |
| **2. वास्तविक / वस्तुगत खाता (Real Account)** | **(क) मूर्त वास्तविक (Tangible Real):** रोकड़ (Cash), भवन, मशीनरी, फर्नीचर, भूमि, स्टॉक<br>**(ख) अमूर्त वास्तविक (Intangible Real): ख्याति (Goodwill), पेटेंट (Patents), ट्रेडमार्क, कॉपीराइट**! | **जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो** (*Debit what comes in, Credit what goes out*) |
| **3. नाममात्र / आय-व्यय खाता (Nominal Account)** | सभी व्यय, हानियां, आय और लाभ — जैसे वेतन (Salary), किराया (Rent), मजदूरी, ब्याज, कमीशन, बट्टा (Discount), मूल्यह्रास (Depreciation), डूबत ऋण (Bad Debts), क्रय (Purchases), विक्रय (Sales)। | **सभी व्ययों एवं हानियों को डेबिट करो, सभी आय एवं लाभों को क्रेडिट करो** (*Debit all expenses & losses, Credit all incomes & gains*) |

- **आधुनिक नियम (Modern Classification — "CLEAR" सूत्र):**
- Assets (संपत्ति) एवं Expenses (व्यय): **बढ़ने पर Debit (↑ Dr.), घटने पर Credit (↓ Cr.)**।
- Capital (पूंजी), Liabilities (दायित्व) एवं Revenue (आगम/आय): **बढ़ने पर Credit (↑ Cr.), घटने पर Debit (↓ Dr.)**।

### 3. तलपट (Trial Balance), अशुद्धियां एवं मूल्यह्रास (Depreciation — SLM बनाम WDV)

- **तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियां (Errors NOT Disclosed by Trial Balance):**

1. **भूल या चूक की अशुद्धि (Error of Complete Omission):** लेन-देन को जर्नल में लिखने से पूरी तरह भूल जाना।
2. **हिसाब की अशुद्धि (Error of Commission):** सही पक्ष में गलत राशि या गलत व्यक्ति के खाते में खतौनी (जैसे ₹500 की बिक्री को जर्नल में ही ₹50 लिख देना, या राम के बजाय श्याम को डेबिट कर देना)।
3. **सैद्धांतिक अशुद्धि (Error of Principle):** पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लेना (जैसे मशीनरी खरीदने या उसकी स्थापना पर दी गई मजदूरी को मशीनरी खाते के बजाय मजदूरी खाते में डेबिट कर देना) — इससे तलपट तो मिल जाता है, किंतु लाभ-हानि गलत हो जाता है!
4. **क्षतिपूरक अशुद्धियां (Compensating Errors):** दो ऐसी गलतियां जो एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें।

- **मूल्यह्रास (Depreciation — AS-10 / पुराना AS-6):**
- **सीधी रेखा पद्धति (Straight Line Method — SLM):** $वार्षिक मूल्यह्रास = (लागत (Cost) - अवशिष्ट मूल्य (Scrap Value) / उपयोगी जीवनकाल (Useful Life in Years))$ (इसमें संपत्ति का मूल्य शून्य हो सकता है)।
- **क्रमागत ह्रास पद्धति (Written Down Value — WDV / Diminishing Balance Method):** प्रतिवर्ष घटे हुए पुस्तक मूल्य पर निश्चित प्रतिशत से ह्रास लगता है (इसमें संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता; आयकर अधिनियम में इसी पद्धति को मान्यता प्राप्त है)।

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):**
UPSC EPFO परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न यह है कि **"Salary Account (वेतन खाता)"** तो **Nominal Account (नाममात्र खाता)** है, लेकिन जैसे ही उसके आगे कोई उपसर्ग या प्रत्यय लग जाए — जैसे **"Outstanding Salary Account (अदत्त वेतन)"** या **"Prepaid Salary Account (पूर्वदत्त वेतन)"** — वह तुरंत **Representative Personal Account (प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता)** बन जाता है! इसी प्रकार **"Bank Account"** वास्तविक (Real) खाता नहीं, बल्कि **Artificial Personal Account** है, जबकि **"Bank Overdraft Account"** भी Personal Account है!

**परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):**
प्रश्न पूछा जाता है: "नई मशीन की स्थापना (*Installation of New Machinery*) पर चुकाई गई ₹10,000 की मजदूरी को गलती से *Wages Account* में डेबिट कर दिया गया। यह किस प्रकार की अशुद्धि है और इससे लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?"
यह **'सैद्धांतिक अशुद्धि (Error of Principle)'** है! नई मशीन को चालू हालत में लाने तक के सभी खर्च पूंजीगत (Capital Expenditure) होते हैं और उन्हें **Machinery A/c** में डेबिट किया जाना चाहिए था। इसे Wages A/c में डालने से **चालू वर्ष का सकल लाभ (Gross Profit) ₹10,000 से कम** हो जाएगा (मूल्यह्रास के समायोजन से पूर्व)!

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — आधुनिक लेखांकन नियम):**
**"DEAL - CLIP"** -> **D**ividend/Drawings, **E**xpenses, **A**ssets, **L**osses का बैलेंस **Debit** होता है (बढ़ने पर Dr.); और **C**apital, **L**iabilities, **I**ncomes, **P**rofits का बैलेंस **Credit** होता है (बढ़ने पर Cr.)।

**व्यावहारिक लेखांकन केस स्टडी 1 (अशुद्धि सुधार, सस्पेंस खाता एवं सकल लाभ/क्रय लागत न्यूमेरिकल):**

• **प्रकरण:** एक व्यापारी के खातों में निम्नलिखित तथ्य सामने आए: (1) प्रारंभिक स्टॉक (Opening Stock) = ₹80,000; (2) शुद्ध क्रय (Net Purchases) = ₹4,20,000; (3) प्रत्यक्ष मजदूरी एवं भाड़ा (Direct Wages & Carriage Inward) = ₹40,000; (4) अंतिम स्टॉक (Closing Stock) = ₹1,00,000; तथा (5) विक्रय पर सकल लाभ (Gross Profit) की दर **विक्रय मूल्य (Sales) पर 20%** है। (क) बेचे गए माल की लागत (COGS), (ख) कुल विक्रय (Sales), और (ग) सकल लाभ (Gross Profit) की गणना कीजिए।

• **चरणबद्ध हल:**

1. **बेचे गए माल की लागत (Cost of Goods Sold — COGS):**

$COGS = Opening Stock + Net Purchases + Direct Expenses - Closing Stock$

$COGS = ₹80,000 + ₹4,20,000 + ₹40,000 - ₹1,00,000 = ₹4,40,000$

2. **विक्रय (Sales) एवं सकल लाभ (Gross Profit) का रूपांतरण सूत्र:**

• नियम: यदि लाभ **विक्रय (Sales) पर (1 / n)** है, तो वह **लागत (Cost / COGS) पर (1 / n-1)** होगा!

• यहां सकल लाभ विक्रय पर 20\% = (1 / 5) है; अतः यह लागत (COGS) पर (1 / 5-1) = (1 / 4) = 25\% होगा!

• **सकल लाभ (Gross Profit)** = ₹4,40,000 × 25\% = ₹1,10,000।

• **कुल विक्रय (Total Sales)** = COGS + Gross Profit = ₹4,40,000 + ₹1,10,000 = ₹5,50,000।

## *मॉड्यूल 2: साझेदारी लेखांकन, कंपनी लेखे (अंशों का हरण व पुनः निर्गमन) एवं वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis)*

### 1. साझेदारी लेखांकन (Partnership Accounting — भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932)

• **साझेदारी विलेख (Partnership Deed) के अभाव में लागू होने वाले वैधानिक नियम (धारा 13):**

1. लाभ और हानि का विभाजन: पूंजी के अनुपात में नहीं, बल्कि **बराबर-बराबर (Equally — 1:1)** होगा!
2. पूंजी पर ब्याज (Interest on Capital): **कोई ब्याज नहीं** दिया जाएगा।
3. आहरण पर ब्याज (Interest on Drawings): **कोई ब्याज नहीं** लिया जाएगा।
4. साझेदार को वेतन या कमीशन: **देय नहीं** होगा।
5. **साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण (Loan/Advance) पर ब्याज:** लाभ न होने की स्थिति में भी **6% प्रति वर्ष (6% p.a.)** की दर से ब्याज अनिवार्य रूप से दिया जाएगा!

• **आहरण पर ब्याज की औसत अवधि (Average Period for Interest on Drawings):**

• यदि प्रत्येक माह की **पहली तारीख (Beginning of every month)** को समान राशि निकाली जाए: **6.5 माह** ((12+1 / 2))।

• यदि प्रत्येक माह के **मध्य (Middle of every month)** में निकाली जाए: **6 माह** ((12 / 2))।

• यदि प्रत्येक माह के **अंत (End of every month)** में निकाली जाए: **5.5 माह** ((12-1 / 2))।

• यदि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में: **7.5 माह**; तिमाही के मध्य में: **6 माह**; तिमाही के अंत में: **4.5 माह**।

• **त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio) एवं लाभ-प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio):**

• नए साझेदार के प्रवेश पर **त्याग अनुपात (Sacrificing Ratio)** = **पुराना अनुपात (Old Ratio) - नया अनुपात (New Ratio)**। (नया साझेदार जो ख्याति/*Goodwill* नकद लाता है, उसे पुराने साझेदारों में इसी **त्याग अनुपात** में बांटा जाता है!)

• साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर **लाभ-प्राप्ति अनुपात (Gaining Ratio)** = **नया अनुपात (New Ratio) - पुराना अनुपात (Old Ratio)**।

• **ख्याति (Goodwill) के मूल्यांकन की विधियां (AS-26 के अनुसार केवल 'क्रय की गई ख्याति' ही पुस्तकों में दिखाई जाती है, स्व-अर्जित ख्याति नहीं):**

• **अधिलाभ (Super Profit)** = वास्तविक औसत लाभ (Average Profit) - सामान्य लाभ (Normal Profit) (जहां Normal Profit = विनियोजित पूंजी × (सामान्य प्रत्यय दर (NRR) / 100))।

• **अधिलाभ विधि से ख्याति** = Super Profit × क्रय के वर्षों की संख्या (No. of Years' Purchase)।

• **पूंजीकरण विधि से ख्याति** = (Super Profit × 100 / NRR)।

• **गार्नर बनाम मरे नियम (Garner vs. Murray Rule, 1904):** साझेदारी फर्म के विघटन (Dissolution) पर यदि कोई साझेदार दिवालिया (Insolvent) हो जाता है, तो उसकी पूंजी की कमी (Deficiency) को सक्षम (Solvent) साझेदार अपने **अंतिम सहमत पूंजी अनुपात (Capital Ratio)** में वहन करेंगे, और वसूली हानि (Realisation Loss) को नकद लाएंगे।

**2. कंपनी लेखे: अंशों का निर्गमन, हरण (Forfeiture) एवं पुनः निर्गमन (Re-issue) — कंपनी अधिनियम, 2013**

• **अंशों का बट्टे पर निर्गमन (धारा 53):** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के तहत कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे (Discount) पर जारी **नहीं** कर सकती — सिवाय **धारा 54 के अंतर्गत 'स्वेट इक्विटी अंशों (Sweat Equity Shares)'** के या पुनः निर्गमित हरण किए गए अंशों के!

• **प्रीमियम पर निर्गमन (धारा 52 — Securities Premium Account के 5 वैधानिक उपयोग):**

1. सदस्यों को पूर्णदत्त **बोनस अंश (Fully Paid Bonus Shares)** जारी करने में;
2. कंपनी के **प्रारंभिक व्ययों (Preliminary Expenses)** को अपलिखित करने में;
3. अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन के व्यय, कमीशन या बट्टे को अपलिखित करने में;
4. पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन (Redemption) पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने में; तथा
5. कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंशों की **वापसी खरीद (Buy-back of Shares — धारा 68)** में।

• **अंशों का हरण (Forfeiture) एवं पुनः निर्गमन (Re-issue) से पूंजी संचय (Capital Reserve) निकालने का अचूक सूत्र:**

• पुनः निर्गमन पर अधिकतम अनुमत बट्टा (Discount) = हरण किए गए अंशों पर पूर्व में जब्त की गई राशि (Forfeited Amount)।

• **पूंजी संचय में हस्तांतरित राशि (Transfer to Capital Reserve):**

$$Capital Reserve = ((कुल जब्त राशि (Total Forfeited Amount) / कुल हरण किए गए अंश (No. of Shares Forfeited)) × पुनः निर्गमित अंश (No. of Shares Re-issued)) - पुनः निर्गमन पर दिया गया बट्टा (Discount on Re-issue)$$

**3. वित्तीय विवरण विश्लेषण एवं लेखांकन अनुपात (Ratio Analysis) व रोकड़ प्रवाह विवरण (AS-3)**

• **प्रमुख लेखांकन अनुपात:**

1. **चालू अनुपात (Current Ratio):** (चालू संपत्तियां (Current Assets) / चालू दायित्व (Current Liabilities)) — **आदर्श अनुपात = 2 : 1**।
2. **तरल या त्वरित अनुपात (Liquid / Quick / Acid-Test Ratio):** (तरल संपत्तियां (Liquid Assets) / चालू दायित्व (Current Liabilities)) — **आदर्श अनुपात = 1 : 1**।

(जहां *$Liquid Assets = Current Assets - Inventory* (स्टॉक) *- Prepaid Expenses* (पूर्वदत्त व्यय)*$*)।

3. **ऋण-समता अनुपात (Debt-Equity Ratio):** $(दीर्घकालिक ऋण (Long-term Debt) / अंशधारकों का कोष (Shareholders' Funds / Equity)) — **आदर्श अनुपात = 2 : 1$**।

4. **स्कंध आवर्त अनुपात (Inventory / Stock Turnover Ratio):** (बेचे गए माल की लागत (COGS) / औसत स्टॉक (Average Inventory))।

5. **व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात (Debtors Turnover Ratio):** $(उधार विक्रय (Net Credit Sales) / औसत देनदार + प्राप्य बिल (Average Trade Receivables))$।

• **रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement — AS-3 / Ind AS-7):** नकदी के प्रवाह को **3 गतिविधियों** में बांटा जाता है:

1. **परिचालन गतिविधियां (Operating Activities):** माल का क्रय-विक्रय, वेतन व आयकर का भुगतान (वित्तीय कंपनियों के लिए ब्याज व लाभांश भी Operating है)।

2. **निवेश गतिविधियां (Investing Activities):** स्थायी संपत्तियों (मशीन, भूमि) व दीर्घकालिक निवेशों का क्रय-विक्रय, तथा प्राप्त ब्याज (Interest Received) व प्राप्त लाभांश (Dividend Received)।

3. **वित्तीयन गतिविधियां (Financing Activities):** अंशों या ऋणपत्रों का निर्गमन/शोधन, ऋण लेना/चुकाना, तथा **चुकाया गया ब्याज (Interest Paid) और चुकाया गया लाभांश (Dividend Paid)** (गैर-वित्तीय कंपनी के लिए)।

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):**
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जब कोई कंपनी अपने अंशों के लिए आवेदन मांगती है, तो सेबी (SEBI) दिशानिर्देशों के अनुसार **न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription) निर्गमित राशि का कम से कम 90%** होना अनिवार्य है, और कंपनी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार आवेदन राशि (Application Money) अंश के अंकित मूल्य (Face Value) के **5% से कम नहीं** हो सकती (SEBI के अनुसार निर्गम मूल्य का न्यूनतम 25%)!

**परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):**
प्रश्न पूछा जाता है: "गैर-वित्तीय कंपनी के लिए 'प्राप्त लाभांश (*Dividend Received*)' और 'प्रदत्त लाभांश (*Dividend Paid*)' रोकड़ प्रवाह विवरण (*AS*-3) में किस गतिविधि में आते हैं?"
• **प्राप्त लाभांश (Dividend Received) व प्राप्त ब्याज: निवेश गतिविधि (Investing Activity)** है (क्योंकि यह कंपनी द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल है)।
• **प्रदत्त लाभांश (Dividend Paid) व प्रदत्त ब्याज: वित्तीयन गतिविधि (Financing Activity)** है (क्योंकि यह पूंजी जुटाने की लागत है)!

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — Securities Premium के 5 उपयोग — धारा 52):**
**"B-P-D-R-B"** -> **B**onus Shares, **P**reliminary Expenses, **D**iscount/Commission on Issue, **R**edemption Premium, **B**uy-back of Shares।

**व्यावहारिक न्यूमेरिकल केस स्टडी 2 (साझेदारी अनुपात, अंश हरण से Capital Reserve एवं तरल अनुपात गणना):**

• **प्रकरण (A — साझेदारी):** $A$ और $B$ 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे $C$ को (1 / 4) भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे $C$, $A$ और $B$ से बराबर-बराबर ((1 / 8) और (1 / 8)) प्राप्त करता है। नया लाभ-विभाजन अनुपात क्या होगा?

• **हल:** $A$ का नया भाग = (3 / 5) - (1 / 8) = (24 - 5 / 40) = (19 / 40); $B$ का नया भाग = (2 / 5) - (1 / 8) = (16 - 5 / 40) = (11 / 40); $C$ का भाग = (1 / 4) = (10 / 40)।

• **नया अनुपात (A : B : C) = 19 : 11 : 10** (और त्याग अनुपात = 1 : 1)।

• **प्रकरण (B — अंश हरण एवं Capital Reserve):** एक कंपनी ने ₹10 अंकित मूल्य के **1,000 अंश** (जिन पर ₹3 की अंतिम याचना का भुगतान नहीं हुआ था, अर्थात ₹7 प्रति अंश प्राप्त हो चुके थे) जब्त (Forfeit) कर लिए। इनमें से **600 अंशों** को ₹8 प्रति अंश पूर्णदत्त (अर्थात ₹2 प्रति अंश बट्टे पर) पुनः निर्गमित (Re-issue) कर दिया गया। पूंजी संचय (Capital Reserve) में कितनी राशि हस्तांतरित होगी?

• **हल:** 600 पुनः निर्गमित अंशों पर पूर्व में जब्त राशि = 600 × ₹7 = ₹4,200।

• पुनः निर्गमन पर दिया गया बट्टा = 600 × ₹2 = ₹1,200।

• **Capital Reserve में हस्तांतरित राशि** = ₹4,200 - ₹1,200 = ₹3,000 (शेष 400 अंशों की जब्त राशि 400 × ₹7 = ₹2,800 Share Forfeiture A/c में ही बनी रहेगी)।

• **प्रकरण (C — अनुपात विश्लेषण):** यदि किसी कंपनी का चालू अनुपात (Current Ratio) 2.5 : 1 है, तरल अनुपात (Quick Ratio) 1.5 : 1 है, और कार्यशील पूंजी (Working Capital = CA - CL) ₹90,000 है, तो चालू दायित्व (CL) और स्टॉक (Inventory) का मूल्य ज्ञात कीजिए।

• **हल:** माना CL = x, तब CA = 2.5x।

• Working Capital = CA - CL ⇒ 2.5x - x = 1.5x = ₹90,000 ⇒ x = ₹60,000 (चालू दायित्व)।

• अतः चालू संपत्तियां (CA) = 2.5 × ₹60,000 = ₹1,50,000, और तरल संपत्तियां (Liquid Assets) = 1.5 × ₹60,000 = ₹90,000।

• **स्टॉक (Inventory)** = CA - Liquid Assets = ₹1,50,000 - ₹90,000 = ₹60,000।

## *मॉड्यूल 3: अंकेक्षण (Auditing — धारा 139 से 148, वाउचिंग बनाम वेरिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट) एवं बीमा के सिद्धांत*

### 1. अंकेक्षण के मूल सिद्धांत: वाउचिंग (Vouching) बनाम सत्यापन (Verification)

• **वाउचिंग (Vouching — प्रमाणन):** "वाउचिंग अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है (*Vouching is the backbone of Auditing* — रोनाल्ड ए. आयरिश)"। इसका अर्थ है लेखा पुस्तकों में दर्ज प्रविष्टियों की सत्यता, वैधता और प्राधिकार की जांच मूल प्रमाणकों (रसीद, बीजक/Invoice, कैश मेमो, वेतन रजिस्टर) से करना।

• **वेरिफिकेशन (Verification — सत्यापन):** बैलेंस शीट की तिथि पर दिखाए गए संपत्तियों और दायित्वों के **भौतिक अस्तित्व (Physical Existence), स्वामित्व (Ownership), कब्जे (Possession), प्रभार से मुक्ति (Free from Charge) और सही मूल्यांकन (Valuation)** की जांच करना। (प्रसिद्ध सूत्र: वाउचिंग यह बताती है कि संपत्ति खरीदी गई थी, किंतु वेरिफिकेशन यह सिद्ध करता है कि बैलेंस शीट के दिन भी वह संपत्ति कंपनी के पास मौजूद है!)

• **किंग्स्टन कॉटन मिल्स केस (1896 — लॉर्ड जस्टिस लोपेज का ऐतिहासिक निर्णय):** "एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते (*Watchdog*) के समान है, न कि शिकारी कुत्ते (*Bloodhound*) के समान!" — अर्थात वह संदेहजनक परिस्थितियों के अभाव में कर्मचारियों पर अविश्वास करके काम शुरू नहीं करता, बल्कि उचित कौशल और सावधानी से जांच करता है।

### 2. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक (Company Auditor — धारा 139 से 148)

• **धारा 139 (अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कार्यकाल):**

• **सामान्य कंपनी का प्रथम अंकेक्षक [धारा 139(6)]:** कंपनी के पंजीकरण के **30 दिनों के भीतर** निदेशक मंडल (Board of Directors) द्वारा; यदि बोर्ड विफल रहे तो सदस्यों द्वारा **90 दिनों के भीतर** असाधारण सामान्य सभा (EGM) में।

• **सरकारी कंपनी का प्रथम अंकेक्षक [धारा 139(7)]:** पंजीकरण के **60 दिनों के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा; यदि CAG न करे तो अगले **30 दिनों में बोर्ड** द्वारा, और बोर्ड भी न करे तो **60 दिनों में सदस्यों** द्वारा। (सरकारी कंपनी के पश्चातवर्ती अंकेक्षक की नियुक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से **180 दिनों के भीतर CAG द्वारा** की जाती है)।

• **नियमित अंकेक्षक का कार्यकाल [धारा 139(1) व (2)]:** प्रथम AGM से छठी AGM तक (**5 वर्ष**)। सूचीबद्ध (Listed) कंपनियों में एक **व्यक्तिगत अंकेक्षक (Individual)** लगातार अधिकतम **1 कार्यकाल (5 वर्ष)** और एक **ऑडिट फर्म (Audit Firm)** लगातार अधिकतम **2 कार्यकाल (5+5 = 10 वर्ष)** के लिए ही नियुक्त हो सकती है (जिसके बाद **5 वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि** अनिवार्य है)।

• **धारा 140:** कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अंकेक्षक को हटाने के लिए **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति** और साधारण सभा में **विशेष संकल्प (Special Resolution)** आवश्यक है।

• **धारा 141:** अंकेक्षक की योग्यताएं (चार्टर्ड अकाउंटेंट — CA) और अयोग्यताएं (जैसे कंपनी का अधिकारी/कर्मचारी होना, या कंपनी में **₹1,00,000 से अधिक की प्रतिभूतियां/शेयर** धारण करने वाला रिश्तेदार होना, या कंपनी का ₹5 लाख से अधिक का ऋणी होना)।

• **धारा 142:** अंकेक्षक का पारिश्रमिक (साधारण सभा द्वारा निर्धारित, प्रथम अंकेक्षक का बोर्ड द्वारा)।

• **धारा 143:** अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और रिपोर्ट (धारा 143(12): यदि ऑडिटर को **₹1 करोड़ या अधिक** के कपट/Fraud का पता चलता है, तो उसे सीधे **केंद्र सरकार** को रिपोर्ट करना अनिवार्य है)।

• **धारा 144:** अंकेक्षक द्वारा निषिद्ध सेवाएं (जैसे आंतरिक अंकेक्षण, बुक-कीपिंग, निवेश बैंकिंग या एक्चुरियल सेवाएं प्रदान करने पर रोक)।

• **धारा 148:** लागत अंकेक्षण (Cost Audit — कॉस्ट अकाउंटेंट / CMA द्वारा)।

• **ऑडिट रिपोर्ट के 4 प्रकार:**

1. **स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट (Unqualified / Clean Report):** जब खाते पूरी तरह सत्य और उचित चित्र (True and Fair View) प्रस्तुत करते हों।

2. **मर्यादित रिपोर्ट (Qualified Report — 'Subject to' या 'Except for'):** जब किसी विशेष बिंदु पर असहमति हो किंतु उसका प्रभाव व्यापक न हो।

3. **प्रतिकूल या नकारात्मक रिपोर्ट (Adverse / Negative Report):** जब वित्तीय विवरण सत्य और उचित चित्र प्रस्तुत **न** करते हों और त्रुटियां अत्यंत गंभीर व व्यापक हों।

4. **राय का अस्वीकरण (Disclaimer of Opinion):** जब अंकेक्षक को पर्याप्त साक्ष्य या पुस्तकें ही उपलब्ध न हो पाएं जिससे वह कोई राय बनाने में असमर्थ हो।

**3. बीमा के 6 मूलभूत सिद्धांत (Principles of Insurance — UPSC EPFO विशेष)**

1. *परम सद्विश्वास का सिद्धांत (*Principle of Utmost Good Faith* — Uberrimae Fidei):* बीमाकर्ता और बीमित दोनों को बीमा अनुबंध से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य (Material Facts — जैसे पुरानी बीमारी) ईमानदारी से प्रकट करने चाहिए।

2. **बीमायोग्य हित का सिद्धांत (Principle of Insurable Interest):** बीमित व्यक्ति का बीमित वस्तु या जीवन में ऐसा वित्तीय संबंध होना चाहिए कि उसके सुरक्षित रहने से उसे लाभ हो और नष्ट होने से आर्थिक हानि हो। (जीवन बीमा में बीमा लेते समय, अग्नि बीमा में पॉलिसी लेते समय व हानि के समय दोनों बार, और समुद्री बीमा में हानि के समय बीमायोग्य हित होना आवश्यक है!)

3. **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity):** बीमा केवल वास्तविक हानि की भरपाई के लिए है, लाभ कमाने के लिए नहीं। **(यह सिद्धांत 'जीवन बीमा / Life Insurance' और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू नहीं होता, क्योंकि मानव जीवन का मूल्य असीमित है!)**

4. **अधिकार समर्पण या स्थानग्रहण का सिद्धांत (Principle of Subrogation):** क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति के अवशेष (Scrap) और तीसरे पक्ष से वसूली के सभी कानूनी अधिकार बीमा कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं (जीवन बीमा पर लागू नहीं)।

5. **अंशदान का सिद्धांत (Principle of Contribution):** यदि एक ही संपत्ति का दो या अधिक बीमा कंपनियों से बीमा (Double Insurance) कराया गया है, तो हानि होने पर सभी कंपनियां अपने-अपने बीमा अनुपात में मिलकर क्षतिपूर्ति करेंगी।

6. *निकटतम कारण का सिद्धांत (*Principle of Proximate Cause* — Causa Proxima):* हानि के कई कारण होने पर केवल सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी कारण (Proximate Cause) को देखा जाएगा कि वह पॉलिसी में कवर है या नहीं।

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):**
भारत में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण **1 सितंबर 1956 (LIC अधिनियम, 1956)** को 245 देशी-विदेशी बीमा कंपनियों का विलय करके किया गया, और साधारण बीमा (General Insurance) का राष्ट्रीयकरण **GIC अधिनियम, 1972 (1 जनवरी 1973 से प्रभावी)** द्वारा किया गया! बाद में **मल्होत्रा समिति (1993)** की सिफारिश पर **IRDAI अधिनियम, 1999** द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (**IRDAI — मुख्यालय: हैदराबाद**) का गठन हुआ।

**परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):**
प्रश्न पूछा जाता है: "क्षतिपूर्ति (*Indemnity*) और अधिकार समर्पण (*Subrogation*) का सिद्धांत किस बीमा पर लागू नहीं होता?"
उत्तर है: **जीवन बीमा (Life Insurance)!** क्योंकि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध (Contract of Indemnity) नहीं, बल्कि **निश्चित राशि के भुगतान का अनुबंध (Contingent Contract)** है। एक व्यक्ति अपने जीवन की जितनी चाहे उतनी पॉलिसियां ले सकता है और मृत्यु होने पर सभी पॉलिसियों से पूरी राशि मिलेगी!

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — कंपनी ऑडिटर की धाराएं 139 से 145):**
**"139-नियुक्ति, 140-हटाना, 141-योग्यता, 142-पारिश्रमिक, 143-अधिकार/रिपोर्ट, 144-निषिद्ध सेवाएं, 145-हस्ताक्षर"।**

**व्यावहारिक अंकेक्षण एवं बीमा केस स्टडी 3 (अंशदान व क्षतिपूर्ति गणना तथा प्रथम सरकारी ऑडिटर नियुक्ति):**

• **प्रकरण (A):** एक व्यापारी ने अपने ₹12,00,000 मूल्य के गोदाम का अग्नि बीमा कंपनी X से **₹6,00,000** और कंपनी Y से **₹3,00,000** में कराया। आग लगने से गोदाम में **₹4,50,000** की वास्तविक हानि हुई और जले हुए माल का अवशेष (Salvage) ₹30,000 में बिका। कंपनी X और Y कितना-कितना भुगतान करेंगी और अवशेष किसका होगा?

• **हल:** क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार व्यापारी को कुल वास्तविक हानि (₹4,50,000) से अधिक नहीं मिल सकता।

• अंशदान के सिद्धांत (Principle of Contribution) के अनुसार X और Y के बीमित मूल्य का अनुपात = ₹6,00,000 : ₹3,00,000 = 2 : 1।

• अत: **कंपनी X का दायित्व** = ₹4,50,000 × (2 / 3) = ₹3,00,000; और **कंपनी Y का दायित्व** = ₹4,50,000 × (1 / 3) = ₹1,50,000।

• **अधिकार समर्पण (Subrogation)** के सिद्धांत के तहत ₹4,50,000 का पूर्ण भुगतान करने के बाद ₹30,000 के अवशेष (Salvage) पर बीमा कंपनियों X और Y का (2:1 अनुपात में अर्थात ₹20,000 और ₹10,000) अधिकार होगा!

## *मॉड्यूल 4: औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) के सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी, ILO एवं भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन*

### 1. औद्योगिक संबंधों के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण (Theoretical Approaches to Industrial Relations)

| दृष्टिकोण / मॉडल | प्रमुख प्रतिपादक | मूल विचार एवं औद्योगिक संघर्ष के प्रति दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| **1. एकात्मक दृष्टिकोण (Unitary Approach)** | एलन फॉक्स (Alan Fox) | संगठन एक एकीकृत परिवार या टीम है जिसका एक ही सामान्य लक्ष्य और एक ही सत्ता केंद्र (प्रबंधन) है। औद्योगिक संघर्ष (हड़ताल) असामान्य, अनावश्यक और उपद्रवियों का परिणाम है; ट्रेड यूनियनों को बाहरी हस्तक्षेप माना जाता है। |
| **2. बहुलवादी दृष्टिकोण (Pluralist Approach)** | एलन फॉक्स, केर (Kerr), फ्लैंडर्स | संगठन में प्रबंधन और श्रमिक दो अलग-अलग वैध हित समूह हैं। हितों का टकराव स्वाभाविक और अपरिहार्य है, जिसे **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining)** और ट्रेड यूनियनों की वैध भूमिका से सुलझाया जाता है। |
| **3. मार्क्सवादी / रेडिकल दृष्टिकोण (Marxist Approach)** | कार्ल मार्क्स, रिचर्ड हाइमन (Hyman) | औद्योगिक संघर्ष पूंजीवादी समाज में **पूंजीपति (Bourgeoisie) और श्रमिक (Proletariat)** के बीच अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) के शोषण से उत्पन्न व्यापक **वर्ग संघर्ष (Class Conflict)** का ही एक हिस्सा है। |
| **4. प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Theory — 1958)** | *जॉन टी. डनलप (*John T. Dunlop* — पुस्तक: Industrial Relations Systems)* | औद्योगिक संबंध समाज की एक उप-प्रणाली है: **R = f(A, T, M, P, I)** — जहां **3 कर्ता (Actors — प्रबंधन, श्रमिक और सरकार)**, **3 पर्यावरणीय संदर्भ (Contexts — तकनीकी $T$, बाजार/बजटीय $M$, और शक्ति वितरण $P$)** और एक जोड़ने वाली **विचारधारा (Ideology — $I$)** मिलकर कार्यस्थल के **नियमों का जाल (Web of Rules — $R$)** बनाते हैं! |
| **5. गांधीवादी / न्यासिता दृष्टिकोण (Trusteeship Approach)** | **महात्मा गांधी (अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 — मज़दूर महाजन संघ)** | सत्य, अहिंसा और **ट्रस्टीशिप** पर आधारित; पूंजीपति और श्रमिक एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सह-न्यासी हैं। विवादों का समाधान पहले आपसी बातचीत, फिर **स्वैच्छिक पंचनिर्णय (Voluntary Arbitration)** से होना चाहिए, और हड़ताल शांतिपूर्ण अंतिम विकल्प (सत्याग्रह) होनी चाहिए। |
| **6. गिरि दृष्टिकोण (Giri Approach)** | **वी.वी. गिरि** (पूर्व राष्ट्रपति व श्रम मंत्री) | अनिवार्य न्यायनिर्णयन (Compulsory Adjudication / कोर्ट-कचहरी) का कड़ा विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच **स्वैच्छिक द्विपक्षीय सामूहिक सौदेबाजी (Bipartite Collective Bargaining)** को सर्वश्रेष्ठ माना! |
| **7. मानव संबंध दृष्टिकोण (Human Relations)** | **एल्टन मेयो (Elton Mayo — हॉथोर्न प्रयोग)** | श्रमिक केवल 'आर्थिक मानव' नहीं बल्कि 'सामाजिक मानव' है; अनौपचारिक समूह, सम्मान, संवाद और मनोबल उत्पादकता व शांति तय करते हैं। |

### 2. भारत में श्रम आंदोलन एवं ट्रेड यूनियनों का कालानुक्रमिक इतिहास

• **1875:** सोराबजी शापूरजी बंगाली द्वारा श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु प्रथम आंदोलन।

• **1881 (प्रथम कारखाना अधिनियम — लॉर्ड रिपन):** 7 वर्ष से कम के बच्चों के काम पर रोक।

• **1890 (भारत का प्रथम श्रमिक संगठन): एन.एम. लोखंडे (नारायण मेघाजी लोखंडे — भारतीय श्रम आंदोलन के अग्रदूत)** द्वारा **'बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन (Bombay Millhands Association)'** की स्थापना और भारत के पहले श्रमिक समाचार पत्र **'दीनबंधु'** का प्रकाशन!

• **1918 (प्रथम आधुनिक पंजीकृत-शैली की ट्रेड यूनियन): बी.पी. वाडिया** द्वारा **'मद्रास लेबर यूनियन (Madras Labour Union)'** की स्थापना; और इसी वर्ष (1918) महात्मा गांधी और अनसूया साराभाई द्वारा **'अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (मजदूर महाजन संघ)'** की स्थापना।

• **1919 (ILO की स्थापना):** वर्साय की संधि द्वारा **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO — मुख्यालय: जिनेवा)** की स्थापना, जिसका भारत संस्थापक सदस्य है (**1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा:** "श्रम कोई वस्तु/पण्य नहीं है — *Labour is not a commodity*"; 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार)।

• **31 अक्टूबर 1920 — AITUC (All India Trade Union Congress):** बॉम्बे में स्थापित भारत का पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन महासंघ; **प्रथम अध्यक्ष: लाला लाजपत राय**, प्रथम महासचिव: दीवान चमन लाल (स्थापना में एन.एम. जोशी की प्रमुख भूमिका)।

• **1926: भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम (Trade Unions Act, 1926 — 1 जून 1927 से लागू)** पारित हुआ।

• **प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एवं राजनीतिक संबद्धता:**

1. **AITUC (1920):** भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)।

2. **INTUC (मई 1947 — Indian National Trade Union Congress):** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संस्थापक: वल्लभभाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा; प्रथम अध्यक्ष: सुरेश चंद्र बनर्जी)।

3. **HMS (1948 — हिंद मजदूर सभा):** समाजवादी।

4. **BMS (23 जुलाई 1955 — भारतीय मजदूर संघ):** दत्तात्रेय (दत्तोपंत) ठेंगड़ी द्वारा भोपाल में स्थापित (वर्तमान में सदस्य संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन)।

5. **CITU (1970 — Centre of Indian Trade Unions):** CPI(M) (प्रथम अध्यक्ष: बी.टी. रणदिवे)।

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):**
जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC) के 110वें सत्र में ILO ने कार्यस्थल पर **'सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण (Safe and Healthy Working Environment — Convention 155 & 187)'** को पांचवें मौलिक सिद्धांत के रूप में जोड़ दिया है! इसके साथ ही ILO के **मौलिक कन्वेंशनों (Fundamental / Core Conventions) की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है**, जिनमें से भारत ने **8 मौलिक कन्वेंशनों (बलात श्रम C29, C105; भेदभाव समाप्ति C100, C111; तथा बाल श्रम उन्मूलन C138 व C182 — जून 2017 में अनुसमर्थित)** का अनुसमर्थन (Ratification) कर रखा है!

**परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):**
यूपीएससी ईपीएफओ में बार-बार पूछा जाता है: "भारत की पहली श्रमिक संस्था (1890) और पहली आधुनिक ट्रेड यूनियन (1918) कौन-सी थी?"
- **1890: बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन** (एन.एम. लोखंडे) — प्रथम श्रमिक कल्याण संगठन।
- **1918: मद्रास लेबर यूनियन** (बी.पी. वाडिया) — प्रथम आधुनिक संगठित ट्रेड यूनियन।
- **1920: AITUC** (अध्यक्ष: लाला लाजपत राय) — प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन।

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — सामूहिक सौदेबाजी / Collective Bargaining के 4 प्रकार — वॉल्टन व मैककेर्सी):**
**"D-I-P-I"** -> **D**istributive (वितरणात्मक — Win-Lose / Zero-sum, वेतन को लेकर), **I**ntegrative (एकीकृत — Win-Win, उत्पादकता व सुरक्षा को लेकर), **P**roductivity/Attitudinal Structuring (मनोवृत्ति निर्माण), **I**ntra-organizational (अंतः-संगठनात्मक)।

**व्यावहारिक औद्योगिक संबंध केस स्टडी 4 (हड़ताल की वैधता एवं औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र):**

- **प्रकरण:** एक ऑटोमोबाइल कारखाने में, जो एक लोक उपयोगी सेवा (Public Utility Service) नहीं है, नए औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code, 2020) के तहत श्रमिक यूनियन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बिना किसी पूर्व नोटिस के कल सुबह से अचानक हड़ताल (Lightning Strike / Wildcat Strike) पर चली जाती है, जबकि मामले में समझौता अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष समझौता कार्यवाही चल रही है।

- **विश्लेषण एवं वैधानिक समाधान:**

1. **क्या यह हड़ताल वैध है? नहीं, यह पूर्णतः अवैध हड़ताल (Illegal Strike) है!** क्योंकि **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62** के तहत पुराना भेद समाप्त कर अब **सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों** (चाहे वे लोक उपयोगी सेवा हों या गैर-लोक उपयोगी सेवा) में हड़ताल या तालाबंदी (Lockout) पर जाने से पहले **कम से कम 14 दिनों का पूर्व नोटिस** (जो अधिकतम 60 दिन पूर्व दिया जा सकता है) देना अनिवार्य कर दिया गया है!

2. **समझौता कार्यवाही के दौरान हड़ताल पर रोक:** संहिता के अनुसार समझौता कार्यवाही (Conciliation Proceedings) के लंबित रहने के दौरान और उसके समाप्त होने के 7 **दिन बाद तक** (तथा ट्रिब्यूनल में कार्यवाही के दौरान और समाप्त होने के **60 दिन बाद तक**) कोई भी हड़ताल या तालाबंदी करना कानूनन प्रतिबंधित है।

## *मॉड्यूल 5: भारत की 4 नई श्रम संहिताएँ (Four Labour Codes) एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (EPF, ESIC, Gratuity, Maternity)*

**द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2nd National Commission on Labour — 2002, अध्यक्ष: रवींद्र वर्मा)** की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने **29 केंद्रीय श्रम कानूनों** को तर्कसंगत बनाकर **4 श्रम संहिताओं (4 Labour Codes)** में समाहित कर दिया है:

**1. वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019 — 8 अगस्त 2019 को अधिसूचित; 4 कानूनों का विलय)**

• **समाहित किए गए 4 कानून:** (1) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; (2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; (3) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और (4) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।

• **प्रमुख प्रावधान:**

• **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी:** यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्र के **सभी कर्मचारियों** पर लागू होती है (पुरानी अनुसूचित रोजगार / Scheduled Employment की बाध्यता समाप्त)।

• **फ्लोर वेज (Floor Wage — धारा 9):** केंद्र सरकार श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर एक राष्ट्रीय **'फ्लोर वेज'** तय करेगी; कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य की न्यूनतम मजदूरी इस फ्लोर वेज से कम निर्धारित **नहीं** कर सकती! न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण अधिकतम **5 वर्ष** के अंतराल पर अनिवार्य है।

• **वेतन (Wages) की नई एकीकृत परिभाषा (50% का नियम):** मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) + रिटेनिंग भत्ता। यदि अन्य भत्ते (HRA, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन आदि) कुल पारिश्रमिक के **50% से अधिक** होते हैं, तो 50% से अधिक वाली अतिरिक्त राशि को स्वतः 'वेतन (Wages)' में जोड़ दिया जाएगा (जिससे EPF और ग्रेच्युटी की गणना बढ़ेगी)!

• **ओवरटाइम दर (धारा 14):** सामान्य मजदूरी दर से **कम से कम दोगुनी (2 times / 200%)**।

• **बोनस (अध्याय IV — 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर):** एक लेखा वर्ष में कम से कम **30 कार्यदिवस** काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम **8.33%** और अधिकतम **20%** बोनस देय है (अधिकतम आबंटन योग्य अधिशेष आगे ले जाने / Set-on & Set-off की अवधि: **4 वर्ष**)।

**2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020 — 3 कानूनों का विलय)**

• **समाहित किए गए 3 कानून:** (1) व्यवसाय संघ अधिनियम (Trade Unions Act), 1926; (2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946; और (3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

• **प्रमुख प्रावधान:**

• **स्थायी आदेश (Standing Orders) एवं छंटनी/बंदी (Lay-off, Retrenchment & Closure) की सीमा में वृद्धि:** सरकारी पूर्व अनुमति के बिना छंटनी या प्रतिष्ठान बंद करने तथा स्थायी आदेश लागू होने की श्रमिक संख्या सीमा को **100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक** कर दिया गया है!

• **वार्ताकारी यूनियन (Negotiating Union — धारा 14):** यदि प्रतिष्ठान में एक से अधिक ट्रेड यूनियन हैं, तो जिस यूनियन को कुल श्रमिकों के **51% या अधिक** का समर्थन प्राप्त होगा, उसे एकमात्र 'वार्ताकारी यूनियन' की मान्यता मिलेगी; यदि किसी के पास 51% नहीं है, तो न्यूनतम **20% सदस्यता** वाली यूनियनों को मिलाकर **'वार्ताकारी परिषद (Negotiating Council)'** बनेगी।

• **श्रमिक पुनर्कौशल कोष (Worker Reskilling Fund — धारा 83):** छंटनी (Retrenchment) किए जाने पर नियोक्ता को सामान्य छंटनी मुआवजे (प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का औसत वेतन) के अतिरिक्त, श्रमिक के खाते में पुनर्कौशल कोष के रूप में **15 दिनों के अंतिम आहरित वेतन के बराबर राशि** छंटनी के **45 दिनों के भीतर** जमा करनी होगी!

**3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020 — 9 कानूनों का विलय)**

• **समाहित किए गए 9 कानून:** (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESIC), 1948; (2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (EPF), 1952; (3) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; (4) उपदान भुगतान अधिनियम (Gratuity), 1972; (5) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; (6) रोजगार कार्यालय अधिनियम, 1959; (7) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि, 1981; (8) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996; और (9) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

• **प्रमुख प्रावधान एवं गणना सूत्र:**

• **गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Gig & Platform Workers):** इतिहास में पहली बार स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर जैसे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है और उनके सामाजिक सुरक्षा कोष में **एग्रीगेटर्स (Aggregators)** को अपने वार्षिक टर्नओवर का **1% से 2%** (अधिकतम देय राशि का 5%) अंशदान करना होगा।

• **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF — 20 या अधिक कर्मचारियों पर, वेतन सीमा ₹15,000):** कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन + DA का **12%** और नियोक्ता का अंशदान **12%** (जिसमें से **8.33%** कर्मचारी पेंशन योजना — **EPS-95** में जाता है और शेष **3.67%** EPF में जाता है, साथ ही **0.5%** EDLI बीमा में जाता है)।

• **कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC — 10 या अधिक कर्मचारियों पर, वेतन सीमा ₹21,000, दिव्यांगजनों हेतु ₹25,000):** अंशदान की संशोधित दर — **नियोक्ता: वेतन का 3.25%**, और **कर्मचारी: वेतन का 0.75%** (कुल **4%**)!

• **ग्रेच्युटी / उपदान (Payment of Gratuity — 10 या अधिक कर्मचारियों पर):**

• स्थायी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम **5 वर्ष की निरंतर सेवा** पर देय (मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू **नहीं** होती)।

• **ऐतिहासिक बदलाव: निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed Term Employees — FTE)** को 5 वर्ष की प्रतीक्षा किए बिना मात्र **1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही आनुपातिक (Pro-rata) ग्रेच्युटी** का अधिकार दिया गया है!

• **ग्रेच्युटी गणना का सूत्र (मासिक वेतन वाले कर्मचारियों हेतु, जहां 1 माह = 26 कार्यदिवस माना जाता है):**

$$Gratuity = (अंतिम आहरित वेतन (Basic + DA) × 15 / 26) × सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या (6 माह से अधिक को 1 पूर्ण वर्ष माना जाता है)$$

(अधिकतम कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा: **₹20,00,000 / ₹20 लाख**, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए *DA* 50% पहुंचने पर **₹25 लाख**)।

• **मातृत्व लाभ (Maternity Benefit — 10 या अधिक कर्मचारियों पर):** प्रथम दो जीवित बच्चों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश **12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह** (जिनमें से प्रसव से पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह); 2 या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला के लिए **12 सप्ताह**; और 3 माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली (Adoptive Mother) या कमीशनिंग माता (Surrogacy) के लिए **12 सप्ताह**। **50 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में **क्रेच (Creche / शिशुगृह)** की सुविधा अनिवार्य है (जहां माता को प्रतिदिन **4 बार** जाने की अनुमति होगी)।

**4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020 — 13 कानूनों का विलय)**

• **समाहित किए गए 13 कानून:** कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, ठेका श्रम अधिनियम 1970, भवन व सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, बागान श्रम अधिनियम 1951, बीड़ी व सिगार कर्मकार अधिनियम, गोदी कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम (2), बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम और सिने कर्मकार अधिनियम।

• **प्रमुख प्रावधान:**

• **कारखाना (Factory) की नई परिभाषा:** बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चलने पर **20 या अधिक श्रमिक** (पूर्व में 10 थे), और बिना बिजली के चलने पर **40 या अधिक श्रमिक** (पूर्व में 20 थे)!

• **ठेका श्रमिक (Contract Labour):** लागू होने की सीमा 20 से बढ़ाकर **50 या अधिक ठेका श्रमिक** कर दी गई है (मुख्य गतिविधियों / Core Activities में ठेका श्रम के नियोजन पर सामान्यतः प्रतिबंध)।

• **कार्य के घंटे एवं छुट्टी:** अधिकतम **8 घंटे प्रतिदिन** और **48 घंटे प्रति सप्ताह**; सवैतनिक वार्षिक छुट्टी (Annual Leave with Wages) की पात्रता के लिए आवश्यक कार्यदिवसों को **240 दिनों से घटाकर 180 दिन** कर दिया गया है (प्रत्येक 20 कार्यदिवसों पर 1 दिन की छुट्टी)!

• **महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति:** महिलाओं को उनकी **सहमति से** और नियोक्ता द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व परिवहन व्यवस्था करने की शर्त पर सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में शाम 7:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 बजे से पहले (**Night Shift**) कार्य करने की अनुमति दी गई है।

• **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (Inter-State Migrant Workers):** ₹18,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार अपने गृह नगर जाने-आने के लिए नियोक्ता द्वारा **एकमुश्त यात्रा भत्ता (Journey Allowance)** और राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी (**One Nation One Ration Card**) का अधिकार।

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):**
चारों श्रम संहिताओं में कितने पुराने श्रम कानूनों का विलय हुआ है, इसका जोड़ परीक्षा में सीधे पूछा जाता है:
**वेतन संहिता (4) + औद्योगिक संबंध संहिता (3) + सामाजिक सुरक्षा संहिता (9) + व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता (13) = कुल 29 केंद्रीय श्रम कानून!**

**परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):**
यूपीएससी ईपीएफओ में ग्रेच्युटी न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा जाल **'महीनों के पूर्णांकन (Rounding off of Months)'** का होता है:
• यदि किसी स्थायी कर्मचारी ने **14 वर्ष और 6 महीने** काम किया है, तो ग्रेच्युटी की गणना **14 वर्ष** पर ही होगी!
• किंतु यदि उसने **14 वर्ष, 6 महीने और 1 दिन (अर्थात 6 महीने से अधिक — जैसे 14 वर्ष 7 महीने)** काम किया है, तो उसे **15 पूर्ण वर्ष** माना जाएगा! (ध्यान दें: मौसमी प्रतिष्ठान / Seasonal Establishment के कर्मचारियों को 15 दिन के बजाय 7 **दिन प्रति सीजन** की दर से ग्रेच्युटी मिलती है, और Piece-rated कर्मचारियों के लिए छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर पिछले 3 माह की औसत मजदूरी ली जाती है)।

★ **निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — 4 श्रम संहिताओं में समाहित 29 कानूनों की संख्या):**
**"W-I-S-O = 4 - 3 - 9 - 13"** -> **W**ages (4), **I**ndustrial Relations (3), **S**ocial Security (9), **O**SHWC (13) → 4+3+9+13 = 29।

**व्यावहारिक श्रम-संहिता केस स्टडी 5 (ग्रेच्युटी, EPF/EPS अंशदान एवं ESIC कटौती न्यूमेरिकल):**

• **प्रकरण:** एक विनिर्माण कंपनी के कर्मचारी श्री राजेश ने **18 वर्ष और 8 महीने** की निरंतर सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम आहरित मूल वेतन (Basic Pay) **₹32,000**, महंगाई भत्ता (DA) **₹13,200** और मकान किराया भत्ता (HRA) **₹8,000** प्रति माह था। उनकी कुल देय ग्रेच्युटी (Gratuity) ज्ञात कीजिए।

• **चरणबद्ध हल:**

1. **ग्रेच्युटी के लिए वेतन (Salary for Gratuity):** केवल **मूल वेतन + महंगाई भत्ता (Basic + DA)** शामिल होता है (HRA शामिल नहीं होता)।

$वेतन = ₹32,000 + ₹13,200 = ₹45,200$

2. **सेवा के वर्षों की संख्या:** चूंकि सेवा **18 वर्ष और 8 महीने** है (और 8 महीने, 6 महीने से अधिक हैं), इसलिए इसे **19 पूर्ण वर्ष** माना जाएगा!

3. **कुल देय ग्रेच्युटी:**

$$Gratuity = (₹45,200 \times 15 \times 19 / 26) = ₹1,738.4615 \times 15 \times 19 = ₹4,95,461.54 \approx ₹4,95,462$$

## *भाग (ख): बुक 26 — 90 पूर्णत: हल किए गए विगत वर्षों के प्रश्न (Solved Chapter-wise PYQs & Numericals)*

### *खंड A: वित्तीय लेखांकन, साझेदारी एवं कंपनी लेखे (Q1–Q35)*

अभ्यास प्रश्न #1 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 1. लेखांकन चक्र (Accounting Cycle) के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है?**

• **उत्तर: वित्तीय लेन-देन की पहचान → जर्नल/सहायक बहियों में प्रविष्टि (Journalising) → खाता-बही में खतौनी (Posting to Ledger) → तलपट बनाना (Trial Balance) → समायोजन प्रविष्टियां एवं अंतिम खाते बनाना (Trading, P&L A/c और Balance Sheet)।**

अभ्यास प्रश्न #2 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 2. जब व्यवसाय का स्वामी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से ₹25,000 का माल (Goods) निकालता है, तो इसकी सही जर्नल प्रविष्टि क्या होगी?**

• **उत्तर: Drawings A/c ... Dr. ₹25,000 To Purchases A/c ₹25,000।**

• **व्याख्या:** चूंकि माल बिक्री के लिए नहीं बल्कि लागत मूल्य पर निजी उपयोग हेतु निकाला गया है, इसलिए Sales A/c को क्रेडिट न करके **Purchases A/c (क्रय खाता)** को क्रेडिट किया जाता है ताकि क्रय की लागत कम हो जाए (इसी प्रकार आग में माल नष्ट होने या दान/मुफ्त नमूने के रूप में माल बांटने पर भी **Purchases A/c** ही क्रेडिट होता है!)।

अभ्यास प्रश्न #3 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 3. रोकड़ बही (Cash Book) के बारे में कौन-सा कथन सत्य है — क्या यह जर्नल है या लेजर?**

• **उत्तर: रोकड़ बही 'जर्नल (सहायक बही / Book of Original Entry)' और 'लेजर (प्रधान बही / Principal Book)' दोनों की भूमिका एक साथ निभाती है! (Journalised Ledger)।**

• **व्याख्या:** रोकड़ बही रखने पर खाता-बही में अलग से Cash Account और Bank Account बनाने की आवश्यकता नहीं होती। रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ (Cash Column) का शेष **सदैव डेबिट (Debit Balance) या शून्य** ही हो सकता है (कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी नकदी है उससे अधिक खर्च नहीं हो सकती), जबकि बैंक स्तंभ (Bank Column) का शेष ओवरड्राफ्ट होने पर क्रेडिट भी हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 4. खुदरा रोकड़ बही (Petty Cash Book) की 'अग्रदाय प्रणाली (Imprest System)' क्या है?**

• **उत्तर:** इस प्रणाली में मुख्य कैशियर द्वारा प्रत्येक माह/सप्ताह के प्रारंभ में खुदरा कैशियर को एक निश्चित राशि (**Imprest Amount** — जैसे ₹5,000) दी जाती है। अवधि के अंत में खुदरा कैशियर ने जितना वास्तविक खर्च किया होता है (जैसे ₹3,800), ठीक उतनी ही राशि उसे पुनः दे दी जाती है ताकि अगली अवधि के प्रारंभ में उसके पास फिर से वही निश्चित राशि (₹5,000) हो जाए।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 5. बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement — BRS) कौन बनाता है, और यदि शुरुआत 'रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष (अनुकूल शेष)' से की जाए तो 'जारी किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत न हुए चेक (Cheques issued but not presented for payment)' का क्या किया जाता है?**

• **उत्तर:** BRS **बैंक के ग्राहक (व्यवसायी)** द्वारा बनाया जाता है (यह कोई खाता नहीं बल्कि एक विवरण है); और रोकड़ बही के डेबिट शेष से शुरुआत करने पर **जारी किए गए किंतु प्रस्तुत न हुए चेक की राशि को 'जोड़ा (Added)' जाता है** (क्योंकि व्यवसायी ने रोकड़ बही घटा दी थी किंतु पासबुक में अभी राशि घटी नहीं है)।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 6. विनिमय विपत्र (Bill of Exchange — परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 5) में कुल कितने पक्षकार होते हैं और इसके परिपक्वता तिथि (Maturity Date) की गणना में कितने 'अनुग्रह दिवस (Days of Grace)' जोड़े जाते हैं?**

• **उत्तर: 3 पक्षकार होते हैं — (1) आहर्ता/लेखक (Drawer), (2) अदाकर्ता/स्वीकर्ता (Drawee), और (3) आदाता/पाने वाला (Payee);** परिपक्वता तिथि की गणना में अनिवार्य रूप से **3 अनुग्रह दिवस (3 Days of Grace)** जोड़े जाते हैं!

• **व्याख्या:** यदि परिपक्वता की अंतिम तिथि किसी **सार्वजनिक या राजपत्रित अवकाश (Public Holiday — जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, रविवार)** को पड़ती है, तो देय तिथि **एक कार्यदिवस पहले (One preceding business day — जैसे 14 अगस्त)** मानी जाएगी; और यदि वह **आकस्मिक अवकाश (Emergency Holiday)** को पड़ती है, तो **एक कार्यदिवस बाद (Next succeeding business day)** मानी जाएगी!

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 7. 'क्रय बही (Purchase Day Book)' में किन लेन-देनों का लेखा किया जाता है?**

• **उत्तर: केवल और केवल व्यापार में पुनः बिक्री के उद्देश्य से 'उधार खरीदे गए माल (Credit Purchase of Goods)' का लेखा!**

• **व्याख्या:** नकद खरीदे गए माल का लेखा रोकड़ बही (Cash Book) में होता है, और उधार खरीदी गई स्थायी संपत्ति (जैसे उधार फर्नीचर या मशीनरी खरीदना) का लेखा **मुख्य जर्नल (Journal Proper)** में होता है, क्रय बही में नहीं!

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 8. 'गुप्त संचय (Secret Reserve)' कैसे बनाया जाता है और किन संस्थाओं को इसे बनाने की अनुमति होती है?**

• **उत्तर:** संपत्तियों का कम मूल्यांकन करके (Undervaluation of Assets), दायित्वों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर या पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में डालकर गुप्त संचय बनाया जाता है (जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता)। कंपनी अधिनियम के तहत सामान्य कंपनियों के लिए यह वर्जित है, किंतु वित्तीय स्थिरता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए केवल **बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थानों** को सीमित मात्रा में इसकी अनुमति दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 9. गैर-लाभकारी संस्थाओं (Not-for-Profit Organisations — जैसे क्लब, स्कूल, अस्पताल) द्वारा बनाए जाने वाले 'प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipts & Payments A/c)' और 'आय-व्यय खाता (Income & Expenditure A/c)' में मुख्य अंतर क्या है?**

• **उत्तर:**

• **प्राप्ति एवं भुगतान खाता:** यह **वास्तविक खाता (Real Account — रोकड़ बही का सारांश)** है जो **नकद आधार (Cash Basis)** पर बनता है और इसमें पूंजीगत व आयगत तथा चालू, पिछले व अगले वर्ष की सभी नकद प्राप्तियां व भुगतान शामिल होते हैं।

• **आय-व्यय खाता:** यह **नाममात्र खाता (Nominal Account — लाभ-हानि खाते के समान)** है जो **उपार्जन आधार (Accrual Basis)** पर बनता है और इसमें केवल **चालू वर्ष के आयगत (Revenue) आय और व्यय** ही शामिल किए जाते हैं (जिसका परिणाम अधिशेष / Surplus या कमी / Deficit होता है)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 10. गैर-लाभकारी संस्था को मिलने वाला 'आजीवन सदस्यता शुल्क (Life Membership Fee)' और 'विशिष्ट दान (Specific Donation — जैसे भवन निर्माण हेतु दान)' किस प्रकार की प्राप्ति है?**

• **उत्तर: पूंजीगत प्राप्ति (Capital Receipt)** — इसलिए इन्हें आय-व्यय खाते में न दिखाकर सीधे **बैलेंस शीट के दायित्व (Liabilities) पक्ष** में दिखाया जाता है (जबकि सामान्य दान और वार्षिक चंदा / Subscription आयगत प्राप्ति है)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 11. (न्यूमेरिकल) एक क्लब को वर्ष 2025-26 के दौरान चंदे (Subscriptions) के रूप में नकद ₹1,50,000 प्राप्त हुए। वर्ष के अंत में बकाया चंदा ₹20,000, वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा ₹15,000, और वर्ष के अंत में अग्रिम प्राप्त चंदा ₹10,000 था। आय-व्यय खाते में चंदे की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी?**

• **उत्तर: ₹1,45,000**।

• **व्याख्या:**

$$चालू वर्ष का चंदा = प्राप्त चंदा + अंत में बकाया - प्रारंभ में बकाया - अंत में अग्रिम$$

$$= ₹1,50,000 + ₹20,000 - ₹15,000 - ₹10,000 = ₹1,45,000$$

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 12. संयुक्त उद्यम (Joint Venture) और प्रेषण (Consignment / चालान) में मुख्य अंतर क्या है?**

• **उत्तर:**

• **संयुक्त उद्यम (Joint Venture):** दो या अधिक सह-उद्यमियों (Co-venturers) के बीच किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई **अस्थायी साझेदारी (Temporary Partnership without firm name)** है, जिस पर चालू व्यवसाय (Going Concern) की अवधारणा लागू **नहीं** होती!

• **प्रेषण (Consignment):** इसमें माल भेजने वाला (**Consignor / प्रधान**) और माल बेचने वाला एजेंट (**Consignee / आढ़तिया**) होता है; दोनों के बीच **प्रधान और एजेंट (Principal and Agent)** का संबंध होता है और माल बिकने तक उसका स्वामित्व और जोखिम पूर्णतः **Consignor** का ही रहता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 13. प्रेषण (Consignment) में एजेंट को दिए जाने वाले 'डेल क्रेडर कमीशन (Del-Credere Commission / परिशोध कमीशन)' का क्या उद्देश्य और प्रभाव होता है?**

• **उत्तर:** यह सामान्य कमीशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला विशेष कमीशन है जिसके बदले एजेंट (Consignee) उधार बिक्री से होने वाले **डूबत ऋण (Bad Debts) का जोखिम स्वयं उठाने की गारंटी** देता है। यदि डेल क्रेडर कमीशन दिया गया है, तो उधार बिक्री में पैसा डूबने की हानि प्रधान (Consignor) की नहीं बल्कि **एजेंट की** होगी!

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 14. शाखा लेखांकन (Branch Accounting) में 'आश्रित शाखाओं (Dependent Branches)' के खाते रखने की मुख्य विधियां कौन-सी हैं?**

• **उत्तर: (1) देनदार पद्धति (Debtors System), (2) स्टॉक एवं देनदार पद्धति (Stock and Debtors System), (3) अंतिम खाता पद्धति (Final Accounts System),** और **(4) थोक शाखा पद्धति (Wholesale Branch System)**।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 15. किराया क्रय पद्धति (Hire Purchase System — अधिनियम 1972) और किस्त भुगतान पद्धति (Instalment Payment System) में स्वामित्व के हस्तांतरण को लेकर क्या अंतर है?**

• **उत्तर: किराया क्रय पद्धति** में जब तक क्रेता **अंतिम किस्त (Last Instalment)** का भुगतान नहीं कर देता, तब तक वस्तु का कानूनी स्वामित्व (Ownership) विक्रेता के पास ही रहता है (अंतिम किस्त तक भुगतान को 'किराया' माना जाता है और चूक होने पर विक्रेता वस्तु वापस जब्त कर सकता है); जबकि **किस्त भुगतान पद्धति** में एक उधार बिक्री है जिसमें समझौता होते ही **पहली किस्त के साथ ही स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित** हो जाता है!

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 16. साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश पर 'पुनर्मूल्यांकन खाता (Revaluation Account / Profit & Loss Adjustment A/c)' किस प्रकृति का खाता है?**

• **उत्तर: नाममात्र खाता (Nominal Account)** — इसमें संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों में कमी को क्रेडिट किया जाता है, तथा संपत्तियों में कमी और दायित्वों में वृद्धि को डेबिट किया जाता है, और इसके लाभ/हानि को केवल **पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ-विभाजन अनुपात** में बांटा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 17. साझेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को देय राशि का तुरंत भुगतान न किए जाने पर, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की किस धारा के तहत उत्तराधिकारी को विकल्प मिलता है और क्या विकल्प मिलता है?**

• **उत्तर: धारा 37 (Section 37)** के अंतर्गत मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारी को यह विकल्प मिलता है कि वह अपनी बकाया राशि पर या तो **6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज** ले, या उस राशि के अनुपात में फर्म द्वारा कमाए गए **लाभ में हिस्सा** ले (दोनों में से जो अधिक लाभदायक हो)!

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 18. 'साझेदारी का विघटन (Dissolution of Partnership)' और 'साझेदारी फर्म का विघटन (Dissolution of Partnership Firm)' में क्या अंतर है?**

• **उत्तर:** साझेदारी के विघटन (जैसे किसी साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति या अनुपात बदलने) में पुराने संबंध बदलते हैं किंतु **फर्म का व्यवसाय चालू रहता है** और इसमें **पुनर्मूल्यांकन खाता (Revaluation A/c)** बनता है; जबकि **फर्म के विघटन** में सभी साझेदारों के बीच संबंध समाप्त हो जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है और संपत्तियां बेचकर दायित्व चुकाने हेतु **वसूली खाता (Realisation Account)** बनाया जाता है!

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 19. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक 'निजी कंपनी (Private Company)' और 'सार्वजनिक कंपनी (Public Company)' में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों तथा निदेशकों की संख्या कितनी होती है?**

• **उत्तर:**

• **एक व्यक्ति कंपनी (OPC — धारा 2(62)):** न्यूनतम व अधिकतम **1 सदस्य**; न्यूनतम **1 निदेशक** (अधिकतम 15)।

• **निजी कंपनी (Private Company — धारा 2(68)):** न्यूनतम **2 सदस्य** और अधिकतम **200 सदस्य** (वर्तमान व पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर); न्यूनतम **2 निदेशक**।

• **सार्वजनिक कंपनी (Public Company — धारा 2(71)):** न्यूनतम **7 सदस्य** और अधिकतम **कोई सीमा नहीं (Unlimited)**; न्यूनतम **3 निदेशक**।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 20. कंपनी के चिट्ठे (Balance Sheet — कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III) में अंश पूंजी (Share Capital) की विभिन्न श्रेणियों का सही क्रम क्या है?**

• **उत्तर: अधिकृत पूंजी (Authorised / Nominal Capital) → निर्गमित पूंजी (Issued Capital) → प्रार्थित पूंजी (Subscribed Capital) → याचित पूंजी (Called-up Capital) → प्रदत्त पूंजी (Paid-up Capital)**।

• **व्याख्या: 'आरक्षित पूंजी (Reserve Capital)'** याचित न की गई पूंजी (Uncalled Capital) का वह भाग है जिसे कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा केवल **कंपनी के समापन (Winding up)** के समय ही मांगने के लिए सुरक्षित रखा है; जबकि **'पूंजी संचय (Capital Reserve)'** पूंजीगत लाभों में से बनाया गया संचय है जिसे बैलेंस शीट में 'Reserves and Surplus' शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है!

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 21. यदि किसी अंशधारी ने याचना राशि (Call Money) समय पर नहीं चुकाई (Calls-in-Arrears) या समय से पहले अग्रिम चुका दी (Calls-in-Advance), तो कंपनी अधिनियम की तालिका F (Table F) के अनुसार उन पर अधिकतम कितने प्रतिशत ब्याज लगता है?**

• **उत्तर:**

• **बकाया याचना (Calls-in-Arrears) पर कंपनी द्वारा लिया जाने वाला ब्याज:** अधिकतम **10% प्रति वर्ष**।

• **अग्रिम याचना (Calls-in-Advance) पर कंपनी द्वारा दिया जाने वाला ब्याज:** अधिकतम **12% प्रति वर्ष**।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 22. पूर्वाधिकार अंशों के शोधन (Redemption of Preference Shares — धारा 55) के लिए यदि नए अंश जारी नहीं किए जाते और शोधन 'लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों (Divisible Profits)' में से किया जाता है, तो शोधित अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि किस खाते में हस्तांतरित करना अनिवार्य है?**

• **उत्तर: पूंजी शोधन संचय खाता (Capital Redemption Reserve Account — CRR Account)**!

• **व्याख्या:** CRR खाते का उपयोग केवल और केवल सदस्यों को **पूर्णदत्त बोनस अंश (Fully Paid Bonus Shares)** जारी करने के लिए ही किया जा सकता है। भारत में कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक अवधि के अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती (अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 30 वर्ष)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 23. ऋणपत्र (Debentures) और अंश (Shares) में क्या अंतर है, और 'बंधक ऋणपत्र (Secured Debentures)' व 'शून्य कूपन बॉन्ड (Zero Coupon Bonds)' क्या हैं?**

• **उत्तर:** अंशधारी कंपनी के **स्वामी** होते हैं जिन्हें लाभ होने पर **लाभांश (Dividend — लाभ का विनियोजन)** मिलता है; जबकि ऋणपत्रधारी कंपनी के **लेनदार (Creditors)** होते हैं जिन्हें कंपनी को लाभ हो या हानि, निश्चित दर से **ब्याज (Interest — लाभ पर प्रभार / Charge against Profit)** अनिवार्य रूप से दिया जाता है। शून्य कूपन बॉन्ड वे ऋणपत्र हैं जिन पर कोई स्पष्ट ब्याज दर नहीं होती, बल्कि इन्हें भारी बट्टे (Discount) पर जारी कर सममूल्य पर शोधित किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 24. 'चालू अनुपात (Current Ratio)' यदि 2 : 1 है, और कंपनी अपने किसी लेनदार (Creditor) को ₹50,000 नकद भुगतान करती है, तो चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**

• **उत्तर: चालू अनुपात बढ़ जाएगा (Improve हो जाएगा)!**

• **व्याख्या:** उदाहरण के लिए माना CA = ₹2,00,000 और CL = ₹1,00,000 (अनुपात = (2,00,000 / 1,00,000) = 2:1)। जब लेनदार को ₹50,000 नकद दिए गए, तो नकदी (CA) भी ₹50,000 से घटी और लेनदार (CL) भी ₹50,000 से घटे। नया अनुपात = (1,50,000 / 50,000) = 3 : 1 (बढ़ गया)!

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 25. 'प्रस्तावित लाभांश (Proposed Dividend)' को संशोधित लेखांकन मानक AS-4 के अनुसार वित्तीय विवरणों में कहां दिखाया जाता है?**

• **उत्तर:** जब तक वार्षिक साधारण सभा (AGM) में अंशधारकों द्वारा लाभांश को स्वीकृत (Declare) नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रस्तावित लाभांश को बैलेंस शीट में दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि **चिट्ठे के नीचे फुटनोट (Notes to Accounts) में केवल जानकारी के रूप में** दिखाया जाता है!

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 26. 'ड्यूपॉन्ट विश्लेषण (DuPont Analysis)' किस वित्तीय अनुपात को 3 घटकों में तोड़कर विश्लेषण करता है?**

• **उत्तर: इक्विटी पर प्रतिफल (Return on Equity — ROE)** को तीन घटकों में विभाजित करता है:

$$ROE = Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन) × Asset Turnover (संपत्ति आवर्त) × Equity Multiplier (वित्तीय लीवरेज)$$

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 27. लागत लेखांकन (Cost Accounting) में 'मूल लागत (Prime Cost)', 'कारखाना लागत (Works/Factory Cost)' और 'उत्पादन लागत (Cost of Production)' का समीकरण क्या है?**

• **उत्तर:**

1. **मूल लागत (Prime Cost)** = प्रत्यक्ष सामग्री (Direct Material) + प्रत्यक्ष श्रम (Direct Labour) + प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses)।
2. **कारखाना लागत (Works Cost)** = Prime Cost + कारखाना उपरिव्यय (Factory Overheads)।
3. **उत्पादन लागत (Cost of Production)** = Works Cost + प्रशासनिक उपरिव्यय (Office & Administration Overheads)।
4. **कुल लागत (Cost of Sales)** = Cost of Production + विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय (Selling & Distribution Overheads)।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 28. सीमांत लागत लेखांकन (Marginal Costing) में 'लाभ-मात्रा अनुपात (P/V Ratio)', 'सम-विच्छेद बिंदु (Break-Even Point — BEP)' और 'सुरक्षा उपांत (Margin of Safety — MOS)' का सूत्र क्या है?**

• **उत्तर:**

• **अंशदान (Contribution)** = $Sales (विक्रय) - Variable Cost (परिवर्तनशील लागत) = Fixed Cost (स्थायी लागत) + Profit (लाभ)$।

• **P/V Ratio** = (Contribution / Sales) × 100 = (Change in Profit / Change in Sales) × 100।

• **सम-विच्छेद बिंदु (BEP — जहां न लाभ हो न हानि):**

• BEP (इकाइयों में) = (Fixed Cost / Contribution per unit)

• BEP (रुपयों में) = (Fixed Cost / P/V Ratio)

• **सुरक्षा उपांत (Margin of Safety)** = वास्तविक विक्रय (Actual Sales) - BEP Sales = (Profit / P/V Ratio)।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 29. (न्यूमेरिकल) एक उत्पाद का विक्रय मूल्य ₹100 प्रति इकाई है, परिवर्तनशील लागत (Variable Cost) ₹60 प्रति इकाई है और कुल स्थायी लागत (Fixed Cost) ₹2,00,000 है। कंपनी का सम-विच्छेद बिंदु (BEP) इकाइयों और रुपयों में कितना होगा?**

• **उत्तर: 5,000 इकाइयां (या ₹5,00,000)।**

• **व्याख्या:**

• प्रति इकाई अंशदान (Contribution per unit) = ₹100 - ₹60 = ₹40 (अतः P/V Ratio = (40 / 100) × 100 = 40\%)।

• **BEP (इकाइयों में)** = (₹2,00,000 / ₹40) = 5,000 \text{ इकाइयां}।

• **BEP (रुपयों में)** = 5,000 × ₹100 = ₹5,00,000।

**अभ्यास प्रश्न #30** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 30. इन्वेंटरी नियंत्रण (Inventory Control) में 'आर्थिक आदेश मात्रा (Economic Order Quantity — EOQ)' का विल्सन सूत्र क्या है?**

• **उत्तर:** $EOQ = \sqrt{\frac{2 \times A \times O}{C}}$

जहां $A$ = वार्षिक मांग/उपभोग (Annual Consumption in units), $O$ = प्रति आदेश लागत (Ordering Cost per order), और $C$ = प्रति इकाई प्रति वर्ष रखरखाव लागत (Carrying/Holding Cost per unit per annum)। **EOQ बिंदु पर कुल आदेश लागत (Total Ordering Cost) और कुल रखरखाव लागत (Total Carrying Cost) एक-दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं!**

**अभ्यास प्रश्न #31** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 31. (न्यूमेरिकल) एक कारखाने में कच्चे माल की वार्षिक मांग 8,000 इकाइयां है, प्रति आदेश लागत ₹200 है और प्रति इकाई वार्षिक रखरखाव लागत ₹4 है। आर्थिक आदेश मात्रा (EOQ) कितनी होगी?**

• **उत्तर: 894 इकाइयां** (और यदि वार्षिक मांग 9,000 इकाइयां हो तो $\sqrt{\frac{2 \times 9000 \times 200}{4}} = \sqrt{9,00,000} \rightarrow$ और यदि मांग 10,000 हो व आदेश लागत ₹80 हो तो $\sqrt{\frac{2 \times 10000 \times 80}{4}} = 632$; यहां 8,000 पर $\sqrt{\frac{2 \times 8000 \times 200}{4}} = \sqrt{8,00,000} \approx 894 \text{ इकाइयां}$)।

**अभ्यास प्रश्न #32** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 32. 'शून्य-आधारित बजटन (Zero-Based Budgeting — ZBB)' का प्रतिपादन किसने किया और इसका मूल सिद्धांत क्या है?**

• **उत्तर: पीटर ए. पायर (Peter A. Pyhrr — 1970 में)** द्वारा प्रतिपादित; इसमें पिछले वर्ष के बजट को आधार मानने के बजाय प्रत्येक बजट चक्र की शुरुआत **'शून्य आधार (Scratch / Zero Base)'** से की जाती है और प्रत्येक व्यय की आवश्यकता को नए सिरे से प्रमाणित करना होता है।

**अभ्यास प्रश्न #33** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 33. भारतीय लेखांकन मानकों (AS) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के अभिसरण (Convergence) से बने 'Ind AS' में प्रमुख मानकों का सही मिलान क्या है?**

• **उत्तर:**

• **AS-1 (Ind AS-1):** लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण / वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति।

• **AS-2 (Ind AS-2):** रहतिये / स्टॉक का मूल्यांकन (Valuation of Inventories — इसमें **LIFO पद्धति प्रतिबंधित है**, केवल **FIFO और भारित औसत लागत / Weighted Average Cost** ही मान्य हैं!)।

• **AS-3 (Ind AS-7):** रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)।

• **AS-9 (Ind AS-115):** आगम मान्यता (Revenue Recognition)।

• **AS-10 (Ind AS-16):** संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (Property, Plant and Equipment — पूर्व में AS-6 मूल्यह्रास का इसी में विलय हो गया है!)।

• **AS-14 (Ind AS-103):** एकीकरण (Amalgamation) के लिए लेखांकन।

• **AS-19 (Ind AS-116):** पट्टे (Leases)।

• **AS-20 (Ind AS-33):** प्रति अंश आय (Earnings Per Share — EPS)।

• **AS-26 (Ind AS-38):** अमूर्त संपत्तियां (Intangible Assets)।

• **AS-29 (Ind AS-37):** प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक संपत्तियां।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 34. सरकारी लेखांकन (Government Accounting — SSC CGL AAO विशेष) में भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में 'भारत की संचित निधि', 'लोक लेखा' और 'आकस्मिकता निधि' का प्रावधान है?**

• **उत्तर:**

• **अनुच्छेद 266(1) — भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India):** सरकार के सभी कर राजस्व, ऋण और ऋण वसूली इसी में जमा होते हैं; संसद की अनुमति (विनियोग अधिनियम — अनुच्छेद 114) के बिना इसमें से एक रुपया भी नहीं निकाला जा सकता।

• **अनुच्छेद 266(2) — भारत का लोक लेखा (Public Account of India):** भविष्य निधि (PF), अल्प बचत आदि जिसमें सरकार केवल बैंकर/न्यासी के रूप में कार्य करती है (निकासी हेतु संसदीय मतदान आवश्यक नहीं)।

• **अनुच्छेद 267 — भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India):** अप्रत्याशित आपातकालीन व्ययों के लिए **राष्ट्रपति** के अधिकार में (वित्त सचिव द्वारा संचालित; वर्तमान कोष राशि ₹30,000 करोड़)।

• **अनुच्छेद 150:** संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप **राष्ट्रपति द्वारा CAG की सलाह पर** निर्धारित किया जाता है (जो **IGAS — Indian Government Accounting Standards**, GASAB द्वारा तैयार किए जाते हैं, और सरकारी लेखे मुख्यतः **नकद आधार / Cash Basis** पर रखे जाते हैं)।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG — अनुच्छेद 148 से 151) अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपते हैं और संसद की कौन-सी समिति उनकी जांच करती है?**

• **उत्तर:** CAG केंद्र से संबंधित अपनी 3 ऑडिट रिपोर्टें (विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट) **अनुच्छेद 151(1) के तहत राष्ट्रपति को** (और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को) सौंपते हैं। संसद में इनकी जांच **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee — PAC, 22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)** करती है, इसीलिए CAG को **'लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and Guide of PAC)'** कहा जाता है।

## *खंड B: अंकेक्षण (Auditing), बीमा एवं औद्योगिक संबंध (Q36–Q60)*

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 36. 'आंतरिक जांच (Internal Check)' और 'आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit)' में क्या अंतर है?**

• **उत्तर: आंतरिक जांच** कर्मचारियों के बीच कार्यों के विभाजन की ऐसी स्वचालित व्यवस्था है जिसमें एक कर्मचारी के काम की जांच स्वतः दूसरे कर्मचारी द्वारा काम के प्रवाह के दौरान ही हो जाती है (जैसे बैंक में एक क्लर्क द्वारा टोकन देना, दूसरे द्वारा पासबुक देखना और तीसरे द्वारा कैश देना); जबकि **आंतरिक अंकेक्षण (कंपनी अधिनियम धारा 138)** कार्य पूर्ण होने के बाद एक अलग आंतरिक ऑडिट स्टाफ द्वारा की जाने वाली निरंतर समीक्षा है।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 37. 'ट्विमिंग और लेडिंग (Teeming and Lading / Lapping)' किस प्रकार के गबन की तकनीक है?**

• **उत्तर: नकदी के गबन (Embezzlement of Cash) की तकनीक!** इसमें कैशियर ग्राहक A से मिली नकदी को अपनी जेब में रख लेता है, फिर कुछ दिनों बाद जब ग्राहक B से नकदी मिलती है तो उसे ग्राहक A के खाते में जमा दिखा देता है, और ग्राहक C से मिली राशि को B के खाते में — यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक औचक निरीक्षण या देनदारों से सीधा पत्राचार न किया जाए।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 38. 'विंडो ड्रेसिंग (Window Dressing / ऊपरी दिखावा)' का लेखांकन और अंकेक्षण में क्या अर्थ है?**

• **उत्तर:** वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में कंपनी की वित्तीय स्थिति को वास्तविकता से कहीं अधिक अच्छी और मजबूत दिखाने के लिए खातों में हेरफेर करना (जैसे वर्ष के अंतिम दिन उधार बिक्री को फर्जी बढ़ाना या नकदी उधार लेकर दिखाना और नए वर्ष के पहले दिन वापस कर देना)।

**अभ्यास प्रश्न #39** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 39. कंपनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश — CARO, 2020 में अंकेक्षक को कुल कितने खंडों (Clauses) पर रिपोर्ट देनी होती है और यह किन कंपनियों पर लागू नहीं होता?**

• **उत्तर: कुल 21 खंडों (21 Clauses) पर** (CARO 2016 में 16 खंड थे); यह **बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों, धारा 8 (धर्मार्थ) कंपनियों, एक व्यक्ति कंपनी (OPC) और लघु कंपनियों (Small Companies)** पर लागू **नहीं** होता!

**अभ्यास प्रश्न #40** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 40. 'परीक्षण जांच (Test Checking / Sampling)' क्या है और लेखा पुस्तकों के किस भाग में परीक्षण जांच कभी नहीं करनी चाहिए?**

• **उत्तर:** सभी सौदों की 100% जांच करने के बजाय वैज्ञानिक नमूने (Sample) के आधार पर कुछ चुने हुए लेन-देनों की गहन जांच करना परीक्षण जांच है (यह तभी सुरक्षित है जब कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत हो)। **परंतु रोकड़ बही (Cash Book), बैंक समाधान विवरण (BRS) और वर्ष के पहले व अंतिम माह के लेन-देनों में कभी भी Test Checking नहीं करनी चाहिए, बल्कि 100% जांच करनी चाहिए!**

**अभ्यास प्रश्न #41** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 41. बीमा क्षेत्र में 'एक्चुअरी (Actuary / बीमांकक)' कौन होता है और 'मृत्यु दर सारणी (Mortality Table)' का क्या उपयोग है?**

• **उत्तर:** एक्चुअरी वह गणितीय व सांख्यिकीय विशेषज्ञ होता है जो मृत्यु दर, बीमारी, दुर्घटना की संभाव्यता और ब्याज दरों का विश्लेषण करके बीमा पॉलिसियों के **प्रीमियम की दर, जोखिम और देयताओं (Reserves)** की गणना करता है।

**अभ्यास प्रश्न #42** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 42. बीमा में 'पुनर्बीमा (Re-insurance)' और 'दोहरा बीमा (Double Insurance)' में क्या अंतर है?**

• **उत्तर: दोहरा बीमा:** जब कोई बीमित व्यक्ति स्वयं एक ही संपत्ति का दो या अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराता है; **पुनर्बीमा:** जब एक बीमा कंपनी अपने द्वारा लिए गए बहुत बड़े जोखिम के एक हिस्से को किसी दूसरी बीमा कंपनी (जैसे भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी **GIC Re — General Insurance Corporation of India**) को हस्तांतरित कर अपना बीमा कराती है!

**अभ्यास प्रश्न #43** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 43. बीमा पॉलिसी में 'समर्पण मूल्य (Surrender Value)' और 'चुकता मूल्य (Paid-up Value)' का क्या अर्थ है?**

• **उत्तर:** यदि पॉलिसीधारक परिपक्वता अवधि से पहले ही पॉलिसी बंद करके नकद राशि वापस लेना चाहता है (न्यूनतम 2 या 3 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद), तो बीमा कंपनी द्वारा लौटाई जाने वाली राशि को **समर्पण मूल्य (Surrender Value)** कहते हैं; और यदि वह पॉलिसी बंद किए बिना आगे प्रीमियम भरना रोक देता है और बीमित राशि को भुगतान किए गए प्रीमियमों के अनुपात में कम करा लेता है, तो उसे **चुकता मूल्य (Paid-up Value)** कहते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #44** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 44. भारत में कृषि और ग्रामीण बीमा से जुड़ी प्रमुख सरकारी बीमा कंपनियां कौन-सी हैं?**

• **उत्तर:**

• **जीवन बीमा:** भारतीय जीवन बीमा निगम (**LIC** — *1956*)।

• **सार्वजनिक क्षेत्र की 4 साधारण बीमा कंपनियां:** (1) न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIACL), (2) ओरिएंटल इंश्योरेंस (OICL), (3) नेशनल इंश्योरेंस (NICL), और (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (UIIC)।

• **कृषि बीमा हेतु विशेष कंपनी:** भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (**AIC — Agriculture Insurance Company of India Ltd., स्थापना 2002**, मुख्यालय: नई दिल्ली)।

• **निर्यात ऋण बीमा: ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)**।

**अभ्यास प्रश्न #45** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 45. औद्योगिक संबंधों में 'रॉबर्ट एफ. होक्सी (Robert F. Hoxie)' ने ट्रेड यूनियनों को उनके कार्यों के आधार पर किन 4 श्रेणियों में बांटा था?**

• **उत्तर: (1) बिजनेस यूनियनिज्म (Business Unionism — 'Bread and Butter' अर्थात केवल मजदूरी व कार्य घंटों पर ध्यान), (2) अपलिफ्ट यूनियनिज्म (Uplift Unionism — श्रमिकों के नैतिक व सामाजिक उत्थान पर बल), (3) रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म (Revolutionary Unionism — पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने वाली क्रांतिकारी यूनियन)**, और **(4) प्रेडेटरी यूनियनिज्म (Predatory Unionism — किसी भी साधन से केवल अपना तात्कालिक स्वार्थ साधने वाली यूनियन)**।

**अभ्यास प्रश्न #46** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 46. 'बंद दुकान (Closed Shop)', 'यूनियन दुकान (Union Shop)' और 'एजेंसी दुकान (Agency Shop)' समझौतों में क्या अंतर है?**

• **उत्तर:**

• **Closed Shop (प्रवेश-पूर्व बाध्यता):** नियोक्ता केवल उसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है जो **पहले से ही ट्रेड यूनियन का सदस्य** हो (*No Union Card, No Job*)।

• **Union Shop (प्रवेश-पश्चात बाध्यता):** नियोक्ता किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, किंतु नौकरी मिलने के एक **निश्चित समय (जैसे 30 दिन) के भीतर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से यूनियन की सदस्यता लेनी पड़ती है**।

• **Agency Shop:** कर्मचारी पर यूनियन का सदस्य बनने की बाध्यता नहीं होती, किंतु चूंकि यूनियन के समझौतों का लाभ उसे भी मिलता है, इसलिए उसे यूनियन को **'एजेंसी शुल्क (Union Fee)'** देना पड़ता है।

• **Open Shop:** यूनियन सदस्यता की कोई शर्त नहीं होती।

**अभ्यास प्रश्न #47** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 47. हड़ताल (Strike) के विभिन्न रूपों — 'सिंहावलोकन/टूल-डाउन स्ट्राइक', 'गो-स्लो', 'वर्क-टू-रूल' और 'घेराव' का क्या अर्थ है?**

• **उत्तर:**

• **Pen-down / Tool-down / Sit-down Strike (कलम-बंद / औजार-बंद हड़ताल):** श्रमिक कार्यस्थल पर आते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं किंतु काम करने से मना कर देते हैं (सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक केस में इसे हड़ताल माना है)।

• **Go-Slow (धीमी गति से कार्य):** श्रमिक काम तो करते हैं किंतु जानबूझकर उत्पादन की गति अत्यंत धीमी कर देते हैं (इसे हड़ताल से भी अधिक गंभीर कदाचार / **Serious Misconduct** माना गया है)।

• **Work-to-Rule (नियम के अनुसार कार्य):** नियम पुस्तिका के प्रत्येक नियम का इतना अक्षरश: और कठोर पालन करना कि सामान्य कामकाज ठप हो जाए।

• **Gherao (घेराव):** प्रबंधकों को उनके कार्यालय में घेरकर बाहर निकलने से रोकना (न्यायालयों द्वारा इसे अवैध और दंडनीय घोषित किया गया है — *Jay Engineering Works Case*)।

• **Picketing (धरना/पिकेटिंग):** कारखाने के गेट पर खड़े होकर अन्य श्रमिकों को काम पर न जाने के लिए प्रेरित करना (शांतिपूर्ण होने तक वैध)।

**अभ्यास प्रश्न #48** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 48. विवाद समाधान की तीन विधियों — 'समझौता (Conciliation)', 'मध्यस्थता/पंचनिर्णय (Arbitration)' और 'न्यायनिर्णयन (Adjudication)' में मुख्य अंतर क्या है?**

• **उत्तर:**

• **समझौता (Conciliation):** एक तटस्थ समझौता अधिकारी दोनों पक्षों को एक मेज पर बिठाकर आपसी सहमति से समझौता कराने में मदद करता है; वह अपना निर्णय थोप नहीं सकता।

• **पंचनिर्णय (Arbitration):** दोनों पक्ष स्वेच्छा से किसी स्वतंत्र पंच (Arbitrator) को नियुक्त करते हैं, जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना पंचाट (Award) देता है।

• **न्यायनिर्णयन (Adjudication):** सरकार द्वारा विवाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण (Industrial Tribunal) को भेजा जाता है, जिसका न्यायिक निर्णय दोनों पक्षों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी** होता है।

**अभ्यास प्रश्न #49** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 49. 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)' की अनूठी 'त्रिपक्षीय संरचना (Tripartite Structure)' क्या है?**

• **उत्तर:** संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों में ILO एकमात्र ऐसी संस्था है जिसकी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रत्येक सदस्य देश से केवल सरकारी प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि **तीन पक्षों — (1) सरकार (2 प्रतिनिधि), (2) नियोक्ता/मालिक (1 प्रतिनिधि), और (3) श्रमिक (1 प्रतिनिधि) — कुल 2 : 1 : 1 के अनुपात** में समान मताधिकार के साथ भाग लेते हैं!

• **व्याख्या:** ILO के तीन मुख्य अंग हैं: (1) अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILC — विश्व श्रम संसद), (2) शासी निकाय (Governing Body — कार्यकारी परिषद), और (3) अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office — सचिवालय)। भारत का राष्ट्रीय त्रिपक्षीय मंच **'भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference — ILC)'** और **'स्थायी श्रम समिति (Standing Labour Committee)'** इसी मॉडल पर आधारित है।

**अभ्यास प्रश्न #50** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 50. भारतीय संविधान के भाग IV (नीति निदेशक तत्व — DPSP) के कौन-से अनुच्छेद सीधे श्रमिक कल्याण और औद्योगिक संबंधों से संबंधित हैं?**

• **उत्तर:**

• **अनुच्छेद 39(a) व (d):** आजीविका के पर्याप्त साधन, और **पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)**।

• **अनुच्छेद 41:** कुछ दशाओं (बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, नि:शक्तता) में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

• **अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का उपबंध**।

• **अनुच्छेद 43:** कर्मकारों के लिए **निर्वाह मजदूरी (Living Wage)** और शिष्ट जीवन स्तर।

• **अनुच्छेद 43A (42वां संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया): उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (Workers' Participation in Management — WPM)**।

**अभ्यास प्रश्न #51** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 51. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (WPM) के स्तरों का निम्न से उच्च स्तर तक सही क्रम क्या है?**

• **उत्तर: सूचनात्मक भागीदारी (Information Sharing) → परामर्शदात्री भागीदारी (Consultative Participation — जैसे कार्य समिति / Works Committee व संयुक्त प्रबंधन परिषद / JMC) → सहयोगात्मक भागीदारी (Associative Participation) → प्रशासनिक भागीदारी (Administrative Participation) → निर्णयात्मक भागीदारी (Decisive Participation — जैसे निदेशक मंडल में श्रमिक निदेशक / Worker Director)**।

**अभ्यास प्रश्न #52** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 52. किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 1958 में 'उद्योग में अनुशासन संहिता (Code of Discipline in Industry)' अपनाई गई थी?**

• **उत्तर: द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान (1958 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन, नैनीताल में तत्कालीन श्रम मंत्री गुलजारीलाल नंदा की पहल पर)।**

**अभ्यास प्रश्न #53** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 53. 'पीत संघवाद (Yellow Unionism)' या 'कंपनी यूनियन' किसे कहते हैं, और 'पीत श्वान अनुबंध (Yellow-Dog Contract)' क्या है?**

• **उत्तर:**

• **Yellow Union:** ऐसी कठपुतली ट्रेड यूनियन जिसे नियोक्ता (मालिक) द्वारा ही गुप्त रूप से बनाया या नियंत्रित किया जाता है ताकि वास्तविक श्रमिक यूनियन को कमजोर किया जा सके।

• **Yellow-Dog Contract:** नौकरी देते समय नियोक्ता द्वारा श्रमिक से हस्ताक्षर कराया जाने वाला वह अनुबंध जिसमें शर्त होती है कि श्रमिक किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं बनेगा (भारत में यह अनुचित श्रम व्यवहार / **Unfair Labour Practice** घोषित कर पूर्णतः अवैध बनाया गया है)।

**अभ्यास प्रश्न #54** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 54. 'न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)', 'उचित मजदूरी (Fair Wage)' और 'निर्वाह मजदूरी (Living Wage)' के बीच संबंध क्या है?**

• **उत्तर: समिति ऑन फेयर वेजेस (1948)** एवं सर्वोच्च न्यायालय (*Express Newspapers Case*) के अनुसार:

1. **न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage — सबसे निचली सीमा):** जो केवल जीवित रहने के ही नहीं, बल्कि श्रमिक की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए **भोजन, वस्त्र, आवास के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं** के लिए भी आवश्यक है। **जो उद्योग न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकता, उसे चलने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है!**

2. **निर्वाह मजदूरी (Living Wage — सर्वोच्च आदर्श):** जो श्रमिक को उच्च जीवन स्तर, आराम, वृद्धावस्था की सुरक्षा और बच्चों की उच्च शिक्षा की सुविधा दे।

3. **उचित मजदूरी (Fair Wage — दोनों के मध्य):** जिसकी निचली सीमा 'न्यूनतम मजदूरी' होती है और ऊपरी सीमा उद्योग की भुगतान क्षमता (Capacity to Pay) पर निर्भर करती है।

**अभ्यास प्रश्न #55** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 55. 'छंटनी (Retrenchment)' और 'ले-ऑफ (Lay-off / कामबंदी)' में क्या अंतर है?**

• **उत्तर:**

• **ले-ऑफ (Lay-off):** कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी, स्टॉक जमा हो जाने या मशीन खराब होने के कारण नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से काम देने में असमर्थता (इसमें नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त **नहीं** होता और मस्टर रोल पर कम से कम 1 वर्ष काम कर चुके श्रमिक को **मूल वेतन + DA का 50% ले-ऑफ मुआवजा** मिलता है)।

• **छंटनी (Retrenchment):** अनुशासनिक दंड, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को छोड़कर, अतिरिक्त स्टाफ (Surplus Labour) होने आदि किसी भी कारण से नियोक्ता द्वारा श्रमिक की **सेवा स्थायी रूप से समाप्त** करना (इसमें **Last Come First Go** का सिद्धांत लागू होता है और प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए **15 दिन के औसत वेतन** का मुआवजा + नए कोड के तहत **15 दिन का Reskilling Fund** दिया जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #56** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 56. भारतीय संविधान में 'श्रम एवं श्रमिक कल्याण (Labour)' किस सूची का विषय है?**

• **उत्तर: समवर्ती सूची (Concurrent List — अनुसूची VII की सूची-III, प्रविष्टि 22, 23, 24)** — अर्थात इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं (केवल खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम व सुरक्षा संघ सूची की प्रविष्टि 55 में है)।

**अभ्यास प्रश्न #57** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 57. कारखाना अधिनियम एवं नए OSHWC कोड के तहत 'किशोर (Adolescent)' की आयु सीमा क्या है, और भारत में किस आयु से कम के बच्चों के सभी व्यवसायों में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध है?**

• **उत्तर: बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016** के अनुसार **14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे (Child)** के किसी भी व्यवसाय में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है (केवल स्कूल के घंटों के बाद अपने परिवार के गैर-खतरनाक उद्यम में मदद करने या बाल कलाकार के रूप में काम करने को छोड़कर); और **14 से 18 वर्ष के बीच के व्यक्ति को 'किशोर (Adolescent)'** कहा जाता है, जिसे किसी भी खतरनाक प्रक्रिया (Hazardous Process — खान, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक) में नियोजित करना पूर्णतः निषिद्ध है!

**अभ्यास प्रश्न #58** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 58. सामाजिक सुरक्षा के प्रसिद्ध 'बेवरिज रिपोर्ट (Beveridge Report, 1942 — UK)' में समाज के किन 'पांच महादानवों (Five Giant Evils)' पर प्रहार करने की बात कही गई थी?**

• **उत्तर: विलियम बेवरिज** (आधुनिक कल्याणकारी राज्य के शिल्पी) ने पांच महादानव बताए थे: **(1) अभाव (Want / Poverty), (2) रोग (Disease), (3) अज्ञानता (Ignorance), (4) गंदगी / मलिनता (Squalor), और (5) बेकारी (Idleness / Unemployment)**।

**अभ्यास प्रश्न #59** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 59. भारत में सामाजिक सुरक्षा पर पहली व्यापक रिपोर्ट किसने तैयार की थी जिन्हें 'भारत का बेवरिज' कहा जाता है?**

• **उत्तर: प्रो. बी.पी. अदाकर (Prof. B.P. Adarkar — 1944 में प्रस्तुत 'अदाकर रिपोर्ट')** — इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत का पहला सामाजिक बीमा कानून **'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESIC Act), 1948'** पारित किया गया था!

**अभ्यास प्रश्न #60** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 60. 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)' के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं और ILO का 8वां मौलिक कन्वेंशन 'Convention 182' किससे संबंधित है?**

• **उत्तर: गिल्बर्ट एफ. होंगबो (Gilbert F. Houngbo — टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री, ILO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक); कन्वेंशन 182 (1999) 'बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूपों (Worst Forms of Child Labour)'** के तत्काल उन्मूलन से और **कन्वेंशन 138 (1973)** रोजगार में प्रवेश की **न्यूनतम आयु** से संबंधित है।

## *खंड C: 4 श्रम संहिताएँ एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (Q61–Q90)*

**अभ्यास प्रश्न #61** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 61. वेतन संहिता, 2019 के अनुसार मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन अवधि समाप्त होने के कितने दिनों के भीतर वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है?**

• **उत्तर: आगामी माह की 7 तारीख तक (Within 7 days after the end of wage period — चाहे प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या कितनी भी हो!)**।

• **व्याख्या:** पुराने मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में 1000 से कम श्रमिक होने पर 7 तारीख और 1000 या अधिक श्रमिक होने पर 10 तारीख का नियम था; **वेतन संहिता, 2019 ने इस भेद को समाप्त कर सभी मासिक वेतन भोगियों के लिए समान रूप से 7 तारीख** तय कर दी है! और नौकरी से बर्खास्त, छंटनी या त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी का पूर्ण और अंतिम भुगतान (Full & Final Settlement) कार्यमुक्त होने के **2 कार्यदिवसों के भीतर** करना अनिवार्य है!

**अभ्यास प्रश्न #62** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 62. वेतन संहिता, 2019 की धारा 18 के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन से एक वेतन अवधि में कुल कटौतियां (Deductions) उसके कुल वेतन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकतीं?**

• **उत्तर: अधिकतम 50% तक** (पुराने अधिनियम में सहकारी समितियों के भुगतान के लिए 75% की छूट थी, किंतु नई वेतन संहिता, 2019 में सभी कटौतियों की कुल अधिकतम सीमा **50%** निर्धारित की गई है; यदि कटौती 50% से अधिक है तो शेष राशि अगली वेतन अवधि में समायोजित की जाएगी)।

अभ्यास प्रश्न #63 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 63. वेतन संहिता, 2019 के तहत मजदूरी या बोनस के बकाया दावों (Claims) को दायर करने की परिसीमा अवधि (Limitation Period) को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?**

• **उत्तर: 3 वर्ष!** (पुराने कानूनों में यह अवधि अलग-अलग 6 माह से 2 वर्ष तक थी, जिसे श्रमिकों के हित में बढ़ाकर एक समान **3 वर्ष** कर दिया गया है)।

अभ्यास प्रश्न #64 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 64. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण (Registration of Trade Union) के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?**

• **उत्तर: प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों का कम से कम 10% या 100 श्रमिक, दोनों में से जो कम हो, बशर्ते सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 7 से कम न हो!**

अभ्यास प्रश्न #65 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 65. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कुल पदाधिकारियों (Office Bearers) में बाहरी व्यक्तियों (Outsiders / गैर-कर्मचारियों) की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?**

• **उत्तर: असंगठित क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों में कुल पदाधिकारियों का अधिकतम 1/3 भाग (एक-तिहाई) या 5 व्यक्ति, दोनों में से जो कम हो!** (असंगठित क्षेत्र में अधिकतम 50% तक बाहरी पदाधिकारी हो सकते हैं; और सेवानिवृत्त या छंटनी किए गए कर्मचारियों को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाएगा)।

अभ्यास प्रश्न #66 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 66. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत कितने या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में 'शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee — GRC)' का गठन अनिवार्य है और इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?**

• **उत्तर: 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में**; इसमें नियोक्ता और श्रमिकों के बराबर प्रतिनिधियों सहित **अधिकतम 10 सदस्य** हो सकते हैं (और समिति में महिलाओं का अनुपात प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल महिला श्रमिकों के अनुपात से कम नहीं होगा; शिकायत का निपटारा **30 दिनों** में करना होता है)।

अभ्यास प्रश्न #67 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 67. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने पुराने 'श्रम न्यायालयों (Labour Courts)', 'औद्योगिक अधिकरणों' और 'उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश' वाली एकल पीठ के स्थान पर किस नई न्यायनिर्णयन संस्था का प्रावधान किया है?**

• **उत्तर: दो-सदस्यीय 'औद्योगिक अधिकरण (Industrial Tribunal)' — जिसमें 1 न्यायिक सदस्य (Judicial Member) और 1 प्रशासनिक सदस्य (Administrative Member) होंगे!** (गंभीर मामलों जैसे छंटनी, बंदी, हड़ताल की वैधता व ट्रेड यूनियन विवादों की सुनवाई दोनों सदस्य मिलकर करेंगे, जबकि शेष मामलों की सुनवाई एकल सदस्य कर सकेगा)।

अभ्यास प्रश्न #68 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 68. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता (OSHWC Code), 2020 के अंतर्गत कितने या अधिक श्रमिकों वाले कारखाने/प्रतिष्ठान में एक द्विपक्षीय 'सुरक्षा समिति (Safety Committee)' और 'कैंटीन (Canteen)' की व्यवस्था अनिवार्य है?**

• **उत्तर:**

• **कैंटीन (Canteen) की सुविधा: 100 या अधिक श्रमिक** (आदिवासी/प्रवासी श्रमिकों सहित; पुराने कारखाना अधिनियम में यह सीमा 250 श्रमिक थी, जिसे OSHWC कोड में घटाकर **100 श्रमिक** कर दिया गया है!)।

• **सुरक्षा समिति (Safety Committee):** सामान्य कारखानों में **500 या अधिक श्रमिक**, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों व भवन निर्माण में **250 या अधिक श्रमिक**, और खानों (Mines) में **100 या अधिक श्रमिक**।

• **कल्याण अधिकारी (Welfare Officer): 250 या अधिक श्रमिक** (पुराने कारखाना अधिनियम में 500 श्रमिक थी)।

**अभ्यास प्रश्न #69** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 69. OSHWC कोड, 2020 के अंतर्गत एक श्रमिक से एक तिमाही (Quarter) में अधिकतम कितने घंटे ओवरटाइम कराया जा सकता है?**

• **उत्तर: अधिकतम 125 घंटे प्रति तिमाही** (सहमति से और सामान्य वेतन से दोगुनी दर पर)।

**अभ्यास प्रश्न #70** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 70. OSHWC कोड, 2020 के अनुसार यदि किसी कारखाने या कार्यस्थल पर नियोक्ता की सुरक्षा चूक से किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोट लगती है, तो न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने का कम से कम कितना प्रतिशत पीड़ित श्रमिक या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा?**

• **उत्तर: जुर्माने की राशि का कम से कम 50% भाग (Minimum 50% of the fine imposed)** पीड़ित या उसके परिवार को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में दिया जाएगा!

**अभ्यास प्रश्न #71** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 71. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में कौन-सा राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया और इसमें कितने अंकों का कार्ड जारी होता है?**

• **उत्तर: 'ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal)'**; इसमें 16 से 59 वर्ष के प्रत्येक पंजीकृत असंगठित श्रमिक को **12 अंकों का सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN — e-Shram Card)** और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #72** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 72. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित तीनों प्रमुख योजनाओं के नाम और स्थापना वर्ष क्या हैं?**

• **उत्तर:**

1. **EPF योजना (कर्मचारी भविष्य निधि योजना — 1952)**।

2. **EDLI योजना (कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना / Employees' Deposit Linked Insurance Scheme — 1976):** सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति को **न्यूनतम ₹2.5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख** तक का मुफ्त जीवन बीमा लाभ मिलता है!

3. **EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना — 16 नवंबर 1995):** 10 वर्ष की अर्हक सेवा और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मासिक पेंशन (न्यूनतम मासिक पेंशन **₹1,000**; पेंशन गणना सूत्र: (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा / 70))।

**अभ्यास प्रश्न #73** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 73. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जो अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII में शामिल है) के तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर मुआवजे की गणना का सूत्र क्या है?**

• **उत्तर:**

• **मृत्यु (Death) होने पर: मासिक वेतन का 50% × प्रासंगिक आयु कारक (Relevant Age Factor)**, या सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम राशि (जो अधिक हो) + अंतिम संस्कार व्यय (कम से कम ₹15,000)।

• **स्थायी पूर्ण दिव्यांगता (Permanent Total Disablement) होने पर: मासिक वेतन का 60% × प्रासंगिक आयु कारक**! (ध्यान दें: स्थायी पूर्ण दिव्यांगता में मुआवजे की दर 60% है जो मृत्यु की दर 50% से अधिक है, क्योंकि पूर्ण दिव्यांग व्यक्ति को आजीवन अपने भरण-पोषण और उपचार का खर्च भी उठाना पड़ता है!)

**अभ्यास प्रश्न #74** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 74. कार्यस्थल पर दुर्घटना मुआवजे के संबंध में 'नोशन ऑफ एक्सटेंशन (सिद्धांत विस्तार / Doctrine of Notional Extension of Employment)' का क्या अर्थ है?**

• **उत्तर:** यदि कोई श्रमिक अपने घर से कारखाने आते समय या कारखाने से घर जाते समय सामान्य मार्ग और समय पर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि दुर्घटना **'नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न (Arising out of and in the course of employment)'** हुई है और नियोक्ता/ESIC मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है!

**अभ्यास प्रश्न #75** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 75. कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को कौन-से 6 प्रमुख लाभ (Six Social Security Benefits) प्रदान किए जाते हैं?**

• **उत्तर: (1) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit — पहले ही दिन से पूर्ण चिकित्सा), (2) बीमारी लाभ (Sickness Benefit — वर्ष में 91 दिनों तक वेतन का 70%), (3) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit — 26 सप्ताह तक वेतन का 100%), (4) अपंगता लाभ (Disablement Benefit — दैनिक मजदूरी का 90%), (5) आश्रित लाभ (Dependants' Benefit — मृत्यु पर आश्रितों को मजदूरी का 90% मासिक पेंशन),** और **(6) अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses — ₹15,000)** (तथा नौकरी जाने पर **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना** व **राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना** के तहत बेरोजगारी भत्ता)।

**अभ्यास प्रश्न #76** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 76. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए ₹3,000 प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन (60 वर्ष की आयु के बाद) देने वाली दो प्रमुख अंशदायी पेंशन योजनाएं कौन-सी हैं?**

• **उत्तर:**

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM — फरवरी 2019):** 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों (जिनकी मासिक आय ₹15,000 या कम है) के लिए — ₹55 से ₹200 प्रति माह अंशदान (सरकार द्वारा बराबर अंशदान) करने पर 60 वर्ष के बाद **₹3,000 प्रति माह पेंशन** (फंड मैनेजर: **LIC**)।

2. **प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM — 2019):** ₹1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों के लिए (₹3,000/माह पेंशन)।

**अभ्यास प्रश्न #77** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 77. 'अटल पेंशन योजना (APY)', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)' और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)' — इन तीनों जन-सुरक्षा योजनाओं (9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू) के पात्रता आयु वर्ग और प्रीमियम/कवरेज का सही मिलान क्या है?**

• **उत्तर:**

| योजना का नाम | पात्रता आयु सीमा | वार्षिक प्रीमियम / अंशदान | बीमा कवरेज / पेंशन लाभ | प्रशासक / नियामक |
|---|---|---|---|---|
| **1. PMSBY (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)** | **18 से 70 वर्ष** | **₹20 प्रति वर्ष** (पूर्व में ₹12 था; 1 जून 2022 से संशोधित) | दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर **₹2 लाख**; आंशिक दिव्यांगता पर **₹1 लाख** | साधारण बीमा कंपनियां |
| **2. PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना)** | **18 से 50 वर्ष** (कवर 55 वर्ष तक) | **₹436 प्रति वर्ष** (पूर्व में ₹330 था; 1 जून 2022 से संशोधित) | किसी भी कारण से मृत्यु होने पर **₹2 लाख** का जीवन बीमा कवर | LIC एवं अन्य जीवन बीमा कंपनियां |
| **3. APY (अटल पेंशन योजना)** | **18 से 40 वर्ष** (करदाता पात्र नहीं — अक्टूबर 2022 से) | आयु व चुनी गई पेंशन के अनुसार मासिक/तिमाही/छमाही | 60 वर्ष की आयु के बाद **₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह** की गारंटीकृत पेंशन | **PFRDA** (पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण) |

**अभ्यास प्रश्न #78** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 78. 'आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)' की शुरुआत कब और कहां से हुई, और वर्ष 2024 के ऐतिहासिक विस्तार में किस आयु वर्ग के सभी नागरिकों को इसमें शामिल कर लिया गया है?**

• **उत्तर: 23 सितंबर 2018 को रांची (झारखंड) से शुरू** — यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष **₹5,00,000 (₹5 लाख)** का कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण — **NHA** के माध्यम से) देती है। **सितंबर-अक्टूबर 2024 में केंद्र**

**सरकार ने इसकी आय सीमा से परे जाकर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों (All Senior Citizens aged 70+ regardless of income) को 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' के तहत ₹5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर दिया है!**

**अभ्यास प्रश्न #79** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 79. शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) को कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए जून 2020 में शुरू की गई 'पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi)' योजना में ऋण की तीनों किस्तें (Tranches) कितनी हैं?**

• **उत्तर: प्रथम किस्त: ₹10,000**, समय पर चुकाने पर **द्वितीय किस्त: ₹20,000**, और उसे भी समय पर चुकाने पर **तृतीय किस्त: ₹50,000** (7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर ₹1,200 तक कैशबैक; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एवं **SIDBI** द्वारा संचालित)।

**अभ्यास प्रश्न #80** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 80. भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने वाले 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS — Periodic Labour Force Survey, 2017 से NSO द्वारा संचालित)' में 'सामान्य स्थिति (Usual Status — US)' और 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status — CWS)' का क्या अर्थ है?**

• **उत्तर:**

• **Usual Status (PS+SS):** सर्वेक्षण की तिथि से **पिछले 365 दिनों (1 वर्ष)** की संदर्भ अवधि में गतिविधि की स्थिति (दीर्घकालिक/संरचनात्मक बेरोजगारी मापता है)।

• **Current Weekly Status (CWS):** सर्वेक्षण से **पिछले 7 दिनों** की संदर्भ अवधि में यदि किसी व्यक्ति को कम से कम **1 घंटे** भी लाभकारी कार्य मिला हो तो उसे नियोजित माना जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #81** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 81. 'श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)', 'श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)' और 'बेरोजगारी दर (UR)' का सूत्र क्या है?**

• **उत्तर:**

• $LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) = (नियोजित व्यक्ति + बेरोजगार व्यक्ति (अर्थात कुल श्रम बल) / कुल जनसंख्या (15+ वर्ष)) × 100$

• WPR (श्रमिक जनसंख्या अनुपात) = (नियोजित व्यक्ति (Employed) / कुल जनसंख्या) × 100

• $UR (बेरोजगारी दर) = (बेरोजगार व्यक्ति (Unemployed) / कुल श्रम बल (Labour Force = Employed + Unemployed)) × 100$ (ध्यान दें: बेरोजगारी दर का हर / *Denominator* 'कुल जनसंख्या' नहीं, बल्कि **'कुल श्रम बल'** होता है!)

**अभ्यास प्रश्न #82** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 82. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक — औद्योगिक श्रमिक (CPI-IW), जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए किया जाता है, इसे कौन जारी करता है और इसका नवीनतम आधार वर्ष (Base Year) क्या है?**

• **उत्तर:** इसे **श्रम ब्यूरो (Labour Bureau, शिमला/चंडीगढ़ — श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)** जारी करता है, और अक्टूबर 2020 में इसके आधार वर्ष को 2001 से बदलकर **2016 = 100 (Base Year 2016)** कर दिया गया है! (जबकि सामान्य CPI-Combined को NSO/MoSPI द्वारा आधार वर्ष 2012 पर जारी किया जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #83** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 83. (न्यूमेरिकल) एक कंपनी का शुद्ध लाभ (कर और ब्याज से पूर्व — EBIT) ₹4,00,000 है, कंपनी के पास 10% ऋणपत्र ₹10,00,000 के हैं और कर की दर 30% है। कंपनी का 'ब्याज आवरण अनुपात (Interest Coverage Ratio)' और 'कर पश्चात शुद्ध लाभ (PAT)' कितना होगा?**

• **उत्तर: ब्याज आवरण अनुपात = 4 गुना (4 Times); और कर पश्चात शुद्ध लाभ (PAT) = ₹2,10,000।**

• **व्याख्या:**

• ऋणपत्रों पर वार्षिक ब्याज = ₹10,00,000 × 10\% = ₹1,00,000।

• **Interest Coverage Ratio** = (EBIT / Interest) = (₹4,00,000 / ₹1,00,000) = 4 \text{ गुना}।

• कर-पूर्व लाभ (EBT) = ₹4,00,000 - ₹1,00,000 = ₹3,00,000।

• कर पश्चात शुद्ध लाभ (PAT) = ₹3,00,000 - (30\% कर ₹90,000) = ₹2,10,000।

अभ्यास प्रश्न #84 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 84. (न्यूमेरिकल) एक मशीन ₹5,50,000 में खरीदी गई और उसकी स्थापना पर ₹50,000 खर्च हुए। उसका उपयोगी जीवनकाल 10 वर्ष और 10 वर्ष बाद अवशिष्ट मूल्य (Scrap Value) ₹1,00,000 अनुमानित है। सीधी रेखा पद्धति (SLM) से 3 वर्ष के बाद मशीन का पुस्तक मूल्य (Written Down Book Value) क्या होगा?**

• **उत्तर: ₹4,50,000**।

• **व्याख्या:**

• मशीन की कुल पूंजीगत लागत = ₹5,50,000 + ₹50,000 = ₹6,00,000।

• वार्षिक मूल्यह्रास (SLM) = (₹6,00,000 - ₹1,00,000 / 10) = ₹50,000 प्रति वर्ष।

• 3 वर्ष का कुल मूल्यह्रास = ₹50,000 × 3 = ₹1,50,000।

• **3 वर्ष बाद पुस्तक मूल्य** = ₹6,00,000 - ₹1,50,000 = ₹4,50,000।

अभ्यास प्रश्न #85 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 85. कंप्यूटर एवं लेखांकन में 'टैली (Tally ERP 9 / TallyPrime)' में Contra, Payment, Receipt और Journal वाउचर के लिए कौन-सी फंक्शन कुंजियां (Shortcut Keys) प्रयुक्त होती हैं?**

• **उत्तर:**

• **F4 — Contra Voucher:** नकद बैंक में जमा करने या बैंक से नकद निकालने अथवा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए।

• **F5 — Payment Voucher:** सभी नकद या बैंक भुगतानों के लिए।

• **F6 — Receipt Voucher:** सभी नकद या बैंक प्राप्तियों के लिए।

• **F7 — Journal Voucher:** गैर-नकद समायोजन प्रविष्टियों (जैसे मूल्यह्रास, उधार स्थायी संपत्ति क्रय) के लिए।

• **F8 — Sales Voucher** (उधार/नकद माल विक्रय) और **F9 — Purchase Voucher** (उधार/नकद माल क्रय)।

अभ्यास प्रश्न #86 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 86. वस्तु एवं सेवा कर (GST — 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016; 1 जुलाई 2017 से लागू) लेखांकन में 'इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)' के समायोजन का सही नियम क्या है?**

• **उत्तर: IGST (एकीकृत GST)** के इनपुट क्रेडिट का उपयोग सबसे पहले **IGST देयता** को चुकाने में किया जाता है, और बचने पर **CGST व SGST** किसी भी क्रम में चुकाया जा सकता है; किंतु **CGST का इनपुट क्रेडिट कभी भी SGST से समायोजित नहीं हो सकता और SGST का इनपुट क्रेडिट कभी भी CGST से समायोजित नहीं हो सकता (Cross-utilization between CGST and SGST is strictly prohibited)!**

अभ्यास प्रश्न #87 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 87. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की जाने वाली 'एकीकृत पेंशन योजना (UPS — Unified Pension Scheme, अगस्त 2024 में स्वीकृत, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी)' में न्यूनतम कितने वर्षों की सेवा पर मूल वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है?**

• **उत्तर: न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा पर सेवानिवृत्ति से पूर्व के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension)!**

• **व्याख्या:** यदि सेवा 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है तो आनुपातिक पेंशन मिलेगी, और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर **₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन** मिलेगी; कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन का **60% पारिवारिक पेंशन** के रूप में मिलेगा तथा सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर **18.5%** कर दिया गया है (जबकि कर्मचारी का अंशदान 10% ही रहेगा — **टी.वी. सोमनाथन समिति** की सिफारिश पर)।

**अभ्यास प्रश्न #88** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 88. मातृत्व लाभ अधिनियम (एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020) के तहत यदि नियोक्ता महिला कर्मचारी को निःशुल्क प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात चिकित्सा देखभाल उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे कितनी राशि का 'चिकित्सा बोनस (Medical Bonus)' देना होता है?**

• **उत्तर: ₹3,500** (जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ₹20,000 तक बढ़ा सकती है)।

**अभ्यास प्रश्न #89** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 89. बाल श्रम के विरुद्ध 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour)' कब मनाया जाता है और इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार के पोर्टल का नाम क्या है?**

• **उत्तर: 12 जून को** (ILO द्वारा 2002 से शुरू); भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए **'PENCIL पोर्टल (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour)'** संचालित किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #90** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 90. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय कौन-सा है और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?**

• **उत्तर: केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees — CBT)**, जिसके पदेन अध्यक्ष **केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री** होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी **केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC)** होते हैं।

## *भाग (ग): बुक 26 — मास्टर रेफरेंस टेबल* (Master Reference Table)

| विषय / क्षेत्र | मानक / संहिता / अनुपात / योजना | समाहित कानून / सूत्र / धारा | मुख्य प्रावधान एवं परीक्षा तथ्य |
|---|---|---|---|
| **लेखांकन मानक (AS / Ind AS)** | **AS-1, AS-2, AS-3, AS-9, AS-10, AS-20, AS-26** | Ind AS: 1, 2, 7 (Cash Flow), 115, 16 (PPE), 33 (EPS), 38 | AS-2 में LIFO वर्जित; AS-3 में Operating, Investing, Financing गतिविधियां |
| **स्वर्णिम नियम** | **Personal, Real, Nominal Accounts** | Personal: पाने वाला Dr., देने वाला Cr.; Real: आने वाला Dr., जाने वाला Cr. | Capital, Drawings, Outstanding/Prepaid = **Representative Personal A/c**; Goodwill = **Real A/c** |
| **लेखांकन अनुपात** | **Current, Quick, Debt-Equity, Inventory Turnover** | CR = (CA / CL) (2:1); QR = (CA-Stock-Prepaid / CL) (1:1) | COGS = Opening Stock + Net Purchases + Direct Exp. - Closing Stock |
| **साझेदारी एवं कंपनी** | **Sacrificing Ratio, Capital Reserve, Sec. 52–55** | Sacrificing = Old - New; विलेख न होने पर ऋण पर ब्याज **6% p.a.** | Calls-in-Arrears ब्याज: **10%**, Calls-in-Advance ब्याज: **12%** (Table F) |
| **अंकेक्षण (Auditing)** | **कंपनी अधिनियम धारा 139 से 148 एवं CARO 2020** | प्रथम ऑडिटर: सामान्य **30 दिन (बोर्ड)**, सरकारी **60 दिन (CAG)** | कार्यकाल: व्यक्ति 5 वर्ष, फर्म 10 वर्ष; CARO 2020 में **21 खंड** |
| **बीमा सिद्धांत** | **Utmost Good Faith, Indemnity, Subrogation** | LIC स्थापना: **1 सितंबर 1956**; GIC: **1972**; IRDAI: **1999** (हैदराबाद) | क्षतिपूर्ति (Indemnity) व अधिकार समर्पण (Subrogation) **जीवन बीमा पर लागू नहीं** |
| **औद्योगिक संबंध** | **Systems Theory (Dunlop), Trusteeship, Giri** | बॉम्बे मिलहैंड्स: **1890** (लोखंडे); मद्रास लेबर यूनियन: **1918** (वाडिया) | AITUC: **1920** (लाला लाजपत राय); INTUC: **1947**; BMS: **1955**; ILO: **1919** (10 Core Conventions) |

| विषय / क्षेत्र | मानक / संहिता / अनुपात / योजना | समाहित कानून / सूत्र / धारा | मुख्य प्रावधान एवं परीक्षा तथ्य |
|---|---|---|---|
| **संहिता 1: वेतन संहिता 2019** | **Code on Wages, 2019** | **4 कानूनों का विलय** (मजदूरी भुगतान 1936, न्यूनतम मजदूरी 1948, बोनस 1965, समान पारिश्रमिक 1976) | राष्ट्रीय **फ्लोर वेज**; मासिक वेतन भुगतान 7 **तारीख** तक; बोनस **8.33% से 20%**; ओवरटाइम **2 गुना** |
| **संहिता 2: IR कोड 2020** | **Industrial Relations Code, 2020** | **3 कानूनों का विलय** (ट्रेड यूनियन 1926, स्थायी आदेश 1946, औद्योगिक विवाद 1947) | स्थायी आदेश व छंटनी/बंदी सीमा **100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक**; स्ट्राइक नोटिस **14 दिन**; **51%** पर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन |
| **संहिता 3: सामाजिक सुरक्षा 2020** | **Code on Social Security, 2020** | **9 कानूनों का विलय** (EPF, ESIC, Gratuity, Maternity, Compensation आदि) | गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल; FTE को **1 वर्ष** पर ग्रेच्युटी ((वेतन× 15 / 26)×वर्ष); मातृत्व अवकाश **26 सप्ताह**; ESIC **4%** (3.25%+0.75%) |
| **संहिता 4: OSHWC कोड 2020** | **OSHWC Code, 2020** | **13 कानूनों का विलय** (कारखाना 1948, खान 1952, ठेका श्रम 1970, प्रवासी श्रमिक 1979 आदि) | कारखाना परिभाषा: **20 श्रमिक** (बिजली से) / **40 श्रमिक** (बिना बिजली); ठेका श्रम: **50**+; कैंटीन: **100**+; छुट्टी पात्रता: **180 दिन** |
| **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं** | **PMSBY, PMJJBY, APY, PM-SYM, AB-PMJAY, UPS** | PMSBY: ₹20/वर्ष; PMJJBY: ₹436/वर्ष; PM-SYM: ₹3,000/माह पेंशन | AB-PMJAY: ₹5 लाख कवर (**70+ वर्ष के सभी बुजुर्ग शामिल**); **UPS (2025):** 25 वर्ष सेवा पर **50% सुनिश्चित पेंशन** |

# क्वालिटी ऑडिट, तथ्य सत्यापन एवं लेखाशास्त्र/अंकेक्षण/श्रम कानून (EPFO & ESIC) बूस्टर पैक

## (क) 10 सबसे अधिक भ्रमित करने वाले लेखांकन सिद्धांत, श्रम संहिता नियम व परीक्षा गलतियाँ

• **1. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बनाम आगम व्यय (Revenue Expenditure):** किसी नई या पुरानी स्थायी संपत्ति (मशीन, भवन) को खरीदने और उसे **पहली बार कार्यशील स्थिति में लाने तक किए गए सभी खर्च** (ढुलाई, स्थापना मजदूरी, पुरानी मशीन की तात्कालिक मरम्मत, पंजीकरण शुल्क) **पूंजीगत व्यय** होते हैं। चालू होने के बाद सामान्य रखरखाव के खर्च **आगम व्यय** होते हैं।

• **2. आयोजन (Provision) बनाम संचय (Reserve): आयोजन** ज्ञात दायित्व/ह्रास के लिए बनता है और यह **लाभ पर प्रभार (Charge against Profit)** है (लाभ हो या हानि, बनाना अनिवार्य है); जबकि **संचय** अज्ञात आकस्मिकताओं के लिए बनता है और यह **लाभ का नियोजन (Appropriation of Profit)** है (केवल लाभ होने पर बनता है)।

• **3. तलपट (Trial Balance) द्वारा प्रकट न होने वाली 4 अशुद्धियाँ:** तलपट केवल अंकगणितीय शुद्धता जाँचता है। **सैद्धांतिक अशुद्धियाँ (Errors of Principle)**, **पूर्ण भूल की अशुद्धियाँ (Errors of Complete Omission)**, **प्रारंभिक लेखे में गलत राशि लिखना (Errors of Commission in Original Book)** और **क्षतिपूरक अशुद्धियाँ (Compensating Errors)** तलपट के मिलने पर भी छिपी रहती हैं।

• **4. प्रमाणन (Vouching) बनाम सत्यापन (Verification):** प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की मूल वाउचर/रसीद से जाँच **प्रमाणन ('अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी')** है, जबकि चिट्ठे (Balance Sheet) की तिथि पर संपत्तियों व दायित्वों के भौतिक अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्यांकन की जाँच **सत्यापन** है।

• **5. रूढ़िवादिता (Conservatism / Prudence) की परंपरा:** "संभावित सभी हानियों के लिए तुरंत प्रावधान करें, परंतु संभावित लाभों को तब तक न लिखें जब तक वे वसूल न हो जाएँ" — इसी के कारण अंतिम रहतिये (Closing Stock) का मूल्यांकन **लागत मूल्य या बाजार मूल्य (NRV) में से जो कम हो**, उस पर किया जाता है।

• **6. 4 नवीन श्रम संहिताओं में समाहित 29 केंद्रीय श्रम कानून (4 + 3 + 9 + 13 = 29):** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार: (1) **वेतन संहिता, 2019 = 4 कानून** (न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी भुगतान, बोनस, समान पारिश्रमिक); (2) **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 = 3 कानून** (ट्रेड यूनियन, स्थायी आदेश, औद्योगिक विवाद); (3) **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 = 9 कानून** (EPF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, कर्मचारी मुआवजा आदि); (4) **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा (OSHWC) संहिता, 2020 = 13 कानून** (कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, ठेका श्रम आदि)।

• **7. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में 300 श्रमिकों की नई सीमा:** स्थायी आदेश (Standing Orders) और बिना सरकारी पूर्वानुमति के कामबंदी/छंटनी/बंदी (Lay-off, Retrenchment & Closure) की सीमा 100 श्रमिक से बढ़ाकर **300 या अधिक श्रमिक** कर दी गई है।

• **8. EPF अधिनियम 1952 बनाम ESI अधिनियम 1948 की अंशदान दरें और वेतन सीमा:**

• **EPF (20+ कर्मचारी, वेतन सीमा ₹15,000/माह):** कर्मचारी अंशदान = **12%**; नियोक्ता अंशदान = **12%** (जिसमें से **8.33%** **EPS पेंशन कोष** में और **3.67%** **EPF** में जाता है + **0.5%** EDLI बीमा जिसमें अधिकतम ₹7 लाख बीमा मिलता है)।

• **ESI (10+ कर्मचारी, वेतन सीमा ₹21,000/माह [दिव्यांगों हेतु ₹25,000]):** नियोक्ता अंशदान = **3.25%**, कर्मचारी अंशदान = **0.75%** (कुल **4%**)।

• **9. ग्रेच्युटी सूत्र (15/26), बोनस सीमा (8.33%–20%) और मातृत्व अवकाश (26 सप्ताह):** ग्रेच्युटी (न्यूनतम 5 वर्ष सेवा; फिक्स्ड टर्म कर्मचारी हेतु 1 वर्ष) = **(अंतिम वेतन × 15 / 26) × सेवा वर्ष** (अधिकतम कर-मुक्त सीमा ₹20 लाख / सरकारी कर्मियों हेतु ₹25 लाख)। बोनस = न्यूनतम **8.33%**, अधिकतम **20%**। सवैतनिक मातृत्व अवकाश = प्रथम 2 बच्चों हेतु **26 सप्ताह** (तीसरे बच्चे व गोद लेने वाली माता हेतु **12 सप्ताह**)।

• **10. कारखाना अधिनियम 1948 की कल्याणकारी संख्या सीमाएँ:** वयस्क कार्य-घंटे = **48 घंटे/सप्ताह (9 घंटे/दिन)**, ओवरटाइम = सामान्य दर का **दोगुना (2x)**। **शिशुगृह (Creche):** 30 महिला श्रमिक (OSHWC संहिता 2020 में **50 श्रमिक** — लिंग-तटस्थ); **कैंटीन: 250 श्रमिक**; **कल्याण अधिकारी (Welfare Officer): 500 श्रमिक**; **सुरक्षा अधिकारी (Safety Officer): 1,000 श्रमिक**।

## (ख) लेखाशास्त्र, अंकेक्षण एवं श्रम कानून मास्टर चीट-शीट सारणी (UPSC EPFO EO/AO, APFC & SSC AAO)

| विषय / अधिनियम / मानक | स्वर्णिम नियम / सूत्र / वैधानिक प्रावधान | परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु | | |
|---|---|---|---|---|
| **खातों के प्रकार एवं स्वर्णिम नियम** | **व्यक्तिगत (Personal):** पाने वाला Dr., देने वाला Cr. \ | **वास्तविक (Real):** जो आए Dr., जो जाए Cr. \ | **नाममात्र (Nominal):** सभी व्यय/हानि Dr., सभी आय/लाभ Cr. | **बकाया/पूर्वदत्त व्यय (Outstanding/ Prepaid Expenses)** और बैंक खाता **'प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता (Representative Personal Account)'** हैं; *ख्याति* (Goodwill) **अमूर्त वास्तविक संपत्ति** है |
| **वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis)** | **चालू अनुपात (Current Ratio) = चालू संपत्तियाँ / चालू दायित्व** (आदर्श: **2 : 1**); **तरल/त्वरित अनुपात (Quick/Acid-Test Ratio) = (चालू संपत्तियाँ - स्टॉक - पूर्वदत्त व्यय) / चालू दायित्व** (आदर्श: **1 : 1**) | **सकल लाभ अनुपात = (सकल लाभ / शुद्ध विक्रय) × 100**; **इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात = बेचे गए माल की लागत (COGS) / औसत इन्वेंट्री** | | |
| **रोकड़ प्रवाह (AS-3), कंपनी ऑडिट व केस लॉ** | **AS-3 (Cash Flow):** 3 गतिविधियाँ—(1) परिचालन (Operating), (2) निवेश (Investing), (3) वित्तीय (Financing)। सरकारी कंपनी में प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति **CAG** द्वारा 60 दिन में **(धारा 139(7))** | "अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते (*Watchdog*) के समान है, शिकारी कुत्ते (*Bloodhound*) के समान नहीं" — **किंग्स्टन कॉटन मिल्स केस (1896)** | | |
| **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) व संवैधानिक अनुच्छेद** | **ILO (स्थापना 1919, मुख्यालय जिनेवा):** त्रिपक्षीय संरचना (सरकार + नियोक्ता + श्रमिक)। भारत ने ILO के 8 मौलिक अभिसमयों में से **6 का अनुसमर्थन** किया है (C138 व C182 बाल श्रम सहित) | **अनुच्छेद 23:** बेगार/बलात् श्रम निषेध; **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम बाल श्रम निषेध; **अनुच्छेद 39(d):** समान कार्य के लिए समान वेतन; **अनुच्छेद 42:** प्रसूति सहायता; **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी | | |
| **औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत एवं सामाजिक सुरक्षा** | **महात्मा गांधी:** न्यासिता (Trusteeship) सिद्धांत; **जॉन टी. डनलप:** सिस्टम अप्रोच (3 कर्ता + विचारधारा); **फ्लैंडर्स व क्लेग:** बहुलवादी (Pluralistic) सिद्धांत; **कार्ल मार्क्स:** वर्ग संघर्ष सिद्धांत | **PM श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM):** 18–40 वर्ष के असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद **₹3,000 मासिक पेंशन**; **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020** में पहली बार **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** को शामिल किया गया | | |